लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rupee**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, गुरुवार, 26 मार्च, 1970/5 चैत्र, 1892 (शाक)

No.– 24, Thursday, March 26, 1970/Chaitra 5, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
631. खाद्य तेलों के उत्पादन और विपणन कर बारे में अध्ययन करने हेतु लन्दन में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference Held at London to study Production and Marketing of Edible Oils.	I—6
632. गुजरात तथा राजस्थान की मरुभूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये इजराइल तथा जापान से तकनीकी सहायता	Technical Assistance from Israel and Japan for Reclamation of Deserts of Gujarat and Rajasthan	6—11
633. मत्स्य संबर्धन एवं उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Development of Fish and Increase in its Supply	11—20
634. समाचार पत्रों की मलकियत	Ownership of Newspapers	20—22
अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
1. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर वृत्त चित्र।	Documentary on Life of Netaji Subhas Chandra Bose	22—28

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
635.	नेताजी के जीवन पर भारत सरकार द्वारा एक वृत्त-चित्र का निर्माण	Production by Government of India of a Docomentary on Life of Netaji	28—29
636.	केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् की समाप्ति	Dissolution of Central Gosamvardhan Council	29—30
637.	देश में दुग्ध संयंत्र तथा दुग्ध-टेंकरों का निर्माण	Manufacture of Milk Plants and Milk Tankers in the Country	30
638.	समाचार भारती द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में गठित मजूरी समिति और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू न किया जाना	Non-Implementation of Recommendations of Wage Committee and Wage Board for Working Journalists by Samachar Bharti	30—31
639.	खाद्यान्नों से भिन्न फसलों के लिये मूल्य समर्थन कार्यक्रम	Price Support Programme for Crops other than Food-Grains	31
640.	कलकत्ता स्थित सिनेमा-गृहों पर नक्सल वादियों का आक्रमण	Naxalites's Attack on Calcutta Cinema Houses	31—32
641.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्रय किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में दूध की कमी	Scarcity of Milk in U. P., Haryana, and Rajasthan due to Purchases by DMS	32
642.	न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना	Fixing of Minimum Wages under the Minimum Wages Act in Andaman and Nicobar Islands	32—33
643.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद	Procurement of Foodgrains by F. C. I.	33

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
644.	विदेशी सहयोग से सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agricultural Programme with Foreign Collabaration	34
645.	टेलीविजन के विस्तार के लिये स्वायत्तशासी निकाय	Autonomous Body for T. V. Expansion	34
646.	चौथी पंचवर्षीय योजना में शक्तिशाली ट्रांस मीटर का लगाया जाना	Installation of Powerful Transmiters during Fourth Five Year Plan	34
647.	आकाशवाणी से माओ का प्रचार	Mao Propaganda over A. I. R.	34—35
648.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात	Export of Seeds by National Seeds Corporation	35
649.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध की सप्लाई बन्द की जाना	Discontinuance of Supply of Buffalo Milk by D. M. S.	35—36
650.	देश में चीनी क्षेत्र (शुगर जोन)	Sugar Zones in the Country	36—37
651.	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय वन नीति	National Forest Policy during Fourth Plan Period	37—38
652.	मान्यता प्राप्त समाचार पत्र संवाददाताओं को दी गई सुविधाओं का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Facilities given to Accredited Press Correspondents	39
653.	हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	Broadcast of Hindi News Bulletins	39—40
654.	समूचे देश के समाचार पत्र सम्पादकों को निमन्त्रण	Country-Wide Invitation to Newspaper Editors	40—41
655.	अमरीका द्वारा राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में तेल तथा चावल का वितरण	Distribution of Oil and Rice in Famine-Affected Areas in Rajasthan by America	41
656.	कृषि फार्मों के आकार पर सीमा निर्धारित करना	Limit on Size of Agricultural Farms	42

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
657.	प्रेस तथा रेडियो के सम्बन्ध में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य में समन्वय	Indo-U. A. R. Co-ordination re-Press and Radio	42
658.	1971 तक खाद्यान्न में आत्म निर्भरता	Self-Sufficiency in Foodgrains by 1971	43
659.	किसानों के लिये कृषि ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया सुधारना	Improvement in Methods of Sanctioning Agricultural Loans to Farmers	43—44
660.	चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने हेतु चालू मौसम में चीनी का फालतू भंडार बनाना	Buffer Stock of Sugar for Current Season to Narrow down Fluctuations	44

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4126.	ग्रामों में कुछ डाक-घरों का बन्द होना	Closure of Some Post Offices in Villages	44—46
4127.	समाचार संवाददाताओं के लिये 'डिफेंस सिक्योरिटी पास'	Defence Security Passes for Press Correspondents	46
4128.	तमिलनाडु के लिए नियत चीनी के व्यपगत भण्डार	Revalidation of Lapsed Stocks of Sugar Allocated to Tamil Nadu	46—47
4129.	उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना और इनका मिट्टी पर प्रभाव	Promotion of Use of Fertilisers and its Effect on Soils	47—49
4130.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खंड विकास कार्यालयों में टेलीफोन और तारघरों की व्यवस्था	Telephone and Telegraph Offices in Block Development Offices of Hilly Areas of U. P.	49
4131.	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र न दिये गये चलचित्र	Films Refused Certificates by the Board of Film Censor	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4132.	भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा श्रम संबंधी विवादों का निपटाया जानां	Labour Disputes Handled by Regional Labour Commissioner (Central) Bhubaneshwar	50
4134.	पोषाहार सम्बन्धी फिल्में	Films on Nutrition	50—51
4135.	प्रोटीन की समस्या पर चलचित्र	Film on Protein Problem	51—52
4136.	बिनौले प्रोटीन पदार्थों का उत्पादन	Production of Cotton Seed Protein Products	52
4137.	चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं तथा उनका खाद्य उत्पादन पर प्रभाव	Lift Irrigation Schemes in States under Fourth Plan and its Effect on Food Production	53
4138.	आकाशवाणी के महानिदेशालय की कर्मचारी परिषद् और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय समिति द्वारा कार्य न किया जाना	Non-Functioning of Staff Council and Compulsory Arbitration Committee in D. G. AIR.	53—54
4139.	आकाशवाणी के सतर्कता अधिकारी	Vigilance Officers of AIR	54—55
4140.	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा कोयला खानों को प्रमाणपत्र दिये जाना	Issue of Certificates by Regional Labour Commissioners to Coal Mines for Implementing Coal Mines Wage Board's Recommendations	55
4141.	डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त चीफ इंजीनियर को रोजगार	Employment of Retired Chief Engineer, P and T	56—57
4142.	मंत्रियों द्वारा की गई टेलीफोन ट्रंककालों के बिल	Trunk Call Bills of Ministers	57
4143.	सहकारी समितियों का कार्य	Working of Co-operative Societies	57—58
4144.	स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp of Swami Shardhanand	58

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4145.	सड़क उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Central Wage Board for Road Industry	58—59
4'46.	केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1969 को संविधान में सम्मिलित करना	Inclusion of Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1969 in the Constitution	59
4147.	वन्य पशुओं की समस्याओं पर सम्मेलन	Conference on Wild Life Problems	59—60
4148.	दिल्ली में प्रतिपक्षी संसद् सदस्यों के टेलीफोन संदेशों का गुप्त रूप से सुना जाना	Tapping of Telephones of Opposition Members of Parliament in Delhi	60
4149.	भूमिहीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए भूमि आवंटन नियम	Rules for Allotment of Land to Landless Scheduled Castes/Scheduled Tribes	60
4150.	बिहार के धनबाद जिले में मुरलीदीभागडी कोयला खानों के श्रमिकों के मकानों का धंसना	Sinking of Workers Houses at Murlidibhagdi Collieries in Dhanbad District, Bihar	61
4151.	बिहार में कोयला खानों में श्रमिक ठेका	Contact Labour in Collieries in Bihar	61—62
4152.	पूर्वी नीमच कोयला खान के कुछ श्रमिकों को काम से हटाना	Workers Removed from Service in East Neemcha Colliery	63
4153.	खान श्रमिकों के लिये आवास तथा चिकित्सा सुविधायें	Housing and Medical Facilities to Mine Workers	63—64
4154.	कांडला में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Nitrogen Fertilizer Plant at Kandla	64—65
4155.	चौथी योजना अवधि में उर्वरकों के प्रयोग का प्रोत्साहन	Promotion of use of Fertilizer under Fourth Plan Period	65—66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4156.	अरबी भाषा के टेलीप्रिंटर का निर्माण	Manufacture of Arabic Teleprinter	66—67
4158.	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा किया जाना	Deposit of Employees' Provident Fund by Textile Mills in Madhya Pradesh	67
4159.	चीनी के निर्यात के लिए भारत की मांग	India's Demand for Export Quota of Sugar	67—68
4160.	पथरीली भूमि में नलकूप लगाने के लिये उपकरणों की कमी	Shortage of Equipment for Installation of Tube-Wells in Rocky Land	68
4161.	तिब्बती शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता	U. N. Assistance for Tibetan Refugees	68—69
4162.	सहकारी कृषि को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Co-operative Agricultural Sector	69—70
4163.	पंजाब सरकार के सुझाव के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्य को निर्वाह व्यय सूचकांक से मिलाना	Linking of Price of Food-Grains with Cost of Living Index as Suggested by Punjab Government	70
4164.	दिल्ली में राशन की दुकानों को दिये गये गेहूँ की बिक्री की जांच	Enquiry into the Sale of Wheat Supplied to Ration Depots in Delhi	71
4165.	सहकारी कृषि क्षेत्र को सहायता	Aid to Co-operative Agricultural Sector	71
4166.	उड़ीसा में चांदीपुर, गोपालपुर और पारादीप में मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours at Chandipur, Gopalpur and Paradeep in Orissa	72
4168.	उपूसी (नेफा) में पंचायती राज	Panchayati Raj in NEFA	72—73
4170.	आकाशवाणी मोटर ड्राइवर एसोसिएशन	A. I. R. Motor Drivers Association	73
4171.	सिंचाई की सुविधाओं के अध्ययन हेतु आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission to Study Irrigational Facilities	74

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4172.	आयातित कपास के उत्पादन के लिये भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण	Survey of Indian Soil for Production of Imported Cotton	74—75
4173.	हजारीबाग जिले में कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Coal Wage Board Award by Coal Mines in Hazaribagh District	76
4174.	कृत्रिम वर्षा द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के प्रयोग	Experiments for Irrigation Arrangements by Artificial Rain	75—76
4175.	गोआ की खज़ान भूमि पर मत्स्य-पालन तथा इसका चावल के उत्पादन पर प्रभाव	Breeding of Fish in Khazan Lands of Goa and its effect on Rice Production	76
4176.	गोआ में डाक व तार विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के तरीके के संबंध में रोष	Resentment Regarding Method of Recruitment of Class IV Employees of P and T Department in Goa	76—77
4177.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	Investments by Rehabilitation Industries Corporation for Providing Employment to Displaced Persons from East Pakistan	77
4178.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा चावल उत्पादन के तरीकों सम्बन्धी अनुसंधान	Research on Method of Rice Production by Central Rice Research Institute	77—78
4179.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये औद्योगिक एककों को पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants by Rehabilitation Industries Corporation to Industrial Units for Providing Employment to Displaced Persons from East Pakistan	78—79
4180.	भारत में संकट ग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programme for "Distress Areas" in India	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4181.	प्रेस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Press Commission	79—80
4182.	पटना में डाक व तार औषधालय से सम्बन्धित चिकित्सा बिल	Medical Bills Relating to P and T Dispensary at Patna	80
4183.	पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल में पुनर्वास करने की योजना	Scheme to Rehabilitate Refugees from East Pakistan in West Bengal	81
4184.	चौथी योजना के दौरान राजस्थान में डाक व तार घर तथा टेलीफोन केन्द्र	Post and Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Rajasthan under Fourth Plan	81—82
4185.	राजस्थान को उर्वरकों, बीजों तथा खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Fertilisers, Seeds and Foodgrains to Rajasthan	82—84
4186.	गूलर भोज के गोसदन का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण	Transfer of Gosadan of Gular Bhoj to Delhi Administration	84
4187.	देश में डाकघर खोलने के बारे में नीति तथा उनका कार्यसंचालन	Policy Regarding Opening of Post Offices in the Country and their Working	84—85
4188.	भारत में दूध की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Consumption of Milk in India	85
4189.	पी०एल० 480 के अधीन दुग्ध चूर्ण आदि का आयात	Import of Milk Powder Etc. under PL—480	85-86
4190.	दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder	86
4191.	दुग्ध परिष्करण संयंत्रों का आयात तथा उनका कार्य	Import of Milk Processing Plants and their Working	87
4192.	राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस	National Food Congress	87
4193.	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय	Decision of U. P. Government to Nationalise Sugar Industry	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
4194.	विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकायें	Journals and Magazines Published by Foreign Embassies	88
4195.	सरकारी तथा गैर-सरकारी बूचड़खानों में बध किये गये पशुओं की संख्या	Number of Cattles Slaughtered in Government and Private Slaughter Houses	88
4196.	अन्दमान बन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Andaman Forest Labour Union	89
4197.	अन्दमान सामान्य कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Andaman General Workers' Union	89
4198.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में जल प्रौद्योगिकीय केन्द्र की स्थापना	Setting up of Water Technological Centre in Indian Agriculture Research Institute	90
4199.	वर्ष 1969-70 में चावल का निर्यात	Export of Rice in 1969-70	90
4200.	मॉड्न बेकरीज में लगाई गई पूंजी तथा उसके उत्पादों की मांग	Investment made in and Demand of Products of Modern Bakeries	91–92
4201.	तम्बाकू के विकास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Development of Tobacco	92—93
4202.	अधिक उपज वाली फसलों की खेती के बारे में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का प्रतिवेदन	Report of the Programme Evaluation Organisation of Planning Commission on the Cultivation of High—Yielding Crops	93—94
4203.	देहाती क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य आदि पर प्रलेखी चित्र	Documentary Films on Rural Agriculture, Health etc.	94
4204.	देश में संकट ग्रस्त चीनी-मिलें	Sick Sugar Mills in the Country	94
4205.	चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करने के लिये उच्चस्तरीय समिति	High-Level Committee to Consider Nationalisation of Sugar Industry	95
4206.	पंजाब के लिये टेलीफोन निदेशिकाओं का प्रकाशन	Printing of Telephone Directories for Punjab	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4207.	अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को फिर से मान्यता प्रदान करना	Restoration of Recognition to All India Insurance Employees Association	96
4208.	आकाशवाणी के स्टेशन-निदेशकों के पदों पर पदोन्नतियां	Promotions to the Posts of Station Directors of A. I. R.	96
4209.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	International Labour Organisation	97
4210.	पोषकाहार पौष्टिक खाद्य परियोजनाओं के लिये अमरीकी सहायता के बारे में करार	Agreement Regarding American for Nutritious Food Schemes	97
4211.	दिल्ली के लिये प्रकाशित दीवारी समाचार-पत्र की लागत तथा उपयोगिता	Cost and Utility of Wall Newspaper Published from Delhi	97
4212.	प्रशिक्षित वन अधिकारियों तथा रेंजरों की कमी	Shortage of Trained Forest Officers and Rangers	98
4213.	बेलगाम में बेकार पड़ा हिन्दी टेलीप्रिन्टर	Hindi Teleprinter Lying Idle at Belgaum	98
4214.	दिल्ली में श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करना	Issue of Ration Cards to Labourers in Delhi	98—99
4215.	कर्मचारी भविष्य निधि पर व्याज की दर को बढ़ाना	Raising of Rate of Interest of Employees Provident Fund	99
4216.	नग्न तथा अपराध दृश्यों वाले चलचित्रों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Films with Nude Crime Scenes	99—100
4217.	यमुना-पार बस्तियों में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरण केन्द्र	Milk Booths by D. M. S. in Trans-Jamuna Colonies	100
4218.	गौतम नगर के दिल्ली दुग्ध योजना दूध वितरण केन्द्र के लिये शाम को दूध की सप्लाई न करने की शिकायत	Complaint against Non-Supply of Milk for Gautam Nagar D. M. S. Booth in the Evening	100—101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4219.	शाम को दिल्ली दुग्ध योजना डिपुग्रों से दूध की सप्लाई	Supply of Milk from D. M. S. Depot in the Evening	101
4220.	रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में अखिल भारतीय किसान मेला तथा कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी	All India Farmers Fair and Agro-Industrial Exhibition at Rudrapur (U. P.)	101 102
4221.	विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के वाणिज्यिक प्रसारण से आय	Revenue from Commercial Broadcasts over Different Radio Stations	102
4222.	चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य नीति	Food Policy during Fourth Plan	102—103
4223.	रबीका (मधुबनी), दरभंगा, बिहार, में एक डाक-घर खोलना	Opening of a Post-Office at Rabika (Madhubani), Darbhanga, Bihar	103
4224.	साउथ एवेन्यू स्थित टेलीविजन को अन्यत्र ले जाना	Shifting of South Avenue T. V.	103
4225.	समाचार-पत्रों तथा पत्रकारों को नई दिल्ली कनाट प्लेस एक्सचेंज एरिया से छूट प्राप्त वर्ग के अन्तर्गत दिये गये टेलीफोन	Telephones Provided to Newspapers and Journalists from New Delhi Connaught Place Exchange Area under Exempted Category	104
4226.	चीफ सैटलमेंट कमीश्नर (मुख्य निपटारा आयुक्त) द्वारा अपने कार्यालयों का दौरा	Tours by Chief Settlement Commissioner of its Offices	104
4227.	संसद सदस्य के निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने के बारे में भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा आश्वासन का दिया जाना	Assurance given by Former Minister Regarding Installation of Telephone at the Residence of M. P.	105
4228.	'चांद पर मानव,' एक महान सफलता का आकाशवाणी द्वारा कथित उपहास	'Man on Moon' Achievement Allegedly Ridiculed by A. I. R.	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
4229.	कृषि आयोग की स्थापना	Setting up of Agricultural Commission	105—106
4230.	जापान के तरीके अपना कर चावल उत्पादन में वृद्धि के उपाय	Steps for Increase in Rice Production on the Lines followed in Japan	106
4231.	वर्षा के कारण बिहार में रबी तथा धान की फसल को हानि	Damage to Rabi and Paddy Crops in Bihar due to Rains	107
4232.	बिहार में साहबगंज तथा मोतीपुर में डेरी फार्म खोलना	Setting up of Dairy Farm in Sahabganj and Motipur in Bihar	107
4233.	भारतीय चल चित्रों में नग्नता और चुम्बन के सम्बन्ध में धार्मिक संस्थाओं की राय	Opinion of Religions Institutions on Nudity and Kissing in Indian Films	107—108
4234.	आकाशवाणी तथा टेलीविजन के स्टाफ आर्टिस्टों (कर्मचारी कलाकार) के काम करने के घंटे	Working Hours of Staff Artistes for A. I. R and T. V.	108
4235.	स्टाफ आर्टिस्टों (कर्मचारी कलाकारों) की मांगें	Staff Artistes Demands	108—109
4236.	कन्नानूर केरल में केन्द्रीय राज्य फार्म	Central State Farm at Cannanore Kerala	109
4237.	मूल खाद्य पदार्थों का संरक्षण	Fortification of Basic Food Articles	110
4238.	बिहार को खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि	Increase in Supply of Foodgrains to Bihar	110—111
4239.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि का विकास	Development of Agriculture in Bihar under Fourth Plan	111—112
4240.	मनीपुर में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी दरें	Minimum Wage Rates for Unskilled Workers in Manipur	112
4241.	मनीपुर पंचायती राज विधेयक	Manipur Panchayati Raj Bill	112—113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4242.	'हिमालयन टायल्स' मनीपुर द्वारा स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up by Himalayan Tiles, Manipur	113
4243.	मनीपुर में निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Indigent Artistes of Manipur	113—114
4244.	सहकारी विभाग, मनीपुर के निरीक्षकों में असन्तोष	Discontent Among Inspectors of Co-operative Department, Manipur	114
4245.	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities	115 116
4247.	मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ तथा छत्तरपुर के डाकू-ग्रस्त जिलों के पुलिस स्टेशनों के लिये टेलिफोनों की व्यवस्था	Provision of Telephones for Police Stations of Dacoit Infested Districts of Tikamgarh and Chhatarpur in M. P.	116
4248.	मध्य प्रदेश में बीना-ललितपुर तथा जाटरा-मरुरानीपुर-छत्तरपुर के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध	Direct Telephone Link between Bina-Lalitpur and Jatara-Maruranipur-Chhaturpur in Madhya Pradesh	116—117
4249.	वेलियाथुरा (केरल) में उबले चावल उतारने के कारण हुई हानि	Loss Incurred due to Unloading of Boiled Rice at Valiyathura (Kerala)	117
4250.	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी में पता लिखे पत्रों के वितरण में विलम्ब	Delay in Delivery of Letters with Address in Hindi in Non-Hindi Speaking Areas	117—118
4251.	राज्य में चलते-फिरते डाक-घर	Mobile Post Office in States	118
4252.	हड़ताल के दौरान फेक्टरी अधिनियम का प्रबन्धकों द्वारा उल्लंघन किये जाने के बारे में ब्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के कार्मिक संघों द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त दिल्ली को शिकायत	Complaint by Labour Unions of Beas Sutlaj Link Project to Chief Labour Commissioner Delhi Regarding Violation of Factory Act by the Management during Strike Period	118
4253.	जिला इन्दौर तथा इन्दौर शहर में वितरण क्षेत्र	Delivery Zones in Indore District and City	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4254.	डाक तार विभाग के अखिल भारतीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा इन्दौर में श्रेणी 'ए' का डाक-घर खोलने की मांग	Demands by All India Class III and IV Employees of P and T Department for Class 'A' Post Office at Indore	119
4255.	आर्थिक लाभों वाले पदों पर काम कर रहे कर्मचारी	Employees Working against Posts Carrying Pecuniary Benefits	119
4256.	संचार विभाग में अतिरिक्त लाभ वाले पदों से अधिकारियों का स्थानान्तरित किया जाना	Transfer of Officers from Posts Carrying Extra Gains in Department of Communications	119—120
4257.	अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers Working on Posts Carrying Extra Gains	120
4258.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त लाभ पाने वाले पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों का स्थानांतरण	Transfer of Officers on Posts Carrying Extra Gains in Ministry of Information and Broadcasting	120
4259.	ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तर पर गैर-सरकारी व्यक्तियों का सम्मेलन तथा केन्द्र द्वारा सहायता	Conference of Non-Officials at Village Block and District Levels and Assistance by Centre	120—121
4260.	अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की मान्यता का वापस लिया जाना और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को तंग किया जाना	Withdrawal of Recognition of All India Insurance Employees Association and Victimisation of L. I. C. Employees	121
4262.	वनस्पति तेलों का आयात तथा वितरण	Import and Distribution of Vegetable Oils	121—122
4263.	दिल्ली में कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने का नोटिस	Strike Notice by Textile Workers in Delhi	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4264.	विदेशी फर्मों के माध्यम से सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements through Foreign Firms	122—123
4265.	दिल्ली में गेहूँ तथा सब्जियों का उत्पादन	Production of Wheat and Vegetables in Delhi	123
4266.	राजस्थान के जालौर जिले में नलकूप लगाया जाना	Construction of Tubewells in Jalore, District Rajasthan	124
4267.	कृषि सम्वर्द्धन कार्य संबंधी अनुसंधान पर कागजी कार्य कम करने के लिए कार्यवाही	Steps for Less Paper Work on Research Regarding Agricultural Promotion Work	124—125
4269.	सोवियत लैण्ड और अमरीकन रिपोर्टर छापने वाली प्रिंटिंग फर्में	Printing Concerns in Charge of Printing Soviet Land and American Reporter	125
4270.	भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा चलचित्र दिखाये जाना	Films Exhibited by Foreign Diplomatic Missions in India	125—126
4272.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर 35 मिली मीटर का वृत्त चित्र	35 m. m. Documentary of Netaji Bose	126
4273.	सहकारी समितियों के कार्य की जांच	Enquiry into Working of Co-operatives	127—128
4274.	डाक व तार विभाग के वर्क चार्ज काम के लिये स्थायी पद से रखे गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी मामलों की जांच के बारे में विचार	Examination of the Cases Regarding Transfer of Workcharged Staff of P and T Department	128—129
4275.	दरभंगा (बिहार) में बजराह, महेकिया आदि में डाक घर खोला जाना	Opening of Post Offices in Bajraha, Mahekia etc. in Darbhanga (Bihar)	129
4276.	दरभंगा के लिए आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station for Darbhanga	129
4277.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4278.	दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली बम्बई सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling system between Delhi-Calcutta and Delhi-Bombay	130—131
4279.	औद्योगिक संगठनों में घेराव की घटनाओं में वृद्धि	Increase in the Number of Gheraos in Industrial Organisations	131
4280.	हाल की वर्षा का फ़सलों पर प्रभाव	Effect of Recent Rains on Crops	131—132
4281.	डाक तथा तार विभाग के कार्यकारी इंजीनियर (बिजली) के विरुद्ध रिश्वत लिये जाने का आरोप	Allegation of Bribery against an Executive Engineer (Electric) P and T Department	132
4283.	हरियाणा रेडियो स्टेशन	Haryana Radio Station	132
4284.	हरियाणा के सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought-Affected Areas of Haryana	133
4285.	गीताकालोनी, झील कुरंजा, दिल्ली के ब्लाक 11 और 12 के बीच की खाली भूमि का उपयोग करना	Utilisation of Land between Block 11 and 12 of Gita Colony, Jheel Khuranja, Delhi	133
4287.	निर्यात के लिये विदेशों में लोकप्रिय सन्तरे तथा केलों की किस्मों का उत्पादन	Production of Variety of Oranges and Bananas which are Popular in Foreign Countries for Export	133—134
4288.	मध्य प्रदेश में बिना भुगतान किये पड़े टेलीफोन बिल	Telephone Bills Outstanding in Madhya Pradesh	134
4289.	मध्य प्रदेश में एक से एक से अधिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	Acreage under Multiple Cropping in Madhya Pradesh	134—135
4290.	मध्य प्रदेश में तिलहनों का उत्पादन तथा खपत	Production and Consumption of Oil Seeds in Madhya Pradesh	135
4291.	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों पर हुआ व्यय	Expenditure Incurred on Telephones Provided at Residences of Officers of Central Government	135—136
4292.	खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने तथा खुले में पड़े रहने से अनाज की हानि	Loss of Foodgrains due to Transportation and Exposure	136

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4293.	भारत तथा अन्य देशों में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन	Average Yield of Foodgrains in India and in other Countries	136—137
4296.	भारत में जिला परिषदों का ढांचा	Structure of Zila Parishads in India	138
4297.	2 मार्च 1970 को आकाशवाणी के हिन्दी समाचार बुलेटिन में "बम्बई बन्द" सम्बन्धी समाचार न दिया जाना	News Re : 'Bombay Bandh' not Included in Hindi News Bulletin of A. I. R. on 2-3-1970	138
4298.	क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया उड़ीसा का क्षेत्र	Area from Orissa Included under Area Development Programme	138—139
4299.	खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains	139—140
4300.	राजस्थान में अभ्रक खानों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि की रसीद देना	Issue of Employees Provident Fund Deposit Receipts to Mica Mines Labourers in Rajasthan	140
4301.	विदेशों में भारतीय मूल वंश के भारतीयों के उत्तराधिकारियों के नाम में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण	Transfer of National Savings Certificates to Heirs of People of Indian Origin in Foreign Countries	140 - 141
4302.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद बहाल किये गये कर्मचारी	Employees Reinstated after September, 1968 Strike	141
4303.	वाणिज्यिक प्रसारण को बन्द करना	Discontinuance of Commercial Broadcasts	141—142
4304.	1970-71 में उर्वरक का आयात	Import of Fertiliser in 1970-71	142
4305.	संसद की कार्यवाही का आकाशवाणी से प्रसारण	A. I. R. Coverage of Proceedings of Parliament	142—143

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4306.	विदेशों की तुलना में भारत में उर्वरकों को ऊंचा मूल्य	High Prices of Fertilisers in India as Compared with Foreign Countries	143–144
4307.	विदेशी मछुओं को हिन्द महासागर से मछली पकड़ने से रोकना	Check on Foreign Fishermen Catching Fish in Indian Ocean	144—145
4308.	गेहूं बीज का आयात	Import of Wheat Seeds	145
4309.	दिल्ली में राशन की दुकानों को गेहूँ देना	Supply of Deshi Wheat to Ration Shops in Delhi	145
4310.	गन्ने की खेती वाली भूमि में कमी	Fall in the Acreage of Sugarcane Cultivation	145—146
4311.	महाराष्ट्र में कृषि का विकास	Development of Agriculture in Maharashtra	146—147
4312.	भारत में टेलिविजन के विस्तार के लिए जापान से सहायता	Japanese Help in T. V. Expansion in India	147
4313.	पुस्तकों वाले वी०पी०पी० पैकटों पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क श्रम का हटाने का अनुरोध	Request for Abolition of Compulsory Registration Charge on V. P. P. Packets Containing Books	147—148
4314.	आकाशवाणी द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान सभा की कार्यवाही का अपर्याप्त संवाद प्रसारित किया जाना	Inadequate Coverage of the Proceedings of J. and K. State Assembly by A. I. R.	148
4315.	दिल्ली के होटलों में हड़ताल	Strike in Delhi Hotels	148—150
4316.	मशीनों तथा कृषि-उपकरणों को खरीदने हेतु मध्य प्रदेश के लिए राशि का नियतन	Allocation to Madhya Pradesh for Purchase of Machinery and Agricultural Implements	150
4317.	पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में शाखा डाक-घर	Branch Post-Offices in West Godavary District (Andhra Pradesh)	150—151

अता० प्र० सख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
4318. पश्चिम गोदावरी जिले में भीमवरम तालुका में चिनापुलेरन गांव में शाखा डाक-घर खोलना	Opening of a Branch Post Office at Chinapullern Village of Bhimavaram Taluq, West Godavary	151
4319. खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन का अभ्यावेदन	Representation from Khadi Commission Karamchari Union	151
4320. चीन तथा रूस द्वारा भारत के लिये प्रसारण	Sino-Russian Broadcasts Beamed to India	152
432 . पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली की सदस्यता	Membership of Pahari Dhiraj Co-oepra-tive House Building Society, Delhi	152—153
4322. राजस्थान में अभ्रक खान मजदूरों को वेतन का समय पर भुगतान	Payment of Salaries in Time to Mica Mines Workers in Rajasthan	153
4323. राजस्थान में अभ्रक खानों के मजदूरों के लिए आवास बस्ती बनाना	Setting up of Housing Colony for Mica Mine Workers in Rajasthan	154
4324. विभागातिरिक्त एजेन्ट और पालघाट (केरल) में डाकियों के पद पर पदोन्नति के लिये परीक्षा	Extra-Departmental Agents and Examina-tion for Promotion to Postmen in Palghat (Kerala)	154—155
4325. सीधे डायल करके गांधी नगर तथा अन्य नगरों के बीच टेलीफोन करने की व्यवस्था	Subcribers' Trunk Dialling System between Gandhi Nagar and other Cities	155
पजाब की राजनीतिक घटनाओं के बारे में	Re. Political Development in Punjab	156—157
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	157
कम्बोडिया में हाल ही की घटनायें	Development in Cambodia	157—161
पंजाब की राजनीतिक घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Political Development in Punjab	161—163
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	163—164

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा से प्राप्त संदेश	Message from Rajya Sabha	164
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	164
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल), 1969-70	Demands for Supplementary Grants (West Bengal), 1969-70	165
विवरण पेश किया गया	Statement Presented	165
पश्चिमी बंगाल बजट, 1970-71 पेश किया गया	West Bengal Budget—1970-71—Presented	165
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	165 –166
दिल्ली सहकारी समितियां विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Co-operative Societies Bill Introduced	166
अनुदानों की मांगें रेलवे, 1970–71	Demand for Grants (Railways) 1970-71	166—187
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	180—182
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	182—184
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	184
श्री अ० श्री० कस्तूरे	Shri A. S. Kasture	185
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	186—188
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	188
59 वां प्रतिवेदन	Fifty-Ninth Report	188
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	188
(1) श्री ओम प्रकाश त्यागी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1970 (नयी धारा 7क का रखा जाना)	Representation of the People (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of New Section 7A) by Shri Om Prakash Tyagi	188
(2) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन, अनुच्छेद 320 का संशोधन और अनुच्छेद 335 का हटाया जाना)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of Article 16, Amendment of Article 320 and Omission of Article 335) by Shri Madhu Limaye	189

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
(3) श्री ओम प्रकाश त्यागी का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 (धारा 80 का संशोधन)	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Section 80) by Shri Om Prakash Tyagi	189
(4) श्री मुरासोली मारन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 120, 210, 343 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment) of Articles 120, 210, 343 etc.) by Shri Murasoli Maran	189
(5) श्री शिव चन्द्र झा का मिथिला विकास बोर्ड विधेयक, 1970	Mithila Development Board Bill, 1970 by Shri Shiva Chandra Jha	190
(6) श्री मुरासोली मारना का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 120, 210 और भाग सत्तरह का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 120, 210 and Part XVII) by Shri Murasoli Maran	190
(7) श्री ओम प्रकाश त्यागी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 217 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 217) by Shri Om Prakash Tyagi	191
श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)	Constitution (Amendment) Bill 1967 (Omission of Article 314) by Shri Madhu Limaye	191—202
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	194—195
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	197
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	198
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	199
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	200
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	201
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	202
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	193
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	201
संतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-Seventh Report	201—202

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 26 मार्च, 1970/5 चैत्र, 1892 (शक)
Thursday, March 26, 1970/Chaitra 5, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

तारांकित प्रश्न संख्या 635 और अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10 के बारे में
Re. S. Q. No. 635 and S. N. Q. No. 10

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रश्न सूची के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। क्या मैं आपका ध्यान नेताजी के जीवन पर भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वृत चित्र की ओर दिला सकता हूँ ? तब आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर आधारित एक वृत चित्र के बारे में श्री समर गुह द्वारा पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या की ओर ध्यान दें।

Mr. Speaker : I came afterwards.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्य तेलों के उत्पादन और विपणन के बारे में अध्ययन करने हेतु लन्दन में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*631. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों तथा चरबी के उत्पादन तथा विपणन के बारे में अध्ययन करने के लिए हाल ही में लन्दन में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या भारत ने भी उसमें भाग लिया था ; और

(ग) खाद्य तेलों के एक विकासशील उत्पादक देश के नाते हमारे देश के लिए उक्त सम्मेलन की लाभप्रद मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। तिलहन, तेल और वसा के विषय में खाद्य और कृषि संगठन के अध्ययन मण्डल का एक विशेष अधिवेशन 26-1-1970 से 6-2-1970 तक लन्दन में हुआ था। भारत ने इस अधिवेशन में भाग लिया था।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दूसरे अंकटाड के संकल्प 16-सी (II) के अनुसार तिलहन, तेल और वसा विषयक अध्ययन मण्डल का विशेष अधिवेशन 26 जनवरी से 6 फरवरी 1970 तक लन्दन में तिलहन, तेल और वसा के क्षेत्र में दीर्घ कालीन कार्य, अल्पकालीन उपायों साथ ही साथ संस्थानात्मक मशीनरी के लिए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए हुआ था। मंडल का विचार था कि उत्पादन और निर्यात के लिए समर्थन नीतियों से होने वाली नौन-टैरिफ सम्बन्धी रुकावटें विकासोन्मुख देशों से तिलहनों, तेलों और वसाओं के निर्यात कर्ताओं के सामने प्रमुख रुकावटें बन जाती हैं। इसने सचिवालय से अनुरोध किया कि वह एक ऐसा तरीका तलाश करें जिसमें यह दिया गया हो कि विभिन्न देश व्यापार को उदार बनाने के क्या उपाय करें। सचिवालय को यह भी कहा गया कि वह एक अध्ययन करके व्यापार-उन्नति कार्यों के तरीकों की एक उचित सूची तैयार करे। अधिवेशन में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावित अन्तः सरकारी सलाकार समिति को सब अभिप्रेत अर्थों में क्षति पूर्ति प्रबन्धों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए जो इसके अनेकता के प्रश्नों पर भी विचार करेगी। अधिवेशन ने सचिवालय से अनुरोध किया कि समीकरण भण्डार के प्रश्न पर भी विचार किया जायें। अधिवेशन में निर्णय किया गया कि प्रस्तावित सांख्यिकी उप-समिति को तिलहनों, तेलों, वसाओं, खलों और खाद्यों के लिए वर्तमान और सम्भावी विपणन की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और विस्तृत आंकडे प्रस्तुत करने चाहिएं। अधिवेशन ने जिन समस्याओं पर समिति को सिफारिश की कि मण्डल का नाम बदल कर "तिलहन, तेल और वसा विषयक अन्तः सरकारी सलाहकार समिति" रखा जाये और अनुरोध किया कि अन्तः सरकारी सलाहकार समिति का स्तर बदल कर तिलहन, तेल और वसा विषयक संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन/अन्कटाड अन्तः सरकारी सलाहकार समिति रखा जा सकता है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : देश में खाद्य तेलों की भारी कमी है और तेल बनाने वाली कुछ फर्मों को विदेशी फर्मों का सहयोग प्राप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उक्त सम्मेलन में क्या रुख अपनाया? सरकार किनके हितों की रक्षा कर रही है क्योंकि तेल बनाने वाली वे फर्में पूर्णतया भारतीय फर्में नहीं हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : इस सम्मेलन में व्यापार को उदार बनाने और विभिन्न देशों में रक्षित भंडार बनाने और विकसित और अविकसित देशों में व्यापार को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार किया गया था। तेलों के बारे में भी विचार किया गया था। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये कुछ सुझावों की जांच के बारे में अन्तः सरकारी समिति की नियुक्ति करने का सुझाव है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जब कोई कम्पनी ब्रिटेन अथवा अन्य देशों के सहयोग से स्थापित हुई है तो ऐसे मामले में सरकार का क्या रवैया रहता है, भारत तथा सहयोग कर्त्ता के जो कि किसी अन्य देश का होता है हितों में संघर्ष होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने इस बारे में कभी रुख अपनाया है ? भारत के वर्तमान खाद्य तेलों की कमी के सम्बन्ध सरकार ने क्या रवैया अपनाया है ? क्या भारत वहां केवल बौद्धिक गोष्ठी में शामिल होने के लिये ही गया था ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे दुःख है कि भारत से वहाँ कोई नहीं गया था। वहां स्थिति दूतावास के हमारे प्रतिनिधि ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था। जहां तक हमारे राष्ट्रीय हित का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उक्त सम्मेलन में कोई मार्ग दर्शन सिद्धांत निश्चित किये गये थे। गत छः महीनों में बनस्पति घी के मूल्यों में छः गुना वृद्धि हुई है। क्या इसके बावजूद की मूंगफली तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई, बनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि उनको खुश रखने के लिए की गई थी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारत में हाल ही में खाद्य तेलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन इसका उक्त सम्मेलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए भारत से अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले बनस्पति घी की मात्रा में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे देश में खाद्य तेलों की कमी है और विदेशों की मंडियों में खाद्य तेलों का निर्यात करने की हमारी नीति नहीं है। हम खली आदि के निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं लेकिन खाद्य तेलों के निर्यात को नहीं क्योंकि उसकी हमारे देश में कमी है।

डा० राम सुभग सिंह : गत छः महीनों में बनस्पति घी के मूल्यों में छः गुना वृद्धि हुई है। क्या मूंगफली और तिलहन के मूल्यों में भी तदानुसार वृद्धि होगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक पृथक मामला है जिसे कृषि मूल्य आयोग को सौंपा गया है जो इस बात पर विचार करेगा कि उपभोक्ताओं के हितों की कैसे रक्षा की जा सकती है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री महोदय प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न यह था कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा करने के लिए सम्मेलन में क्या किया। उन्होंने उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। डा० राम सुभग सिंह ने पूछा था कि हाल ही के महीनों में बनस्पति घी के मूल्यों में लगभग छः गुना वृद्धि होने के क्या कारण थे। उन्होंने उक्त प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। चूंकि खाद्य तेलों के निर्माण में हमें विदेशी सहयोग प्राप्त है तो सरकार किस का पक्ष ले रही थी ? आपको मंत्री महोदय से उचित उत्तर देने के लिए कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके प्रश्नों का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

Shri George Fernandes : Part (c) of my question has not been answered in the statement placed on the Table of the House by the Hon. Minister. I have asked in that question the benefits India will gain by participating in that Conference. The hon. Minister may clearly state the benefit India will derive by the decisions take in that Conference. I also want to know the steps Government propose to take to increase the price of groundnut oil and soyabeen oil imported from America through State Trading Corporation.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल ततसंगत प्रश्न पूछें। वे केवल प्रश्न तक ही सीमित रहें।

Shri George Fernandes : It is a very relevant question. When a question is asked relating to the prices, it is said that it is a general question and it has no link with the main question. I want to know the purchasing and selling procedure of the soyabeen purches from America. I make a charge against State Trading Corporation for its making profit of it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उक्त सम्मेलन में अन्त राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने और उसको प्रोत्साहन देने के बारे में चर्चा की गई थी। उक्त सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया था कि उक्त समस्या के बारे में एक अंत: सरकारी सलाहकार समिति नियुक्त की जानी चाहिये। ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है जिससे हमारे हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

Shri George Fernandes : Why the Hon. Minister does not reply the question regarding earning profit in soyabeen oil ?

अध्यक्ष महोदय : आप जब भी प्रश्न पूछते हैं इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मैं आप से निवेदन कर चुका हूँ कि आप केवल तर्कसंगत प्रश्न पूछे।

Shri George Fernandes : Sir, I want your protection. The profit is being earned by the Government through State Trading Corporation by the import of soyabeen...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि खाद्य तेलों तथा चरबी के उत्पादन तथा विपणन के बारे में अध्ययन करने के लिए हाल ही में लन्दन में एक सम्मेलन हुआ था। यह सोयाबीन का प्रश्न कहां से आ गया ?

Shri George Fernandes : The question relating to Soyabeen was another question... *(Interruptions)*

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि इस विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। जैसा कि माननीय महिला सदस्य ने उल्लेख किया कि उक्त खाद्य तेलों और चरबी का उत्पादन करने वाले सब संगठन सहयोग के आधार पर चल रहे है तो यह कठिनाई स्वभाविक ही थी कि हम भारत के मामले को उक्त सम्मेलन में उचित रूप से प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री इस बारे में सभा को कोई आश्वासन देंगे ? उक्त खाद्य तेलों और चरबी, जिसका सामान्य व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया जाता है, उपलब्ध नहीं है, उनके मूल्य बढ़ जाते हैं और उनकी किस्म पर भी नियंत्रण नहीं रखा जाता और विदेशी सहयोग के कारण इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अत: देश में विदेशी सहयोग के बिना

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के सम्बन्ध में सरकार क्या सक्रिय कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं अपना संरक्षण चाहूँगा। यद्यपि देश के लिए तेल की आवश्यकता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य के प्रश्न का उक्त विषय से सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : बोलने को उठीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको तथा आपके दल को हर समय बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री एस० एम० जोशी : The Hon. Minister has stated about that Conference but he has not stated whether he is prepared to place a copy of the report regarding the discussion held then on the Table of the House so that we may know whether our interests are being protected or not ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे उपलब्ध विचार विमर्श के सारांश को पुस्तकालय में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे पुस्तकालय में रख दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मन्त्री ने खली के बारे में उल्लेख किया है और मुझे आशा है मैं जो प्रश्न पूंछूगा उनका वे उत्तर देंगे। खली की कमी के कारण हमारे देश में पशु भूखे मर रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए खली बहुत आवश्यक है। सरकार प्रत्येक वर्ष विदेशों को अधिक मात्रा में खली के निर्यात करने की अनुमति क्यों दे रही है और लोगों के लिए निम्न स्तर का कचरा दुग्ध चूर्ण क्यों आयात कर रही है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह प्रश्न वैदेशिक व्यापार मन्त्री से पूछना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने खली के बारे में उल्लेख किया था। मेरा प्रश्न उसी के बारे में है। आप वैदेशिक व्यापार मन्त्री को इस बारे में सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं ? **(अन्तरबाधाएं)**

श्री रंगा : इस बारे में खाद्य तथा कृषि मन्त्री को ध्यान देना चाहिए। अन्य मन्त्रियों को सलाह देना उनका कर्त्तव्य है।

Shri Om Prakash Tyagi ; I want to know whether it is a fact that most of the edible oil is being used for preparing soap and whether it was discussed in that Conference that some substitute should be invented so that edible oil may not be used for preparing soap ? If so, the details of that substitute ?

Mr. Speaker : That question does not arise from the main question.

Shri Om Prakash Tyagi : I just want to know whether this question was also discussed in that International Conference ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दु:ख है मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि आपने उक्त सम्मेलन में अन्य देशों अर्थात् अमरीका, जो अपने हितों की रक्षा भारत की मंडियों में तेल की सप्लाई करके करता है, के बारे में चर्चा की थी । इस देश में उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के बजाये आपने अमरीका को इस देश में सोयाबीन का आयात करने की अनुमति दी है जिसके परिणामस्वरूप इस देश के उत्पादक प्रायः समाप्त होने जा रहे हैं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उक्त सम्मेलन में भारत को किसी देश से किसी विशेष वर्ष में आयात करने की किसी विशेष समस्या के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया था । यह एक सामान्य सम्मेलन था जिसमें 63 देशों ने भाग लिया था । जहां तक देश के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने का प्रश्न है इसके बारे में हमें भी माननीय सदस्य की भांति चिन्ता है । अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के विभिन्न तरीके हैं ।

गुजरात तथा राजस्थान की मरूभूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये इज़राइल तथा जापान से तकनीकी सहायता

*632. **श्री शिकरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कच्छ की शुष्क भूमि तथा राजस्थान की मरूभूमि का पूरी तरह अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन उपायों के बारे में भी कोई अध्ययन किया है जिन से इजरायल अपनी मरूभूमि को वाणिज्यिक फसलें उगाने वाली उर्वरा भूमि का रूप दे सका है ।

(ग) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि पाकिस्तान अपनी भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा उसका विकास करने के लिये जापानी विशेषज्ञों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात तथा राजस्थान की मरूभूमि को क्रमबद्ध ढंग से कृषि योग्य बनाने के लिये इजरायल तथा जापान से कोई तकनीकी जानकारी प्राप्त करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां । केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर द्वारा गुजरात तथा राजस्थान के रेगिस्तानों की रूक्ष भूमि का सम्पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है । ये अध्ययनों का कच्छ सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां । प्रकाशित वैज्ञानिक सहित्य के माध्यम से इजरायल सहित समस्त विश्व की रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के तकनीकों का भारत सरकार को ज्ञान है । इजरायल के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधों की किस्मों पर किये गये अनुसंधानों से प्राप्त हुये परिणामों का इस देश के रूक्ष क्षेत्रों मे भी परीक्षण किया गया है । बहुत सी किस्मों के विषय में प्रयोग किये गये

हैं। उनमें से "एकेसिया टोरटिलिस" नामक एक किस्म सब तरह से अर्थात् रूपाई उगाई तथा सूखा की प्रतिरोधकता आदि की दृष्टि से काफी उपयुक्त सिद्ध हुई। इस किस्म का राजस्थान, गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों के रूक्ष तथा अर्द्ध-रूक्ष क्षेत्रों में उगाने के लिये सिफारिश की जा रही है।

(ग) इस मामले के विषय में भारत सरकार के पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ख) तथा (ग). को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

Shri Shinkre : Rajasthan is a big State but the considerable area of this State is covered by deserts. Since the Kings and Maharajas are no more the significance of the name 'Rajasthan' he become questionable and the name 'Rajasthan' seems more appropriate.

The desert is extending towards Delhi. This menance is much more serious than that of Ravi and Maharaja.

Mr. Speaker : He may, kindly put a straight question and not indulge himself in delivering speech.

Shri Shinkre : A country like Israel has succeeded in transforing her deserts into erable land and they are producing fruits like oranges and apples in that land. But we could not check the gradual advance of the deserty of Rajasthan. In this contexts I wanted to know whether any co-operation of the countries like Israel or Japan would be sought for this purpose. In the reply to this question it has been stated that our Central Aid Zone Institution which is situated in Jodhpur has undertaken the study in this regard. (*Interruptions*) I would like to know the reasons for not seeking Israeli collaboration in Rajasthan and Kutch when collaboration of France has been sought in Andhra Pradesh and Anantpur ? May I know whether certain political reasons and responsible for this ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक अन्य देशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का सम्बन्ध है मेरे विचार से इस मामलों में नीतियों तथा अन्य मतभेदों से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि विश्व के किसी देश से जिसके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे है मरुभूमि तथा सूखे क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें उसे अपनाने में प्रसन्नता होगी।

श्री पीलु मोदी : आप यह सब वैदेशिक व्यापार मन्त्री की हैसियत से कह रहे है या खाद्य मन्त्री की हैसियत से ?

Shri Shinkre : I wanted to know whether the Government would seek technical co-operation of the countries like France and Israel in this matter as has been in connection with Andhra Pradesh.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने इसका पूरा उत्तर दे दिया है।

श्रीमती इला पालचौधरी : विवरण से ज्ञात होता है कि सरकार मरुभूमि में 'एकेसिया टोरटलिस' उगाने के बारे में सोच रही है। जैसा अभी मेरे मित्र ने सुझाव दिया है, मरुभूमि में सेव और नाशपाती के वृक्ष उगाना सम्भव न हो सकें तथापि वे इस संदेह में किये गये अनुसंधान कार्यों से ज्ञात हो गया है कि मरुभूमि में एक प्रकार की कांटेदार नाशपाती की काश्त से पर्याप्त

लाभ कमाया जा रहा है । क्या राजस्थान में इसे उगाये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि विवरण में दिया गया है केवल एकेशिया टोर्टलिस ही एक ऐसा पौदा है जिसे उपयोगी पाया गया है । किन्तु यदि इस सम्बन्ध में किसी अन्य पौदे के उगाये जाने का सुझाव है तो मैं अनुसंधान संस्थानों से उनकी जांच करने को कहूँगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : यह भी नागफनी (कैक्टस) है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : गत वर्ष मैंने कच्छ की खाड़ी के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे । वहां की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है । किन्तु जब तक नर्मदा परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा वहां पानी उपलब्ध न होने के कारण खेती नहीं की जा सकती । गुजरात के अन्य भागों में उपलब्ध गैस और तेल की अतिरिक्त यहां कुछ कच्चा माल भी उपलब्ध है । यदि इन संसाधनों को जुटाया जाय तो इसमें न केवल गुजरात का भी हित होगा वरन् सारे देश का हित होगा । क्या सरकार ने उस भूमि को उपजाऊ बनाने तथा वहां उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए कच्छ की खाड़ी का अन्तिम सर्वेक्षण कर लिया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : उद्योगों के लिए कच्चे माल का पता लगाने से सम्बन्धित प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है । वैसे यह सुझाव अच्छा है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether the Government of Israel had initiated a proposal to the effect that the Government of India should give the daserts to them for certain period of time during which they would make it as fertile as it could yield production in such large quantity as India would be able to export besides enjoying her full consumption ?

Mr. Speaker : The question has already been put.

श्री पीलु मोदी : महोदय ! आप इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

श्री पीलु मोदी : मेरे विचार से मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या इजराइली सरकार कोई पेशकश की थी और यदि हां तो क्या उसे स्वीकार किया गया था या नहीं ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Sir. I did put a new question.

Mr. Speaker : Is the hon. Minister prepared to answer this new question ?

श्री पीलु मोदी : यदि आप समझते हैं कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे चुके है तो कोई बात नहीं है उन्हें इसका दुबारा उत्तर देने दें ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार को इजराइली सरकार का सीधे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri P. L. Barupal : Even after 22 years of our independance no positive scheme has been framed for the deserts of Gujarat and Rajasthan. These region are devastated by famine almost by year and the people of these areas are very miserable. In this context, may I know whether the Government have formulated or are contemplating to formulate any scheme in consultation with the Government of Israel for this purpose ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ व्यवस्था की गई है ।

श्री रंगा : केवल मामूली सी ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जी हाँ । इसके अतिरिक्त, देश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए जिस में राजस्थान भी सम्मिलित है अगले चार वर्षों में सूखा ग्रस्त तथा मरुभूमि में मुख्यतः रोजगार देने तथा उत्पादक कार्यों पर हाल ही में 100 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का निर्णय किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : इजराइल ने अपनी मरुभूमि को पुष्पोद्यानों में परिवर्तित कर लिया है । क्या यह सच नहीं है कि इजराइल ने राजस्थान के सूखा क्षेत्रों के विकास के लिए पेशकश की थी ? सरकार ने इस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकृत किया ? क्या यह अस्वीकृति राजनीतिक कारणों से की गई थी अथवा इसके कुछ अन्य कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शिकरे तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी यही प्रश्न किया था ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या यह सच है कि राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थलों में तीन मील प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है ? क्या माननीय सदस्य को ज्ञात है कि पहले शासन काल में जामनगर, पालम्बुर तथा कच्छ राज्यों में काम लगाने की योजना अपनाई जाती थी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को जारी रखा गया है अथवा बन्द कर दिया है और यदि बन्द कर दिया है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : समय-समय पर कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि मरुस्थल के बढ़ने की सम्भावना है । उन्होंने इस का एक कारण यह भी बताया है कि गत 50 शताब्दियों में वहां की बन सामग्री का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया है । किन्तु यह उनकी राय ही है । जहां तक बन रोपण की योजना का सम्बन्ध है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो योजना लागू की गई थी राजस्थान सरकार ने उसे व्यवहार्य नहीं समझा । किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राजस्थान के मरुस्थल को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में इजराइल के प्रस्ताव के बारे में माननीय मन्त्री ने बताया कि सरकार को कोई सीधा प्रस्ताव नहीं मिला है । क्या यह सच है कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री राम निवास मिर्धा जब इजराइल गये थे तो वह अपने साथ इजराइल सरकार के कुछ ऐसे प्रस्ताव अपने साथ लाये थे जिन्हें सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर दिया गया था, और यदि हाँ तो भारत सरकार ने उन्हें किन कारणों से अमान्य कर दिया था ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि श्री राम निवास मिर्धा राजस्थान सरकार के लिए

अपने साथ कुछ प्रस्ताव लाए थे किन्तु जहां तक उनका सम्बन्ध भारत सरकार से है उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या उन प्रस्तावों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था या नहीं ?

श्री रंगा : यह एक सीधा सादा प्रश्न है। उनका कहना है कि उन्हें राजस्थान सरकार को दिया गया था। क्या उन्हें भारत सरकार को भी भेजा गया था या नहीं ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इजराइल से भारत सरकार को कोई सीधा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सरकार को श्री मिर्धा के माध्यम से वे प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री 'हां' या 'ना' में उत्तर क्यों नहीं देते ? उनके साथ इस बात में क्या समस्या है ? यह एक छोटा सा प्रश्न है तथापि वह इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री तथ्य को नहीं झुठला सकते किन्तु वे यह तो कह सकते हैं कि मैं विवश हूँ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : राजस्थान सरकार ने श्री मिर्धा तथा अन्य मध्यमों से इजराइल सरकार के साथ कुछ पत्र व्यवहार किया था किन्तु जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाने या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में केवल केन्द्र सरकार ही कोई निर्णय करने की अधिकारी है और केन्द्र को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यही मैंने निवेदन किया है।

Shri Onkar Lal Bohra : Sir. the question was whether the Government of Rajasthan submitted that offer to the Central Government or not? May I know whether the Government of India will consider the deserts of Rajasthan a part of the country and that it is a deserts of India and only of Rajasthan and, therefore, every efforts will be made to reclaim not only with the assistance of Israel but with all possible means ? Will the hon. Minister make a promise here that he will take interest in this matter pesonally ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : माननीय सदस्य राजस्थान से आये हैं तथा मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार हम सभी इस बात के लिये उत्तरदायी हैं किन्तु फिर भी योजनाओं को कार्यान्वित करने का कर्तव्य राजस्थान सरकार का है मैंने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया है विवरण में भी निदेशों का उल्लेख कर दिया गया है। सदन इस बात से सहमत होगा कि यह बड़ी व्यापक तथा कठिन समस्या है तथा इस सम्बन्ध में व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है। तथापि सरकार मरु भूमि के विकास के लिए कुछ योजनाओं को हाथ में ले रही है।

श्री म० ला० सोंधी : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बात से अवश्य अवगत होंगे कि सिंचाई के लिए तथा मरुस्थलों के सुधार के लिए जहां धरातल से ऊंचे या नीचे स्थान पर पानी जमा किया जाता है वहां आधुनिक तकनीक को अपनाना राष्ट्रीय हित में रहता है। इजराइल तथा अन्य ऐसे देशों में भूमिगत जलाशयों का विकास किया गया है अर्थात् वहां जल भूमि के

नीचे एकत्रित किया जाता है। इससे भूकम्प तथा अन्य ऐसी समस्यायें कम उत्पन्न होती हैं। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि भूमिगत जलाशय की बात उन्हें रुची है।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : इस समस्या का पता है ? हमारे वैज्ञानिक ने भी इस बात की जांच की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते क्या हम भूमिगत जलाशयों का निर्माण करने के योग्य हैं। हमारे वैज्ञानिक इन बातों का अध्ययन अवश्य कर रहे हैं। अपने देश की परिस्थिति को देखते हुए यदि उनमें से किसी को उपयुक्त पाया गया तो हम भारत में भी उनको लागू करने में सफल होंगे।

श्री म० ला० सोंधी : वे कृत्रिम जलाशय नहीं होते अपितु वे प्राकृतिक रूप से भूमिगत जलाशय होते हैं। वे सस्ते भी रहते हैं।

मत्स्य संवर्धन एवं उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

633. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार गत तीन वर्षों में मत्स्य संवर्धन तथा जनता के लिए मछली की सप्लाई बढ़ाने हेतु पश्चिम बंगाल को कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है ; और

(ख) उपर्युक्त सहायता के क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विररण

(क) मत्स्य संवर्धन के विकास और मछली की आपूर्ति में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को निम्न प्रकार से सहायता दी है।

राज्य योजना

(लाखों रुपयों में)

1. वर्ष	केन्द्रीय सहायता की मात्रा	
	अनुदान	ऋण
1966-67	4.93	3.52
1967-68	15.00	22.50
1968-69	12.40	18.60

2. **केन्द्र द्वारा आयोजित प्रयोजनायें :—**

राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है मछली जहाजों के रुकने व

खड़े होने की सुविधाओं की व्यवस्था की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली लघु बन्दरगाहों का उल्लेख करें, जिसके लिए केन्द्रीय बजट में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक राशि का सामूहिक प्रावधान किया जाता है। 1967-68 और 1968-69 में इस योजना के अन्तर्गत सहायता शत प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती थी। राज्य सरकार ने नामखाना में एक बन्दरगाह के निर्माण का प्रस्ताव किया था और इस प्रस्ताव को 1967-68 में स्वीकार कर लिया गया था।

3. **केन्द्रीय योजनायें**

1. मुख्य पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार ने हल्दिया में जांच पड़ताल के लिए 1965 में 1.5 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की। इस जांच पड़ताल के आधार पर अस्थाई रूप से चुने गये स्थल को अनुपयुक्त पाया गया, और केन्द्रीय सरकार ने रायचौक नामक एक वैकल्पिक स्थान की जांच पड़ताल करना स्वीकार कर लिया।

2. केन्द्रीय मत्स्यकी निगम की, जिसका प्रमुख उद्देश्य कलकत्ते को मछली की आपूर्ति करना है, अंश पूंजी में 31 लाख रुपये के प्रारम्भिक अंशदान के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने 1969 में 10 लाख रुपये का अतिरिक्त अंशदान किया, जिसमें 5 लाख रुपये का ऋण भी सम्मिलित है। 3 लाख रुपये का एक और ऋण जारी किया जा रहा है।

3. सुधारे गये क्षारीय जलयुक्त दलदलों में मत्स्य संबर्धन के लिए एक मार्गदर्शी योजना के सम्बन्ध में 1968 में प्रयोगात्मक कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसके लिए चतुर्थ योजना में 50 लाख रुपये का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है।

4. केन्द्रीय सरकार के समन्वेशी जहाजी बेड़े को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे कि तट के आस पास के संसाधनों का अधिक सघन सर्वेक्षण किया जा सके। 30.50 लाख रुपये की लागत से प्राप्त 105 फुट वाले पोत और 17.50 लाख रुपये की लागत से 57 फुट वाले दो पोतों को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के सर्वेक्षण के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिनके लिए 1968-69 में आर्डर दिये गये थे।

समुद्र तटीय राज्यों की सामूहिक सहायता के लिए जिन अन्य महत्वपूर्ण सामान्य उपायों को अपनाया जा रहा है उनमें देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के निर्माण का संगठन और ऐसे जहाजों के परिचालन के लिए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का विस्तार करना है।

(ख) 1. केन्द्र द्वारा सहायता प्रदत्त राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्यक्त मत्स्य उद्योग सामुदायिक विकास खंडों में मछली तालाबों के विकास, डिम पोना का उत्पादन, मछलियों के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, मत्स्य संवर्धकों को ऋण का प्रावधान, परिवहन, प्रदर्शन प्रशिक्षण और मछुओं के प्रदर्शन और कल्याण की अनेक योजनायें

प्रारम्भ की है । इन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 32 मत्स्य फार्म कार्य कर रहे हैं और मछलियों के कृत्रिम प्रजनन तथा डिम पोना के संवर्द्धन के लिए 12 मत्स्य डिम वोना फार्म निर्मित किये गये हैं । डिम वोना के परिवहन तथा विपणन कार्य को दो सेवा एककों द्वारा किया जा रहा है, राज्य मत्स्य विभाग ने लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में सघन मत्स्य विकास को प्रारम्भ किया है । नवम्बर 1968 में हावड़ा में एक शीत भंडार का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था मछुओं को नावों, जालों, तालाबों आदि के सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । डिम पोना का वितरण सहायता प्राप्त दरों पर किया गया है ।

2. नामखाना में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण की संस्वीकृत योजना के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से किसी व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । फरवरी और मार्च, 1970 में बन्दरगाह पर कुछ कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

3. (i) कलकत्ता पत्तनन्यास द्वारा रायचौक का अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है और मत्स्य बन्दरगाह की योजना और अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ii) केन्द्रीय मत्स्यकी निगम ने कलकत्ते को 2229 मीटरी टन मछली की आपूर्ति की है, इसने अनेक जल क्षेत्रों को विकास कार्य के लिए भी लिया है ।

(iii) सुधारी गयी दलदलों में यदि क्षारीय जल मत्स्य संवर्द्धन के प्रयोगात्मक अध्ययनों में सफलता प्राप्त हो जाये तो अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन से सुन्दर-वन की वर्तमान परित्यक्त दलदलों का विस्तृत विस्तार आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में आ जायेगा । इस क्षेत्र में उपयुक्त मत्स्य फार्मों के निर्माण के डिजाइन बनाये जा रहे हैं और अध्ययन प्रगति पर है ;

(iv) 1969 में पूर्वी जर्मनी को जिस 105 फुट वाले पोत का आर्डर दिया गया था वह अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगा । वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से संसाधनों को ढूंढने के लिए इस पोत का उपयोग किया जायेगा ।

(v) पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक 57 फुट वाले पोतों के लिये आर्डर नहीं दिया है, जिसमें से 22 केन्द्रीय सरकार के लिए और 18 अन्य समुद्र तटीय राज्यों के लिए उनके आर्डर के आधार पर निर्मित किये जा रहे हैं । पश्चिम बंगाल सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों के परिचालन में प्रशिक्षण के लिए गत तीन वर्षों से कोई प्रशिक्षणार्थी नहीं प्रतिनियुक्त किये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति बहुत घने टाइप किये गये विवरण को देखे, तो वह बहुत प्रभावशाली प्रतीत होगा । परन्तु सचाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल में मछली सप्लाई की अत्यधिक कमी है । कलकत्ता में, जहां पर 8000 मन मछली प्रतिदिन खर्च होती है, मछली-सप्लाई की अत्यधिक कमी है । देश के विभाजन के साथ-साथ, कलकत्ता में मछली सप्लाई की अत्यधिक कमी हो गई है और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है । लेकिन सम्पूर्ण

कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल जिस कमी से प्रभावित है, उसे दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये । क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतिम वितीय स्वीकृति के लिये कितनी परियोजनायें उनके पास अनिर्णीत पड़ी हैं और कब तक उनके लिये धन स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विवरण में इन सब तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है । मुझे अफसोस है कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य महोदय ने सभा पतल पर रखे गये विस्तृत विवरण-पत्र का अध्ययन नहीं किया । हमारी यह अत्यधिक इच्छा है कि मत्स्य-पालन क्षेत्रों के विकास में पश्चिम बंगाल सरकार और अधिक रुचि ले और विकास के दृष्टिकोण से, मछलियों का आसानी से प्राप्त होना बहुत जरूरी है, परन्तु दुर्भाग्यवश, ऐसा वहां नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री श्री जगजीवन राम और मेरे और उससे पहले भी बार-बार पश्चिमी बंगाल सरकार से यह अनुरोध करने के बावजूद कि वह इस पर और अधिक राशि खर्च करे और उतनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध की जायगी, इस बारे में आगे प्रगति नहीं की गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके क्या कारण हैं कि केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम, जिसकी स्थापना पिछले भारत-पाक संघर्ष के पश्चात की गई थी, सिवाय सरकारी खजाने से जनता का धन बरबाद करने के मछली सप्लाई की स्थिति सुधारने में सफल नहीं हुआ है ? उसके कार्यचालन के सम्बंध में और अधिक ब्यौरा दीजिए ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : विशेषज्ञों की एक समिति को केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए कहा गया था । यह पाया गया कि कुछ कारणों से निगम मितव्ययता के साथ कार्य नहीं कर सका । तत्पश्चात् हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुरोध किया कि वह इस निगम का कार्यभार अपने हाथ में ले ले । प्रारम्भ में, उन्होंने कुछ अनिच्छा प्रकट की । परन्तु, बाद में, श्री अजय मुखर्जी ने हमें सूचित किया कि अगर केन्द्रीय सरकार कुछ वितीय सहायता बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो वे निगम का कार्य संभाल लेंगे । हम उसकी जांच कर रहे हैं । अगर पश्चिम बंगाल सरकार इसे अपने हाथ में ले ले, तो हमें खुशी होगी और मैं अपने माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु से, जो सिर्फ आलोचना करना चाहेंगे, यह अनुरोध करूंगा कि वह निगम का कार्यभार संभालने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को राजी करें । वितीय सहायता में वृद्धि करने की सभी समस्याओं की हम जांच करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके क्या कारण हैं कि केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम बुरी तरह से असफल रहा और जनता के धन को उसने बरबाद किया ? वह मनगढंत कहानी सुना रहे है... (व्यवधान)...

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिमी बंगाल में उत्पादन और अन्य बातों को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं क्या सदन को इसका पता नहीं है ? (व्यवधान)

इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण-पत्र के अनुसार, केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम ने अब तक कुल मिलाकर 2,229 टन मछली कलकत्ता को सप्लाई

की। जैसा कि मंत्री महोदय को पता है कि पाकिस्तान से आयात पर रोक लगाने के कारण, जहां से कलकता में प्रतिदिन 75 से 100 टन मछली आया करती थी, वहां अत्यधिक अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निगम की स्थापना से लेकर अब तक निगम के कार्यचालन के कारण विवरण के अनुसार कुल सप्लाई 3 सप्ताह की सप्लाई के बराबर है जब उन्होंने इस निगम को एकदम समाप्त करने का निश्चय कर लिया है या करने की सोच रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि संस्था के ज्ञापन पत्र में दी हुई विविध गतिविधियों को निगम द्वारा परा कराने के लिए उन्होंने कोई गम्भीर प्रयास क्यों नहीं किया ? इस निगम के ज्ञापन के अनुच्छेदों के अनुसार निगम डिब्बो में भरने की प्रक्रिया और शीत भंडागारो कीं स्थापना करेगा, गहरे समुद्र में और देश के आन्तरिक भाग में मछली पकड़ने तथा अन्य विविध गतिविधियों में संलग्न होगा। इनमें से किसी भी कार्य को किये बिना ही, उन्होंने निगम को समाप्त करने का निर्णय किया है और यह कह कर कि राज्य सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कन्धे पर डाल रहे हैं। एक ऐसे निगम की स्थापना करके वे अभाव की स्थिति का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जो अपनी गतिविधियों को ही पूरा नहीं कर सका और जिसने अनेक वर्षों में केवल 2000 टन मछली ही सप्लाई की ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सदस्य महोदय ने पाकिस्तान से मछली के आयात की ओर संकेत किया है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने पाकिस्तान से मछली के आयात पर प्रतिबन्ध हटाने का इकतरफा निर्णय किया है परन्तु, दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान से भारत को मछली के आयात की अनुमति देने को तैयार नहीं है।

निगम का मुख्य कार्य कलकत्ता को मछली सप्लाई करना था। स्वभवतः, यह एक ऐसा मामला है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से अधिक रुचि दिखाने की आशा की जाती है और इसलिए, यह अधिक उचित होगा अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस निगम को चलाने की जिम्मेदारी संभाल लेती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने उनसे एक निश्चित प्रश्न पूछा है। इस निगम के ज्ञापन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, शीत भंडागार बनाना आदि विविध गतिविधियां शामिल हैं। इन सब वर्षों में निगम नें इनसे से कोई भी कार्यवाही क्यों प्रारम्भ नहीं की और अब केंद्रीय सरकार कहती है कि वह घाटे में चल रहा है और इसलिए वह उसे पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपना चाहती है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : संस्था ज्ञापन के अनुच्छेदों अथवा किसी भी निगम के उद्देश्यों में अनेक गतिविधियों का उल्लेख होता है। परन्तु प्रत्येक परियोजना की आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन करना होता है। निगम स्वायत्तशासी था और इस प्रकार की गतिविधियों को प्रारम्भ करने में सक्षम था।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि मछली का अभाव कुछ पार्टियों द्वारा मत्स्य-पालन केन्द्रों और जल को दूषित कर देने

और मछली को खराब कर देने के कारण हुआ है ? इसी के कारण कलकत्ता में मछली के अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है । (व्यवधान)

दूसरे, मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर केन्द्रीय मत्स्य-पालन निगम को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया जाता है, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वार कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायगी और क्या वे अपनी नौकरी से तो हाथ नहीं धो बैठेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह स्वाभाविक है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदारी संभालती है, तो वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी करेगी ।

जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार ने इस आशय का समाचार अखवारों में देखा है कि कुछ स्थानों पर जबर्दस्ती कब्जा किया गया है ।

श्री पीलु मोडी : क्या यह सच है या नहीं कि कम्युनिस्टों द्वारा अपने शिकारों की लाशें समुद्र में फेंक देने के बाद छोटी-बड़ी सभी मछलियां बंगाल के समुद्र से भयभीत होकर भाग गयी है ?

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राज्य की कुल मछली की जरूरत के 77 प्रतिशत का अभाव है ? क्या यह भी सच है कि मत्स्य-पालन केन्दों के रूप में मछली-पालन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 12 लाख एकड़ जमीन है और जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि उनमें से कुछ केन्द्रों का कुछ जोतदारों द्वारा मत्स्य-पालन केन्दों के रूप में उपयोग किया जा रहा है और क्या यह भी सच है कि इन मत्स्य-पालन केन्द्रों को लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट तत्वों द्वारा पूरी तरह से लूट लिया गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधा सवाल पूछना चाहिए । किसी पार्टी को बीच में मत लाओ ।

श्री समर गुह : प्रत्येक व्यक्ति जानता है और यह प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी छपता रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत बात है । हरेक बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माथे मढ़ी जाती है । मैं इसे पसन्द नहीं करता । यह वास्तव में बुरी बात है ।

श्री समर गुह : ये तो तथ्य हैं, जो समाचारपत्रों में छपे हैं । यह पश्चिम बंगाल में प्रायः रोजाना ही छपता रहा । मैं कोई मनगढंत बात नहीं कह रहा ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री समर गुह : मैं अभी अपना प्रश्न पूछता हूँ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मत्स्य-पालन केन्दों के लूटे जाने के कारण पश्चिम बंगाल में मछली की कीमत एकदम बढ़कर 10 रु० प्रति किलो हो गई है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई उपाय कर रही है और क्या सरकार का विचार उस जमीन को खरीदने का है, जिसका जोतदार मत्स्य-पालन केन्द्र के रूप में

प्रयोग कर रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी मत्स्य-पालन केन्द्रों को अपने नियन्त्रण में लगी और क्या सरकार द्वारा मत्स्य-पालन का कार्य आरम्भ किया जायेगा ?...(व्यवधान)...कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भली भाँति जानते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ क्या व्यवहार किया है । 1967-68 में 15 लाख रु० की राशि का अनुदान और 22.5 लाख रु० की राशि के ऋण दिये गये थे, अनुदान और ऋण की राशि घटकर क्रमशः 12.40 लाख रु० और 18.69 लाख रु० का ही रह गया है । ऋण और अनुदान की राशि में कमी होने का क्या कारण है ?

श्री समर गुह : वे मछली पालन केन्द्रों को लूट रहे हैं और मछलियों को 12 रुपये किलो बेच रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक मामले के साथ सी० आर० ए० का सम्बन्ध जोड़ा जाता है । ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह एक मामूली प्रश्न है । प्रश्न मछलियों की कमी के बारे में था । इसका सी० आइ० ए० एवं भारतीय साम्मयवादी दल (मार्क्सवादी) से क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्न में अन्य बातें कैसे आ सकती है ?...(व्यवधान)...

श्री पीलु मोदी : भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ऐसी स्थिति के लिए उत्तर-दायी है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक पश्चिमी बंगाल में मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, यह चिन्ता का विषय होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विषय है मछली पकड़ने के स्थानों का प्रयोग पूरी तरह होना चाहिए । लेकिन अगर मछली पकड़ने के स्थानों पर जबर्दस्ती कब्जा किया जाएगा तो इससे मछली-व्यापार कार्य कुछ हद तक बन्द हो जाएगा । यंत्रों द्वारा मछली पकड़ने के विकास के लिए एवं यंत्रचलित ट्रालर चालू करना अत्यन्त आवश्यक है । सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई की है और श्री जगजीवन राम ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को लिखा है कि केन्द्रीय सरकार यंत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिये केन्द्रीय मछली-निगम के जरिए वित्तीय सहायता या ऋण देने को तैयार है । लेकिन, दर्भाग्यवश, पश्चिमी बंगाल में काम बहुत धीरे से हो रहा हैं ।

श्री ज्योतिमय बसु : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने मछली-व्यापार को ठप्प कर दिया है । प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की कटु आलोचना की है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुछ बड़े ट्रालर दिए गए थे । लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने इनका प्रयोग नही किया । मेरे विचार में पश्चिमी बंगाल को इस कारण का उत्तर देना चाहिए । पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारतीय सरकार को सूचित किया था कि वह उन ट्रालरों को चालू करने की स्थिति में नहीं है ।

दूसरी बात छोटी बन्दरगाहों के विकास के बारे में है । इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार

पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करने को तैयार हैं। सरकार को पूर्वी जर्मनी से मछली-स्थलों को खोजने के लिए जलयान प्राप्त हुआ है जिसे वह पश्चिमी बंगाल को बगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग में मछली प्राप्त होने के संम्भाव्य स्थानों का पता लगाने के लिए देगी।

जहां तक श्री समर गुह द्वारा उठाए गए वित्तीय सहायता के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि सन् 1966 के बाद से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किए गए व्यय पर आधारित थी। दुर्भाग्यवश, पश्चिमी बंगाल सरकार ने मछली पकड़ने के कार्य के विकास को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी। उदाहरण के तौर पर केरल सरकार ने मछली पकड़ने के विकास पर राज्य-योजना परिव्यय का लगभग 19 प्रतिशत व्यय किया जबकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केवल 2 या तीन प्रतिशत व्यय किया। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता वस्तुतः पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किये गए व्यय से सम्बन्धित थी। अतः केन्द द्वारा और सहायता न दिया जाना स्वभाविक था। अतः अब से मैं अपने मंत्रालय एवं भारतीय सरकार की ओर से कहने को तैयार हूँ कि पश्चिमी बंगाल सरकार को अधिक से अधिक सहायता देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन अन्ततः यह राज्य सरकार का मामला है और उन्हें इस सम्बन्ध में कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पश्चिमी बंगाल के समुदतट पर मिलने वाली मछलियों गुजरात की अपेक्षा अधिक मोटी, लम्बी एवं अच्छी किस्म की है? इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगालियों का आहार मछली है और गुजराती मछली न खाने वाले भी हो सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मछलियों की किस्म को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार ने केवल पश्चिमी बंगाल सरकार को बल्कि गुजरात सरकार एवं अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता देगी ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : जहां तक कृषि एवं मछली-पकड़ने के कार्य के विकास का सम्बन्ध है, राज्यों में भेदभाव करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गत वर्ष जब से चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई, राज्य सरकारों को खंड अनुदान दिए जा रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर कितना व्यय किया जाए, इसका निर्णय करना राज्य-सरकार का काम है। पश्चिमी-बंगाल सरकार, गुजरात सरकार या किसी भी राज्य सरकार को योजना में दिए गए धन को किसी विशेष क्षेत्र पर व्यय करने का पूरा अधिकार है।

श्री सोमचंद सोलंकी : मैंने अच्छी किस्म की मछलियों के बारे में प्रश्न पूछा था, उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्यां मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल के समुद्र-तट पर मिलने वाली मछलियां गुजरात से प्राप्त होने वाली मछलियों की अपेक्षा अच्छी हैं जिसके कारण श्री ज्योतिमय बसु ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि सरकार ने जब केन्द्रीय मछली निगम की स्थापना की तो उसका एक विचार भारत के अन्य स्थानों से भी मछली प्राप्त करने का था? अगर हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय मछली निगम को समाप्त करके निजी फर्मों या निजी निगमों को मछली पकड़ने तथा उसे कलकत्ता एवं पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भेजने के लिए प्रोत्साहित

किया जा रहा है ? अगर हां, तो सरकार ने मछली निगम को मजबूत एवं विकसित बनाने को बजाय ऐसी कार्रवाई क्यों की है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : भारतीय सरकार केन्द्रीय मछली निगम को हानि पहुंचाकर मछली-उद्योग में गैर-सरकारी फर्मों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार नहीं कर रही । मैं यह बात पूरे जोर से सदन में कहना चाहता हूं ।

जहां तक केन्द्रीय मछली पालन निगम का सम्बन्ध है, इसका कार्य अन्य राज्यों से मछली प्राप्त करने का है और यह निगम कुछ अन्य राज्यों से मछली प्राप्त करता रहा है । लेकिन अन्य राज्यों ने यह भी कहा है कि अब उनके क्षेत्र में मछलियों की मांग बढ़ रही है और अब वे राज्य दूसरे राज्य में मछली नहीं भेज सकते । मछलियां उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा से कलकत्ता भेजी जा रही थी और इसके लिए कुछ कठिनाई थी । लेकिन, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल सरकार निगम को अपने हाथ में ले ले और जहां तक सम्भव हो उसका कुशलता-पूर्वक संचालन करें ताकि यह निगम कलकत्ता में मछली प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सके ।

Shri Abdul Ghani Dar : Hon. Minister has just now stated that there is no restriction on the import of fish from Pakistan. May I know when the Pakistan Government, which has been exporting in lakhs of tons of fish to India, discontinued this arrangement and what are the reasons thereof ? Secondly, if Bengal Government are not in a position to make arrangement for the same, will Central Government provide travelers so that lakhs of tons of fish be procured so that not only Bengal Government but also other States may be benefitted.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : पाकिस्तान ने भारत को मछली देना कब बन्द किया—यह मैं कैसे बता सकता हूँ ।

Shri Abdul Ghani Dar : Hon. Minister has not replied when Pakistan Government discontinued the exports and what were the reasons for doing so and if the Bengal Government are not in position to make arrangement, will Central Government make the arrangement ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मछलियों का आना पिछले कुछ वर्षों से बन्द है । जहां तक सही तारीख बताने का प्रश्न है, इसके लिए नोटिस दिया जाए ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मछली बंगालियों का मुख्य भोजन स्वीकार किया जाता है । चूंकि मछलियों का पाकिस्तान से आयात बन्द हो गया है, बंगाल में मछलियों की भारी कमी हो गई है । केन्द्रीय मछली निगम इस ओर बड़े पैमाने पर प्रयत्न कर रहा है कि अन्य राज्यों से मछली प्राप्त की जा सके । चूंकि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति-शासन लागू है, क्या माननीय मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि केन्द्रीय मछली निगम की कार्रवाई को मन्द नहीं होने दिया जाएगा बल्कि राज्य-सरकार से मिलकर उनके प्रयत्नों को और भी दृढ़ बनाया जाएगा ताकि मछलियों की कमी को पूरा किया जा सके तथा पश्चिमी बंगाल के लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मछली दी जा सके ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : भले ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो, पश्चिमी बंगाल सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह निगम को अपने हाथ में ले और उसका संचालन करे।

श्री रणधीर सिंह : मछलियों के बारे में बहुत बातें हो चुकीं। अब अगला प्रश्न लिया जाए।

समाचार पत्रों की मलकियत

*634. **रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में गत 3 फरवरी को हुए उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन में उक्त पत्रकारों के संघ के अध्यक्ष श्री एस० सी० काला ने समाचार-पत्रों की मलकियत में आमूल परिवर्तन करने के लिए संसद द्वारा एक विधान पारित कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि सम्पादकीय विभागों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा प्रेस कर्मचारियों को भी समाचार-पत्रों के निदेशक बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, big business houses have monopoly even the Press in India and they control our mental faculties. They go on publishing good, evil and distorted news. That is why there is a demand for nationalisation of the Press, the demand for nationalisation is pressed inside and outside the House. Shri Gujral himself stated in the National Council of All-India Journalists Association held on 15th November, 1969, "Government would not hesitate even to change the ownership structure of the Press if it was desirable in the public interest."

The statement made by the hon. Minister regarding the public interest under which they can change the ownership of the Press, I want to know whether the time has come in our country ? If not, the time by which this would be done. Whether this time would happen during the tenure of his office or it would come after his tenure of office would be over ?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, I never meant the nationalisation of the Press in my speech about which the hon. Member has stated. I have so many time announced and still I want to say that the defects of the Press discussed by my friend might be correct but nationalisation is no remedy for them. Therefore our attention is not towards nationalisation nor the Government has any such policy that the Press may be nationalised. But inspite of this we think that there is monopoly of big business houses on certain newspapers and they do not do as much work in the Public interest as they do for themselves.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know from the hon. Minister :

(a) whether it is a fact that the Company Law Department set up under Company Act has submitted any report about Shri Goyanaka, the owner of a monopoly newspaper ? If so, the details thereof and if not, then why ?

(b) whether it is also a fact that the owner of the English daily "The Indian Express" and other newspapers Seth Goyanaka has been lent a loan of Rs. 15 crores from the banks for the newspapers ? If so, what is the justification thereof and do the Government propose to lend money to small newspapers and the newspapers published by the political parties after ending the tendency of lending money to the owners of the monopoly newspapers ? If not, the reasons therefor ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं केवल छोटे समाचार-पत्रों को ऋण तथा अग्रिम धन आदि दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में उत्तर देने की स्थिति में हूँ। सरकार समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। कम्पनी ला के सम्बन्ध में उन्होंने जो बात कही उसके लिए उन्हें सम्बन्धित मन्त्रालय को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मंत्री जी 'समाचार-पत्रों के स्वामित्व में परिवर्तन' करने के सम्बन्ध में तो अपने ठोस विचार व्यक्त करने की स्थिति में हैं क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय-करण के इरादे को तो ठुकरा दिया उस प्रकार, मुझे आशा है, वह इसे नहीं ठुकरायेंगे ? क्या वह समाचार-पत्रों के स्वामित्व में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कोई ऐसा ठोस विचार रखते हैं जिसे वह सदन में रख सकें ?

श्री इ० कु० गुजराल : हम इस विषय पर यहां-वहां चर्चा करते रहे हैं। इसका केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि एक सार्वजनिक न्यास की स्थापना की जाए जहां पर सरकार का न तो कोई हस्तक्षेप हो न ही उसका कोई इससे लेना-देना हो। सार्वजनिक न्यास ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह समाचार-पत्रों की या तो स्वामी के रूप में अथवा स्वामियों तथा कर्म-चारियों के मध्य-मध्यस्थ के रूप में देख-भाल कर सके।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : ताकि वह उनपर नियन्त्रण कर के प्रभावित कर सके जिसके लिए वह प्रयास करते रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस समय राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की दो श्रेणियां हैं—एक का नियन्त्रण तो बड़े व्यापार-गृहों द्वारा होता है तथा दूसरे हिन्दू, ट्रिब्यून, अमृत-बाजार पत्रिका आदि जैसे स्वतन्त्र पत्र हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो बड़े व्यापार-गृह हैं जिनका राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में से अधिकांश पत्रों पर नियन्त्रण है, वे इन पत्रों के माध्यम से अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करते हैं ? क्या सरकार इन बड़े व्यापार-गृहों के माध्यम से समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण करने का प्रयास कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं ऐसे सुझाव को कठोरता पूर्वक अस्वीकार करता हूँ कि सरकार ने कभी भी समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में हस्तक्षेप किया हो....

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच करा ली जाये। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का

सम्बन्ध है, हमें इस बात की जानकारी है कि कभी-कभी समाचार-पत्रों के स्वामी यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय हितों के पूर्व ही उनके स्वयं के हित पूरे होने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

श्री रा० बरुआ : क्या मैं यह बता सकता हूं कि इस मामले को पहले ही खारिज कर दिया गया था......व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय : वही तो तकलीफ है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं थे।

Shri Shiva Chandra Jha : I rise on a point of order, I want a ruling on this. Bungling is going on in admitting the questions today. Whenever any such question is asked which had been asked previously we are informed that the question had been replied earlier and on the ground the Ministry does not admit the question. But this question has been repeated today. Short Notice Question has been admitted and a Starred Question regarding this by Shri R. K. Birla is there today.

Mr. Speaker : It had been admitted previously.

Shri Shiva Chandra Jha : The very fact that a Question has been admitted on Netaji shows that there are still doubts regarding some facts of his life and there must be removed. If this is the position why do the Government not set-up such a Committee which can go through all these things and redress them.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर वृत्त चित्र

10. **श्री समर गुह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन और उनके उद्देश्यों पर एक वृत्त चित्र तैयार करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या विभिन्न देशों में नेताजी के बारे में उपलब्ध जानकारी तथा वृत्त चित्र उक्त फिल्म के निर्माता को उपलब्ध कराये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त फिल्म परियोजरा का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टोकियो, लन्दन, वाशिंगटन, बोन तथा पूर्वी बर्लिन में स्थित भारतीय दूतावासों के द्वारा नेताजी की गतिविधियों पर फिल्म सामग्री की उपलब्धि का पता करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, इस मामले में विदेश मन्त्रालय की मार्फत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर एक वृत्त चित्र तैयार करने का कार्य कलकत्ता के एक गैर-सरकारी निर्माता श्री मृणाल सेन को कुल 80,000 रुपए पर दिया गया है। इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।

श्री समर गुह : मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारत के लोग नेताजी के जीवन एवं उद्देश्यों पर सरकार द्वारा बनाये जाने वाले वृत-चित्र जो कि देश भक्ति का द्योतक है, कि प्रशंसा करेंगे। मैं अपनी 25 प्रतिशत बधाई तो अभी देता हूं तथा शेष 75 प्रतिशत जब श्री मृणाल सेन उक्त वृत्त-चित्र जो कि स्वतन्त्रता संग्राम के महानतम नायक पर होगा उसे पूरा कर लेगे तब दूंगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भिन्न-भिन्न देशों से इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को करने के अनुदेश दिये गये हैं।

कलकत्ता स्थित नेताजी अनुसंधान ब्यूरो ने बहुत से लेख्य, चित्र, आदि विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किये हैं तथा पहले से ही इस बारे में अनुसंधान कर रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि श्री सेन को उस ब्यूरो से परामर्श करके लिपि तथा संवाद तैयार करने के निर्देश दिये जायेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं मेरे माननीय मित्रों के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ। हम इस प्रकार के सहयोग का स्वागत करेंगे और उन्हें वह सहायता लेने के लिए निदेश दे देंगे।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के ठीक बाद अंग्रेजी सरकार ने नेताजी पर एक वृत्त-चित्र जो कि मलेशिया में तैयार किया गया था उसे यहां सौंप दिया तथा वह देश की छवि-गृहों में दिखाया जा रहा है ? दुर्भाग्यवश वह चित्र गुम हो रहा है। उस चित्र को ढूंढने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के छवि-गृहों में 1961 तक वहां के जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा नेताजी पर 35 मिलीमीटर का वृत्त-चित्र दिखाया जाता था ? क्या यह सच है कि जन सम्पर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री माथुर के आदेश द्वारा चित्र की सब की सब दस प्रतियां जला दी गई ? यदि हां, तो उस चित्र को क्यों नष्ट किया गया ? क्या सरकार उस चित्र की किसी प्रति को जो प्राप्य है, ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई करेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह सच है कि भारत में पश्चिमी बंगाल तथा अन्य कई राज्यों में नेताजी पर चित्र को दिखाया गया था जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया। हमारे पास इस बारे में यही जानकारी है कि उक्त चित्र को घिसा हुआ माना जाकर 1959 में जला दिया गया था और चूंकि यह आग पकड़ने वाला सामान था तथा इसके कारण आग लग जाने की जोखिम थी इसलिए जला दिया गया।

श्री समर गुह : सरकार इसकी एक फिर से खींची हुई प्रति रख सकती थी।

श्री सत्य नारायण सिंह : इसके बारे में हमें कहा जा चुका है। गत दो वर्षों से हम इसके लिए पूरा प्रयत्न करते रहे हैं तथा समाचार पत्रों विज्ञापन देकर अलग-अलग व्यक्तियों अथवा संगठनों आदि से सामान के लिए निवेदन करने जा रहे हैं। हम स्वयं भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं अभिरुचि रखने वाले माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा ताकि हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। हमें भी जितना अधिक सामान मिल सके उतना अधिक लेने के लिए पूर्णतया उत्सुक हैं।

Shri S. M. Banerjee : I happy to know that the Government are trying to produce a documentary film on Netaji's life ; but there is a point in this regard. A doubt about Netaji's death has been expressed in this House also. When it was stated Netaji had died and his ashes should be brought here from Singapore or Japan and that a military honoured should be given, then on the proposal of Sardar Iqbal Singh, Pt. Jawahar Lal Nehru had stated that since there was a controversy over the death of Netaji he did not want any discussion on that resolution ; and thus, the resolution was dropped. That is why there is no portrait of Netaji in the Central Hall whereas his portrait should have been given the place second to Gandhiji. I want to know as to which part of Netaji's life will be depicted in that documentary film. Since the matters concerning the I.N.A. will be included in the documentary and if the people, after seeing the film, would natural ask about the whereabouts of Netaji ; would the Government therefore, hold any inquiry and try to complete the documentary film ? Otherwise this documentary will also prove meaningless just like the earlier one.

Shri Satya Narain Sinha : The proposed documentary will be based on his life. As regards the death, there exists a lot of controversy over this issue. People have expressed their doubt in this regard. Recently, the Government have appointed a committee to go to Japan and other countries and make inquiries so as to settle this issue finally and for ever.

श्री ही० ना० मुखर्जी : मंत्री महोदय एक दम यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण चलचित्र जो कट फट गया था आग लगने के कारण ऐसे समय नष्ट हो गया जब कि उसके नेगिटिव से जो कि अवश्य मौजूद होंगे और प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। वह एक दम ही पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें दिये गये इस स्पष्टीकरण को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि सारी सामग्री नष्ट हो गई है। इससे सन्देह उत्पन्न होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस संबंध में गम्भीर होकर जांच करायेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं अवश्य ही जांच कराऊंगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या उन टोकियो के लड़कों से संबंध स्थापित करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे जिन्हें स्वयं नेताजी ने प्रशिक्षण दिया और जिनमें से कुछ तो अभी भी जापान में जिन्दा हैं, क्या लोग उस विमान दुर्घटना का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए टेहोकू हवाई अड्डे पर जायेंगे यदि वहां यह दुर्घटना हुई है।

दूसरे, मैं जानना चाहूँगी कि इस डाक्यूमेंट्री चित्र को विश्व के सभी चलचित्र महोत्सवों में प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयप्न किये गये हैं। क्या भारत सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक टोकियो का प्रश्न है, मैं कह चुका हूँ हम अपने लोगों तथा दूतावासों के द्वारा सभी प्रयास कर रहे हैं जहां तक विश्व भर में इसे प्रदर्शित करने का प्रश्न है, मैं यहां तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है, यह चलचित्र सब जगह दिखाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : नेताजी सारे भारत के थे।

श्री पीलु मोडी : उनकी लोकप्रियता का अन्य लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं।

Shri Ram Charan : You have allowed some Members to speak thrice and some Members have not been allowed even once ?

Mr. Speaker : The question has not yet been concluded. It is wrong to say that.

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य श्री समर गुह के उस प्रश्न का साफ-साफ उत्तर नहीं दिया है कि इस चलचित्र का क्या हुआ जिसमें आजाद हिन्द सरकार तथा नेताजी के जीवन के संबंध में समस्त ब्यौरा उपलब्ध था। हुआ यह था कि मलाया तथा सिंगापुर की पराजय के बाद अंग्रेजों ने मूल चलचित्र सरदार पटेल को सोंप दिया था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भी नेताजी पर बना यह चलचित्र श्री दया भाई पटेल, श्री बलवन्त राय मेहता तथा श्री नाथूराम पारेख के कब्जे में था। जिन्होंने इस चलचित्र को देश के विभिन्न छवि-गृहों में प्रदर्शित किया था तथा आजाद हिन्द सेना का स्मारक बनाने के लिए बहुत सारा धन एकत्रित किया था। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार उसकी प्रति को खोजने का प्रयास करेगी तथा यदि यह खो गई है, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि ऐसे उल्लेखनीय व्यक्तियों के कब्जों से वह प्रति कैसे खो गई ?

दूसरे, यह भी समाचार था कि उसी विश्वसनीय चलचित्र की एक प्रति बम्बई के एक चलचित्र निर्माता श्री झावेरी के पास थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस प्रति को ढूंढने तथा प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय करेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमने श्री झावेरी से सम्पर्क स्थापित किया था। वह इसे अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई प्रिंट नहीं है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : उन व्यक्तियों के बारे में क्या विचार है जिनके मैंने नाम बताये है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हम एक संगठन के द्वारा तथा आजाद हिन्द सेना को संबंधित लोगों की सहायता से हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं। यदि वे हमें कुछ सामाग्री दे सके अथवा स्रोत बता सके तो हम उसका स्वागत करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Netaji Subhash Chandra's role in the struggle for freedom is very vital. The hon. Minister has just now stated that Rs. 80,000 have been spent on the production of this film. In any opinion, it is simply an eye-wash. You cannot produce a very good film in Rs. 80,000 I do not want to compare, but a film on Pt. Jawahar Lal Nehru cost Rs. 13 lakhs. Three films were made. But only Rs. 80,000 are being spent on the film on Netaji. I want to know as what is the length of this film and what would be the standard of such a good film. Can you make a good film within this amount ? Would you make efforts to make it a beautiful film by increasing its length ?

Shri Satya Narain Sinha : Rs. 80,000 is not a small amount, as regards the production of a documentary film. But if more money will be required, we will spend it.

Shri Sita Ram Kesari : I have also the honour of being one of the disciples of Netaji who has been the second greatest martyr after Gandhiji ; and I have also some doubt about Netaji's death. This doubt should be removed. Shri Banerjee has very rightly demanded that this great martyr should be given due honour which has been denied

so far. Would this doubt be removed by appointing a commission in this regard ? Also, would the Government declare Subhash Chhandra the greatest martyr and would raise a memo rial befitting to his honour.

Shri Satya Narain Sinha :There can not be two opinion that Subhash Chandra Bose was a great martyr ..

Dr. Ram Subhag Singh : When we are still making inquirses how can we call him martyr ?

Shri Satya Narayan Sinha : Greatmen never die. They are immortal. I have said that a committee will be set up to inquire and that will give its final decision about the facts.

Shri Prakash Vir Shastri : The Government are repeating the same mistake in regard to the so called death of Subhash Chandra Bose, while making this film also. I have heard the hon. Minister's statement very attentionaly. First time the mistake was that Shahnawaz Khan Committee did not go to that place which is said to be place of an air crash resulting in the death of Netaji Subhash Chandra Bose. I am referring to Tai Peh, the capital of Taiwan. The hon. Minister has mentioned certain countries in his statement but he has not mentioned the place where the air crash is said to have taken place. I want to know whether that country will also be contracted with a view of giving completeness to th's film and in case that country is agreeable to give assistances, her coopearion will be availed of.

Shri Satya Narayan Sinha : I have not mentioned all the names of the country where it will be shown...

Shri Prakash Vir Shastri : You have stated the names.

Shri Satya Narayan Sinha : That was not an exhaustive list. The Committee would certainly visit those countries if it deems fit.

Shri Sheo Narain : When Netaji left the country in 1943. the whole nation's eyes were on him. He was a great leader. He made supreme sacrifice and was devoted to the country. In 1938, he had called us to throw the Britishers out of the country. This is the minority Government. The hon. Minister has admitted that the earlier documentary film is not traceable. But Netaji's children and his wife are alive. It can be found out whether they have got the details of that documentary. Shri Hiren Mukerjee has stated that the negative of the film might be available with the company. The Government are good for nothing if they cannot trace it. Let they not provide money. The nation would spend and prepare a very good film. Are you prepared for it ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have stated that efforts would be made to trace it.

Shri Sheo Narain : You ask from his family also.

Shri Satya Narayan Sinha : Certainly we would ask. But the hon. Member has changed his opinion in a very little time and he calls in good for nothing.

Shri A. S. Sehgal : Subhash Chandra Bose was in the Central Jail ; and later in the Seoni Jail of Madhya Pradesh alongwith his levitenents of whom one Shri Dwarika Prasad Mishra was also sent. The deteils regarding our transfer from there can be got from those people. Would the Government try to get that ?

Shri Satya Narayan Sinha : I never knew that Subhash Chandra Bose had been in Jail with him (the hon. Member). His witness will be surely obtained.

श्री स० कुण्डू : शब्द "वृत्त" (decumentary) बड़ा ही भ्रमात्मक है। यह भी हम 5 मिनट से लेकर चार घण्टे तक की हो सकती है। इस तथ्य को देखते हुए कि नेताजी का जीवन लम्बा तथा सभी प्रकार की गतिविधियों से भरपूर था, वह विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, देश भक्त थे तथा युवा पिढ़ी के लिए प्रेरणा के महान स्रोत थे, तथा उनकी गतिविधि सारे विश्व में फैली हुई थी, क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि इस चित्र की पटकथा का सारांश क्या होगा तथा क्या इस चित्र को प्रदर्शित करने से पूर्व समिति उसकी जांच करेगी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक इस वृत्त चित्र की लम्बाई का प्रश्न है, यह तो निर्माता पर निर्भर करती है। हमने उन्हें पूरी स्वतत्रता दे दी है क्योंकि सारी बातें आनी चाहिए। यदि अधिक धन की आवश्यकता हुई तो हम और धन भी देंगे। इसके निर्मित होने के बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : नेताजी सुभाष चन्द बोस केवल बंगाल के ही नहीं थे। उनके जीवन के विषय में केवल बंगाली लोग ही अधिकृत ज्ञाता नहीं हैं। इस चित्र के निर्माण का कार्य एक बंगाली सज्जन श्री मृणाल सेन को सौंपा गया है। मद्रास तथा बम्बई में देश के उच्च श्रेणी के प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता मौजूद हैं मद्रास को हालीवुड समझा जाता है और स्वेन के पूर्व का सबसे बड़ा स्टूडियो मद्रास में है। क्या मंत्री महोदय मद्रास तथा बम्बई के उन प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का लाभ उठायेंगे ? दूसरे, क्या यह फिल्म काले सफेद में होगी या रंगीन होगी ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : हम श्री मृणाल सेन से अवश्य कहेंगे कि यह इन प्रतिभाशाली लोगों की भी सहायता लें।

श्री मुरासली मारन : किस प्रकार ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : सुझावों के रूप में।

श्री मुरासली मारन : कोई चित्र केवल किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता उसमें निर्देशक, छविकार संगीतकार आदि अनेक व्यक्तियों का हाथ होता है। इस संदर्भ में क्या वह बम्बई तथा मद्रास के उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सहायता लेंगे। यह प्राय: समझा जाता है कि बंगाल सिनेमा का अर्थ है भारतीय सिनेमा जो कि गलत बात है। क्या वह इस फिलम के प्रत्येक विभाग में बम्बई तथा मद्रास के इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शामिल करेंगे ताकि यह फिल्म देश का गौरव बने ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह जिम्मेवारी श्री मृणाल सेन को दी गई है क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली निर्माता हैं और इसलिए नहीं कि वह बंगाली हैं। अब क्योंकि वह एक फिल्म बना रहे हैं केवल इसलिए वह फिल्म अपना राष्ट्रीय महत्व नहीं खो देगी।

श्री मुरासली मारन : क्या वह मद्रास तथा बम्बई के चोटी के प्रतिभाशाली लोगों से सलाह लेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक फिल्म के निर्माण का सम्बन्ध है श्री मृणाल सेन की

जिस्मेवारी है और वह पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। परन्तु हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वह फिल्म निर्माण करते समय माननीय सदस्य द्वारा बताये गये प्रतिभाशाली लोगों से भी परामर्श ले लें।

Shri Ram Charan : As the Government have set up a unit to collect information regarding Mahatma Gandhi and his works, similarly will the hon. Minister set up a directorate or a cell under his Ministry, though which the work concerning Netaji Subhash Chandra Bose and his works could be taken up ?

Shri Satya Narayan Sinha : I cannot answer it now.

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह्र सच है कि पहले श्री सत्यजीत को यह फिल्म बनाने को कहा गया था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा बाद में श्री मृणाल सेन को यह चित्र निर्मित करने को कहा था, यदि हां, तो सत्यजीत रे ने किन कारणों से इस फिल्म को बनाने से इंकार कर दिया था दूसरे, ज्ञात हुआ है, कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी तथा उनके कार्यों के लिए गये चित्र खो गये हैं, यदि हां, तो इस चित्र के लिए सरकार उन चित्रों को कैसे पुन: जोड़ेगी ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : यह सच है कि श्री सत्यजीत रे से पहले अनुरोध किया गया था और उन्होंने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि वे बहुत व्यस्त हैं और यह कार्य नहीं कर सकते। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यदि संभव हुआ तो हम उन चित्रों को ढूंढने का प्रयास करेंगे परन्तु मैं ठीक से कह नहीं सकता कि उन चित्रों को कैसे पुनः तैयार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सोंधी।

श्री म० ला० सोंधी : मैं इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जैसे अतालवी और रूसियों ने मिलकर फिल्में बनाई हैं उसी तरह परस्पर सहयोग से फिल्में बनाने का सिद्धांत है जिसमें निर्माता, छविकार तथा अन्य प्रतिभाशाली लोग एक साथ कार्य करते हैं। वह यह न समझें कि श्री मारन द्वारा पूछा गया प्रश्न अर्थहीन था। मंत्री महोदय क्या अपनी कल्पना का सहारा क्यों नहीं लेते ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि श्री मृणाल सेन से अनुरोध किया जायेगा कि वह उन सभी प्रतिभाशाली लोगों की सहायता लें। ...(**व्यवधान**)......

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नेताजी के जीवन पर भारत सरकार द्वारा एक वृत्त-चित्र का निर्माण

*635. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेताजी सुभाचन्द्र बोस के जीवन तथा उनके जीवन लक्ष्य के सम्बन्ध में एक वृत्त-चित्र तैयार करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन देशों से सहायता ली जायेगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार फिल्म तैयार करने हेतु उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के लिए सार्वजनिक सूचना देने का है ; और

(ङ) फिल्म कब तक तैयार हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ;

(ख) नेताजी सुभाचन्द्र बोस के जीवन पर एक वृत्त चित्र बनाने का कार्य प्रसिद्ध निदेशक श्री मृणाल सेन को सौंपा गया है। स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।

(ग) विदेश मन्त्रालय ने टोकियो, लन्दन, वार्शिगटन, बोन तथा पूर्वी बर्लिन में स्थित भारतीय दूतावासों को लिखा है कि वे नेताजी को गतिविधियों पर फिल्म सामग्री को उपलब्धि का पता लगाएं।

(घ) सामग्री को उपलब्धि के लिए समाचारपत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निवेदन करने का प्रस्ताव है।

(ङ) निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, किन्तु फिल्म बिना किसी परिहार्य देरी के तैयार की जाएगी।

Dissolution of Central Gosamvardhan Council

*636. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have dissolved the Central Gosemvardhan Council ;

(b) whether it is also a fact that non-Government Members of the said council had protested against its dissolution ; and

(c) if so, the reasons for which the said council was dissolved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahed Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) This matter was considered at a special meeting of the General Body of the Central Council of Gosamvardhan on August 23, 1969. Of 34 members who voted either in person or by proxy, only one member voted against the resolution and one member remained natural. Five members did not participate in the voting but had walked out.

(c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The Public Accounts Committee of the Parliament in its Report for the year 1965-66 had desired that the activities of the Council should be evaluated and accordingly an Evaluation Committee was set up by the Government of India. This Committee had suggested that the fuunctions of the Central Council of Gosamvardhana should be advisory and promotional and the activities which fall within the purview of the State Governments should be entrusted to the State Government. The matter came before the Central Council of Gosamvardhana who resolved in a special meeting of the General Body held on the 23rd August, 1969 to dissolve the said Council from the 1st December, 1969. The Administra-

tion of the Union Territory of Delhi consented to this dissolution. Accordingly the Government decided to dissolve the Council and to constitute in its place a Gosamvardhan Advisory Council to review and advise the Government about the schemes relating to preservation, development, breading, feeding and marketing of cattle and to review and coordinate the activities of the various official and non-official institutions concerned with the development of cattle wealth and to undertake promotional activities for the development of cattle with the cooperation of the non-official institutions.

Manufacture of Milk Planes and Milk Tankers in the Country

*637. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have taken some steps to assure that the milk plants and milk-tankers should not be imported from abroad and instead manufactured in the country itself ;

(b) if so, the result thereof and if not, the reasons therefor ;

(c) whether Government are of the view that the said plants and tankers could be manufactured in the country ; and

(d) if so, the names of the companies with which negotiations are being made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. Government have ensured that milk plants and milk tankers manufactured in India are not normally allowed to be imported.

(b) Manufacture of dairy equipment has been progressively developed in this country which has considerably reduced foreign exchange expenditure.

(c) Except for some specialised equipment, milk plants and milk tankers are now manufactured in the country.

(d) The following three major Indian firms have been licensed to manufacture dairy machinery and milk tankers.

(i) M/s. Larsen & Toubro Ltd.—Bombay.

(ii) M/s. Vulcan Laval Ltd.—Bombay.

(iii) M/s. A.P.V. Engineering Co. Ltd.—Calcutta.

समाचार भारती द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में गठित मजूरी समिति और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू न किया जाना

*638. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार भारती के प्रबन्धकों ने श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में गठित वेतन-समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाचार भारती के प्रबन्धों ने विशेष कर श्रम-जीवी पत्रकारों को महंगाई भत्ता देने के बारे में मजूरी-बोर्ड की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) उन दो संविधियक निकायों की सिफारिशों को लागू कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों से भिन्न फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम

*639. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-खाद्यान्न फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) से (ख). मुख्य अखाद्यान्न फसलों में से कपास तथा पटसन के लिए सहाय्यप्राप्त मूल्य तथा चीनी मिलों को सप्लाई हुए गन्ने के लिये न्यूनतम वैधानिक मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं मूंगफली के लिए न्यूनतम सहाय्यप्राप्त मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कलकत्ता स्थित सिनेमा-गृहों पर नक्सलवादियों का आक्रमण

*640. **श्री रवि राय :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री बाल्मीकी चौधरी : **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 3 मार्च, को नक्सलवादियों ने कलकत्ता स्थित पांच सिनेमा-गृहों पर आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इन सिनेमा-गृहों पर इसलिये आक्रमण किया था क्योंकि उनमें कुछ चीन विरोधी फिल्में दिखाई जा रही थीं ; और

(ग) इनमें कौन सी फिल्में दिखाई जा रही थी और उनमें किन चीन विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन किया गया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां । 3 मार्च, 1970 को नक्सलवादियों ने कलकत्ता में नौ सिनेमाघरों पर आक्रमण किया था ।

(ख) और (ग). हिन्दी फिल्म 'प्रेम पुजारी' में कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिनमें नायक को भारत के कुछ पाकिस्तानी तथा चीनी शत्रुओं के कुछ षड्यन्त्रों को नाकाम करते हुए दिखाया गया है । इसमें खेमकरण क्षेत्र के निकट हमारे जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए भी दिखाया

गया है। 'धरती' फिल्म में भी दुश्मन के जासूसों को कुछ गतिविधियों तथा उनके षड्यन्त्रों को नाकाम करते हुए दिखाया गया है।

Scarcity of Milk in U.P., Haryana and Rajasthan due to Purchases by D.M.S.

*641. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of milk in those Districts of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan from where milk is procured by the Delhi Milk Scheme, so much so that mothers and children in those Districts are not getting any milk and this shortage of milk is badly telling upon the general health of the people there ;

(b) whether Government propose to set up their own cattle-farms with a view to providing relief to the people of the aforesaid areas in the matter of milk supply ; and

(c) if so, the time by which these cattle farms are likely to be set up and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. Delhi Milk Scheme collects surplus milk, mostly from Delhi's traditional milk shed areas. This helps in improving the economy of the Dairy Farmers of these areas.

(b) and (c). No, Sir. The Government have, however, taken up four intensive Cattle Development Programme estimated to cost Rs. 220 lakhs to help the Dairy Farmers in the milk sheds of Delhi Milk Scheme to increase milk production. Several other programmes are being finalised for increasing milk production in the area.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना

*642. **श्री के० आर० गरोश :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार मजूरी दरें क्या निर्धारित की गई हैं और किस सिद्धान्त के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं ;

(ग) क्या न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) बिम्को आफ अण्दमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज के मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पंचाट में उस समय क्या सिद्धान्त तथा कितनी न्यूनतम मजूरी निश्चित की थी ; और

(ङ) उक्त पंचाट में निश्चित किये गये सिद्धान्तों से सरकार द्वारा विचलित होने के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सड़क-निर्माण

अथवा अरम्मत या भवन निर्माण या पत्थर तोड़ने अथवा पीसने के काम के लिए न्यूनतम मजूरी दरें निर्धारित की गई हैं। अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजूरी दर सभी सम्बन्धित बातों, अर्थात निर्वाह व्यय, इत्यादि को ध्यान में रखकर 4 रुपये 92 पैसे प्रतिदिन निश्चित की गई है।

(ग) न्यूनतम परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं। केवल बेलदारों से सम्बन्धित सिफारिशें नहीं मानी गई क्योंकि उनके बारे में समिति द्वारा सिफारिश की गई मजूरी करें अन्य स्थानों में उनके वर्ग के श्रमिकों के लिए निश्चित दरों की तुलना में अधिक समझी गई।

(घ) और (ङ). सांविधिक न्यूनतम मजूरी दरों का निर्धारण/संशोधन न्यूनतम मजूरी अधिनियम में ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये पंचाट उन मामलों से सम्बन्ध रखते हैं जो उन्हें सौंपे गये निर्देश में उल्लिखित हैं और वे केवल उन्हीं पक्षों पर लागू होते हैं जो उनमें उल्लिखित हों।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद

*643. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1969-70 में कौन-कौन से अनाज खरीदे, उनकी दरें क्या थी तथा उसकी क्रय नीति क्या रही है ;

(ख) अनाज के स्टाक के बारे में 31 मार्च, 1970 तक निगम का लक्ष्य क्या था ; क्या वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) निगम कितना रक्षित भंडार रखना चाहता है ; और

(घ) इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य खाद्यान्नों के क्रय के बारे में एक मध्यस्थ व्यवस्था है। यह निगम स्वेच्छा से वाणिज्यिक खरीदों के अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डार खरीदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्यों पर खाद्यान्नों का क्रय करता है। महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्यों का ब्यौरा अनुबन्ध i तथा ii में दिया गया है। वाणिज्यिक खरीदों के क्रय मूल्य अनुबन्ध iii में दिये गये है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये,** संख्या एल० टी० 2987/70]

(ख) और (ग). यह निगम न तो स्वयं कोई अरक्षित भण्डार रखता है और न ही इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है। तथापि सरकार की नीति चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 50 लाख टन खाद्यान्नों का अरिक्षत भंडार बनाने की है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम की वित्तीय आवश्यकतायें साम्य पूंजी तथा भारत सरकार से ऋण लेकर और निगम की आवश्कतानुसार समय-समय पर भारत के स्टेट बैंक से अधिविकर्ष सुविधाओं द्वारा पूरी की जाती है। यह निगम कार्य कुशलता में सुधार करने के तरीकों का निरन्तर पुनरावलोकन करता रहता है और इस प्रकार इसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होता हैं।

विदेशी सहयोग से सघन कृषि कार्यक्रम

*644. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अन्य देशों के सहयोग से भी सघन कृषि कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा जैसा कि दण्डकारण्य क्षेत्र के लिए जापान के साथ करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : अन्य देशों के सहयोग से सघन कृषि विकास कार्यक्रमों को चलाना उन देशों की पेशकश पर निर्भर करता है। ऐसी कोई पेशकश प्राप्त होने पर पेशकश की शर्तों के आधार पर उसकी परीक्षा की जायेगी।

Autonomous Body for TV Expansion

*645. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have looked into the proposal for constituting an autonomous body for expansion and development of television in the country ; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Ministry of Information and Broadcasting is not aware of any such proposal.

(b) Does not arise.

चौथी पंचवर्षीय योजना में शक्तिशाली ट्रांसमिटर का लगाया जाना

*646. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न स्थानों पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये जाने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में कितने छोटे ट्रांसमिटर लगाये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) एक सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—2988/70]

(ख) 46.

आकाशवाणी से माओ का प्रचार

*647. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा माओ-त्सेतुंग का भ्रमक प्रचार किया जा रहा है तथा कुछ संसद सदस्यों ने पत्र लिखकर इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों ने ठीक-ठीक किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि कुछ संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान एक समाचार की ओर दिलाया है जो चीन द्वारा किये गये भ्रामक प्रचार का पर्दा फाश करने के लिए था।

(ग) क्योंकि अभिप्राय चीन के प्रचार का पर्दा फाश करना था, इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात

*648. **श्री एन० शिवप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्य देशों को कुछ किस्मों के बीजों का निर्यात करने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बीजों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत के राष्ट्रीय बीज निगम की क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम बीजों के निर्यात बाजार को विकसित करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है और विभिन्न देशों की सरकारों तथा गैर-सरकारी पार्टियों से पत्र व्यवहार कर रहा है। इस सम्बन्ध में निगम विभिन्न देशों में हमारे दूतावासों, राज्य व्यापार निगम के विदेशी प्रादेशिक कार्यालयों, बीज कम्पनियों, बीज आयात-कर्ताओं आदि के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहा है। भारतीय बीजों के लिए बाजारों के समन्वेषण हेतु लंका तथा नैपाल के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। स्थानीय परीक्षणों के लिए विभिन्न बीजों के नमूने अनेक देशों को भेज दिए गए हैं। निगम ने पहले ही गेहूं, धान, मक्का, ज्वार मूंगफली और सब्जियों के बीज लंका, मलेशिया, डेनमार्क, घाना, रूस, बर्मा, इन्डोनेशिया, वैस्ट इन्डीज़ और इथोपिया को निर्यात कर दिए हैं। निगम पुनर्निर्यात हेतु भारत में बीजों के उत्पादन के कार्य को शुरू करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय बीज कम्पनियों के साथ भी पत्र-व्यवहार कर रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध की सप्लाई बन्द की जाना

*649. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आरम्भ में भैंस के शुद्ध दूध की जो

सप्लाई शुरू की गई थी उसे बाद में बन्द करके उसके स्थान पर 'मानकीकृत दुग्ध' की सप्लाई आरम्भ कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण थे ;

(ग) 'मानकीकृत दूध' में भैंस का शुद्ध दूध कितने प्रतिशत होता है ; और

(घ) क्या गैर-सरकारी दुग्ध विक्रेता कानूनन उस दूध को बेच सकते हैं जो मात्रा तथा अवयवों में 'मानकीकृत दूध' के समान हो और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, दिल्ली दुग्ध योजना ने 10 जून, 1965 से भैंस के दूध के स्थान पर मानकीकृत दुग्ध की सप्लाई आरम्भ की थी।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने उचित मूल्य पर यथा सम्भव अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को दुग्ध सप्लाई करने के लिए 6 प्रतिशत या उससे अधिक चिकनाई तथा 9 प्रतिशत एस० एन० एफ० वाले भैंस के दूध के स्थान पर 5 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० वाला मानकीकृत दूध सप्लाई करना आरम्भ किया था। भैंस के दूध की विशेषकर गर्मी के महीनों में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने में कई कठिनाइयां थी। यदि भैंस के दूध की सप्लाई जारी रखी जाती तो उससे मूल्य में काफी वृद्धि करनी पड़ती जिससे दिल्ली के दुग्ध बाजार में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना सामान्यतौर पर भैंस के ताजे दूध से मानकीकृत दूध तैयार करती है। परन्तु भैंस के दूध की कमी होने पर दिल्ली दुग्ध योजना स्किम्ड दुग्ध चूर्ण और चिकनाई को मिलाकर मानकीकृत दूध तैयार करती है। मानकीकृत दूध में ताज़े भैंस के दूध की प्रतिशतता बताना कठिन है।

(घ) गैर-सरकारी डेरी वालों द्वारा खाद्य-पदार्थों में मिलावट को रोकने के अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों का पालन करते हुए मानकीकृत दूध तैयार करने और उसका विक्रय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

देश में चीनी क्षेत्र (शूगर जोन)

***650. श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में 15 चीनी क्षेत्र स्थापित कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, 1969-70 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से।

(ख) 1965 में चीनी जांच आयोग ने पांच लागत क्षेत्रों की सिफारिश की थी और 1967-68 तथा 1968-69 वर्षों के लिये इन पांच क्षेत्रों के आधार पर लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किये गये थे। तथापि, कुछ क्षेत्रों से इन क्षेत्रों की अपर्याप्तता से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसलिए टैरिफ आयोग से अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले की चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच के दौरान, पड़ताल करें। सितम्बर, 1969 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने लागत ढांचे में परस्पर असंगतियों को कम करने के लिये 15 लागत क्षेत्रों की सिफारिश की थी। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और 15 लागत क्षेत्रों के आधार पर 1969-70 के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किये हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय वन नीति

*651. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि सरकार की कोई राष्ट्रीय वन नीति है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अब तक उस नीति से क्या विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या चौथी योजना में उस नीति में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है ; और यदि हां, तो उसका तथा देश में बांस के विकास के बारे में अलग से ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि अब तक कोई नीति नहीं बनाई गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) देश की छः स्थायी आवश्यकताओं को आधार मानकर भारत की राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, उदाहरणत :—

(1) संतुलित और सम्पूरक भूमि प्रयोग के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की भूमि को उसी प्रकार के प्रयोग के लिए आवंटित कर दी जाती है, जिसके अन्तर्गत यह अधिकतम उत्पादन देगी और न्यूनतम खराब होगी।

(2) नियन्त्रण के लिए आवश्यकता।

(i) पर्वतीय क्षेत्रों में निरावरण जिस पर उस नदी बहाव का निरन्तर जल सम्भरण निर्भर करता है, जिसके जलक्षेत्र देश की उर्वरा भूमि बनाते हैं ;

(ii) बड़ी नदियों के वृक्ष सहित किनारों के साथ भूक्षरण की तीव्र प्रगति जिसके फलस्वरूप भूमि का ऊबड-खाबड बनना और ऊंची-नीची बेकार भूमि पर विस्तार जो आस-पास के खेतों को उर्वरता से वंचित करते हैं ;

(iii) तटीय भू-भागों पर समुद्री रेतों का आक्रमण, रेत के टीलों का जगह परिवर्तन, विशेषतः राजस्थान के रेगिस्तान में ।

(3) जनता के सर्वसाधारण कल्याण का वर्धन करने वाली शारीरिक एवं वातावरणीय अवस्थाओं को समुन्नेत करने के लिये, जहां भी सम्भव हो, वृक्षवाली भूमियों की स्थापना की आवश्यकता ।

(4) चराई, कृषि, औजारों के लिये छोटी लकड़ी खाद्योत्पादन की बढ़ाने के लिए खाद के हेतु गोबर बचाने और विशेषत: ईंधन की सप्लाई को उत्तरोत्तर बढ़ाने की आवश्यकता को सुनिश्चित करना ।

(5) प्रतिरक्षा, यातायात और उद्योग के लिये अपेक्षित टिम्बर तथा अन्य वनोत्पाद की लगातार सप्लाई की आवश्यकता ।

(6) ऊपर प्रगणित आवश्यकताओं को सुचारु एवं लगातार रूप से पूरा करने के लिये अधिकतम वार्षिक राजस्व को वसूल करने की आवश्यकता ।

उपरोक्त नीति का उद्देश्य संतुलित और सम्पूरक भूमि का प्रयोग है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की भूमि उसी प्रकार के प्रयोग के लिए आवंटित की जाती है जिसके अन्तर्गत यह अधिकतम उत्पादन देगी और न्यूनतम खराब होगी । मूल नीति का लक्ष्य महत्वपूर्ण वन सप्लाइयों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है । वन और वन्य प्राणी जल और भूमि का वैज्ञानिक संरक्षण ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य था । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीति में वन सम्बन्धी कानून, वन शिक्षा प्रशासनादि से संबंधित उचित सिफारिशें निहित हैं ।

संविधान की सातवीं अनुसूचि की राज्य सूची में 'वन' सम्मिलित हैं । अत: वन-नीति सिफारिश के तौर पर आदेशात्मक नहीं है । नीति के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये, और देश से समन्वित एवं एकीकृत ढंग से वन सम्प्रदा के विकास को सुनिश्चित करने के लिये 1952 में केन्द्रीय वन-मण्डल की स्थापना की गई थी । केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री केन्द्रीय वन-मण्डल के अध्यक्ष हैं । जिसमें समस्त राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के वन और वन्य प्राणी के इन्चार्ज मंत्री सदस्यों के रूप में हैं ।

नीति की मुख्य सफलताओं में वर्तमान वन सम्प्रदा का संरक्षण और सुधार, वनोद्योग का विकास, भारतीय वन अधिनियम में संशोधन और सम्बंधित राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जहां कहीं भी आवश्यकता हो, नये अधिनियमों का विधान, मनुष्य निर्मित वनों का निर्माण, राष्ट्रीय पार्क तथा आश्रय स्थलों का निर्माण आदि वर्णित होने चाहियें ।

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति का प्रतिपादन 1952 में किया गया था । उन परिवर्तनों को जो 1952 से हो चुके हैं, दृष्टि में रखकर यह निश्चित किया गया कि वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति का पुनरीक्षण एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक हो उसमें संशोधन किया जाये । नीति के पुनरीक्षण से सम्बंधित कार्य प्रगति कर रहा है । अत: उसके सम्बंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता :

मान्यता प्राप्त समाचार पत्र संवाददाताओं को दी गई सुविधाओं का कथित दुरुपयोग

*652. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० प० मंडल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त समाचार पत्र संवाददाताओं तथा स्थानीय समाचार पत्र प्रबन्धकों को छोड़ कर अनेक लोग प्रेस सूचना ब्यूरो से प्रकाशनार्थ सामग्री तथा प्रेस सम्मेलनों के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या अमान्य बाहरी व्यक्ति, विदेशी तथा व्यापार प्रतिनिधि सरकारी प्रेस सम्मेलनों और प्रेस कक्ष में भी चले जाते हैं ; और

(ग) वास्तविक संवाददाताओं को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) यह सही नहीं है कि मान्यता प्राप्त समाचार-पत्र संवाददाताओं तथा स्थानीय समाचार-पत्र प्रबन्धकों को छोड़ कर बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों को प्रेस सम्मेलनों में आमन्त्रित किया जाता है। प्रेस रिलीज मुख्यतया समाचार पत्रों तथा संवाददाताओं को भेजे जाते हैं, तथापि अनुरोध पर उनकी प्रतियां सरकारी विभागों विदेशी दूतावासों, शिक्षा संस्थानों आदि को भी उपलब्ध की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Broadcast of Hindi News Bulletins

*653. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of A.I.R. Stations in Tamilnadu, Kerala and Jammu and Kashmir and their locations ;

(b) the names of the Stations out of those from where Hindi news bulletins are broadcast and the timings of their broadcast ;

(c) whether it is a fact that no Hindi news bulletins are broadcast from the A.I.R stations located in the said States due to the presure from the respective State Governments ;

(d) if so, the names of the said stations and which of the news bulletins are not broadcast from there ; and

(e) whether Government propose to stop broadcasting English news bulletins from the A.I.R. stations located in Hindi speaking areas and Gujarat, Delhi, Maharashtra, Himachal Pradesh and Punjab and if not, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) :

Tamilnadu	Kerala	Jammu and Kashmir
Madras (Station)	Trivandrum (Station)	Srinagar (Station)
Tiruchi (Station)	Calicut (Station)	Jammu (Station)
Coimbatore (Auxiliary Centre)	Trichur (Auxiliary Centre)	
Tirunelveli (Auxiliary Centre)		

(b) All these Stations/Centres relay the main Hindi news bulletin at 8.00 a.m. and 8.45 p.m. except Srinagar.

(c) and (d). No, Sir. Only Srinagar Station does not relay any of the Hindi news bulletins, it relays Urdu news bulletins regularly.

(e) No, Sir. There is no discrimination.

समूचे देश के समाचार-पत्र सम्पादकों को निमंत्रण

*654. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों के लगभग 25 सम्पादकों को जनवरी, 1970 के मध्य में किसी समय नई दिल्ली में "गहराई से विचार विमर्श" करने के लिए, जो चार दिन तक चला था नई दिल्ली में आने के लिए आमंत्रित किया गया था और यदि हां, तो सम्पादकों का चयन किस आधार पर किया गया था ;

(ख) क्या यात्रा तथा सम्बद्ध व्यवस्था के सिलसिले में व्यय सरकार ने वहन किया था और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या इस किस्म के कार्य के सम्बन्ध में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार ने किन कारणों से प्रेरित हो कर उपरोक्त पहल की थी और उससे क्या सफलतायें मिली ?

सूचना तथा प्रसारन और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां। चर्चाओं में जिन 25 सम्पादकों ने भाग लिया था, उनमें से 17 दिल्ली से बाहर से आये थे तथा शेष दिल्ली के थे। चयन, समाचारपत्रों की परिचालन संख्या तथा भाषा तथा जिन प्रदेशों में वे प्रकाशित होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ख) बाहर से आने वाले सभी सम्पादक अपने खर्चे पर आये थे तथा अपने खर्चे पर ही वापिस गये थे, परन्तु पत्र सूचना कार्यालय ने सरकार द्वारा चलाये जाने वाले एक होटल में उनके रहने तथा खाने तथा दिल्ली में स्थानीय यात्रा की व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। बाहर से आने वाले 17 सम्पादकों में से केवल 8 सम्पादकों ने ही इन सुविधाओं का लाभ उठाया, शेष ने दिल्ली में रहने और खाने का प्रबन्ध स्वयं किया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय 5178 रुपये 90 पैसे था।

(ग) और (घ). प्रेस तथा जनता को सूचित करने की अपनी सामान्य गतिविधि के अन्तर्गत पत्र सूचना कार्यालय संवाददाताओं, सम्पादकों आदि को राष्ट्रीय योजनाओं, नितियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है। देश के विभिन्न भागों के सम्पादकों को प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये मार्च, 1968 में कुछ आर्थिक सम्पादकों को दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। जनवरी, 1969 में देश के विभिन्न भागों के भारतीय भाषाओं के छोटे तथा मंझौले समाचारपत्रों के सम्पादकों को आमंत्रित किया गया था। उस वर्ष के मार्च में आर्थिक सम्पादकों को आमंत्रित किया गया था। जनवरी, 1970 में राष्ट्रीय तथा महानगरीय दैनिकों के सम्पादकों की यात्रा इसी सामान्य कार्य का ही अंग थी।

9 मार्च से 14 मार्च, 1970 तक पत्र सूचना कार्यालय ने भारतीय भाषाओं के छोटे तथा मंझोले समाचार पत्रों के सम्पादकों को एक और यात्रा की व्यवस्था की। मार्च, 1970 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक सम्पादकों की यात्रा की व्यवस्था करने की योजना है।

यद्यपि सरकार ने इन चर्चाओं के लिये सम्पादकों को आमन्त्रित करने में पहल की थी, तो भी कुछ सम्पादकों में ऐसी बैठकों की व्यबस्था करने के बारे में सुझाव भी प्राप्त हुये थे।

ऐसी बैठकें बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं क्योंकि समाचार पत्रों को अनौपचारिक चर्चाओं से सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों कों समझने में काफी सहायता मिलती है।

अमरीका द्वारा राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जल तथा चावल का वितरण

*655. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा "कासा" के नाम से राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में तेल तथा चावल का वितरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्रों में गत वर्ष "कासा" के नाम से कितना धन वितरित किया गया और किन-किन स्थानों में किसी न किसी किस्म का निर्माण कार्य भी चल रहा है ;

(ग) क्या उपरोक्त संगठन ने राजस्थान में पानी के तालाबों की चारदीवारी पक्की बनाने का काम भी शुरू कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस काम को अब बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) वहां अन्य किस प्रकार का काम आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि फार्मों के आकार पर सीमा निर्धारित करना

*656. **श्री एस० कुण्डू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि में हरी क्रांति का लाभ उठाकर एक नया सम्पन्न वर्ग पैदा हो गया है ;

(ख) क्या कृषि फार्मों के आकार तथा क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारी यंत्रीकृत फार्मों से खेतिहार मंजदूरों में बेरोजगारी और अधिक बढ़ेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सामान्य अनुभव यह है कि हरी क्रान्ति के फलस्वरूप होने वाली समृद्धि से कम व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है ।

(ख) भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कई राज्यों में कानून बनाया जा चुका है ।

(ग) यद्यपि, वर्तमान समय में कुछ कृषि कार्यों के सम्बन्ध में यन्त्रीकृत खेती के कारण श्रम की निर्भरता कम हो जाती है लेकिन बहु फसल के अन्तर्गत के क्षेत्र तथा उत्पादन एवं आय के बढ़ने से फार्म तथा सहायक व्यवसायों में रोजगार बढ़ने की सम्भावना मौजूद है ।

प्रेस तथा रेडियो के सम्बन्ध में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य में समन्वय

*657. **श्री अदिचन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ने प्रेस तथा रेडियो के बारे में और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो समंवय किस प्रकार स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया ; और

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच समाचारों, फिल्मों तथा रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के विनिमय के बारे में कैरो में 13 सितम्बर 1969 को सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री तथा संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रीय मार्गदर्शन (नैशनल गाइडैंस) मन्त्री के बीच अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई थी। चर्चा में जो विभिन्न सुझाव दिये गये थे उन पर विचार हो रहा है ।

1971 तक खाद्यान्न में आत्म निर्भरता

*658. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में बताया था कि भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा और 1971 के अन्त तक खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि हां, तो क्या सरकार 1971 से पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी गेहूँ और अन्य कृषि जिन्सों का आयात करना बन्द कर देगी ;

(ख) अगस्त 1956 से जब प्रथम पी० एल० 480 समझौता हुआ था कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया और प्रयोग के लिये अब कितनी राशि शेष उपलब्ध है ; और

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर 'कृषि क्रान्ति' की बात उठाकर लोगों को झूठी आशाएं बंधायें जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) खाद्य विभाग की संसदीय सलाहकार समिति की 11 फरवरी, 1970 को हुई बैठक में यह बताया गया था कि सरकार उत्तरोतर खाद्यान्नों का रियायती आयात कम करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न कर रही है और 1971 के बाद बन्द कर दिया जायेगा ।

(ख) अगस्त, 1956 से गेहूं, माइलो, कार्न और चावल का आयात करने के लिये 35477 लाख डालर का उपयोग किया गया है। 30 जून, 1970 तक उपयोग के लिये उपलब्ध बची हुई राशि 185 लाख डालर है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Improvement in Methods of Sanctioning Agricultural Loans to Farmers

*659. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the farmers do not get the agricultural loan easily and in time and the big farmers themselves get the loans in the guise of small farmers ;

(b) if so, the steps proposed to be taken bv Government to bring about an improvement in the methods of sanctioning the loans ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopration (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The need for simplification of the existing procedure in provision of agricultural credit through cooperatives has been stressed by the Rural Credit Review Committee. While there may be cases of big farmers obtaining 'Benami' credit through the agency of other members no specific instances have been brought to the notice of the Government so far.

(b) and (c). The various recommendations contained in the report of Rural Credit Review Committee for the simplicfiation of loaning procedures are under implementation. Special pilot schemes for assisting potentially viable farmers and also sub-marginal cultivators and agricultural labourers have been included in the Fourth Five Year Plan for

implementation. The Agency created for each pilot project will be expected to ensure that the financial assistance sanctioned for the small formers or sub-marginal farmers is made available to them.

चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने हेतु चालू मौसम में चीनी का फालतू भंडार बनाना

*660. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू मौसम में चीनी का फालतू भंडार बनाने का बिचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या इस भंडार को खुले बाजार भाव और समाहृत चीनी के भाव के अन्तर को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ; और

(घ) क्या फालतू भंडार की योजना से समाहृत चीनी को बाजार में भेजने में कमी की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ). चीनी का बफर स्टाक तैयार करने के प्रस्ताव और इस योजना के ब्यौरों पर सरकार विचार कर रही है ।

देश में कुछ डाक-घरों का बन्द होना

4126. **श्री बाबू राव पटेल** :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, डाक-घरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में ग्रामों में स्थित 15,000 डाक घर बन्द किए जाने की सम्भावना है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनको वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित अनुदान न दिए जाने के कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार दूर-दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाक-घरों को बन्द करके वहां के निवासियों का अन्य भागों के साथ सम्बन्ध का एक मात्र साधन समाप्त कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :
(क) भारत में अलग-अलग राज्यों में 1-3-1970 को डाक घरों की कुल संख्या :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	डाकघरों की संख्या	
1.	असम	2,567	
2.	आन्ध्र प्रदेश	13,033	
3.	बिहार	8,168	
4.	गुजरात	6,511	
5.	केरल	3,772	
6.	जम्मू तथा कश्मीर	951	
7.	मध्य प्रदेश	5,887	
8.	महाराष्ट्र	8,391	
9.	मणिपुर	234	
10.	मैसूर	7,918	
11.	नागालैंड	64	
12.	नेफा	66	
13.	उड़ीसा	5,256	
14.	राजस्थान	6,311	
15.	तमिल नाडु	9,607	
16.	उत्तर प्रदेश	12,857	
17.	पश्चिम बंगाल	5,769	
18.	पांडिचेरी	79	
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	
20.	दिल्ली	351	
21.	त्रिपुरा	290	
22.	गोआ, दमन और दीव	153	
23.	लक्का दीव और मिनीकोय द्वीप समूह	9	
24.	चंडीगढ़	36)	
25.	हरियाणा	1,987)	1-2-1970 को
26.	हिमाचल प्रदेश	1,683)	
27.	पंजाब	3,063)	

(ख) जी नहीं। डाकघरों को चलाने में यदि घाटा निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो तो 10 वर्ष तक उन्हें बनाये रखा जाता है। ज्योंही किसी डाकघर का घाटा एक निर्धारित सीमा तक रह जाता है, उस डाकघर को स्थाई बना दिया जाता है। केवल उन्हीं डाकघरों को

जिनको चलाने में निर्धारित सीमा से अधिक घाटा होता है और जिन के घाटे की रकम की पूर्ति करने के लिए कोई इच्छुक पार्टियां आगे न आयें, बन्द करने के बारे में विचार किया जाता है। भविष्य डाकघरों को बन्द करने का विचार है उनकी संख्या कोई खास नहीं है।

(ग) राज्य सरकारें लोकहित में जिन डाकघरों को बनाये रखना चाहती हैं, वे उनके घाटे की रकम की पूर्ति करती हैं। संचार राज्य मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि वे ग्राम पंचायतों को ऐसे अधिकार दे दें कि वे लोकहित में जिन डाकघरों को बनाये रखना चाहते हों, उनके घाटे की पूर्ति कर दें। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही यह सुझाव मान लिया है और ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को डाकघरों के घाटे की रकम की पूर्ति करने के अधिकार दे दिए हैं।

(घ) इस बात का हमेशा विश्वास दिलाया जाता है कि किसी डाकघर को बन्द करने पर डाक सुविधाओं में किसी तरह की भारी कमी नहीं की जायेगी। जनता को सामान्यतया डाक पोस्ट करने और वितरण करने की सुविधा मिलती रहती है। ग्राम डाकियों के जरिये रजिस्ट्री-पत्र भी बुक किए जा सकते हैं। केवल दूसरे कार्य-व्यापार के लिए जैसे मनी आर्डर बुक करना, बचत बैंक का कार्य आदि, जनता को नजदीक के डाकघर में जाना पड़ता है।

समाचार संवाददाताओं के लिये 'डिफेंस सिक्योरिटी पास'

4127. **डा० प० मंडल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-हिन्दी भाषा के दैनिक समाचार-पत्रों के नई दिल्ली स्थित संवाददाताओं को मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1965 में कितने प्रेस संवाददाताओं को 'डिफेंस सिक्योरिटी पास' दिये गये थे ; और

(ग) वर्ष 1969 में कितने प्रेस संवाददाताओं को ऐसे पास दिये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) समाचारपत्रों के संवाददाताओं के लिये प्रत्यायित करने सम्बन्धी सुविधायें भारत सरकार के मुख्यालयों में इस बात का विचार किए बिना दी जाती है कि संवाददाता जिन समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी भाषा क्या है, परन्तु उन्हें सामान्य शर्तें पूरी करनी जरूरी है।

(ख) 72.

(ग) 48.

तमिलनाडु के लिए नियत चीनी के व्यपगत भण्डार

4128. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1970 को वेल्लोर में तमिलनाडु के साथ मंत्री द्वारा दिये गये

वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले चीनी के कोटे को न लेने के लिये विवश थी क्योंकि उसके पास चीनी का भण्डार जमा हो गया था और खुले बाजार में मूल्य गिर जाने के कारण उसकी बिक्री कम हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष चीनी का कितना भण्डार जमा हो गया है तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के लिए नियत चीनी के व्यपगत भण्डार को फिर देने के लिये केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उनके खाद्य मंत्री ने तब चल रही स्थिति के संदर्भ में वक्तव्य दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिए थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा कोटा बहाल करने के बाद, मिलों से लेवी-चीनी का सारा कोटा उठा लिया गया है। अब लेवी-चीनी के कोटे का जमाव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी हां। सामान्य नीति के रूप में सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर लेवी-चीनी के समाप्त कोटे पुनः बहाल किए गए थे।

उर्वरकों के उद्योग को बढ़ावा देना और इनका मिट्टी पर प्रभाव

4129. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को निदेश भेजे हैं कि वे उर्वरकों के प्रयोग को शीघ्र अधिक से अधिक बढ़ावा दें और यदि हां तो किस प्रकार के निदेश भेजे गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण चावल की अधिक उपज वाली किस्मों की बुवाई में मिट्टी पर होने वाले दुष्परिणामों का पता है ; यदि हां तो, राज्यवार, उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर पोटाश की कमी के कारण मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है ; और

(ग) क्या इस बात को देखते हुए कि अनेक किसान शीघ्रता से पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं, उर्वरकों के प्रयोग से लाभ होने की अपेक्षा नुकसान अधिक होने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राज्यों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए तीव्र उपाय करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे अपने ऋण सम्बन्धी प्रबन्धों को, अपनी भूमि परीक्षण प्रयोग शालाओं को सुदृढ़ करें, प्रदर्शन

कार्यक्रम को बढ़ायें, प्रचार कार्यक्रम को तीव्र करें और उर्वरकों के गुणात्मक नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करें।

(ख) ऐसी कोई सामान्य शिकायत इस मंत्रालय को नही मिली है। राज्य सरकारों की सिफारिश के अनुसार जहाँ कहीं उर्वरक का प्रयोग हुआ है वहां चावल की उपज में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है। अब तक एकत्र किए गए भूमि परीक्षण आंकड़ों से पता चला है कि निम्न लिखित क्षेत्रों में पोटाश की कमी है :—

राज्य		जिलों के नाम
1. आंन्ध्र प्रदेश	(i)	कुड्डापाह
	(ii)	गुन्टूर
2. असम	(i)	जोरहाट
	(ii)	सिवसागर
3. गुजरात	(i)	अमरेली
	(ii)	भावनगर
	(iii)	ब्रोच
	(iv)	जूनागढ़
	(v)	केरा
	(vi)	मेहसाना
	(vii)	राजकोट
	(viii)	सूरत
4. केरल	(i)	अल्लीपै
	(ii)	कैनानोर
	(iii)	एनीकूलम
	(iv)	कोट्टायम
	(v)	कोजि खोडे
	(vi)	पालघाट
	(vii)	क्विलन
	(viii)	त्रिचुर
	(ix)	त्रिवैन्द्रम
5. महाराष्ट्र	(i)	कोलाबा
	(ii)	कोल्हापुर
	(iii)	रत्नागिरी
6. उड़ीसा	(i)	बलासोर
	(ii)	धन कनल
	(iii)	कलहन्डी

	(iv)	किन्झर
	(v)	मयूरभंज
	(vi)	सम्बलपुर
	(vii)	सुन्दरगढ़
7. पंजाब	(i)	पटियाला
8. राजस्थान	(i)	जैसलमेर
9. तमिलनाडु	(i)	सेलेम
10. त्रिपुरा	(i)	त्रिपुरा

(ग) उर्वरकों की मात्रा सदैव फसल, भूमि की आवश्यकताओं के आधार पर और जलवायु की परिस्थितियों को जिनमें नमी की उपलब्धता भी शामिल है दृष्टि में रखते हुए निश्चित की जाती है। अतः यदि किसान सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो किसी हानि के बजाय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

Telephones and Telegraph Offices in Block Development Offices of Hilly Areas of U.P.

4130. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to pay special attention towards removing the paucity of meant of Communications in the hill districts in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether arrangements would be made for providing telephones and telegraph office in each Block Development office ;

(c) if so, whether proposals would be implemented on priority basis in view of the fact that these offices and located far off in the district headquarter and people and officials are experiencing great inconvenience in the absence of telephones and telegraph offices ; and

(d) if so, the time by which the proposals will be implemented and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Government is providing Tele-communication facility in the Hill Districts of Uttar Pradesh in accordance with the existing policy of the department, which provides for telegraph and telephone facilities in undeveloped areas on limited loss basis. No special attention for these districts is contemplated.

(b) Efforts are being made to provide Telegraph Offices at all Block Headquarters. However, Telephone facility at these stations will be provided if the proposals are remunerative or if some interested party agrees to indemnify the loss to the department separately in each case.

(c) and (d). Efforts are being made to implement the already sanctioned proposals as early as possible.

However, due to shortage of material, no time limit can be indicated.

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र न दिये गये चलचित्र

4131. **श्री न० रा० देवघरे : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1968 और 1969 में कुछ भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये प्रमाण-पत्र नहीं दिये ; और

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय फिल्मों के नाम क्या हैं जिन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाण-पत्र नहीं मिले ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म "संस्कार" (कन्नड)। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध निर्माता की अपील सरकार के विचाराधीन है।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा श्रम संबंधी विवादों का निपटाया जाना

4132. **श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय जब से भुवनेश्वर में आया है तब से उसने कितने श्रम-विवादों का निपटारा किया है ; और

(ख) उनमें से कितने मामले उड़ीसा राज्य की कम्पनियों से सम्बद्ध हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 279

(ख) 194

पोषाहार सम्बन्धी फिल्में

4134. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म डिवीजन द्वारा बनाई जाने वाली पोषहार सम्बन्धी कुछ फिल्मों को स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो बनाई जाने वाली इन फिल्मों की संख्या कितनी है और प्रत्येक फिल्म की विषय-वस्तु क्या है ;

(ग) देश में इन फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति कब तक मिल जायेगी ; और

(घ) प्रत्येक ऐसी फिल्म के लिये कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म प्रभाग के 1969-70 के निर्माण कार्यक्रम में पोषहार सम्बन्धी निम्नलिखित

दस फिल्म क्लिप शामिल किये गये हैं। प्रत्येक का विषय उनके नाम के आगे कोष्ठक में दिया गया है :

(1) राइस-दि मील आफ मिलियन्स (ज्यादा कुटे चावल की अपेक्षा कम कुटा चावल स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा होता है)।

(2) टुवर्ड्स बेटर न्यूटेशन (कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में अच्छे पोषक तत्वों को उपलब्ध करने के लिए किए जा रहे उपाय)।

(3) लाइफ एण्ड दि लीफ (गर्भवती तथा बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए हरी सब्जियों का महत्व)।

(4) दि क्रिप्लिंग फूड (केसरी दाल पर)।

(5) विटामिन 'ए' एण्ड 'आई' (शिशुओं तथा बच्चों के लिए विटामिन 'ए' का महत्व)।

(6) टुवर्ड्स हैल्दी मदरहुड (शिशुओं में कमजोरी को दूर करने में मां के दूध का महत्व)।

(7) दि हैल्दी चाइल्ड (बच्चे के लिए मां के दूध के अतिरिक्त अन्य पोषक भोजन का महत्व)।

(8) दि वरचूज आफ दि बैलेन्स्ड डाइट (अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए सन्तुलित भोजन का महत्व)।

(9) दि ग्रोइंग चाइल्ड (स्कूल के बच्चों के लिए सुन्तुलित भोजन की विशेष आवश्यकता)।

पोषहार सम्बन्धी दसवीं क्लिप की प्रष्ठभूमि सामग्री बनाने वालों से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इनमें से अन्तिम 5 फिल्म क्लिपें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। पहली चार फिल्मों के टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं। आशा है सभी 9 फिल्में मार्च, 1971 तक रिलीज हो जायेंगी।

(घ) पोषहार सम्बन्धी इन फिल्म क्लिपों के निर्माण करने, डब करने तथा प्रतियां बनाने पर 3,50,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

प्रोटीन की समस्या पर चलचित्र

4135. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रोटीन की समस्या की गम्भीरता को प्रदर्शित करने वाली 20 मिनट का "हारसकोप फार ए चाइल्ड" नामक एक चलचित्र अमरीकी सहायता से एक गैर-सरकारी

चलचित्र निर्माता ने बनाया है, जिसे भारत में प्रदर्शनार्थ चलचित्र प्रभाग को दान स्वरूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, उक्त चलचित्र देश में कब तक दिखाया जायेगा ; श्रौर

(ग) उक्त चलचित्र का कथा सार क्या है श्रौर चलचित्र प्रभाग को उसकी कितनी प्रतियां प्राप्त हुई हैं ?

सूचना तथा प्रसारण श्रौर संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) 'एक चाइल्ड्स हारसकोप' नामक फिल्म मैसर्स इमेज इण्डिया फिल्म्स प्राइवेट लि०, बम्बई द्वारा प्रोटीन फूड्स एसोसियेशन के लिए बनाई गई है। इसका निर्माण पी० एल० 480-140 (एच) के अन्तर्गत यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से किया गया था जिसे खाद्य विभाग द्वारा एसोसियेशन को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। फिल्म प्रभाग ने इस फिल्म को उपहार के रूप में लेने का निर्णय किया है।

(ख) तथापि, फिल्म की सामग्री अभी तक फिल्म प्रभाग को नहीं दी गई है। निर्माताओं से पता लगा है कि प्रोटीन फूड्स एसोसियेशन फिल्म प्रभाग को भेंट करने के लिए इस फिल्म का हिन्दी रूपान्तर भी तैयार करने का विचार कर रहा है तथा हिन्दी रूपान्तर तैयार होने पर सामग्री भेजी जायेगी। इसको सिनेमा घरों के लिए आवश्यक रूप से प्रदर्शन करने के लिए रिलीज करने के प्रश्न पर फिल्म प्रभाग द्वारा नैगेटिव सामग्री की प्राप्ति के बाद किया जायेगा।

(ग) फिल्म की लम्बाई 509 मीटर है तथा यह भोजन में प्रोटीन की कमी के बारे में है।

बिनौले प्रोटीन पदार्थों का उत्पादन

4136. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फर्म ने भारत में बिनौले प्रोटीन पदार्थों का उत्पादन प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो पदार्थों का ब्यौरा क्या है, कारखाने का नाम क्या है, श्रौर क्या इसमें कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है ; श्रौर

(ग) बिनौले की कितनी मात्रा का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया गया और यह भारत में उत्पादित बिनौले की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जहां तक सरकार को पता है, किसी भी फर्म ने अभी तक मानव उपभोग के लिए बिनौला-प्रोटीन से बने पदार्थों का कोई भी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(ख) श्रौर (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में उठाऊ सिंचाई योजनायें तथा उनका खाद्य उत्पादन पर प्रभाव

4137. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्वीय योजना में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा चालित उठाऊ सिंचाई योजनाओं से किस हद तक लाभ उठाया जा सकता है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है और खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण तथा उठाऊ सिंचाई योजना के लिए पम्पों को बिजली देने के लिए गुजरात राज्य को विशेषकर उनके दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). चौथी योजना के मसौदे में उठाऊ-सिंचाई के लिए लगभग 8 लाख खुदाई के कुएं, लगभग 4 लाख नलकूप तथा 18.5 लाख पम्प-सैट लगाने की व्यवस्था है । इनमें से 12.5 लाख पम्प-सैटों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान अनेक राजकीय तथा सहकारी उठाऊ सिंचाई योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी । चौथी योजना के दौरान इन कार्यों पर (ग्रामीण विद्युतीकरण को छोड़कर) संस्थानिक लागत सहित कुल 950 करोड़ रुपये व्यय होंगे । खाद्यान्नों का 23.2 लाख मीटरी टन अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पम्पों को बिजली देने का कार्य राजकीय प्लान स्कीमों के अन्तर्गत आता है ।

प्रचलित पद्धति के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता समग्र वार्षिक योजना के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के आधार पर दी जाती है, न कि किसी विशेष कार्यक्रम या योजना के आधार पर । निधि का योजनावार या क्षेत्रवार आवंटन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है ।

आकाशवाणी के महानिदेशालय का कर्मचारी परिषद् और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय समिति द्वारा कार्य न किया जाना

4138. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के महानिदेशालय में गत एक वर्ष से अधिक समय से वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की बैठकें नहीं हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के महानिदेशालय में अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय समिति ने भी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो ग्राकाशवाणी के कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर करवाने के क्या साधन हैं ; और

(घ) अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय समिति द्वारा अपना कार्य आरम्भ न किये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न एसोसियेशनों/यूनियनों के प्रतिनिधि ग्राकाशवाणी महानिदेशक तथा उनके अधिकारियों से जब भी जरूरी हो, मिलते हैं तथा अपनी दिक्कतों के बारे में बातचीत करते हैं ।

(ग) संयुक्त सलाहकार समिति तथा अनिवार्य मध्यस्था की योजना अभी आकाशवाणी में चालू नहीं की गई है क्योंकि प्रतिनिधि संगठनों को मान्यता देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

आकाशवाणी के सतर्कता अधिकारी

4139. **श्री अब्दुल गनीदार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के सतर्कता अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं ;

(ख) दिसम्बर, 1969 से फरवरी, 1970 की अवधि में आकाशवाणी, नई दिल्ली के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध उनको कितनी शिकायतें मिली ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में उप महानिदेशक (प्रशासन), श्री बीरबल ही एक ऐसे अधिकारी हैं जो समस्त आकाशवाणी के लिए सतर्कता अधिकारी के रूप में काम करते हैं । उनके कर्तव्य सदन की मेज पर रखे गये विवरण में दिए हुए हैं ।

विवरण

सतर्कता अधिकारी के कर्तव्य

(1) विभाग के अध्यक्ष को संगठन में शुद्धता एकता तथा कार्यकुशलता बनाये रखने सम्बन्धी सतर्कता के सभी मामलों पर सलाह देना ।

(2) प्रक्रिया सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को समुचित ध्यान में रखते हुए समस्त सम्भव गति से आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली विभागीय जांचों के बारे में मार्गदर्शन तथा सहायता देना ।

(3) यह सुनिश्चय करना कि आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा विशेष पुलिस विभाग को सौंपे गये जांचकार्यों तथा अदालती मामलों पर पूरी गति तथा उत्साह से कार्यवाही हो रही है।

(4) मंत्रालय में प्रमुख सतर्कता अधिकारी के साथ सम्पर्क की व्यवस्था करना।

(5) प्रक्रिया का पुनरविलोकन करने तथा उसे सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ऐसे पदों के कार्य का आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण करना जिनमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार अथवा दुर्व्यवहार की गुँजाइश प्रतीत होती हो, और आकाशवाणी के महानिदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा कदाचारों को रोकने उनका पता लगाने तथा इस सम्बन्ध में दण्ड देने की कार्यवाही आरम्भ करना।

(6) भ्रष्टाचार घूसखोरी तथा प्रशासनिक त्रुटियों से सम्बन्धित मामलों के बारे में शिकायतों पर कार्यवाही करना।

(7) आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना तथा उसे उपलब्ध कराना और प्रमुख सतर्कता अधिकारी के अनुदेशों का पालन करना।

(8) ऐसे अधिकारियों के सतर्कता सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही करना जिनके लिए नियुक्ति तथा अनुशासन अधिकारी महानिदेशालय में हैं।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठते।

कोयला खान मजूरी बोड की सिफारिशों को लागू करने पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा कोयला खानों को प्रमाणपत्र दिये जाना

4140. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) ने 31 मई, 1969 के बाद कोयला खानों को ऐसे कितने प्रमाण-पत्र जारी किए हैं कि उन्होंने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वित कर दिया है ; और

(ख) अब तक क्षेत्रवार कितने प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं और कोयला खानों के नाम क्या है ?

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 178

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2989/70]

डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त चीफ इंजीनियर को रोजगार

4141. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर, श्री पी० एम० अग्रवाल, 31 मार्च, 1964 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने 7 जुलाई, 1963 को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त कर दिये जाने के लिये प्रार्थना की थी और उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई थी और बाद में उन्होंने टाटा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक एजेन्सीज लिमिटेड, बम्बई में सेवा करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी और उन्हें इस बात की भी अनुमति दे दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) टाटा हाईड्रो-इलैक्ट्रिक एजेन्सीज लिमिटेड, बम्बई में श्री अग्रवाल को क्या वेतनमान तथा अन्य भत्ते मिलते हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी का खतौली इंजीनियरिंग वर्क्स, खतौली (उत्तर प्रदेश) में कोई हिस्सा है अथवा उपर्युक्त फ़र्म के साथ उसका कोई सम्बन्ध है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जीं हां।

(ख) श्री पी० एम० अग्रवाल ने 7 जुलाई, 1963 को 55 वर्ष की आयु पूरी की तथा 12 फरवरी, 1964 को अनुमति मांगी कि उन्हें 31-3-1964 से सरकारी सेवा से निवृत्त कर कर दिया जाये। उन्हें आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई। बाद में श्री अग्रवाल ने सर्वश्री टाटा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक एजेन्सीज लिमिटेड, बम्बई में प्राइवेट वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी। सेवा-निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के विषय में सरकार द्वारा विहित कसौटी के आधार पर, यह पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे श्री अग्रवाल को अपेक्षित अनुमति न दी जा सकती हो। अतः उन्हें यह नियोजन स्वीकार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

नवम्बर, 1964 में श्री अग्रवाल ने सरकार को सूचित किया कि सर्वश्री टाटा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक एजेन्सीज लिमिटेड, में उनकी सेवा की शर्तें निम्नलिखित थीं :—

"मूल वेतन	4500-250-5500 रुपये।
किराया सहाय्य	यदि अदा किया गया किराया मूल वेतन के 15 प्रतिशत से अधिक हो तो कम्पनी उस अतिरेक को वेतन के 15 प्रतिशत तक वहन करेगी।
आतिथ्य भत्ता	3500 रुपये प्रति वर्ष।
कार भत्ता	4300 रुपये प्रति वर्ष। कम्पनी को बिना ड्राइवर की एक कार उपलब्ध की जायेगी।
बोनस तथा यथा-प्रभावी अन्य लाभ।"	

"खतौली इंजीनियरिंग वर्क्स, खतौली (उत्तर प्रदेश)।" कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थों में कोई कम्पनी नहीं है। प्रश्न के इस भाग के विषय में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

मंत्रियों द्वारा की गई टैलीफोन ट्रंक-कालों के बिल

4142. **श्री कंवर लाल गुप्त** . क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री मंत्रियों द्वारा की गई टैलीफोन ट्रंक कालों के बिलों के बारे में 18 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1 जुलाई, 1968 से लेकर 16 अगस्त, 1968 तक की अवधि के दौरान मंत्रियों के कार्यालय और निवास-स्थान पर लगे टैलीफोनों से निम्नलिखित राशि के ट्रंक काल किये गए थे :—

	रुपये
प्रधान मन्त्री	1445.50
खाद्य तथा कृषि मन्त्री	346
औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों के मन्त्री	2072

Working of Co-operative Societies

4143. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Cooperative Societies, which give loan to farmers in the various States at present and the nature of work being performed by them ;

(b) the number running in profit or loss of the said societies during each of the last three years ;

(c) the amount invested by Government in the said societies :

(d) whether Government would look into the question of opening of co operative stores in rural areas, where essential commodities and agricultural commodities are made available ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) As on 30th June, 1968, there were 1,71,804 primary agricultural credit societies in the country. These societies advance short and medium term agricultural production credit to the members. A number of these societies distribute agricultural production requisites like fertilisers, seeds etc. ; and also consumer

goods to members. Some societies have also undertaken marketing and processing of agricultural produce.

(b) The profit and loss position of these societies during the last three years is given below :

	1967-68	1966-67	1965-66
(i) Societies in profit			
Number	120,828	121,842	131 846
Amount (Rs. crores)	16.19	13.69	10.49
(ii) Societies in loss			
Number	39,112	43,342	45,844
Amount (Rs. crores)	4.44	4.97	3.43
(iii) No. of societies without profit or loss	11,864	13,551	14,214

(c) At the end of June, 1968, outstanding Government contribution to the share capital of these societies amounted to Rs. 11.66 crores and the outstanding Government loans in them totalled Rs. 10.23 crores.

(d) and (e). A scheme for distribution of consumer articles in the rural areas through village service societies and marketing societies is already in operation in the States for which Central assistance is available through the National Cooperative Development Corporation. There is no proposal to open separate cooperative stores in rural areas.

Commemorative Stamp on Swami Shardhanand

4144. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1017 on the 10th April, 1969 and state ;

(a) whether it is a fact that Ghalib commemorative stamp had been issued twice, once in 1952 and again on 17th February, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that Government have not agreed to issue commemorative stamp in the case of Swami Shardhanand, whereas Ghalib commemorative stamp had also been issued in 1952 ; and

(c) the justification for not issuing Swami Shardhanand Commemorative stamp ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. One stamp on Ghalib was issued in Saint-Poets and Poets series brought out in 1952. Another stamp was issued to commemorate the Death Centenary of poet Ghalib on 17.2.1969.

(b) and (c). It has already been decided to bring out a special commemorative stamp in honour of Swami Shradhanand on the 30th March, 1970 in the denomination of 20 P.

सड़क उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

4145. **श्री सामीनाथन : श्री चेंगलराया :**
श्री नि० रं लास्कर : श्री वि० नरसिम्हा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने यह

सिफारिश की है कि अकुशल परिवहन श्रमिक का मूल वेतन कम से कम 55 रुपये होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) सरकार ने उक्त सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार किया है ; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). उस सरकारी संकल्प की प्रतियां जिसमें सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सारांश तथा उनपर सरकारी निर्णय दिये गये हैं, 5 मार्च, 1970 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं।

(घ) सिफारिशों को लागू कराने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर दिया गया है।

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1969 को संविधान में सम्मिलित करना

4146. **श्री पी० विश्वम्भरन :**

श्री ई० के० नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस आशय का संकल्प मिला है कि केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1969 को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्र (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। केरल के मुख्य मन्त्री ने गृह मन्त्री को भेजे हुए अपने पत्र में इस संकल्प का उल्लेख किया है।

(ख) वित्त मन्त्रालय की सलाह से मामलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ के मामले में (ए०आई०आर०-1967—एस०सी० 1643) मत प्रकट किया है कि उस मामले के सम्बन्ध में निर्णय होने की तारीख के पश्चात् मौलिक अधिकारों की समाप्ति के लिए संसद् को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अतः संविधान में संशोधन करने के बारे में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां दिखाई देती हैं।

वन्य पशुओं की समस्याओं पर विचार

4147. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें वन्य पशुओं की समस्याओं पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में प्रतिपक्षी संसद् सदस्यों के टेलीफोन संदेशों का गुप्त रूप से सुना जाना

4148. **श्री अब्दुल गनी डार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र को यह आदेश दे दिया गया है कि संसद् के विरोधी दलों के सदस्यों के टेलीफोन सन्देशों को गुप्त रूप से सुना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिहीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए भूमि आवंटन नियम

4149. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सरकारी बंजर भूमि आवंटित करने के नियम क्या हैं ; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 1970 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भूमि देने के लिए सरकार की कसौटी क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूची 2 के अंतर्गत मद संख्या 18 के अनुसार "भूमि" राज्य सरकारों का विषय है । सम्बन्धित राज्यों द्वारा भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम अपनी विभिन्न समस्याओं और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए बनाये जाते हैं । फिर भी, विभिन्न राज्य सरकारों के भूमि आवंटन नियमों के सार की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है **(अनुबंध)** । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या** एल० टी०-2990/70] ।

बिहार के धनबाद जिले में मुरलीदीभागली कोयला खानों के श्रमिकों के मकानों का धंसना

4150. **श्री वि० कु० मोडक : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री भगवान दास : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के धनबाद जिले में मुरलीदीभागली कोयला खानों के श्रमिकों के अनेक मकान धीरे-धीरे धंसते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान धंसते जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन श्रमिकों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इन कोयलाखानों का मालिक इस बात के बावजूद कि उनके श्रमिकों की सहायता करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है अब भी इन खानों को ठेके पर चला रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो कोयलाखान मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). कोई भी मकान धंस नहीं रहा है, परन्तु यह सूचना मिली है कि कुछ मकानों में दरारें पड़ गईं हैं। ऐसा स्पष्टतः घटिया निर्माण के कारण हुआ है। उन तीन मकानों के सम्बन्ध में, जो टूटी सतह पर (खान में) स्थित थे, प्रबन्धकों द्वारा या तो क्षतिपूर्ति कर दी गई है, अथवा उसके सम्बन्ध में बात-चल रही है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में कोयला खानों में श्रमिक ठेका

4151. **श्री वि० कु० मोडक : श्री गणेश घोष :**
श्री भगवान दास : श्री मुहम्मद इस्माइल :

(क) बिहार राज्य के जिला धनबाद में झरिया कोयला क्षेत्र में स्थित प्रत्येक कोयला खान में ठेके पर कुल कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) कितने ठेका श्रमिक स्थायी किस्म के कार्य कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सूचना नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	उन कोयला खान का नाम जहां ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं।	ठेका श्रमिकों की कुल संख्या
1	न्यु तितुलिया कोलियरी	30
2	कतरास चोईतेडीह कोलियरी	50
3	मालकेरा चोईतेडीह कोलियरी	170
4	भेलातंड कोलियरी	42

1	2	3
5	यूनियन अंगरपात्थरा कोलियरी	30
6	साउथ गोविन्दपुर कोलियरी	30
7	ईस्ट अंगरपात्थरा कोलियरी	80
8	रिजुआ कोलियरी	218
9	लाकुरका कोलियरी	40
10	लोदना कोलियरी	500
11	भोरा कोलियरी	550
12	अलकुसा साउथ कोलियरी	600
13	जमदोबा 3 एण्ड 4 पिट्स कोलियरी	250
14	जमदोबा 6 एण्ड 7 पिट्स कोलियरी	150
15	डिगवाडीह कोलियरी	150
16	बागडिगी कोलियरी	150
17	सैन्ट्रल जीनागोरा कोलियरी	250
18	भुलनबरारी कोलियरी	250
19	खास जयराम कोलियरी	150
20	नूनाडीह जीतपुर कोलियरी	260
21	चसनाला कोलियरी	450
22	एन० सी० डी० सी० सुदानडीह कोलियरी	350
23	बागबन्ध कोलियरी	150
24	अमलाबाद कोलियरी	160
25	बरारी जीलगौरा कोलियरी	650
26	गोनहूडीह कोलियरी	300
27	ईस्ट भगतडीह कोलियरी	200
28	बस्ताकोला कोलियरी	200
29	गोलुक्डीह कोलियरी	200
30	साउथ गोलुक्डीह कोलियरी	200
31	खास भगतडीह कोलियरी	60
32	मधुबन्द कोलियरी	239
33	सेन्दरा बंसजोरा कोलियरी	10
34	कुसुन्दा नयाडीह कोलियरी	467
35	ईस्ट बासुरिया कोलियरी	100
36	साउथ बलिहारी केन्दुआडीह कोलियरी	135
37	एना कोलियरी	30

(ख) 1960 श्रमिक।

पूर्वी नीमच कोयला खान के कुछ श्रमिकों को काम से हटाना

4152. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी नीमच कोयला खान में काम करने वाले जो श्रमिक नौकरी से हटा दिये गये थे क्या उन्हें पुनः काम पर ले लिया गया है ; और

(ख) जितने दिनों तक इस श्रमिकों को काम नहीं दिया गया, क्या उन श्रमिकों को उन दिनों का पूरा वेतन दिया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). 300 श्रमिक 24-9-69 को इस कोयला खान को छोड़कर इस डर के मारे चले गये थे कि कहीं कोलियरी मजदूर सभा के समर्थक आंतरिक झगड़े के कारण उन पर हमला न कर दें। इनमें से 209 श्रमिक बाद में काम पर वापस आ गए। चूंकि वे प्रबन्धकों द्वारा नौकरी से हटाये नहीं गए थे, इसलिये उनकी बहाली और जिन दिनों उन्होंने काम नहीं किया उस काल की मजूरी देने का प्रश्न नहीं उठता।

Housing and Medical Facilities to Mine Workers

4153. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps taken in respect of providing housing and medical facilities to the workers engaged in mines ;

(b) the number of houses constructed in the various mining areas of the country during the last three years ;

(c) whether these houses are adequate to meet the housing needs of the said workers ; and

(d) if not, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). A statement containing the requisite information is placed on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Housing and Medical facilities are provided to workers in Mines by the mine managements. So far as the Coal, Mica and Iron Ore mines are concerned, Statutory Welfare Funds have been set up which supplement the efforts of mine managements in the matter of housing, medical facilities and general welfare.

Housing facilities. Employers are encouraged to construct houses under the different Housing Schemes of these Funds, for which financial assistance is provided. The more important of the Schemes are as under :

(1) New Housing Scheme which envisages a minimum accommodation of 336 sq. ft. (plus 16 square feet open) in each tenement provides for an assistance of Rs. 4000 per tenement.

(2) Subsidised Housing Scheme which envisages a minimum accommodation of 336 sq. ft. (plus 16 sq. ft. open) in each tenement provides a subsidy of 25% and a loan of 37½% on the ceiling cost of Rs. 4000 per house.

(3) Low Cost Housing Scheme which envisages a plinth area of 269.5 sq. ft. in each tenement provides for an assistance of Rs. 1600 per tenement.

(4) Build Your Own Housing Scheme envisages a subsidy of Rs. 400 per house to the mine workers who builds the own house or makes improvements in his existing house.

At certain places Departmental Colonies and townships are also constructed by the funds for housing mine workers.

Medical facilities. Extensive Medical facilities for mine workers and their families are provided, free of cost, by the three Funds. These include provision and maintenance of :

(i) Central and Regional Hospitals.

(ii) Static and Mobile dispensaries (including Ayurvedic dispensaries).

(iii) Primary Health Centres.

(iv) Maternity and Child Welfare Centres, and

(v) Facilities for treatment of Tuberculosis, including domiciliary treatment.

The funds have also reserved, at their cost, beds in non-Fund medical institutions for patients suffering from T.B., cancer, leprosy and mental diseases. They also provide grant-in-aid for maintenance of dispensary services by mine managements.

(b) 18,110 houses have been constructed by the three Funds, or with financial assistance from them, in the Coal, Mica and Iron Ore Mining areas during the period 1967-68 to 1969-70.

(c) No.

(d) As already indicated, housing facilities are provided by mine managements. The Statutory Welfare Funds supplement their efforts. Within the financial resources available, the Coal Mines Labour Welfare Fund have already sanctioned about 66,000 houses, the bulk of which have already been constructed. So far as Mica and Iron Ore Mines are concerned, efforts are being made to get additional houses constructed with the resources available from the respective Funds. Housing schemes are accorded high priority for implementation. A Committee was also set up in 196) to recommend *inter-alia* suitable housing schemes for iron ore miners. The Committee has since submitted its report. The recommendations of the Committee are being processed.

कांडला में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र की स्थापना

4154. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या यह संयंत्र विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा ;

(ग) यदि हां, तो इस सहयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उसमें कितनी पूंजी लगेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) नाइट्रोजन, पोटासियम तथा फोस्फेटिक तत्वों वाले उर्वरक तैयार करने के लिए एक संयंत्र कांडला में स्थापित किया जाना है। इस संयंत्र का नाइट्रोजन वाला भाग कलोल में होगा।

(ख) यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा।

(ग) गुजरात में एक सहकारी उर्वरक परियोजना चालू करने के लिए कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इंटरनेशनल के साथ हुए करार की महत्वपूर्ण बातें।

सहयोग का क्षेत्र :

(क) इस गतिविधि का कार्यक्षेत्र यह है, जिसमें अमेरिकन कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इंटरनेशनल को यह अधिकार होगा कि वह इन्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लि० को प्रारम्भ में संयंत्र के सस्थापन, परिचालन तथा देखरेख सम्बन्धी मामलों में सलाह तथा सहायता दे।

कार्यान्विति :

(ख) इस प्रायोजना की मालिक तथा इसके लिए जिम्मेदार इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लि० होगी। कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इन्टरनेशनल का प्रतिनिधित्व एक परिचालन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा जो कि सीधे इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लि० के प्रबन्ध निदेशक के अधीन काम करेगा तथा इस करार के अन्तर्गत कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इन्टरनेशनल की जिम्मेदारियों को निभायेगा। महत्वपूर्ण तकनीकी कार्मिक कोआपरेटिव फर्टीलाइ-जर्स इन्टरनेशनल द्वारा उपलब्ध किये जायेंगे।

अवधि :

(ग) यह करार प्रायोजना के निर्माण की अवधि में तथा शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। इस अवधि के बाद परिचालन प्रबन्धक तीन वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार की हैसियत से काम करता रहेगा।

प्रशिक्षण :

(घ) कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स इन्टरनेशनल ने यह वायदा दिया है कि वह उन कार्मिकों, जो कि अमेरिकन कार्मिकों की जगह कार्य करेंगे, को प्रशिक्षण देने के लिए सब आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

देशीय क्षमता :

(ङ) इस करार में आयोजन, निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के विनिर्माण आदि के क्षेत्रों में देशीय सुविधाओं तथा कुशलता का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था है।

(घ) इसमें 85 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगने का अनुमान है।

चौथी योजना अवधि में उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन

4155. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में एक विशाल अभियान के रूप में उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में उर्वरकों की खपत बढ़ने की आशा है; और

(ग) इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना की अवधि में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्यक्रमों को शुरू किया है :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना विभिन्न राज्यों में चालू है । उच्च क्वालिटी के राष्ट्रीय प्रदर्शनों के सघन फैलाव का मुख्य लक्ष्य बहुउद्देशीय-फसल कार्यक्रम और पैकेज प्रणाली को अपनाकर भूमि क्षेत्र की प्रति एकक समय में अधिक उत्पादन की सम्भाव्यता के बारे में किसानों को पूर्णतः विश्वस्त कराना है ।

(2) **मृदा परीक्षण सेवायें** : चतुर्थ योजना में राज्य क्षेत्र में 25 नई अचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने और 14 मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई है । राज्यों को सप्लाई करने के लिए 34 चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें बनाई जा रही हैं । ताकि वह मौजूदा अचल प्रयोगशालाओं के संयोजन में कार्य कर सकें ।

(3) **किसानों का प्रशिक्षण और शिक्षा** : किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने की योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण, दिया जायेगा जिसमें उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग पर बल दिया जायेगा ।

(4) प्रचार आकाशवाणी उर्वरकों के उचित प्रयोग से संबंधित सफल कहानियों को प्रस्तुत करके पैकेज प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दे रहा है और उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग के लाभों के बारे में तकनीकी विचारों के प्रसारण और उनके प्रयोग के सम्बन्ध में बनी गलत धारणाओं को दूर करने की दिशा में ज्ञान का प्रचार कर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । इसके अतिरिक्त विस्तार निदेशालय कृषि विभाग के उर्वरक प्रभाग के सहयोग से उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के विषय में फिल्म तैयार करेगा । उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर पत्रक और पोस्टर निकाले जा रहे हैं और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि इन्हें प्रादेशिक भाषाओं में स्थानीय पृष्ठभूमि के साथ निकाला जाये ।

भारत सरकार और उर्वरक उद्योग के मध्य सह उद्यम के रूप में उर्वरक संवर्धन परिषद की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के विभिन्न उपायों का प्रसार किया जा सके ।

(ख) जी हां । आगामी वर्षों में उर्वरकों की खपत बढ़ जाने की सम्भावना है ।

(ग) ऊपर बताये गये सभी कदम राज्य सरकारों के सहयोग से उठाये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं।

अरबी भाषा के टेलीप्रिंटर का निर्माण

4156. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर कारखाना अरबी भाषा के टेलीप्रिंटर बना रहा है ;

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य और कुवैत जैसे देशों से अरबी भाषा के टेलीप्रिंटरों की कितनी मांग है ; और

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए किन अन्य भाषाओं के टेलीप्रिंटर बनाये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी को 17 लाख रुपये मूल्य के अरबी दूरमुद्रक सप्लाई करने के आदेश कुवैत से प्राप्त हुए हैं। यह अन्य मध्य-पूर्वी देशों में इस प्रकार के दूरमुद्रकों की मांग का पता लगा रही है।

(ग) यदि आवश्यक मात्रा में आदेश प्राप्त हों तो कम्पनी के पास निर्यात के लिए फारसी लिपि के दूरमुद्रकों के निर्माण की भी योजना है।

Deposit of Employees' Provident Fund by Textile Mills in Madhya Pradesh

4.58. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number and names of the textile mills in Madhya Pradesh in case of which the Central Government have appointed Controllers ;

(b) the amount of the employees' provident fund due on each of the mills being run by the controller ; and

(c) the amount of employees provident fund deposited by each of these mills during the last three years ; and the action proposed to be taken by Government to ensure that the arrears of the said amount are deposited ?

The Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The following four establishments in Madhya Pradesh are run under Authorised Controllers :

(i) M/s. Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajnandgaon.

(ii) New Bhopal Textile Mills Ltd.. Bhopal.

(iii) Hira Mills Ltd., Ujjain.

(iv) Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore.

(b) and (c). The administration of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 is the Central Board of Trustees, an autonomous body constituted under the employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. A statement containing the information furnished by the provident fund authorities is attached.

Government have also issued instructions to the Authorised Controllers to be regular in payment of current contributions and to work out schemes for clearing past arrears. [*Placed in Library. See* No. LT-2991/70].

चीनी के निर्यात कोटे के लिए भारत की मांग

4159. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन ने भारत की 10 लाख टन चीनी के निर्यात-कोटे की मांग के विपरीत केवल 2.50 लाख टन की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1969 में पूरे कोटे का निर्यात कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 में जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन में भारत ने 7.5 लाख मीटरी टन के कोटे के लिए कहा था और पिछले निर्यात के आधार पर हमें 2.5 लाख मीटरी टन का मूल निर्यात कोटा दिया गया था। करार के उपबन्धों के अधीन हम संयुक्त राज्य अमेरिका और यू० के० (एन० पी० क्यू०) को अपने अधिमान्य कोटे के निर्यात करने के भी हकदार हैं। ये कोटे लगभग 95,000 मीटरी टन के हैं।

(ख) और (ग). चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के कारण 1969 में हमने केवल 94,000 मीटरी टन चीनी संयुक्त राज्य अमेरिका और यू० के० (एन० पी० क्यू०) की अधिमान्य मंडियों को निर्यात की थी।

Shortage of Equipment for Installation of Tube-Wells in Rocky Land

4160. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India lacks in the equipments required for installing tube-wells in Rocky land as a result of which the irrigation programmes in various areas and States are not making progress ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to make up the shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Calyx and Diamand drilling rigs capable of drilling in hard rock areas are being manufactured by various firms in the country and are freely available. Down-the-hole Hammers which enable fast drilling in hard rock areas are also being manufactured in the country. Such hammers can be operated by Diamand Drilling Rigs and direct rotary rigs (also being manufactured in the country) with slight modificatoin in the rigs. Several States have been using Down the Hole Hammers with these rigs. In addition two firms have undertaken manufacture of Down-the-Hole Rigs specially suited for operating down the Hole Hammers.

तिब्बत शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता

4161. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों से सम्बन्धित उच्चायुक्त और भारत सरकार के बीच तिब्बती शरणार्थियों सम्बन्धी पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने के बारे में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी के उच्चायुक्त के बीच अब तक तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	प्रदान की गई सहायता की राशि	प्रयोजन जिसके लिए सहायता दी गई
1.	2,00,000/- रुपये	तिब्बत औद्योगिक पुनर्वास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों के लिए स्थापित किये गये पांच औद्योगिक एककों के लिए कार्य पूंजी प्रदान करने के लिए।
2.	60,000/- रुपये	तिब्बती बहुद्देशीय सहकारी समिति, तेजू, को ट्रक खरीद करने के लिए ताकि शरणार्थी अपने उत्पादन को बाजार में ले जा सकें और व्यवस्थापन के लिए आवश्यक सामान ला सकें।
	80,250/- रुपये	उड़ीसा राज्य में तिब्बती शरणार्थियों की चन्द्रागिरी तथा महेन्द्रगढ़ बस्तियों में बहूद्देशीय खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिये ।

सहकारी कृषि को वित्तीय सहायता

4162. **श्री मयावन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि सहकारी कृषि क्षेत्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो सहकारी कृषि क्षेत्र को कुल कितनी सहायता दी जायेगी ;

(ग) किस प्रकार की अन्य सहायता दी जायेगी ; और

(घ) सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वर्ष 1970-71 के लिए क्या कार्यक्रम बनाने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने चौथी योजना में सहकारी विकास की केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 149.23 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों को सहकारी विकास की राज्य योजना स्कीमों के लिए भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। चौथी योजना अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कुल परिव्यय का अनुमान 245.91 करोड़ रुपये है।

(ग) इसकी अनुपूर्ति वाणिज्य बैंकों, कृषि रीफाइनेंस निगम आदि जैसे संस्थागत साधनों की सहायता से की जाएगी।

(घ) आगामी वर्ष में सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 565 करोड़ रु० के अल्प तथा मध्य-कालीन ऋण और भूमि बंधक बैंकों द्वारा 150 करोड़ रु० के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने की सम्भावना है। विकास की गति को तेज करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें से कुछ मुख्य ये हैं : प्राथमिक ऋण समितियों का पुनर्गठन, छोटे किसानों की सुविधा के लिए ऋण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का पुनर्व्यवस्थाकरण, व्यापक आधार पर सदस्यता तथा जमा राशियां जुटाना। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण समितियों को वित्त सुलभ करने की एक प्रायोगिक योजना पांच राज्यों के उन क्षेत्रों में अस्थायी उपाय के रूप में चालू की जा रही है जहां जिला केन्द्रीय बैंक कमजोर हैं। विधायन के क्षेत्र में विधायन यूनिटों को ब्लाक लागत प्रदान करने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चालू की जाएगी। विपणन समितियों को सुदृढ़ करने तथा मजबूत बनाने और व्यापारिक रीतियों को अधिकाधिक रूप से अपनाने के कार्य को भी प्राथमिकता की जाएगी। आगामी वर्ष में उर्वरक वितरण की सीमान्त धन (मार्जिन मनी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अधिक वित्तीय व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के क्षेत्र में ढांचे को जीवनक्षम बनाने, सहकारी समितियों के व्यापारिक कार्य में विविधता लाने तथा उनकी परिचालन क्षमता में सुधार करने पर बल दिया जाता रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जायेगा और व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा पूर्व-प्रशिक्षित कर्मचारियों का पूरा-पूरा उपयोग करने पर अधिक बल दिया जायेगा।

पंजाब सरकार के सुझाव के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्य को निर्वाह व्यय सूचकांक से मिलाना

4163 **श्री मायावन : श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के मूल्यों को निर्वाह व्यय सूचकांक से सम्बद्ध किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में राशन की दुकानों को दिये गये गेहूँ की बिक्री की जांच

4164. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने लाइसेंस प्राप्त राशन की दुकानों को दिये गये देशी गेहूं की हाल ही में खुले बाजार में रहस्यपूर्ण बिक्री के बारे में कोई जाँच की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और दिल्ली प्रशासन ने सम्बद्ध लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; श्रौर

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) श्रौर (ख). कदाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर हाल ही में दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों की गहन जांच की गयी थी । 174 उचित मूल्य की दुकानें ऐसी पायी गयी थीं जिन्होंने दिल्ली विशिष्ट खाद्य वस्तु वितरण का विनियमन) आदेश, 1968 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किया था । कुछ मामलों में गेहूँ जारी नहीं किया गया था श्रौर रिकार्ड जाली था। इसके परिणामस्वरूप 42 दुकानें या तो मंसूख कर दी गयी या निलम्बित, 56 दुकानों की जमानत राशि या तो अंशतः या पूरी जब्त कर ली गयी और अन्य कुल मामलों में छोटा-मोटा अर्थ दण्ड लगाया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी कृषि क्षेत्र को सहायता

4165. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सहकारी कृषि क्षेत्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो सहकारी कृषि क्षेत्र को कुल कितनी सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने चौथी योजना में सहकारी विकास की केंद्रीय क्षेत्र, केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 149.23 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों को सहकारी विकास की राज्य योजना स्कीमों के लिए भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी । चौथी योजना अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कुल परिव्यय का अनुमान 245.91 करोड़ रुपये है । इसकी अनुपूर्ति वाणिज्य बैंकों, कृषि रीफाइनेंस निगम आदि जैसे संस्थागत साधनों की सहायता से की जाएगी ।

उड़ीसा में चांदीपुर, गोपालपुर और पारादीप में मछली पकड़ने के बंदरगाह

4166. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री दे० अमात :**
श्री रवि राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चांदीपुर, गोपालपुर और पारादीप में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा रखे गये प्रस्ताव तथा मांगी गई सहायता के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन छोटी बंदरगाहों पर मीन पकड़ने वाले जहाजों के लिए तट पर लगने और ठहरने की सुविधाओं के लिए चांदीपुर में एक मीन बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव किया है । राज्य सरकार ने हाल ही में परदीप में भी एक मीन बम्दरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है । छोटी बन्दरगाहों के बारे में जिनका उड़ीसा में गहन विकास किया जाना चाहिए, निश्चय करने के लिए परिवहन मन्त्रालय ने जो समिति बनाई है वह अन्य बन्दरगाहों के साथ गोपालपुर के बारे में भी विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). चांदीपुर में 4,6?,860 रुपये की लागत के साथ बंदरगाह सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव भारत सरकार ने सितम्बर 1969 में मजूर कर लिया था । राज्य सरकार ने बताया है कि इस कार्य पर 1969-70 में 1.40 लाख रुपये व्यय होने की आशा है ;

परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति प्रत्येक राज्य में एक छोटी बन्दरगाह के समय विकास की योजना के अधीन गोपालपुर और चांदीपुर की बन्दरगाहों में से एक के विकास की सम्भाव्यता का अध्ययन कर रही है । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

परदीप की वाणिज्यिक बन्दरगाह की बीच मीन बन्दरगाह के लिए खोज करने के लिए एक स्थान चुन लिया गया है । जब पोर्ट ट्रस्ट अपनी खोज पूरी कर लेगी और एक योजना तथा अनुमानित व्यय का ब्यौरा बना लेगी, तब परदीप एक मीन बन्दरगाह मंज़ूर करने की सम्भाव्यता का परीक्षण किया जायेगा ।

उपूसी (नेफा) में पंचायती राज

4168. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपूसी (नेफा) में चल रही पंचायती राज प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या पंचायती राज प्रणाली सम्बन्धित व्यक्तियों को इसका प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ;

(ग) क्या यह आवश्यक है कि पंचायत निदेशक का कार्यालय उपूसी (नेफा) के भीतर ही हो ; और

(घ) यदि हां, तो उस कार्यालय का स्थानान्तरण करके उसे लोगों के और समीप ले जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) अब तक प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि नेफा में पंचायत राज संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है ।

(ख) नेफा प्रशासन पंचायत राज से संबंधित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

(ग) और (घ). पंचायतों के निदेशक के कार्यालय को नेफा में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है । एक समिति नेफा में ही इसके मुख्यालय के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

A.I.R. Motor Drivers Association

4170. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Shri Gopal Sahu :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Akashvani Motor Drivers Association (Regd) had sent a memorandum on the 8th January, 1970 ;

(b) if so, whether the said Association has demanded the upward revision of the pay-scales of the drivers working in the All-India Radio from Rs. 110-139 to Rs. 110-180 to bring them at par with the staff-car drivers working in the Ministries and other departments ;

(c) if so, whether Government propose to revise the pay-scales of the staff-car drivers of the All-India Radio accordingly ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). The general question regarding extension of higher scale of Rs. 1 0-180 to Staff Car Drivers/Drivers working in non-Secretariat and other offices has been considered carefully by Government. The higher scale of pay of Rs 110-180 has been allowed to Drivers of heavy vehicles and to Staff Car Drivers in the Secretariat offices in view of the arduous nature of their work. It is not applicable to Drivers in non-Secretariat offices.

सिंचाई की सुविधाओं के अध्ययन हेतु आयोग की नियुक्ति

4171. **श्री जी० वाई कृष्णन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को उर्वरक तथा अधिक उपज वाली किस्मों के बीज देने के समान सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पहलू का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । कृषकों को सिंचाई सुविधायें, उर्वरक और अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीज प्रदान करने के कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जा र ी है ।

(ख) और (ग). आगामी चार-पांच योजनाओं की अवधियों में सतही और भूमिगत जल साधनों से अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक सिंचाई आयोग की स्थापना की है जो देश में आगामी सिंचाई विकास के प्रश्न पर विस्तार से विचार करेगा । भारत सरकार ने कृषि के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का भी निर्णय किया है जो समस्त कृषि विकास का पुनरीक्षण करके उचित सिफारिश करेगा ।

आयातित कपास के उत्पादन के लिए भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण

4172. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कपास के किस्मों के उत्पादन के लिए भारतीय मिट्टी उपयुक्त नहीं समझा गया ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं । भारत कुछ किस्मों की खेती करने के लिए सक्षम है जो अपने गुणों में आयोजित कपास के बराबर हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कपास सम्बन्धी समन्वित अनुसंधान परियोजना की क्रियान्विति के बाद तीव्र अनुसंधान किये जाने के परिणामस्वरूप, 1968-69 में एम० सी० यू०-5 तथा सुजाता जैसी दो नई अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली कपास को विकसित करके और उन्हें नियुक्त करके भारतीय कपास ने गुणात्मक सुधार करके मुख्य सफलता प्राप्त कर ली है ।

एम० सी० यू०-5 किस्म 1-3/16 अतिरिक्त लम्बी रेशे वाली है और मिल में उसकी 60-69 काउन्टों तक कताई हो सकती है । इसकी तुलना 'सूदन' जैसी कुछ आयातित किस्मों से की जा सकती हैं ।

सुजाता मिस्र की एक बारबाडैंस किस्म है जिसमें 1-1/4 इंच लम्बे रेशे और उच्च फाइवर शक्ति सम्मिलित है। 80-89 से 100-109 काउन्टों तक बुनाई के साथ-साथ यह सबसे अधिक बुनी जाने वाली वह कपास है जो भारत में अब तक विकसित और निर्मुक्त की गई है।

(ख) एम० सी० यू०-5 और सुजाता किस्में तमिलनाडु में, जहां लगभग 1.20 लाख हैक्टर का उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें ये किस्में बोई जा सकती है, सिंचित कपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती के लिए प्रारम्भिकरूप से उपयुक्त सिद्ध हुई हैं।

अन्य क्षेत्रों को, जहां ये किस्में प्रयोग में लाई जा सकती हैं निश्चित करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

Implementation of Coal Wage Board Award by Coal Mines in Hazaribagh District

4173. Shri S. C. Besra : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the owners of many coal mines in the Hazaribagh District have not so far implemented the Coal Wage Board Award and if so, the number and the names of the such colliery owners :

(b) whether Coal Mine Inspectors have submitted any report to Government in this regard ; if so, the details thereof ; and

(c) the reasons given by the said colliery owners for not implementing the award so far ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). According to the information received from the field officers, there are 51 collieries in Hazaribagh District ; of these, 24 have implemented the recommendations, 9 have done so partially and the remaining 18 collieries have not implemented. A statement showing their names in enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT-2992/ 0].

(c) The defaulting collieries have pleaded financial difficulties in implementing the recommedations.

कृत्रिम वर्षा द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के प्रयोग

4174. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृत्रिम वर्षा द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के प्रयोग कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) अपर्याप्त आंकड़ों तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्तता की अनिश्चितता के कारण सिंचाई के लिए कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में अभी तक प्रयोग नहीं किये गये हैं । परन्तु सिविल विमानन विभाग कृत्रिम वर्षा करने के वैज्ञानिक पहलुओं पर कुछ प्रारम्भिक परीक्षण कर रहा है ।

गोआ की खज़ान भूमि पर मत्स्य-पालन तथा इसका चावल के उत्पादन पर प्रभाव

4175. **श्री शिंकरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ, दमन तथा दीव के मुख्य मन्त्री द्वारा एक प्रैस सम्मेलन में हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की जानकारी है कि उन्होंने एक ऐसी योजना को अन्तिम रूप दिया है, जिससे गोआ में कोई 15,000 खजान भूमि मत्स्य-पालन, विशेषकर झींगा मछली के पालने के लिए प्रयोग में लाई जायेगी ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि खजान भूमि बहुत ही उर्वरा है परन्तु भू-स्वामियों तथा "कम्यूनीडेड्स" की प्रबन्धक समितियों द्वारा, जो "सुरक्षा बांधों" को तोड़ देते हैं और मत्स्य पालन के लिए समुद्री पानी को खज़ान खेतों में आने देते हैं, की जाने वाली अत्यधिक आपत्तिजनक कार्यवाही के कारण देश को चावल के उत्पादन में भारी मात्रा में वंचित रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य मंत्री के उक्त बयान पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) गोवा के मुख्य मंत्री द्वारा लगभग 10,000 हैक्टार खज़ान भूमि में मछली प्रजनन योजना की घोषणा की प्रैस रिपोर्ट के बारे में सरकार को ज्ञान है ।

(ख) और (ग). योजना का पूरा ब्यौरा मांगा है और सरकार उस पर विचार करेगी । इस विषय में जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में डाक व तार विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के तरीके के सम्बंध में रोष

4176. **श्री शिंकरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोआ के डाक व तार विभाग में चपड़ासियों सहित चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के बारे में गोआ में भारी रोष है क्योंकि भर्ती में गोआ निवासियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तथा उनके लिए रोजगार प्राप्त करना कठिन हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गोआ की स्वाधीनता से पहले इन पदों के लिए बाहरी लोगों की प्रतियोगिता न थी तथा गोआ निवासियों को ऐसे छोटे पद निश्चित रूप से मिल जाते थे : और

(ग) क्या सरकार संक्रमणकालीन अवधि की उन विचित्र स्थितियों पर विचार करते हुए जिनमें गोआ निवासी इस समय रह रहे हैं, सिद्धान्त बनायेगी और गोवा में डाक व तार विभागों के प्रमुखों को इसके लिए उचित अनुदेश देगी कि चौथी श्रेणी के पद के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गोआ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के बारे में सरकार के पास किसी के रोष की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गोआ में चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हो।

(ख) स्वाधीनता के पहले गोआ भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, इसलिए दूसरे भारतीय नागरिकों का प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अतः इन पदों की भर्ती के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में विचार नहीं किया जा सकता जिसका नाम गोवा के रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं है और इस तरह वह गोआ का नियमित निवासी नहीं है। इसलिए मौजूदा स्थिति में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

4177. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए पुनर्वास उद्योग निगम ने अपने द्वारा संवंधित औद्योगिक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में अब तक कुल कितना धन लगाया है ;

(ख) पुनर्वास उद्योग निगम ने आज-तक किन-किन कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में धन लगाया है ; और कितना-कितना ;

(ग) गत तीन वर्षों में निगम को कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(घ) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा संबन्धित औद्योगिक कारखानों तथा सहकारी समितियों में वास्तव में आज तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा चावल उत्पादन के तरीकों सम्बंधी अनुसंधान

4178. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा हाल ही में किये गये एक प्रयोग से पता चला है कि पानी के नीचे चावल उगाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अब तक किया जाता है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिक भूमि में अधिक पानी छोड़े बिना चावल की अच्छी फसल उगा सकते हैं ;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को इस अनुसंधान की यह दृढ़ धारणा है कि चावल की खेती के लिए अब तक जितने पानी की आवश्यकता समझी जाती थी उसके छटव भाग के बराबर पानी से भी चावल उगाया जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो भारत की केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था के उपर्युक्त अनुसंधान का मुख्य निष्कर्ष क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था मे गत चार वर्षों के दौरान चावल के लिए पानी की आवश्यकता पर किये गये प्रयोगों से मालूम हुआ है कि चावल की अच्छी फसल उगाने के लिए पौधों को लगाने से पकने तथा कुछ दिनों से अधिक पानी का रहना आवश्यक नहीं है।

(ख) जीं हां। फसल की वर्द्धनशील अवस्थाओं के दौरान बिना अधिक पानी छोड़े चावल की अच्छी फसल उगाई जा सकती है, लेकिन अनुकूलतम उत्पादन के लिए फूलने से ठीक पहले तथा उसके बाद कुछ दिनों तक अधिक पानी छोड़ने की आवश्यकता होती है।

(ग) उपलब्ध पानी के अनुकूलतम प्रयोग के लिए बारी-बारी से आर्द्र करना तथा सूखा करना, अर्थात् मिट्टी के फटने से ठीक पहले पानी देने की ढंग की सिफारिश की गई है। इस ढंग के द्वारा आई० आर०-8 किस्म अर्थात 135-40 दिन की अवधि की फसल को उगाने के लिए प्रति हैक्टार केवल 1000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होगी, जबकि लगातार जलमयता के अंतर्गत प्रति हैक्टार लगभग 2000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होगी।

(घ) मुख्य निष्कर्ष ऊपर दिये गये हैं। 140 दिन की अवधि की चावल की अच्छी फसल लगभग 1000 मिलीमीटर पानी से उगाई जा सकती है। तुलना में छोटी अवधि की किस्मों के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी, जैसे कि पद्मा तथा टी० एन०-1 870 मिलीमीटर पानी से उगाई जा सकती है।

(ङ) इस अनुसंधान की जानकारी खेतों में प्रसार करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य कृषि विभागों को भेजी जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए औद्योगिक एककों को पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण तथा अनुदान

4179. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम ने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उद्योगों का संवर्धन तथा विकास करने हेतु अब तक ऋण तथा अनुदान दिये हैं ;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक कम्पनी को ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है तथा प्रत्येक कम्पनी के पुनर्वास उद्योग निगम से प्राप्त ऋण तथा अनुदानों से रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करने का बचन दिया है ;

(ग) वास्तव में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध किये गये हैं तथा अब तक वास्तव में कितने शरणार्थियों को रोजगार दिया गया है ; और

(घ) पुनर्वास निगम उद्योग से ऋण प्राप्त करने वाली प्रत्येक कम्पनी की ओर अब तक कितनी राशि बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है अथवा करने का उसका विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारत में संकट ग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम

4180. **श्री ज्योतिमय बसु :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत में "संकट ग्रस्त क्षेत्रों" के बारे में कोई आंकड़े तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में संकट ग्रस्त क्षेत्रों की सूची क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य के ऐसे क्षेत्र में क्या संकट है तथा कितना संकट है ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों के लिये सरकार ने कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम की प्रमुख रूप-रेखा क्या है तथा उस कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2993/70]

Implementation of Recommendations of Press Commission

4181. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not implemented all the recommendations of the first Press Commission ;

(b) if so, the details of the recommendations which have not been implemented ;

(c) the reasons therefor ; and

(d) the nature of action proposed to be taken in regard to their implementation and also the time by which such an action is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d). Attention is invited to the Statement laid on the Table of the House in reply to Lok Sabha Starred Question No. 1737 on 15th May 1969.

The Press Commission made several recommendations some of which were to be accepted/implemented by the Central Government and some others by the State Governments and yet others by newspapers and news agencies. The recommendations concerning the State Governments or the newspapers and news agencies were brought to their notice for appropriate action. Such recommendations as concerned the Central Government and as were accepted by them, were implemented to the extent possible. The only recommendation which was accepted but could not be finally implemented by the Central Government relates to the Price-Page Schedule. An attempt was made to implement it by promulgating, the Newspaper (Price and Page) Act, 1956, which was passed in September, 1956 but was declared *ultra vires* by the Supreme Court in September, 1961. The matter was recently re-examined and it was decided that the reintroduction of a price page schedule is not feasible at present because it involves an amendment of Article 19(2) of the Constitution, which is not feasible now in view of the extent judgment of the Supreme Court in Golak Nath's case.

पटना में डाक व तार औषधालय से सम्बन्धित चिकित्सा बिल

4182. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार औषधालय पटना के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को 1 अक्टूबर, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक कितने चिकित्सा बिल प्राप्त हुए तथा चिकित्सा अधिकारियों ने कितने चिकित्सा बिल प्रतिहस्ताक्षर करके कर्मचारियों को वापस भेजे ;

(ख) डाक व तार औषधालय, पटना में 1 जनवरी, 1970 को कितने चिकित्सा बिल प्रतिहस्ताक्षर के लिये पड़े थे तथा उन बिलों पर कितनी देरी हुई थी ;

(ग) क्या डाक व तार औषधालय पटना में लिखित रूप में चिकित्सा बिल प्राप्त करने तथा प्रतिहस्ताक्षर करके विधिवत रूप से लिखित रूप में कर्मचारियों को लौटाने की कोई प्रक्रिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कर्मचारियों के बिल डाक व तार औषधालयों में गुम न हो जायें ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1-10-60 से 31-12-69 तक 2068 चिकित्सा बिल प्राप्त हुए थे और इन पर प्रतिहस्ताक्षर कर के कर्मचारियों को लौटा दिया गया था।

(ख) सिवाय उन बिलों के जो उस दिन प्राप्त हुआ था, कोई भी बिल बाकी नहीं था।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिसमें चिकित्सक के पास प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया कोई बिल खो गया हो, इसलिए बिलों को पावती लेकर प्राप्त करने और लौटाने की प्रथा चालू करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

Scheme to Rehabilitate Refugees from East Pakistan in West Bengal

4183. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be plsased to state :

(a) whether it is a fact that the United Front Government of West Bengal have sent some schemes to Central Government for rehabilitation of 13,000 refugee families who migrated to India from East Pakistan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

चौथी योजना के दौरान राजस्थान में डाक व तार घर तथा टेलीफोन केन्द्र

4184. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या सूचना तथा प्रसारण और** संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राजस्थान में कितने डाक घर, टेलीफोन केन्द्र तथा तारघर खोले गये हैं तथा उन स्थानों के क्या नाम है जहां इन्हें खोला गया है ;

(ख) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान राजस्थान में और अधिक डाकघर, टेलीफोन केन्द्र तथा तारघर खोलने की कोई परियोजना तैयार की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के झुंझनू जिले में कितने डाकघर टेलीफोन केन्द्र तथा तारघर खोलने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) साथ वाली विवरणिका में सूचना दे दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०** टी०—2994/70]

(ख) **डाकघर :**

चौथी योजना अवधि के दौरान राजस्थान में और अधिक डाकघरों के खोले जाने की परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंज :

राजस्थान में निम्नवर्ती स्थानों पर 23 नये एक्सचेंजों के खोलने की परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है :

1. वेगम	2. बोरेवार	3. देवारी
4. गंगाशहर	5. गोतन	6. गोविन्दगढ़
7. गुधा वालोतरा	8. लाइन	9. लुँकरंसर
10. मनोहर पूरा	11. नपासर	12. परिहार

13. पीपर सिटी	14. पोकरन	15. प्रतापपुरा
16. रायपुर (भीलवाड़ा)	17. सदरी	18. संचोर
19. सरुपंगज	20. सीकरी	21. सिवाना
22. श्री विजेयुनगर	23. तपूकरा	

तारघर :

चौथी योजना अवधि के दौरान राजस्थान में 200 तारघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) **डाकघर :**

चौथी योजना अवधि के दौरान राजस्थान के झुंझनू जिले में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या उक्त (ख) में बताये गए कारणों से बताना संभव नहीं है ।

टेलीफोन एक्सचेंज :

झुंझुनू जिले में नये टेलीफोन एक्सचेंजों के खोलने के लिए कोई स्वीकृत परियोजना कार्यान्वित किये जाने के लिए बाकी नहीं पड़ी है । नये एक्सचेंजों के खोलने संबंधी मामलों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा औचित्य व साधनों की उपलब्धि पाये जाने पर उनकी मंजूरी दी जाती है ।

तारघर :

झुंझुनू जिले में तारघरों के खोलने के लिए कोई विशिष्ट परियोजना नहीं बनाई गई है । विभिन्न स्थानों पर तारघरों की व्यवस्था के लिए विभिन्न पार्टियों से प्राप्त आवेदनों की जाँच की जाएगी तथा विभागीय नीति के अनुसार औचित्य पाये जाने पर उनकी मंजूरी दी जाएगी ।

राजस्थान को उर्वरकों, बीजों तथा खाद्यान्नों की सप्लाई

4185. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को गत तीन वर्षों में वर्षवार खाद्यान्नों, उर्वरकों तथा बीजों की कितनी कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) राजस्थान सरकार की इन वस्तुओं की कितनी कितनी मांग थी ; और

(ग) ये वस्तुयें राज्यों को किस आधार पर सप्लाई की जाती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब

शिन्दे) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मांग किए गये खाद्यान्न, उर्वरक तथा बीज और उनको सप्लाई की गई मात्रायें निम्नलिखित हैं :—

(i) खाद्यान्न

000 मीटरी टनों में

	1967		1968		1969	
	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति
(1) गेहूं (मोटे अनाजों सहित)	635.2	342.3	240.0	117.2	553.9	222.6
(2) चावल	2.4	0.3	3.0	0.8	कुछ नहीं	0.5

(ii) उर्वरक

000 मीटरी टनों में

	1966-67		1967-68		1968-69	
	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति
(i) नाइट्रोजनीय उर्वरक	17.8)	15.3 नाइट्रोजन के रूप में	28.2)	18.9	38.9)	13.7
(ii) पी$_2$ ओ$_5$—	)		6.1)		11.1)	

(iii) बीज

क्विन्टलों में

	1966-67		1967-68		1968-69	
	मांग	पूर्ति	माँग	पूर्ति	मांग	पूर्ति
संकर मक्का	744	744	1008.23	1008.23	564	564
संकर बाजरा	46	46	208.16	208.16	2132	2132
संकर सोरगम	180	180	245.35	245.35	—	—
धान	100	100	15.00	15.00	—	—
गेहूं	1500	1500	—	—	—	—
ज्वार	—	—	—	—	257	257
मूंगफली	—	—	15.00	15.00	—	—

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की सप्लाई राज्य में सरकारी वितरण की आवश्यकता, राज्य की आंतरिक उपलब्धि, केन्द्र की उपलब्धि तथा अन्य कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं के

आधार पर की जाती है । यद्यपि, चावल के सम्बन्ध में थोड़ा भिन्न स्थिति है । राजस्थान चावल खाने वाले राज्य में नहीं हैं । राज्य में पैदा किये जाने वाला चावल मुख्यतः मोटा है और राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । यद्यपि संभव होने पर अखिल भारतीय किस्म की शिक्षा संस्थाओं तथा नगर क्षेत्रों के लिए अच्छे चावल (बासमती) थोड़ी मात्रा में सप्लाई किए जाते हैं ।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, उर्वरकों के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकतायें देश में वर्ष के दौरान दो बार होने वाली क्षेत्रीय बैठकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं—एक बैठक खरीफ के मौसम के शुरू होने से पहले 1 अप्रैल को तथा दूसरी बैठक रबी के मौसम के शुरू होने से पहिले 1 अक्तूबर को होती है । इन बैठकों में एक तरफ खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों एवं उर्वरकों के देशी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं । इन बैठकों में राज्य सरकार अपने भंडारों तथा देशी मिलों से प्राप्त होने वाली उर्वरकों की मात्रा को दृष्टि में रखकर अपनी कुल उर्वरक की आवश्यकता को बताती है । उर्वरक की शेष मात्राओं के लिये राज्य सरकारों की आवश्यकतायें केन्द्रीय उर्वरक पूल से पूरी की जाती हैं ।

जहां तक बीजों का सम्बन्ध है वे राज्य सरकार को उनकी आवश्यकता तथा केन्द्र के पास बीजों की उपलब्धि के अनुसार दिये जाते हैं ।

Transfer of Gosadan of Gular Bhoj to Delhi Administration

4186. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Gosadan of Gular Bhoj has been transferred to Delhi Administration ;

(b) whether it is also a fact that the above transfer has taken place on account of failure of Government to carry out its management ;

(c) if so, the reasons for this failure ; and

(d) the action taken against the persons responsible for the said failure ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The transfer of Gosadan of Gular Bhoj to Delhi Administration was made on account of the dissolution of the Central Council of Gosamvardhana.

(c) and (d). Do not arise.

Policy Regarding opening of Post Offices in the Country and their Working

4187. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Post Office in each village having a population of at least 3,000 persons ;

(b) if so, the number of such villages where post offices have opened during the last 3 years ;

(c) the number out of them of those post offices which are functioning properly at present ; and

(d) the number out of them, which have been closed down and the reasons for closing down the said post offices ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No ; but even under the present policy, post offices are opened even in villages with a population of 2,000 and in some cases, with a population of less than 2,000 provided other departmental conditions like distance from the nearest post office and the proposed post offices working within certain prescribed limits of loss etc. are fulfilled.

(b) to (d). 6,312 Post offices have been opened in villages in the last three years (1967, 1968 and 1969) including villages with a population of 3,000 or more. Such Post Offices are kept on an experimental basis for 10 years provided they work within the permissible limits of loss. There is no likelihood of any of these offices having been closed within the last three years.

Per Capita Consumption of Milk in India

4188. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the per capita consumption of milk in India ;

(b) the increase or decrease that took place in this respect during the last three years ;

(c) whether the increase in the percentage of milch cattle corresponds to that of the increase in population ; and

(d) if so, the details in this respect for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Developiment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The per capita availablity of milk in India during 1968-69 is estimated at 115 gms. per day as against 113 gms per day during 1966-67.

(c) and (d). Data on number of which cattle are collected only quinquennially through the livestock censuses, the last census being held in 1966. The follwing table gives the percentage increase in the number of milch cows and buffalos as well as the human population between 1961 and 1966 :

Category	Percentage increase in 1966 over 1961
Milch cows	2.4%
Milch buffalos	6.4%
Human population	12.6%

Import of Milk Powder etc. under PL 480

4189. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether India have imported milk-powder and other articles also under PL-480 ;

(b) if so, the quantities thereof imported during the last three years ; and

(c) the quantities being imported at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). It is persumed that the information sought for is in respect of imports under PL-480 Title II which relates to gift

supplies for distribution through certain approved relief agencies. On the basis of this presumption, the information required is given below :

Commodity	(Quantity in Tonnes)		
	1967	1968	1969
Milk	12,617.62	13,428.74	12,225.74
CSM	59,636.10	88,233 36	92,496.77
Wheat (including bulgur and rolled wheat)	139,343 55	127,565.85	166,756 43
Oil	25,614.34	21,038.34	20,876 72
Ghee	—	—	2,562.22
Wheat Flour	522.44	910.72	2,6 79
Cornmeal	24,840.46	—	—
Sorghum	10,312.87	274.88	—
Beans	1,229.06	—	—
Misc. Relief supplies	19,8[illegible]6.41	496.09	680.47
Hospital supplies	72.12	*	18.49
	2 94,054.97	2,51,947.98	2,95.841 63

*Information not available.

The figures beyond 1969 are not yet available.

Import of Milk Powder

4190. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of milk-powder imported during the last three years, year-wise, in thousands of pounds from abroad for various milk plants set up in the country ; and

(b) the names of the countries from which this milk powder is imported for use in the public sector milk-plants and the rate at which imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The following quanties of milk-powder were imported during the last three years :

Year	In Pounds
1. 1967-68	1,97,46,900
2. 1968-69	2,72,59,380
3. 1969-70	1,74,53,640

(b) :

	Rate per tonne in rupees		
	(1967-68)	(1968-69)	(1969-70)
DENMARK (under Danish Food Loan)	2,497.00	2,413.00	Nil
NEW ZEALAND	1,762.75	1,710.65	1,585.00
BULGARIA	3,783 00	Nil	Nil
WORLD FOOD PROGRAMME	Gift	Gift	Gift

Import of Milk Processing Plants and their Working

4191. **Shri Shasi Bhushan :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of milk processing plants imported so far ;

(b) the total cost of each plant and the total expenditure incurred so far on all the plants ;

(c) the number out of them of those which are working with their full capacity ; and

(d) whether Government propose to import some more plants in the near future and, if so, the reasons therefor and the various companies to which licences have been granted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) (a) to (d). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस

4192. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल में किसी समय राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कांग्रेस के संयोजक कौन है और उसकी कार्य-सूची क्या होगी ; और

(ग) इस राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2995/70]

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय

4193. **श्री रवि राय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में किये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 19 चीनी मिलों को, जिनके प्रति गत वर्षों का गन्ना मूल्य उपकर, खरीद कर, कमीशन तथा व्याज की धनराशि का बकाया निकलता था, कुर्क करने तथा उनका प्रबन्ध करने के लिए सरकारी रिसीवर नियुक्त करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 चीनी मिलों में से 4 मिलों को विमुक्त कर दिया है क्योंकि बकाया धन राशि का भुगतान कर दिया है और सरकारी रिसीवर नियुक्त करने से पहले एक अन्य मिल ने भी उक्त धन राशि का भुगतान कर दिया था।

विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकायें

4194. **श्री रवि राय : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित विदेशी दूतावास पत्र तथा पत्रिकायें प्रकाशित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस दूतावास द्वारा कौन-कौन से पत्र तथा पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में लोगों के मन पर पड़ने वाले इन पत्रिकाओं के प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है, जिसमें प्रत्येक दूतावास द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले इस प्रकार के समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या तथा उनकी परिचालन संख्या दी हुई (परिशिष्ट 'क')। प्रदेश विदेशी दूतावास/कार्यालय द्वारा प्रकाशित आवधिक प्रकाशनों के नाम, भाषा, आवधिकता, प्रकाशन स्थान तथा परिचालन संख्या सम्बन्धी ब्योरा 'प्रेस इन इण्डिया 1969', जिसकी एक प्रति 29 अगस्त, 1969 को संसद के दोनों सदनों की मेज़ पर रख दी गई थी, के पृष्ट 485 से 487 तक पर दिया हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

Number of Cattles Slaughtered in Government and Private Slaughter Houses

4195. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of big and small cattle slaughtered in Government and private slaughter-houses and the number of cows and cow-progeny among them ; and

(b) whether Government propose to ensure that goods made of or dyed with cattle-blood are invariably marked "Made of cattle-blood" or "Dyed with cattle-blood", as the case may be ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The number of cattle slaughtered during 1967-68 in authorised houses in the country is reported to be 4,23,646.

(b) Government have no such proposal under consideration.

अन्दमान बन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

4196. **श्री के० आर० गणेश :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान बन श्रमिक संघ ने हड़ताल करने का नोटिस दिया है, यदि हां, तो कब और उक्त संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों की सूची में क्या क्या मांगें की गई हैं ;

(ख) क्या परस्पर समझौता कराने की कार्यवाही आरम्भ हो गई है, और यदि हां, तो कब और समझौता कराने के प्रयासों में कहां तक प्रगति हुई है तथा कौनसी मांगों पर समझौता हुआ है ;

(ग) क्या कुछ मांगों को लेकर एक अथवा दो वर्ष पूर्व भी इस प्रकार का कोई नोटिस दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस समय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी और यह समझौता वार्ता कब पूर्ण होने वाली है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अंदमान सामान्य कर्मचारी संघ की मांगें

4197. **श्री के० आर० गणेश :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान सामान्य कर्मचारी संघ ने अपने नियोजक अन्दमान श्रम बल को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं, यदि हां, तो कब ;

(ख) उस संघ की मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में समझौते की कार्यवाही आरम्भ हो गई है ; और यदि हां, तो कब आरम्भ हुई है ; और

(घ) समझौते की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है तथा किन मांगों के बारे में समझौता हुआ है ; और यह समझौता वार्ता कब पूर्ण होने वाला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). अन्दमान जनरल वर्कर्स यूनियन के अन्दमान प्रशासन को कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं—एक 19-1-70 को और अन्य 3-2-70 को । इन मांगों पर 10-2-70 और 16-2-70 को विचार-विमर्श हुआ, जब अन्तिम दो मांगों को छोड़कर अन्य सभी माँगों पर विचार-विमर्श किया गया और वे लगभग तय हो गई । एक विवरण, जिसमें मांगें तथा अब तक किए गये विचार-विमर्शों के परिणाम दिये गये हैं, सदन की मेज पर रख दिया गया है । शेष दो मांगों पर 25-3-70 को विचार-विमर्श होगा । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2996/70]

Setting up of Water Technological Centre in Indian Agriculture Research Institute

4198. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Atam Das:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Water Techonological Centre in the Indian Agricultural Research Institute with the help of Ford foundation in the Fourth Five Plan ;

(b) whether it it is also a fact that some experts have been called for from America for this purpose ; and

(c) if so, the time by which the said centre would be set up and the benefits to be accrued therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Ford Foundation have obtained the services of two experts viz. (i) Dr. B. A. Krantz and (ii) Dr. L. D. Doneen to serve in the Centre.

(c) (i) Steps have been taken to set up the centre during this year. It will provide training facilities in all aspects of Water Management and at different levels for personnel required to fill important positions in teaching, research and extension in Agriculture Universities, Central and State Research Stations, operations agencies and others.

(ii) To initiate and conduct basic and applied research in all aspects of Water Management.

(iii) To facilitate exchange of information on water management and related problems.

(iv) To promote better use of water.

वर्ष 1969-70 में चावल का निर्यात

4199. **श्री वेदव्रत बरुग्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा इस वर्ष बासमती जैसे बढ़िया किस्म के चावल की कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है तथा उक्त निर्यात का मूल्य क्या है ; श्रौर

(ख) श्रन्य खाद्यान्नों के क्या नाम हैं जिन्हें सरकार का वर्ष 1971 में निर्यात करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969 में 166.51 लाख रुपये के मूल्य का 9199 मीटरी टन बढ़िया बासमती चावल निर्यात किया गया था। चालू वर्ष के पहले दो महीनों में बढ़िया बासमती चावल की निर्यात की गयी मात्रा 3714 मीटरी टन थी श्रौर उसका मूल्य 59.32 लाख रुपये बनता है।

(ख) बढ़िया बासमती चावल श्रौर दालें।

माड्रन बेकरीज में लगाई गई पूंजी तथा उसके उत्पादों की मांग

4200. **श्री प्रेम चंद वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माड्रन बेकरीज़ लिमिटेड में अब तक कितनी पूँजी लगाई जा चुकी है तथा 31 मार्च, 1970 तक व्यापार सम्बन्धी क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है और क्या ये लक्ष्य पूरे होने की सम्भावना है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि कुछ गैर सरकारी विक्रेता जान बूझ कर माडर्न बेकरीज के उत्पादों की बिक्री में बाधा डालते हैं तथा उनके विरोध में प्रचार करते हैं ; यदि हां तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कम्पनी के उत्पादों की बाजार में मांग है, यदि हां, तो वर्ष 1968-69 की तुलना में वर्ष 1969-70 में इस मांग की क्या स्थिति रही, तथा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस कम्पनी की कहां कहाँ तक कितनी शाखायें हैं और क्या सरकार का विचार भारत में सभी महानगरों में इसकी शाखायें खोलने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) माडर्न बेकरीज़ (इन्डिया) लिमिटेड में 2.20 करोड़ रुपये की राशि लगायी गई है। इसमें से 1 करोड़ रुपये सामान्य शेयर पूंजी और 1.20 करोड़ रुपये ऋण के रूप में है। इसके अलावा, कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों से उपहार के रूप में प्राप्त 116 लाख रुपये की कीमत के संयंत्र और मशीनें भी कम्पनी को दी गयी हैं।

1969-70 के लिए कम्पनी ने अपना बिक्री का लक्ष्य 500 लाख मानक डबल रोटियां निर्धारित किया है जिसमें प्रत्येक डबल रोटी 400 ग्राम की होगी। उन्होंने 15-3-70 तक 325 लाख मानक डबल रोटियाँ बेची हैं। आशा की जाती है कि लगभग 70 प्रतिशत तक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। क्योंकि कुछ यूनिटों ने केवल हाल ही में उत्पादन शुरू किया है, अतः उनके सम्भावी उत्पादन और बिक्री का ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है। तथापि, कुछ बढ़ाकर तदर्थ लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसलिए 70 प्रतिशत तक लक्ष्य की प्राप्ति संतोषजनक समझी जाती है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) जी हां। 1968-69 में कम्पनी ने 249.21 लाख मानक डबल रोटियां बेची थीं। 1969-70 में, आशा है कि लगभग 345 लाख मानक डबल रोटियों की बिक्री होगी जोकि 1968-69 के बिक्री के आंकड़े से अपेक्षाकृत लगभग 40 प्रतिशत तक अधिक है।

(घ) और (ङ). अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर और मद्रास में कम्पनी की आठ यूनिटें स्थापित की गई है। कलकत्ता में एक और यूनिट स्थापित की जा रही है। इस प्रकार, कम्पनी ने पहले ही भारत के महत्वपूर्ण शहरों में अपनी यूनिटें स्थापित कर दी हैं।

तम्बाकू के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4201. **श्री सीताराम केसरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तम्बाकू के विकास के लिये एक परियोजना आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य ऐसे राज्यों को भी सहायता देने का है जो इस समय तम्बाकू की खेती नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों को किस सीमा तक वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से निर्यात योग्य तम्बाकू की किस्मों के विकास के लिते आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात तथा तमिलनाडु में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है।

(ख) आंध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात तथा तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय स ायता से वी०एफ०सी० तम्बाकू के विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना 1966-67 से चालू है और चौथी पंच वर्षीय योजना में जारी रखी जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य बड़े क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाने के साथ-साथ प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाकर वी०एफ०सी० तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य निर्यात बाजार में अपेक्षित स्तर के अनुकूल अच्छी किस्म के तम्बाकू का उत्पादन का भी है। इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति खलिहान, प्रत्येक खुदाई के कूएं के लिये अधिक से अधिक 1250 रुपये, पौध के लिये 20 रुपये प्रति एकड़ तथा कीटनाशी औषधियों के लिये 10 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आर्थिक सहायता का सारा व्यय तथा प्रशासन का व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। खलिहान के निर्माण तथा कुओं की खुदाई के लिये भी कृषकों को ऋण मिल सकता है। लेकिन ऋण की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है।

अब तक इस योजना के अंतर्गत 26,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को लिया जा चुका है और इस क्षेत्र से लगभग 75 लाख किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन होने की आशा है। वर्ष 1970-71 के दौरान इसकी खेती के अंतर्गत 8,500 एकड़ भूमि का अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

3. विभिन्न राज्यों में इस योजना के अंतमत किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	किया गया व्यय				1970-71 के लिये प्रस्तावित परिव्यय
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	
1. आँध्र प्रदेश	0.77	8.43	16.02	15.60	14.78
2. मैसूर	0.21	3.26	2.93	4.08	6.00
3. गुजरात	0.28	0.57	1.32	1.36	3.01
4. तमिलनाडु	0.15	0.39	0.36	0.70	1.36
5. महाराष्ट्र	—	—	(175 रु०)	0.24	0.19
6. बिहार	—	—	—	0.16	0.25
7. उड़ीसा	—	—	—	—	0.25
कुल	1.41	12.65	20.64	22.14	25.85*

*1970-71 का व्यय अनन्तिम है और यह अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

(ग) यह योजना महाराष्ट्र, बिहार तथा उड़ीसा में शुरू की गई है जहां पर कि व्यापारिक पैमाने पर वी०एफ०सी० तम्बाकू की खेती की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये समन्वेषी परीक्षण किये जा रहे हैं।

(घ) भाग (ख) की उल्लिखित टिप्पणी में जानकारी दी गई है।

Report of the Programme Evaluation Organisation of Planning Commission on the Cultivation of High Yielding Crops

4202. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has made any study of high-yielding crops ;

(b) if so, the main conclusions arrived at in their report and the recommendations made by them ; and

(c) the steps taken for the development of the cultivation of high-yielding crops ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The main conclusions and the recommendations made by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission in their latest report on the study of High Yielding Varieties. Programme for Rabi 1968-69, are given in the enclosed statement. [*Placed in Library. See* No. LT—2997/70].

(c) Besides intensification of research to evolve such varieties which are disease and pest resistant, high-yielding and acceptable to consumbers, the other steps taken include ; (i) adequate and timely supply of inputs and better water management ; (ii) emphasis on use of recommended does of fertilisers ; (iii) effective plant protection measures ; (iv) organisation of effective and purposeful demonstrations on farmers fields ; and (v) farmers' training along with National Demonstration Programme.

Documentary Films of Rural Agriculture, Health Etc.

4203. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of documentary films concerning agriculture, health etc., of the rural areas produced, so far, by the Films Division ;

(b) the subjects on which these films were produced ;

(c) the arrangements made to exhibit them in the rural areas ; and

(d) the details of the programme chalked out to use the said easiest method for agricultural development and people's uplift in the rural areas ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). The Films Division have so far produced 69 such films. A statement showing titles of such films is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2998/70].

(c) The prints of the films are supplied to Central and State Publicity Organisations to be shown in the rural areas through mobile cinema vans.

(d) To give fillip to agricultural development and popularise use of better methods of agriculture, more documentary films are under production. A statement of such films is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2998/70].

Sick Sugar Mills in the Country

4204. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise number of sick sugar mills in the country ;

(b) the amount of money these mills owe to the canegrowers ; and

(c) the action taken by Government for the smooth-running of these mills so as to protect the interests of workers and cane-growers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected from the State Governments concerned.

(c) The Government have decided to appoint a Committee to study the working of the sugar industry in the context of the demand for its nationalisation. The terms of reference of the Committee will also include the problem of the sick sugar mills.

High-Level Committee to Consider Nationalisation of Sugar Industry

4205. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri G. Y. Krishnan :
Shri Devindar Singh Garcha :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision regarding the appointment of a high-level committee to consider the nationalisation of sugar industry ; and

(b) if so, the terms of reference thereof and the names of its members ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The constitution of the Committee as well as the finalisation of its terms of reference are being processed.

पंजाब के लिये टेलीफोन निदेशिकाओं का प्रकाशन

4206. **श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के लिये टेलीफोन निदेशिकाओं के प्रकाशन के लिये राज्य में बाहर के मुद्रकों को आदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो जिन मुद्रकों को आदेश दिये गये हैं उनके नाम आदि क्या हैं ;

(ख) इन मुद्रकों को किस प्रक्रिया के अनुसार आदेश दिये गये थे ;

(ग) ये आदेश कब दिये गए तथा क्या उन निदेशिकाओं का प्रकाशन निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

मैसर्स एजूकेशनल सप्लाइज डिपो, त्रिवेन्द्रम को निर्देशिका के प्रकाशन के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

(ख) मौजूदा क्रियाविधि के अनुसार देश के उन सभी मुद्रकों को टेंडर काल फार्म भेजे जाते हैं जिनका नाम मुख्य नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामग्री, नई दिल्ली की अनुमोदित सूची में दर्ज होता है । जहां तक संभव होता है कम से कम टेंडर देने वाले मुद्रक को, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण व लेखन समग्री की सिफारिशों पर चुना जाता है ।

(ग) और (घ). आदेश 7 जुलाई, 1969 को दिया गया था । यद्यपि छपाई का कार्य निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार किया गया था, मुद्रक ने वितरण करने में निर्धारित समय का पालन नहीं किया । जैसा कि करार में निर्धारित है, पोस्टमास्टर जनरल, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मुद्रकों पर हर्जाना डाला जाए ।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को फिर से मान्यता प्रदान करना

4207. **श्री स० मो० बनर्जी : श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को फिर से मान्यता प्रदान करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसमें विलम्ब के फलस्वरूप औद्योगिक सम्बन्धों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). अनुशासन संहिता के अन्तर्गत, मान्यता की मांग करने वाली यूनियन को मान्यता प्राप्त होने के पहले एक वर्ष की समयावधि में संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चूंकि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के विरुद्ध इस समयावधि में संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की गई हैं, इसलिए यह निर्णय करने के लिए संघ मान्यता के लिए अधिकारी है या नहीं, इन शिकायतों की जांच की जा रही है। जैसे ही संघ उस पर लगाये गए अभियोगों से मुक्त हो जायेगा, संहिता के अन्तर्गत मान्यता के लिये उसकी सदस्यता की जांच की कार्यवाही शुरू की जायगी।

(ग) जी नहीं।

आकाशवाणी के स्टेशन-निदेशकों के पदों पर पदोन्नतियां

4208. **श्री किरुतिनन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों में जूनियर क्लास-1 अधिकारियों (सहायक स्टेशन निदेशकों) को स्टेशन अध्यक्ष बनाया जाता है जब कि स्टेशन निदेशक के पद वाला सीनियर क्लास-1 अधिकारी (स्टेशन इंजीनियर) सुगमता से उपलब्ध होता है ;

(ख) क्या इस भेद-भाव पूर्ण व्यवहार के बारे में आकाशवाणी के इंजीनियरों ने विरोध प्रकट किया है ;

(ग) क्या मन्त्रालय इस विसंगति-पूर्ण स्थिति को शीघ्र ही दूर करने के लिये कार्यवाही करेगा ; और

(घ) उड़ीसा राज्य के जैपूर में आकाशवाणी के स्टेशन-अध्यक्ष का क्या नाम है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां। जिन केन्द्रों पर केन्द्र निदेशक के पद मन्जूर नहीं किए गए हैं, वहां सहायक केन्द्र निदेशक "कार्यालय अध्यक्ष" के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह विसंगति-पूर्ण स्थिति नहीं है। यह सरकार का नीति निर्णय है कि मूलरूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र का अध्यक्ष कार्यक्रम अधिकारी होना चाहिए।

(घ) श्री जी० टी० राव, केन्द्र इंजीनियर।

International Labour Organisation

4209. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether India is a Member of the International Labour Organisation and the number and names of the countries which are Members of the said Organisation ; and

(b) whether a report of the said Organisation was recently published, and if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes. The present membership of the Organisation is 121. The names of the member countries of the ILO are given in the Annexure. [*Placed in Library. See* No. LT—2999/70].

(b) The International Labour Organisation brings out a member of Reports from time to time. If the title of the particular Report the Hon'ble Member has in mind were mentioned the necessary information would be provided.

Agreement Regarding American Aid for Nutritious Food Schemes

4210. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an agreement regarding American aid in respect of nutritious food schemes has been signed during some days past ; if so, the amount likely to be received from America and the manner in which it is likely to be paid ; and

(b) the details of the said schemes and the places where they would be implemented and the nature of benefit likely to accrue to India therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The total amount provided by USAID under PL-480, Section 104(h) Funds for the nutritious food schemes is to the extent of Rs. 161.28 lakhs, which would be given as a grant to Government of India out of PL-480 funds.

(b) A note furnishing the details of the USAID schemes is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3000/70].

दिल्ली के लिये प्रकाशित दीवारी समाचार-पत्र की लागत तथा उपयोगिता

4211. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक दीवारी समाचार-पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या है तथा इसकी व्यावहारिक रूप में उपयोगिता क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दीवारी समाचार-पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सम्पादित तथा तैयार किया जा रहा है तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपने वर्तमान बजट के अन्तर्गत छापा जा रहा है । इस कार्य के लिये कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है, क्योंकि यह देश की प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये एक प्रयोग के रूप में है । इस पर आरंभिक प्रतिक्रिया उत्साहजनक है ।

प्रशिक्षित वन अधिकारियों तथा रेंजरों की कमी

4212. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रशिक्षित वन अधिकारियों तथा रेंजरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। बन अधिकारियों तथा रेंजरों की प्रशिक्षित करने की समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और इस कार्य के लिए केन्द्र द्वारा देश में स्थापित किए गए वन महाविद्यालयों में अपेक्षित व्यवसायिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बेलगाम में बेकार पड़ा हिन्दी टेलीप्रिन्टर

4213. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक देवनागरी टेलीप्रिंटर बेलगाम कार्यालय (मैसूर राज्य) में ओप्रेटर न होने के कारण बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब प्रयोग में लाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। बेलगाम में उपलब्ध दो देवनागरी टेलीप्रिंटरों का देवनागरी में तारों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Issue of Ration Cards to Labourers in Delhi

42 4. **Shri Jaganath Rao Joshi : Shri T. P. Shah : Shri Sharda Nand : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has not made any arrangements for issuing regular ration cards to the labourers engaged on the construction of Government and private buildings in Delhi and New Delhi ;

(b) if so, whether Central Government would urge upon the Delhi Administration to issue regular cards to the said labourers ;

(c) whether it is also a fact that in the absence of ration cards, the said labourers have to pay more for their consumer goods ;

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the said labourers have not to pay price more than the authorised price ; and

(e) the estimated number of the building labourers in Delhi who do not posses ration cards ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. Permanent food cards are now being issued to all such construction labourers who are living in identifiable premises. However, the floating labour population is issued food cards for a period not exceeding 12 weeks at a time. renewable on expiry. This has been done in order to avoid misuse of foodcards.

(b) to (d). Do not arise.

(e) This information is not available.

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर को बढ़ाना

4215. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड ने अंशदाताओं की भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज की दर को बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान ब्याज दर क्या है तथा कितनी दर की सिफारिश की गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अंशदाताओं को 1969-70 में दी जाने वाली ब्याज की दर 5.50 प्रतिशत थी। सरकार ने न्याय बोर्ड की सिफारिशों को मान लिया है और कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को वर्ष 1970-71 में 5.7 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी के लिए आवश्यक आदेश दे दिये हैं।

Ban on Import of Films with Nude Crime Scenes

4216. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the news item which appeared in the newspapers wherein the statemennt made by him in Calcutta on the 23rd September, 1969 has been published ;

(b) if so, whether Government propose not to allow kissing and nudity in the Indian films in view of the fact that 80 per cent of the people are against granting such permission ; and

(c) whether Government propose to ban on import of all foreign pictures with nude scenes and also those which instigate the students for committing crimes ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) , (a) Yes, Sir.

(b) The entire report of the Enquiry Committee on Film Censorship is under consideration. It will take some more time before final decisions are taken on the recommendations made in the Report.

(c) All films imported into this country for public exhibition have to comply with the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the rules made thereunder which provide for removal of obscene and indecent scenes and scenes which are considered likely to instigate commission of crimes.

यमुना-पार बस्तियों में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरण केन्द्र

4217. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना पार बस्तियों में इस समय कुल कितने दुग्ध वितरण केन्द्र काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन बस्तियों में और अधिक दुग्ध वितरण केन्द्र खोलने की मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां दूध की सप्लाई बढ़ाने तथा नये दुग्ध वितरण केन्द्र खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) पांच ।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय प्रतिदिन 2,55,000 लिटर दूध के परिसंस्करण की व्यवस्था मौजूद है । इन सुविधाओं को बढ़ाकर पहले 300,000 लिटर तक तथा उसके पश्चात् 4,35,000 लिटर तक करने के लिए कदम उठाये गये हैं । दुग्ध वितरण के लिए 35 अतिरिक्त गाड़ियों के क्रय के लिए कार्यवाही की गई है और इन गाड़ियों के लगभग 6 मास में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है । ये सुविधायें उपलब्ध होने के पश्चात् ही यमुना पार बस्तियों में अतिरिक्त दुग्ध वितरण केन्द्र खोले जायेंगे ।

गौतम नगर के दिल्ली दुग्ध योजना दूध वितरण केन्द्र के लिए शाम को दूध की सप्लाई न करने की शिकायत

4218. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गौतम नगर बस्ती के निवासियों को इस कारण बहुत असुविधा होती है कि वहां के हजारों लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए

केवल एक ही दुग्ध वितरण केन्द्र है और उस केन्द्र से केवल सुबह दूध की सप्लाई होती है और शाम को दूध के लिए उन्हें अन्सारी नगर दुग्ध डिपो में जाना पड़ता है जो वहां से बहुत दूर है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस डिपो से शाम को भी दूध की सप्लाई करने का है और यदि हां, तो कब से ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) गौतम नगर स्थित दुग्ध केन्द्र सं० 683-684 की सायंकालीन पारी ने इस सप्ताह कार्य शुरू करना है।

शाम को दिल्ली दुग्ध योजना डिपुओं से दूध की सप्लाई

4219. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण: श्री जय सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के बहुत से डिपोओं से दूध केवल सुबह सप्लाई किया जाता है शाम को नहीं जिसके फलस्वरूप जनता को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि उन्हें दिन की अपनी पूरी जरूरत के लिए सुबह ही दूध लेना पड़ता है और उससे सुबह दूध की कृत्रित कमी भी होती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दूध डिपो कितने हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डिपुओं से शाम को भी दूध की सप्लाई आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). इस समय दिल्ली दुग्ध योजना सुबह 514 तथा शाम को 433 दुग्ध केन्द्रों को चला रही है।

(ग) और (घ). किसी भी दुग्ध केन्द्र के लिए लगभग 300 बोतलों की मांग होनी चाहिए। यह मांग होते ही शेष 81 दुग्ध केन्द्र कार्य शुरू कर देंगे।

रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में अखिल भारतीय किसान मेला तथा कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी

4220. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रपुर में हाल में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला तथा कृषि-औद्योगिक प्रदर्शनी कहीं अन्यत्र भी आयोजित की जायेगी ; और

(ख) क्या हरी क्रांति के लिए दूरगामी परिणामों वाले हाल में विकसित औजारों तथ तकनीकों का वहां जो प्रदर्शन किया गया था उस सारे साज-सामान को रेलगाड़ी में देश में चारों ओर ले जाया जायेगा ताकि किसानों को व्यावहारिक रूप में दिखाया जा सके कि ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के समान अन्य अधिकांश विश्वविद्यालय भी नई टेक्नोलौजी के प्रदर्शन के लिए कृषक मेलों का आयोजन करते रहते हैं। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय अपनी योजना का विकास स्वतन्त्र रूप से स्वयं ही करता है। अतः हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये गये प्रतिमान को दूसरे स्थान पर नहीं दोहराया जाये।

(ख) भारत सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है।

विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के वाणिज्यिक प्रसारण से आय

4221. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से वाणिज्यिक प्रसारणों से इस वर्ष कुल कितनी हुई हैं ; और

(ख) क्या इस वाणिज्यिक प्रसारण कार्यक्रम में विज्ञापन के लिए निर्धारित समय में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) 1969 के कलेन्डर वर्ष के दौरान कुल आय 2,01,73,834 रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य नीति

4222. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की खाद्य नीति में कोई परिवर्तन करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). योजना दस्तावेज के मसौदे में उल्लिखित खाद्य नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) यह सुनिश्चित करना कि उत्पादकों को उचित मूल्य मिले तथा उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिलता रहे।

(2) उपभोक्ता मूल्यों में स्थिरता लाना तथा विशेषकर कम ग्रामदनी के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

(3) उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त बफर स्टाक तैयार करना तथा प्रत्येक वर्ष उपलब्धि में घट-बढ़ को कम करना और मूल्य स्तर में अन्तर-मौसमी स्थिरता लाना।

जिस खाद्य नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसका ध्येय उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।

रबीका (मधुबनी), दरभंगा, बिहार, में एक डाकघर खोलना

4223. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबीका (बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सब डिवीजन) में अब तक डाकघर नहीं खोला गया है जिसके लिए बहुत पहले मंजूरी दे दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1970 से लेकर बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सब डिवीजन में कितने नये डाकघर खोले गये हैं तथा किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). दरभंगा जिला, बिहार के मधुबनी सब-डिवीजन में रबीका में सन् 1913 के आस-पास एक शाखा डाकघर खोला गया था। यह डाकघर अब भी काम कर रहा है। इस डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर बनाने की मंजूरी 1966 में दी गई थी लेकिन उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण यह कार्रवाई पूरी न की जा सकी। पोस्ट मास्टर जनरल फिर से इस मामले की जांच कर रहे हैं।

(ग) दरभंगा जिले के मधुबनी सब-डिवीजन में जनवरी, 1970 से अब तक चार नये डाकघर खोले गये हैं। ये डाकघर मटरस, शाहपुर, सोनारी और हतर रुपोली में खोले गये हैं।

साउथ एवेन्यू स्थित टेलीविजन को अन्यत्र ले जाना

4224. **श्री शिव चंद्र झा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साउथ एवेन्यू टेलीविजन व्यवस्था को आम आदमियों के लिए वहां से हटाकर साउथ एवेन्यू अथवा तीन मूर्ति पर किसी काफी खुली जगह वाले स्थान पर ले जाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रश्न नहीं उठा है।

समाचार-पत्रों तथा पत्रकारों को नई दिल्ली कनाट प्लेस एक्सचेंज एरिया से छूट प्राप्त वर्ग के अंतर्गत दिये गये टेलीफोन

4225. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० पी० मंडल :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट-प्राप्त वर्ग के अन्तर्गत जुलाई 1969 और फरवरी, 1970 के बीच नई दिल्ली कनाट प्लेस एक्सचेंज एरिया में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ;

(ख) उपरोक्त वर्ग के अन्तर्गत कितने अस्थाई कनेक्शन दिये गये और उनमें से कितने कनेक्शनों को स्थाई बनाया गया ; और

(ग) महाराष्ट्र पेपर्स के दिल्ली स्थित कार्यालय में उसे (महाराष्ट्र) सम्बाददाता को स्थाई कनैक्शन न देने के क्या कारण थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एक ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) महाराष्ट्र पेपर्स (मराठा संवाददाता) के नाम में स्थायी टेलीफोन की अभी तक कोई मांग प्राप्त नही हुई है । फिर भी, उनके विशेष संवाददाता (महाराष्ट्र पेपर्स) श्री दीपक वी० आर० चौधरी के निजी नाम में टेलीफोन की मांग 21-1-1969 से 'विशेष श्रेणी' में दर्ज है । कनाट प्लेस एक्सचेंज दिल्ली की विशेष (अर्थात् जिन्हें छूट दी गई है) श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में अभी तक 6-9-1961 तक दर्ज अर्जियों पर ही टेलीफोन दिये गये हैं और श्री चौधरी की अर्जी अभी नहीं आई है ।

Tours by Chief Settlement Commissioner of its Offices

4226. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the various offices of the Regional Commissioners and the offices under their Control toured by the Chief Settlement Commissioner during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 to date and the various dates of his tours ; and

(b) The number of times he toured the Regional offices and the offices under their control during the above period and the various dates on which these tours were undertaken ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The requisite information is given in the statement enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT—3001/70].

Assurance given ky Former Minister Regarding Instaliation of Telephone at the Residence of M. P.

4227. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Minister of Communications had given an assurance in Parliament to instal a telephone at the residence of the Member of Parliament from Agra (Ferozabad) at his residence in his constituency ; and

(b) if so, the reasons for not fulfilling this assurance till now and the time by which a telephone is proposed to be installed at the residence of the said M. P. in his constituency ?

The Minister of State in the Minisrry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) As the facility involves provision of a long distance connection, it can be provided only on special rent basis with a guarantee for its retention for a specified period. The terms and conditions relating to the rent and guarantee were accordingly quoted to the said Member of Parliament but his acceptance of the same has not so far been received.

A Public Call Office is expected to be opened in the concerned Village Chavli in May, 1970. An extension from this Public Call Office can be provided to the said Member of Parliament at his residence when opened if the same is applied for through the Lok Sabha Secretariat in the prescribed manner.

'Man on Moon' Achievement Allegedly Ridiculed by A. I. R.

4228 **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that man's achievement of conquering the Moon was badly ridiculed by the writer's imagination in the feature 'Mansukha Ki Chandrama Par Yatra' in the 'Has Parihas' programme broadcast by A. I. R. Delhi at 7 00 p. m. during February ;

(b) the name of the author of the said feature his qualifications and experience in the field of Science ; and

(c) the name of the person, who approved of this feature for broadcast.

The Minister of Informatiou and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Shri Yasant Yamdagni. He is M. A. (Hindi) with Science upto the Intermediate stage and is in close touch with scientific developments.

(c) Shri B. L. Chaturvedi, Programme Executive and Dr. (Mrs.) Leela Ghosh, Assisant Station Director.

कृषि आयोग की स्थापना

4229. **श्री नरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित कृषि आयोग के सदस्यों के नामों तथा उनकी अर्हताओं का ब्यौरा क्या है और इस आयोग द्वारा अपना कार्य कितने समय में पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर इस समय विचार किया जा रहा है। स्थापना होने पर उसे भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग दो वर्ष लगेंगे।

जापान के तरीके अपना कर चावल उत्पादन में वृद्धि के उपाय

4230. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान जैसे अत्यधिक पहाड़ों वाले देश ने, जहां कुल क्षेत्रफल का लगभग 17 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है, चावल के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि की है ;

(ख) क्या जापान में भी भारत की ही भाँति औसतन छोटे-छोटे आकार के जोत हैं ;

(ग) क्या जापानी किसान अब 20 वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक खाद्यान्न उगाते हैं और उस देश को अब चावल की कमी का नहीं बल्कि बहुलता का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि हम जापान के उदाहरण का लाभ उठा सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) खाद्य और कृषि संगठन के उत्पादन अब्द-कोश के अनुसार 1948-52 के दौरान जापान में चावल (धान) के उत्पादन का स्तर 127 लाख मीटरी टन (वार्षिक औसत) से बढ़कर 1967 में 188 लाख मीटरी टन हो गया।

(ख) खाद्य और कृषि संगठन के उत्पादन अब्द-कोश में दी गई जानकारी के आधार पर जापान में भूमि का औसत आकार 1,2 हैक्टार है।

(ग) जी हां। जापान में एक ओर जहाँ कृषि-कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कम हुई है, वहां दूसरी ओर गत वर्षों की अपेक्षा चावल का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा है। हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि पहले चावल का आयात करने वाले जापान की स्थिति बदल गई है और अब उस देश में चावल का अधिशेष भण्डार है।

(घ) खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से काफी वृद्धि प्राप्त करने के लिए 1966-67 से कृषि विकास की एक नई नीति अपनाई गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस नीति के दौरान इस नीति के अन्तर्गत प्रयत्नों को और गतिमान किया जा रहा है। 'नई नीति' में मुख्यतः निम्न बातें शामिल हैं। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना बहु-फसल, सघन खेती के लिए लधु सिंचाई का विकास, उर्वरक, उन्नत बीज तथा कृमिनाशियों आदि आदानों की आयोजित व्यवस्था करना, सांस्थानिक वित्त, कृषकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसन्धान तथा विस्तार विषयक कार्यों को बढ़ाने सहित समय पर और उदारता से ऋण सुविधायें प्रदान करना।

Damage to Rabi and Paddy Crops in Bihar due to Rains

4231. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy damage has been done to the Rabi crop in several districts of Bihar due to rains in January, 1970 and several other natural calamities ;

(b) if so, the details of the damage done ;

(c) the names of the districts and other areas in Bihar, where both rabi and paddy crops have been damaged and still the farmers are being harassed by issuing them levy notices ;

(d) if so, the action Government propose to take to give relief to the peasants in this regard ; and

(e) in case no action is proposed to be taken the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (e). The required information has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

Setting up of Dairy Farm in Sahabganj and Motipur in Bihar

4232. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have examined the feasibility of setting up a dairy farm near Sahabganj and Motipur in Bihar ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether the reasons for not setting up a dairy farm at the said place is that the place is unsuitable and the resources are not also available ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

भारतीय चलचित्रों में नग्नता और चुम्बन के सम्बंध में धार्मिक संस्थाओं की राय

4233. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये जाने वाले चलचित्रों में तथा रंगमंच पर नग्नता और चुम्बन के दृश्य दिखाये जाने के बारे में भारत की कुछ सुप्रसिद्ध धार्मिक संस्थाओं का परामर्श लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें 'फिल्मों का समाज पर

प्रभाव तथा फिल्म सेंसर के सभी पहलू' विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों/संस्थाओं से ज्ञापन आमन्त्रित किये गये थे। समिति को कुछ धार्मिक संस्थानों से ज्ञापन प्राप्त हुए। समिति ने रिपोर्ट तैयार करते समय उन ज्ञापनों पर विचार किया था। समिति का मंच पर दृश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31-7-1959 को प्रस्तुत की थी। सरकार को भारतीय फिल्मों में नग्नता एवं चुम्बन के विरुद्ध आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, जैन सभा आदि जैसे विभिन्न धार्मिक संस्थानों के विचार प्राप्त हुए हैं। समिति की समूची रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

आकाशवाणी तथा टेलीविजन के स्टाफ आर्टिस्टों (कर्मचारी कलाकार) के काम करने के घण्टे

4234. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के तथा टेलीविजन के स्टाफ आर्टिस्टों (कर्मचारी कलाकारों) के लिए काम के घण्टे निश्चित नहीं हैं ; और

(ख) क्या इंजीनियरिंग सहायक मैकेनिक आदि जैसे अन्य नियमित कर्मचारी सात घण्टे काम करते हैं और उन्हें निश्चत घन्टों के बाद काम करने पर सरयोपरिभत्ता मिलता हैं जबकि उनके सहवर्गी स्टाफ आर्टिस्टों को ओवर टाइम काम करने पर कुछ भी नहीं मिलता ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। काम करने के सामान्य घंटों के उपरांत कार्य करने के लिए कुछ श्रेणियों के नियमित सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भत्ता दिया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में अतिरिक्त समय भत्ते का निर्धारण उनके काम के घण्टे निश्चित हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

स्टाफ आर्टिस्टों (कर्मचारी कलाकारों) की मांगें

4235. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदे किये जाने पर भी गत दो वर्ष से आकाशवाणी के स्टाफ़ आर्टिस्टों की एक भी मांग स्वीकार नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय आकाशवाणी में विभिन्न कर्मचारी संघों तथा कर्मचारी गिल्ड बन जाने के उस स्थिति का लाभ उठा रहा है तथा मन्त्रालय के साथ बातचीत करने के लिये अभी तक उनमें से किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है ; और

(ग) क्या स्टाफ आर्टिस्ट संघ तथा गिल्ड अब मिलकर एक हो गये हैं परन्तु मन्त्रालय उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। मान्यता के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(ग) कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के बीच सम्बन्ध से सरकार का कोई वास्ता नहीं, किन्तु सरकार उनकी उचित मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है।

कन्नानूर केरल में केन्द्रीय राज्य फार्म

4236. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानूर जिले में एक केन्द्रीय राज्य फार्म खोलने का निर्णय किया गया है और उसके लिये 12,000 एकड़ क्षेत्रफल नियत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय राज्य फार्म के बारे में विशेषतः सूरतगढ़ स्थित फार्म से सरकार को क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। केरल राज्य सरकार भूमि अर्जन के लिए कार्यवाही कर रही है।

(ख) कुल 12,000 एकड़ में से 4,000 एकड़ क्षेत्र ही धान की खेती के लिए उपयुक्त होगा। शेष क्षेत्र में नारियल, सुपारी, काजू, अनन्नास, काली मिर्च, जायफल, केला आदि बागान फसलें उगाये जायेंगे, फार्म के लिये रूस सरकार से 31 लाख रुपये की अधिकतम राशि तक बिना कीमत के उपकरण प्राप्त होंगे।

(ग) पूर्ण रूप से देखा जाये तो सूरतगढ़ फार्म का कार्य ठीक रहा है। 1967-68 तक, 12 वर्ष की अवधि में, फार्म से 4.11 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। फार्म की स्थापना से 3,000 एकड़ को कृषि के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है, जोकि पहले खाली पड़ा हुआ था। फार्म ने एक हजार परिवारों को जीविका प्रदान की है और इस क्षेत्र में समृद्धि का प्रसार किया है। फार्म ने देश में कृषि के यन्त्रीकरण के विकास में भी योगदान दिया है। जेतसर, झरसुगुडा, हिसार और रायचूर आदि अन्य केन्द्रीय राजकीय फार्म भी व्यापक रूप से श्रेष्ठ बीजों के उत्पादन के अपने प्रमुख लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त फार्मों के अतिरिक्त एक फार्म को पंजाब के सतलुज वेट क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है, इस कार्य के लिये भूमि तलाश कर ली गई है और आशा हैं कि पंजाब सरकार 1970 के दौरान भूमि का कब्जा दे देगी। असम के मिजो पहाड़ी जिले में पूर्णतः विकास गतिविधि के रूप में एक फार्म की स्थापना का निश्चय किया गया है। आशा है कि यह फार्म इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ कर देगा। इन फार्मों के अतिरिक्त अभी कोई अन्य केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मूल खाद्य पदार्थों का संरक्षण

4237. **श्री वेणी शकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटीन फूड ऐसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा दिसम्बर, 1969 में गठित एक 'वर्कशाप' ने सरकार से मूल खाद्य वस्तुओं के संरक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या इसने यह सुझाव दिया है कि गेहूं तथा गेहूँ से बनने वाली चीजें, चावल, बाजरा, पेय-पदार्थ, चाय नमक तथा बिस्कुट जैसी वस्तुयें इसके अन्तर्गत आनी चाहियें ;

(ग) क्या इसने सरकार से यह भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिये अपेक्षित आयातित वस्तुओं पर विक्रय-कर उत्पादन शुल्क, आयकर तथा सीमा शुल्क की राहत दें ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सुझावों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंबे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ।

(घ) सुझावों पर विचार किया जा रहा हैं। सरकार ने गेहूँ के आटे, माडर्न डबल रोटी और साधारण नमक को पौष्टिक बनाने हेतु पहले ही प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू कर दिया था और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए उचित व्यवस्था की है।

बिहार को खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि

4238. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1969 में बिहार को कितनी मात्रा में चावल की सप्लाई की गई ;

(ख) वर्ष 1970 में बिहार को की जाने वाली सप्लाई में कितनी वृद्धि की जाने की सम्भावना है ; और

(ग) राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह कहां तक पर्याप्त होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969 में, बिहार ने केन्द्रीय भण्डार से चावल की सप्लाई के लिए कोई भी मांग नहीं

की थी और न ही उन्हें चावल सप्लाई किया गया था। वस्तुत: 1969 में, उन्होंने केन्द्रीय भंडार में कुछ चावल दिया था।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि का विकास

4239. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कुल कितने नियतन में से कृषि के विकास पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में कृषि के विकास के लिये कोई विशेष योजना बनाने का है ताकि आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्दे) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1969-74) में बिहार की चतुर्थ योजना के लिए कुल परिकल्पित विनिधान 441.61 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 185.54 करोड़ रुपये कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किये गये थे। निम्न सारणी इन कार्यक्रमों के लिए परिकल्पित विनियोग का पृथक्-पृथक् ब्यौरा प्रदर्शित करती है :—

(प्रारूप) चतुर्थ योजना परिव्यय (1969-74)

	(रुपये करोड़ों में)
1. कृषि उत्पादन	16.19
2. लघु सिंचाई	46.00
3. भूमि संरक्षण	3.00
4. भंडागार और विपणन	0.30
5. सहकारिता	6.00
6. सामुदायिक विकास (पंचायती सहित)	14.75
7. मुख्य सिंचाई	99.30
योग	185.54

क्योंकि बिहार की अन्तिम योजना का आकार समग्रत: योजना के प्रारूप में परिकल्पित योजना से बड़ा है, यह आशा की जाती है कि अन्तिम योजना, कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये अधिक वित्तीय विनिधान रखेगी। अन्तिम रूप से क्षेत्रवार निश्चित विनिधान का अभी निर्णय किया जाना है।

(ख) और (ग). 1966-67 से बिहार सहित सब राज्यों में, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने के लिए कृषि विकास की एक नई नीति अपनाई गई है। मुख्य कार्यक्रम है :—

खाद्यान्नों के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करना बहुद्देशीय फसलें, सघन खेती के लिये सिंचाई, भूमि संरक्षण, उर्वरक और कीटनाशि औषधि जैसे आदानों की संगठित व्यवस्था, संस्थानिक वित्त सहित सामायिक और उदार ऋण की सुविधायें कृषकों की शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसन्धान में तीव्रता लाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों में तीव्रता लाने का प्रस्ताव है।

मनीपुर में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी दरें

4240. **श्री एम० मेघचंद्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अकुशल मजदूरों के लिए मनीपुर सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी दर क्या है ;

(ख) क्या उक्त दर का पुनरीक्षण किया जायेगा ;

(ग) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक खलासियों को उक्त न्यूनतम मजूरी दर से बहुत कम भुगतान किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में खलासी को केवल 75 रुपये मासिक नहीं मिलता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डा० संजीवैया) : (क) घाटी के लिए 2 रु० और पहाड़ी-क्षेत्रों के 2.50 रु० प्रतिदिन है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). जी नहीं।

मनीपुर पंचायती राज विधेयक

4241. **श्री एम० मेघचंद्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर पंचायती राज विधेयक को संसद् के चालू बजट सत्र में पारित करवाने का सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो मनीपुर की भंग हुई विधान सभा में परिचालित विधेयक कब तक लिये जाने तथा पारित किये जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय से उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मणिपुर सरकार ने यह निर्णय किया है कि चूंकि यह विधेयक लोक वाद-विवाद रहित नहीं है, अतः इस मामले पर मणिपुर में नई विधान सभा के पुनर्गठन तथा नया लोकप्रिय मन्त्री मण्डल बनने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

हिमालयन टायल्स', मनीपुर द्वारा स्थापित किये गये उद्योग

4242. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की एक और गैर-सरकारी फर्म द्वारा कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त फर्म ने उद्योगों की स्थापना के लिए तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया है ।

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1969 में अब तक औसतन कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस फर्म से सम्बन्धित प्राधिकारियों की जानकारी के बिना तथा उनकी अनुमति लिये बिना लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों को नियोजित किया गया है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दीं जायेगी ।

मणिपुर में निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता

4243. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को मणिपुर में संगीत, नृत्य तथा नाटक से सम्बन्धित व्यक्तियों से, जो कि इस समय गरीबी की हालत में हैं, वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा आवेदकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन सात व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र 1967 से फरवरी, 1970 तक की अवधि में प्राप्त हुए थे, उनके नामों की सूचो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) ये सभी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये थे, क्योंकि इनमें से किसी भी व्यक्ति ने योजना में निर्धारित सहायता की पात्रता की शर्त पूरी नहीं की ।

विवरण

मणिपुर के ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने 1967 से फरवरी, 1970 की अवधि में वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया

(1) श्री नोंगमेथम थानिन सिंह, माइरांगखोम, चिंगाखाम लीकाई, डाकखाना इम्फाल।

(2) श्री लैसराम लूखोन सिंह, कैसम्योंग सितांम वीकाई, इम्फाल।

(3) श्री वहेंगबान नीगथैमजाओ सिंह, क्वाकैथाल लीमाजाम लीकाई, इम्फाल।

(4) श्री सोराम अंगाहान सिंह, लेगालाम्बी थाकेल लीकाई. इम्फाल।

(5) श्री लीमापोकपाम हरचन्द्र सिंह, क्वागेमपाली नगाफ्किोंग, इम्फाल।

(6) श्री फुराईलतमाम शाहनाहाँबी शर्मा, माइरांग थौणीराक, सनजन्मस्थान, कीम्सथोंग, इम्फाल।

(7) श्री लेशराम टोइगोन सिंह, लेम्बोयबा खोंगनान्खोंग इरोयसेम्बा, मामांग लीकाई, इम्फाल।

सहकारी विभाग, मनीपुर के निरीक्षकों में असंतोष

4244. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी विभाग, मनीपुर के निरीक्षकों को वेतन के मामले में आसाम सहकारी विभाग के कनिष्ट निरीक्षकों के बराबर रखे जाने तथा उन्हें आसाम के निरीक्षकों को मिलने वाले भत्ते जिसमें मकान किराया भत्ता शामिल है, न दिये जाने पर उनमें भारी असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) क्या इन निरीक्षकों ने मनीपुर सरकार को व्यक्तिगत रूप से कई बार अभ्यावेदन दिये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार इस मामले पर कोई विचार कर रही है और क्या उनके वेतन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). मणिपुर में कर्मचारियों के वेतन-मान पदों के वर्तमान साम्य के आधार पर पुनरीक्षित किए गए हैं। मणिपुर तथा आसाम में इन पदों के पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान तथा कर्त्तव्यों को देखते हुए मणिपुर में निरीक्षकों के पद असम के कनिष्ट निरीक्षकों के बरावर माने गए हैं। अतः सरकार के लिए इन पदों के वर्तमान साम्य में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालय

4245. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विश्व विद्यालय काम कर रहे हैं और वे कहां-कहां हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में कितने विश्वविद्यालय खोले जायेंगे और उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) इस समय देश में 12 कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनके स्थान निम्न प्रकार हैं :

1. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर (उत्तर प्रदेश), 1960।
2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब), 1962।
3. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान), 1962।
4. उड़ीसा कृषि तथा तकनौलोजी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा), 1962।
5. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश), 1964।
6. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), 1964।
7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हैबल (मैसूर), 1964।
8. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 1965।
9. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, पूना (महाराष्ट्र), 1968।
10. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकौला (महाराष्ट्र), 1969।
11. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (असम), 1969।
12. हरियाणा कृषि विद्यालय, हिसार (हरियाणा), 1970।

(ख) निकट भविष्य में निम्न विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(1) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बिहार)—12 फरवरी, 1970 से राष्ट्रपति अधिनियम (1970 की अधिनियम संख्या 11) के रूप में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 बनाया गया है। बिहार सरकार उत्तरवर्ती कार्यवाही कर रही है। विश्वविद्यालय के स्थान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय—गुजरात राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में एक अधिनियम सितम्बर, 1969 में पास किया गया था, परन्तु उसके स्थान के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) केरल कृषि विश्वविद्यालय—केरल राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक कृषि

विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है और उसे मानुथी (त्रिचुर) में स्थापित करने का निर्णय किया है ;

4. मद्रास कृषि विश्वविद्यालय—तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

Provision of Telephones for Police Stations of Dacoit Infested Districts of Tikamgarh and Chhatarpur in M. P.

4247. **Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Tikamgarh and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh have been affected bo the dacoit meanace for the last 20 years ;

(b) whether it is also a fact that a demand has been made to connect all the police stations of this dacoit infested area with the district headquarters with telephone lines ;

(c) whether it is also a fact that phonogram facilities have been provided at some of the police stations ; and

(d) whether Government would provide telephone connections for all the police stations instead of provide phonogram facilities so that direct link could be maintained with the district authorities ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) This department has referred the case to Ministry of Home Affairs.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. Telegraph facility on Phonogram basis has been provided at some places having police stations but the facility has been provided in the post offices at these places and not in the Police Stations.

(d) Telephone facility in the Post Offices at stations having police station can be provided only if the proposals work out to be remunerative or in case of loss, some interested party agrees to indemify the loss to the department separately in each case. Telephone connections can also be provided at police stations if State Government agrees to take these on rent and guarantee terms.

Direct Telephone Link between Bina-Lalitpur and Jatara-Maruranipur-Chhaturpur in Madhya Pradesh

4243. **Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that repeated demands are being made for providing direct telephone connection between Bina-Lalitpur and Jatara-Maruranipur-Chhaturpur in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the reasons for delay in this regard ; and

(c) whether Government would provide this facility without any delay ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is already a direct trunk working between Bina and Lalitpur. For the other two routes no demand has been received for providing direct circuits.

(b) Does not arise.

(c) Provision of direct circuits depends on adequacy of Trunk Traffic. Present Traffic would not justify provision of direct lines between Jatara PCO and Lalitpur and Mauranipur and Chhatarpur. Some will be considered wnen traffic rises sufficiently.

वेलियाथुरा (केरल) में उबले चावल उतारने के कारण हुई हानि

4249 **श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी, 1970 को केरल के राजस्व मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि श्रमिक संघों की आपसी वैमनस्यता के परिणामस्वरूप, जिस कारण लादने उतारने का काम बन्द हो गया था, वेलियाथुरा में भारतीय खाद्य निगम के तीन गोदामों से 1400 मीटरी टन उबला चावल नहीं निकाला जा सका था ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) कार्मिक संघों की आपसी वैमनस्यता तथा ऐसे अवरोधों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) हानि, यदि कोई होती भी है, तो वह लम्बी अवधि के लिए भण्डारण से हुई क्षति के कारण होगी और आशा है कि वह हानि नाम-मात्र की होगी।

(ग) केरल सरकार ने दोनों ट्रेड यूनियनों के बीच चल रहा विवाद विवचाक को सौंप दिया है।

(घ) जी नहीं।

Delay in Delivery of Letters with Address in in Hindi Non-Hindi Speaking Areas

*4250. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in non-Hindi speaking areas the letters with the names of the addresses in Hindi either do not reach the destination at all or reach there late ;

(b) if so, whether Government have taken or propose to take any steps to remove this shortcoming ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if so, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Government are aware that in a very few cases letters addressed in Hindi to non-Hindi areas sometimes reach a little late.

(b) and (c). Under the Departmental rules, addresses in Hindi on letters intended for non-Hindi areas are to be transcribed into English by the offices of posting at the special transcription centres in the R M.S. This procedure, at times, entails a little delay, by one mail.

Arrangements are also in hand for teaching Hindi to all clerical grades in P & T offices.

(d) Does not arise.

Mobile Post Office in States

4251. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of mobile post offices functioning in various States in the country ;

(b) whether Government would consider increasing their number in view of public convenience ; and

(c) if so, the target fixed therefor for this future ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 17.

(b) and (c). It is proposed to introduce 14 more Mobile Post Offices during the Fourth Plan period in cities in B-2 class and Head Quarter stations of State Governments provided there is justification for the same and the departmental standards are fulfilled.

Complaint by Labour Unions of Beas Sutlaj Link Project to Chief Labour Commissioner Delhi Regarding Violation of Factory Act by the Management during Strike Period

4252. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Labour Unions of the Beas Sutlaj Link Project, Himachal Pradesh have lodged a complaint with the Chief Labour Commissioner, Delhi regarding the violation of some of the sections of the Factory Act by the management during the strike in the said project ;

(b) if so, the names of the said Unions ;

(c) whether Government have enquired from the Chief Labour Commissioner, Delhi in this regard ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The Organising Secretary Beas Sutlaj Link Karamchari Sangh Sunder Nagar (Himachal Pradesh) sent a letter dated 13-2-70 to the Labour Inspector (Central) Chandigarh, complaining about violation of certain provisions of the Factories Act, 1948, by the Beas Sutlaj Link Project, Sunder Nagar. As the Factories Act is administered by the State Governments, the Assistant Labour Commissioner (Central) Chandigarh, has advised the Sangh to take up the matter with the Himachal Pradesh Government.

(c) and (d). Do not arise.

Delivery Zones in Indore District and City

4253. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Delivery Zones functioning in Indore district and in Indore city in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government consider that there is a shortage of these zones in view of constant expansion of the city ;

(c) whether Government propose to set up more such zones so as to cover all the areas conveniently ; and

(d) if so, the time by which the said zones would be get up ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is only one town in Indore district *viz.* Indore city where delivery zone nos. have been allotted to the delivery post offices. They are 4 at present.

(b) No, Sir. The number of delivery zones is adequate.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Demands by All India Class III and IV Employees of P & T Department for Class 'A' Post Office at Indore

4254. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Class III and Class IV Posts and Telegraphs Employees Union have passed a resolution urging upon the Government that a Class 'A' Post office be set up at Indore and that arrangements be made for delivering dak by motorcar ; and

(b) if so, Government's reaction thereto and also the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) This Department is not aware of any such resolution.

(b) Does not arise.

Employees Working Against Posts Carrying Pecuniary Benefits

4255. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of officers, category-wise, in the Departments and Attached Offices under his Ministry who have been working against the posts carrying additional pecuniary benefit for the last three years ; and

(b) the reasons for which they have not been trasferred in pursuance of the Home Ministry's D.O. Letter No. 11/3/57-O & M dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) One Night Duty Assistant in the Department of Rehabilitation.

(b) No other Assistant in that Department is willing to perform Night Duty.

संचार विभाग में अतिरिक्त लाभ वाले पदों से अधिकारियों का स्थानान्तरित किया जाना

4256. **श्री मोलहू प्रसाद : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन संचार विभाग तथा संलग्न कार्यालयों में गत तीन वर्षों से अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर एक ही स्थान पर कार्य कर रहे अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; और

(ख) गृह मंत्रालय के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 11/3/57 ओ० एण्ड एम० दिनांक 6

सितम्बर, 1957 के अनुसार उनको किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Transfer of Officers Working on Posts Carrying Extra Gains

4257. **Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the category-wise number number of officers who have been working at the same place on the posts carrying extra gains for the last three years in the various departments and attached offices under his Ministry ; and

(b) the reasons for not transferring them elsewhere in accordance with Home Ministry's D.O. Letter No. 11/3/57 O & M dated 6th September, 1957 ?

The Ministry of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त लाभ पाने वाले पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों का स्थानांतरण

4258. **श्री मोलहू प्रसाद : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीनस्थ सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या 11/3/57 ओ० एण्ड० एम०, दिनांक 6 सितम्बर, 1957 के अनुसार उनको अन्य स्थानों पर स्थानांतरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह :) (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल० टी०—3002/70] ।

Conference of Non-Officials of Village, Block and Districts Levels and Assistance by Centre

4259. **Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received the scheme of holding conference of non-officials at village, block and district levels ; and

(b) if so, the nature of assistance so far provided by the Centre in connection with the State and District level conferences as also the number of such conference held ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) Yes, Sir. We have a scheme of holding Sammelens at the village, block, district and State levels.

(b) Central assistance for this scheme is limited to Rs. 10 per participant for the district level Sammelans and Rs. 20 per participant for the State level Sammelans. No assistance is provided to State Governments for the village level or block level Sammelans. So far, a sum of Rs. 2,06,680 has been released to the State Governments under the scheme during the year 1969-70. Information in regard to the number of Sammelans so far held during the year is being collected from the State Governments and would be laid on the Table of the House when received.

Withdrawal of Recognition of All India Insurance Employees Association and Victimisation of L.I.C. Employees

4260. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitiation** be pleased to state :

(a) whether the All India Insurance Employees Association is the most important representative association of the Insurance employees ;

(b) whether the Life Insurance Corporation has withdrawn the recognition of the said Association :

(c) if so, the number of employees of the Life Insurance Corporation who have been victimised by removal, suspension or stoppage of increments ; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). The recognition of the Association was withdrawn in November 1968 for a year consequent on certain breaches of the Code of Discipline established against it. It has since put forward its claim for fresh recognition, which is awaiting further action—in regard to verification of its present strength—in the context of certain further breaches of the Code which has since been alleged against it and which are under investigation. The present representative character of the Association is, in the circumstances, yet to be determined. However, according to the available information, no employees of the Life Insurance Corporation has been victimised by removal, suspension or stoppage of increment.

वनस्पति तेलों का आयात तथा वितरण

4262. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सोयाबीन तेल तथा भेड़ बकरी की चरबी का समय पर आयात न कर सकने के कारण वनस्पति तेलों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने सौराष्ट्र की अपनी हाल की यात्रा के दौरान लोगों को इन चीजों की शीघ्र सप्लाई का आश्वासन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो कितना आयात किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) तेलों तथा चरबी के वितरण कार्यक्रम का यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) गत कुछ सप्ताहों से वनस्पति के तेलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह वृद्धि सोयाबीन तेल अथवा चर्बी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण हुई है। इन दोनों के स्टाक अब भी राज्य व्यापार निगम तथा प्रयोगकर्ताओं के पास उपलब्ध हैं तथा उनका आयात भी किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सोयाबीन तेल वनस्पति कारखानों को वनस्पति तैयार करने में विशिष्ट स्तर पर उसमें मिलाने तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को परिष्कृत तेल तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वार किए गए आवंटन के अनुसार साबुन निर्माताओं तथा चर्बी एसिड निर्माताओं में चर्बी वितरित की जा रही है ।

दिल्ली में कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने का नोटिस

4263. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री देवेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पांच बड़ी कपड़ा मिलों के कर्मचारियों ने फरवरी, 1970 के बाद हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों की मांगें पूरी करवाने के लिए अपनी सद्भावना का उपयोग करने का है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी हां, दिल्ली की पांच कपड़ा मिलों के श्रमिकों ने मजूरी दरों और महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा कुछ अन्य सुविधाओं के लिए अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रबंधकों को हड़ताल का नोटिस दिया था ।

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग की मध्यस्थता के फलस्वरूप 26 फरवरी, 1970 को संबंधित पक्षों के बीच समझौता हो गया ।

विदेशी फर्मों के माध्यम से सरकारी विज्ञापन

4264. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री सूरज भान :**
श्री शारदा नंद : **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में विदेशी फर्मों के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों का वितरण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में इन फर्मों के माध्ययम से कितने विज्ञापन वितरित किये गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एयर इण्डिया तथा अन्य सरकारी सांविधिक निकाय इस कार्य के लिए विदेशी फर्मों का प्रयोग करते रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन विदेशी फर्मों के माध्यम से विज्ञापन का वितरण क्यों कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में गेहूँ तथा सब्जियों का उत्पादन

265. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कृषि योग्य भूमि के 65 प्रतिशत भाग में अधिक उपज देने वाली गेहूँ की किस्म उगाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में गेहूँ का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) सब्जी उगाने के जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि में सब्जी उगाई गई है ; और

(घ) दिल्ली में गेहूँ और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) जी नहीं । दिल्ली में कृषि योग्य भूमि का केवल 40 प्रतिशत भाग गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत है ।

(ख)

वर्ष	गेहूँ का कुल उत्पादन
1966-67	47,000 मीटरी टन
1967-68	74,000 मीटरी टन
1968-69	68,964 मीटरी टन

(ग) लगभग 35,650 एकड़ भूमि के क्षेत्र में सब्जियां बोई हुई हैं ।

(घ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) गेहूँ का अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीज तथा सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशी औषधियों आदि की सप्लाई ;

(ii) बैंकों के द्वारा ऋण की व्यवस्था, तथा तकावी ऋण ;

(iii) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा नलकूपों आदि के लिए बिजली के कनेक्शनों के विषय में प्राथमिकता देना ; और

(iv) किसानों का प्रशिक्षण ।

राजस्थान के जालौर जिले में नलकूप लगाया जाना

4266. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०एन०डी०पी० (एस०एफ०) प्रोजेक्ट ने जालौर (राजस्थान) में 200 नलकूप लगाने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यदि नहीं, तो उपर्युक्त प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से कब प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार ने यू० एन० डी० पी० (एस० एफ०) के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना जालौर में सीमित संख्या में नलकूप लगाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र जहां प्रति वर्ष अकाल पड़ रहा है, के विकास के लिए इस परियोजना के महत्व को देखते हुए क्या सरकार बिना और प्रतीक्षा किये इस को अपने नियन्त्रण में ले लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा प्रारम्भ की गई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) परियोजना का लक्ष्य जालौर जिले सहित राजस्थान के चुनीदा क्षेत्रों में भूमिगत जल का मूल्यांकन और अध्ययन करना है। परियोजना के अन्तर्गत जालौर क्षेत्र में कार्य पूरा हो चुका है। अन्तिम प्रतिवेदन के लिये आकड़ों का सकलन, जिसमें कि जालौर क्षेत्र में की गई जाँच पड़ताल का परिणाम भी सम्मिलित है, पूरा हो चुका है। आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) राजस्थान सरकार से अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है।

कृषि सम्वर्द्धन कार्य सम्बन्धी अनुसंधान पर कागजी कार्यक्रम करने के लिए कार्यवाही

4267. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक जन-शक्ति अनुसन्धान संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कृषि सम्वर्द्धन कार्य में लगे अधिकारी कागजी कार्य पर आवश्यकता से अधिक घण्टे खर्च कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह अध्ययन केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों के कार्य पर भी लागू होता है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं कि कागजी कार्य कम हो और अधिकारी कृषि कार्य में अधिक समय लगा सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

सोवियत लैण्ड और अमरीकन रिपोर्टर छापने वाली प्रिंटिंग फर्में

4269. **श्री समर गुह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित रूसी तथा अमरीकी राजनयिक दूतावासों के लिए जिन छापाखानों से अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं में 'सोवियत लैण्ड' तथा 'अमरीकन रिपोर्टर' मुद्रित कराया जाता है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन राजनयिक दूतावासों द्वारा इन मुद्रणालयों अथवा अन्य मुद्रणालयों से और किस प्रकार की पुस्तकें, पत्र अथवा पत्रिकाएं प्रकाशित कराई जाती हैं ;

(ग) क्या ये मुद्रणालय किसी राजनीतिक दल अथवा दलों अथवा राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसे राजनीतिक दल अथवा दलों और ऐसे राजनीतिक दलों के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) इन राजनयिक दूतावासों द्वारा इन मुद्रणालयों के प्रति फर्म किस दर से राशि दी जाती है और इन मुद्रणालयों को वार्षिक कुल कितनी धन-राशि दी जाती है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). उन मुद्रणालयों की एक सूची संलग्न है जहां से भारत में स्थित रूसी तथा अमरीका के दूतावासों द्वारा समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। इन दूतावासों द्वारा देश में मुद्रित तथा प्रकाशित पुस्तकों तथा ब्रोशरों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। [**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल०टी०-3003/70।]

(ग) से (ङ). इस मामले में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा चलचित्र दिखाये जाना

4270. **श्री समर गुह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा भारत में निर्बाध रूप से दिखाई जाने वाली फिल्मों, न्यूजरीलों और सिनेमा की अन्य फिल्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या ये फिल्में इन मिशनों द्वारा स्वयं दिखाई जाती हैं अथवा इन मिशनों के मित्र संगठनों द्वारा दिखाई जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन मित्र संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या ये मित्र संगठन धन एकत्र करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग करते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर 35 मिलीमीटर का वृत्त चित्र

4272. **श्री समर गुह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960-61 तक पश्चिम बंगाल के जन-सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर 35 मिलीमीटर का वृत्त चित्र दिखाया जाता था ;

(ख) क्या इस विभाग के पास उपर्युक्त फिल्म के कई प्रिंट हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों ने भी इस फिल्म को प्रदर्शित किया था ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल प्रचार विभाग के निदेशक के आदेशों से इस फिल्म को ज़ला दिया गया था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस फिल्म में त्रिपुरा कांग्रेस और आजाद हिन्द आन्दोलन में नेताजी के कार्य से सम्बन्धित नेताजी के दुर्लभ चित्र हैं और यदि हां, तो इस फिल्म का प्रिंट प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (घ). नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर डाकुमेंट्री फिल्म आई० एन० ए० डिफेंस कमेटी द्वारा बनाई गई थी, जिसे लगभग सभी राज्यों के व्यावसायिक सिनेमा-घरों में प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म पश्चिम बंगाल के कुछ सिनेमा-घरों में 1947 में दिखाई गई थी। इस फिल्म के स्थानीय फिल्म वितरकों ने 1951 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की श्रव्य दृश्य गाड़ियों के माध्यम से जिलों में अव्यवसायिक प्रदर्शन के लिए तीन फटी पुरानी प्रिंटों का प्रस्ताव किया था।

(घ) जो प्रिंट फटी पुरानी स्थिति में थीं वे निट्रेट आधार स्टाक पर थी और उन्हें आग लगने का खतरा था। इसी कारण इन प्रिंटों को नष्ट कर दिया गया था। क्योंकि फिल्म मूलरूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की नहीं थी, और न ही इस फिल्म का नैगेटिव पश्चिम बंगाल में उपलब्ध था, अतः एसीटेट आधार सामग्री पर इस फिल्म की प्रति नहीं बनाई जा सकी।

(ङ) पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित रूपांतर में त्रिपुरी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं था। पश्चिम बंगाल के वितरकों से अथवा अन्य स्रोतों से इस फिल्म की प्रतियां पाने के प्रयत्न अभी तक असफल रहे हैं।

सहकारी समितियों के कार्य की जांच

4273. **श्री हेम बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी समितियों के कार्य की कोई जांच की गई है ; और

(ख) क्या इस जांच से कुछ अनियमितताओं का पता चला है और यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सहकारी समितियों की विशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिए समितियाँ नियुक्त की गई हैं ; तथापि, अलग-अलग सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच करना सम्बन्धित राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के पंजीयकों की सांविधिक जिम्मेदारी है । भारत सरकार ने 1964 में श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता इसके लिए एक समिति नियुक्त की थी:

(क) विभिन्न किस्म की सहकारी समितियों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए मानक और कसौटियां निर्धारित करना और नकली समितियों को समाप्त करने और भविष्य में उनका पंजीकरण रोकने के लिए उपाय सुझाना ;

(ख) वर्तमान सहकारी कानूनों, नियमों और पद्धतियों की समीक्षा उन खामियों का पता लगाने के लिए करना जोकि स्वार्थपरत लोगों को सहकारी संस्थाओं में घुसने का रास्ता देती हैं और ऐसे स्वार्थपरत लोगों के निरसन और प्रतिरोध के लिए वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करना ;

(ग) सहकारिता आन्दोलन में आत्म-निर्भता और स्वतः नियमन की भावना विकसित होने में रुकावट डालने वाले तत्वों की जांच करना और उपयुक्त उपचार सुझाना ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मिर्धा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1965 में प्रस्तुत की । इसने कहा था कि यद्यपि सहकारी आन्दोलन समग्र रूप से ठीक रास्ते पर बढ़ रहा है, तथापि, ऐसी कमियां तथा दोष हैं जिन्हें सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तरों पर स्तर्क प्रशासन तथा पर्यवेक्षण से सफलता-पूर्वक दूर किया जा सकता है । समिति ने इनकी सिफारिश की—खुली सदस्यता, महाजनों, व्यापारियों तथा अन्य बिचौलियों का बहिष्कार, लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध तथा स्वतन्त्र लेखा-परीक्षा अभिकरण, योग्यता-प्राप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के सामान्य संवर्गों का निर्माण, सामान्य निकाय के नियमित चुनाव तथा बैठकें और सहकारी समितियों के सदस्यों तथा कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये प्रर्याप्त प्रबन्ध, ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई थीं और 1965 में हुए राज्य सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा इनका सामान्यतः अनुमोदन किया गया

था : तथापि, इनकी कार्यान्विति में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई थी। भारत सरकार द्वारा 1967 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों की सीमा का पता लगाने के लिए एक द्रुत अध्ययन भी किया गया था। सहकारी आन्दोलन में निहित स्वार्थों की इस समस्या पर जून, 1968 में हुए मुख्य मन्त्रियों तथा राज्य सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में विस्तार से विचार किया गया था। सम्मेलन में निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया, जिनमें ये भी शामिल थे :

1 यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा सहकारी समितियों की सदस्यता से महाजनों तथा व्यापारियों और अन्य बिचौलियों को बहिष्कृत करना।

2 प्राथमिक समितियों में खुली सदस्यता के सिद्धांत को कड़ाई से लागू करना।

3 प्रबन्ध मण्डल में छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण करना।

4 एक ही संस्था में दो से अधिक कार्यकालों के लिए और एक साथ दो से अधिक संस्थाओं में पद ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध।

5 समितियों के पदधारियों को दिए जाने वाले ऋणों का व्यवस्थापन करना।

6 स्वतन्त्र प्राधिकारी द्वारा नियमित चुनाव।

7 लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना।

8 प्रशिक्षित प्रबन्धकीय कार्मिकों के संवर्गों का निर्माण करना।

9 कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम बनाना।

10 कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना।

इस मन्त्रालय द्वारा ये सिफारिशें राज्य सरकारों को सूचित की गई थीं। इन पर जो कार्यवाही की गई उसकी समीक्षा 6 व 7 जून, 1969 को नई दिल्ली में हुए सहकारी समितियों के पंजीयकों के सम्मेलन और 30 जून, 1969 तथा 1 जुलाई, 1969 को बंगलौर में हुए सहकारिता के प्रभारी राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई।

कुछ राज्यों ने मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सहकारी समिति अधिनियमों/नियमों में संशोधन किये हैं। कुछ अन्य राज्यों ने राज्य कानूनों में किए जाने वाले व्यापक संशोधनों का अध्ययन करने के लिए समितियां नियुक्त की हैं।

डाक व तार विभाग के वर्क चार्ज काम के लिए रखे गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों की जांच

4274. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 702 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दरभंगा (बिहार) में बजराह, महेकिया आदि में डाक घर खोला जाना

4275. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिला (बिहार) में बजराहा (बिस्फी), महेकिया (खजौली) और दामोदरपुर (बनीपट्टी) में शाखा डाकघर खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). दरभंगा जिले के महेकिया (खजौली) में एक शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जाच पूरी की जा चुकी है । गोवरूरा का सबसे नजदीक का डाकघर महेकिया से $1\frac{1}{2}$ मील की दूरी पर है । चूंकि विभागीय मानक पूरे नहीं उतरते इसलिए महेकिया में केवल तभी डाकघर खोला जा सकता है जब कोई इच्छुक पार्टी गैर-वापसी अंशदान के रूप में महेकिया में डाकघर खोलने पर डाकघर को होने वाले अनुमानित घाटे और मूल डाकघर के अतिरिक्त घाटे की रकम को पूरा कर दे । पहले वर्ष का यह अनुमानित घाटा 1253 रुपये 76 पैसे है । अभी तक किसी भी व्यक्ति ने यह रकम अदा नहीं की है । बजराहा (बिस्फी) और दामोदरपुर (बनीपट्टी) में शाखा डाकघर खोलने के प्रस्तावों की अभी जांच हो रही है ।

दरभंगा के लिए आकाशवाणी केन्द्र

4276. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के मिथिला (दरभंगा, बिहार) प्रसारण केन्द्र की स्थापना संबंधी परियोजना की कार्यान्विति का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) दरभंगा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की योजना मंजूर कर दी गई है ।

(ख) स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर लगाने के स्थान का चयन कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का निर्यात

4277. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1969 में विभिन्न देशों को कितनी चीनी का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार को विदेशों की मांगों के अनुसार चीनी का निर्यात करने में सफलता मिली है ; और

(ग) चीनी के इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ग). 1969 में, देशवार, निर्यात की गई चीनी की मात्रा और उससे अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

देश	निर्यात की गई मात्रा (मी० टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक निःशुल्क अर्जित की गई अनुमानित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
1 संयुक्त राज्य अमेरिका	68,550	7.55
2 यू० के (एन०पी०क्यू०)	25,400	2.17
जोड़ :	93,950	9.72

(ख) चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के कारण संयुक्त राज्य चीनी अधिनियम और राष्ट्रमण्डल चीनी करार के अन्तर्गत अपने अनिवार्य आश्वासनों को पूरा करने के लिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यू० के० (एन०पी०क्यू०) की अधिमान्य मण्डियों को 1969 में चीनी निर्यात की गई थी।

दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली बम्बई सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4278. **श्री राम किशन गुप्त : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली-बम्बई में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली-बम्बई के बीच ट्रंक डायलिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है। दिल्ली और

बम्बई में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं और कलकत्ता का ट्रंक स्वचल एक्सचेंज 1972 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली-बम्बई के बीच सीधी डायलिंग प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए स्विचिंग उपस्कर और परिपथों की कुछ सीमायें हैं। विभाग ने इन पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की है।

औद्योगिक संगठनों में घेराव की घटनाओं में वृद्धि

4279. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संगठनों में घेराव की घटनाओं में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी संजीवैया) : (क) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, हाल के वर्षों में औद्योगिक संगठनों में घेरावों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में 1969-70 की पहली तिमाही में ही घेरावों की संख्या वर्ष 1968-69 में हुए घेरावों की संख्या से अधिक थी।

(ख) घेरावों का सम्बन्ध स्पष्टतः शान्ति और सुव्यवस्था से है, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के दण्डनीय अपराध हो सकते हैं। उस प्रसंग में उनका सम्बन्ध प्रधानतः राज्य सरकारों से है। जहां तक औद्योगिक विवादों पर उनके प्रभाव का सम्बन्ध है, यह मामला मई, 1967 में हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक के सामने आया था और समिति ने औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए डराने-धमकाने के तरीकों को जिनमें घेराव (गलत रूप से घेरना) शामिल है, उचित नहीं ठहराया। राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दे दी गई है।

हाल की वर्षा का फसलों पर प्रभाव

4280. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों पर हाल की वर्षा के प्रभाव का अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फसलों को इससे लाभ अथवा क्षति हुई है ; और

(ग) यदि क्षति हुई है तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सूखे-दौरे के पश्चात् मध्य-जनवरी तथा फरवरी के दौरान हुई वर्षा से रबी की खड़ी फसलों को आमतौर पर लाभ पहुंचा है, परन्तु बताया जाता है, कि उसके पश्चात मूसलादार वर्षा और ओलावृष्टि से हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली के कुछ भागों में फसलों पर किसी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फसलों

पर इस वर्षा तथा ओलावृष्टि के प्रभाव का कोई पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु मौसम तथा फसल की परिस्थितियों से सम्बन्धित गुणात्मक रिपोर्टों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में 1969-70 के दौरान रबी खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अधिक होने की सम्भावना है। रबी फसलों के उत्पादन के पक्के आंकड़े कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त, 1970 में प्राप्त होंगे।

Allegation of Bribery Against an Executive Engineer (Electric) P & T Department

4281. **Shri Yashpal Singh :** **Shri Arjun Singh Bhadoria :** **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C.B.I. caught the Executive Engineer (Electric) of the Posts and Telegraphs Department red handed while accepting bribe ;

(b) whether it is also a fact that the C.B.I. had applied their seal on the hundred-rupee note accepted by him ;

(c) if so, whether the said Executive Engineer is still continuing on his post when according to the Union Home Ministry rules such person could not in any case be allowed to continue ; and

(d) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government against the said officer and the time by which this action is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. The C.B.I. laid a trap and recovered from the Executive Engineer (Electrical) P & T, a currency note of Rs. 100 alleged to have been given to him as bribe.

(b). No. The serial number of the currency note of Rs. 100/ produced by the complainant was noted in the memo, prepared in the presence of witnesses and the currency note was also treated with Phenolpthelene powder and given back to the complaint for being passed on to the Executive Engineer (Electrical), P & T.

(c) and (d). The question of suspension is under consideration and a decision will be taken soon.

हरियाणा रेडियो स्टेशन

4283. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा रेडियो स्टेशन के लिये स्थान चुनने के कार्य को तब तक के लिये स्थगित कर दिया है जब तक कि हरियाणा की नई राजधानी के लिये स्थान नहीं चुन लिया जाता ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेडियो स्टेशन बनाने के लिए कोई अन्य स्थान चुना गया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) रोहतक।

हरियाणा के सूखाग्रस्त क्षेत्र

4284. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा के उन तीन जिलों की शोचनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है जो कि बुरी तरह से सूखाग्रस्त हैं ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी का अभाव है ;

(ग) लोगों को इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या पेय जल, खाद्य तथा चारे की सप्लाई के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल, हरियाणा में सूखे से प्रभावित कोई भी क्षेत्र नहीं है।

(ख) से (घ). राज्य के कुछ क्षेत्रों में पेय जल की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने उपयुक्त योजनायें शुरू की हैं। तथापि, राज्य में खाद्य पदार्थ और चारे के सम्बन्ध में कोई गम्भीर संकट नहीं है।

Utilisation of Land between Block 11 and 12 of Gita Colony, Jheel Khuranja, Delhi

4285. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land lying between block 11 and 12 Gita Colony, Jheel Khuranja, Delhi is in the occupation of the Department of Rehabilitation and that the Delhi Municipal Corporation has taken a decision to construct a shopping centre at the said place ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Municipal Corporation has many times written to the Union Government to transfer this land but it has not so far been transferred ; and

(c) if so, the reasons for delay in this regard, and the time by which this land is likely to be transferred ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Production of Variety of Oranges and Bananas which are Popular in Foreign Countries for Export

4287. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those types of oranges and bananas which are popular in foreign countries have not so far been produced in the conutry ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to encourage the farmers in the country to produce the types of oranges and bananas which are popular in the foreign countries, with a view to boost our export ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Production of international variety of seedless mandarin called "Satsuma Orange" of Japan, known for canning, and "Robusta" and "Dwarf Canvendish" varieties of banana have been taken up for export purposes. Incentives like long-term loans are being given to the growers for cultivation of these crops. Some other international varieties of these fruits are also under trial.

Telephone Bills Outstanding in Madhya Pradesh

4288. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total amount of arrears in respect of telephone bills in Madhya Pradesh at present ;

(b) the amount, out of the above arrears, which is due against Government subscribers ; and

(c) the action taken to realize the said arrear ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) As on 1-1-1970, a sum of Rs. 40.20 lakhs was in arrears on account of telephone bills issued upto 30-9-1969.

(b) Rs. 10.57 lakhs.

(c) Action such as correspondence and personal contact with subscribers, disconnection of telophones and finally legal action where necessary, are taken with a view to realize the dues.

Acreage under Multiple Cropping in Madhya Pradesh

4289. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the year-wise increase during the last three years in area of land in Madhya Pradesh where more than one crop has been grown ; and

(b) whether the said increase in the area was due to the fact that there had been an increase in the irrigation facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The following table gives figures of areas sown and irrigated in Madhya Pradesh during the three years 1966-67 to 1968-69 (the latest year for which the data have been received) :—

Items	1966-67	1967-68	1968-69	Percentage increase (+) or decrease (—) in 1967-68 over 1966-67	1968-69 over 1967-68
	(Thousand hectares)				
Net area sown	17205	17798	18074	(+) 3.4	(+) 1.6
Gross area sown.	18336	19653	19912	(+) 7.2	(+) 1.3
Area sown more than once.	1131	1855	1838	(+)64.0	(—) 0.9
Net irrigated area.	1089	1143	1309	(+) 5.0	(+)14.5
Gross irrigated area.	1113	1162	1363	(+) 4.4	(+)17.3
Area irrigated in more than one season.	24	19	54	(—)20 8	(+)184.2

Progress in area sown more than once depends upon a variety of factors, such as, increase in irrigation, programme of multiple cropping, pattern of rainfall, and seasonal factors, which influence the acreages under irrigation as well as under crops in a particular year, etc.

Production and Cansumption of Oil-Seeds in Madhya Pradesh

4290. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent of year-wise increase in the production and consumption of oil-seeds and the extent to which acreage of their cultivation has increased during the last 3 years in Madhya Pradesh ; and

(b) whether the said increase is due to the good season or due to certain other factors ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The following table gives the figures of area and production of five major oilseeds* in Madhya Pradesh for three years ending 1968-69 :

	1966-67	1967-68 (Partially revised)	1968-69 (Final)	Percentage increase (+) or decrease (−)	
				in 1967-68 over 1966-67	in 1968-69 over 1967-68
Area ('000 hectares)	1429	1551	1547	(+) 8.5	(−) 0.3
Production ('000 tonnes)	307	561	427	(+)82.7	(−)23.9

*Groundnut, castorseed, sesamum, rapeseed and mustard and linseed.

Data regarding actual consumption of oilseeds in Madhya Pradesh is not available.

(b) Increase in area and production during 1967-68 was due to favourable weather conditions and progress of development programmes. Decline in production during 1968-69 is attributed mainly to antimely and inadequate rains during the period of growth.

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों पर हुआ व्यय

4291. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन श्रेणियों के अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन लगाये जाते हैं ;

(ख) उन अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी के ऐसे टेलीफोनों पर औसतन वार्षिक व्यय कितना होता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष 1969 के अन्त तक सभी हकदार केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के टेलीफोनों पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सामान्य प्रथा के अनुसार उप-सचिव और इसके ऊपर के पदाधिकारियों और इनके बराबर के अधिकारियों को उनके घर पर टेलीफोन सुविधा दी जाती है। नीचे के स्तर पर, मंत्रियों और सचिवों के निजी स्टाफ और संसद-सहायकों को यह सुविधा दी जाती है। दूसरों के लिए यह सुविधा कर्मचारी को उसके काम की जरूरत के मुताबिक दी जाती है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने तथा खुले में पड़े रहने से अनाज की हानि

4292. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों को खुले में लाने ले जाने तथा वर्षा में खुले पड़े रहने के कारण अनाज की कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की (रुपयों में) हानि हुई ; और

(ख) सरकार ने आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टि में रखते हुए इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1967, 1968 और 1969 में खुले वैगन में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा क्रमशः लगभग 447, 9195 और 2609 मीटर टन थी। 1967 के दौरान हुई क्षति लगभग 1,60,000 रुपये आंकी गई थी। 1968 और 1969 वर्षों के दाने अभी भी वाहक के पास लम्बित पड़े हैं और इसलिए इन वर्षों में हुई क्षति को बताना अभी सम्भव नहीं है।

(ख) मार्ग में खाद्यान्नों के उचित बचाव के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा बंद वैगनों में ले जाना ;

(2) खाद्यान्नों को ढोने वाले खुले वैगनों और ट्रकों को अच्छी तिरपालों से ठीक प्रकार से ढकना और रस्सियों से बांध देना ; और

(3) केवल साफ मौसम में ही खुले वैगनों में खाद्यान्नों का लदान किया जाना और उसे मार्ग-रक्षकों के साथ ब्लाक रेक में ले जाना ताकि रास्ते में उनकी उचित देख-भाल सुनिश्चित की जा सके।

भारत तथा अन्य देशों में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन

4293. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका, रूस, मैक्सिकों, आस्ट्रेलिया और भारत में खाद्यान्नों का प्रति एकड़ कितना औसत उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत प्रति एकड़ उत्पादन के मामले में बहुत पीछे है ;

(ग) भारत में प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सन् 1965 से 1967 तक की अवधि के लिये अमरीका, रूस, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया और भारत में कुछ मुख्य खाद्यान्नों की फसलों की प्रति हैक्टार औसत उपज को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत में औसत उपज उपरोक्त देशों की औसत उपज से प्रायः कम है।

(ग) 1966-67 से शुरू की गई कृषि विकास सम्बन्धी नई नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों की कुल तथा प्रति हैक्टार उपज बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। दूसरी बात का संबंध अधिक बड़े क्षेत्र में अधिक उत्पादनशील किस्मों के बोये जाने, मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, उर्वरकों, उन्नत बीजों और कीटनाशक औषधियों जैसे आदानों का आयोजित व्यवस्था और अनुसंधान तथा विस्तार के तीव्रीकरण से है। ये कार्य-क्रम चौथी पंच वर्षीय योजना में और भी गतिमान किए जा रहे हैं।

विवरण

सन् 1965 से 1967 तक अमरीका, रूस, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य खाद्यान्नों का प्रति हैक्टर उत्पादन

(किलोग्राम सैकड़ों में)

फसल	वर्ष	अमरीका	रूस	मैक्सिको	आस्ट्रेलिया	भारत
चावल (धान)	1967	51.0	31.9	26.5	71.9	15.5
	1966	48.4	28.7	24.3	69.7	13.0
	1965	47.7	26.9	22.6	61.4	13.0
गेहूं	1967	17.4	11.6	28.0	8.3	8.9
	1966	17.7	14.4	23.5	15.1	8.2
	1965	17.9	8.5	24.0	10.0	9.1
मक्का	1967	49.3	26.3	12.0	22.5	11.2
	1966	45.4	26.1	10.9	23.4	9.6
	1965	46.3	25.3	11.2	15.7	10.0
जौ	1967	21.9	12.9	10.0	7.9	8.3
	966	20.7	14.4	8.3	3.8	9.0
	965	23.1	10.3	8.5	10.2	9.4

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़े एफ० ए० ओ० प्रोडक्शन ईयर बुक, 1968 में दी गई जानकारी पर आधारित है। भारत के सम्बन्ध में ये आंकड़े आंशिक रूप से संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं और उन वर्षों के सामने लिखे गए हैं जिनमें मुख्य फसलें काटी जाती हैं।

भारत में जिला परिषदों का ढांचा

4296. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकार ने देश में प्रत्येक राज्य में जिला परिषदों के गठनात्मक वित्तीय तथा प्रशासनिक ढांचे को समान रूप देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) और (ख). भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम को एक सामान्य रूप देने का प्रश्न सामुदायिक विकास व सहकारिता विभाग के लिये संसद की सलाहकार समिति की दिनांक 26 सितम्बर तथा 10 दिसम्बर, 1969 को हुई बैठकों में उठाया गया था। उसमें यह बताया गया था कि पंचायती राज एक राज्य विषय है और सभी राज्यों के लिए एक समान पंचायत अधिनियम (जिसमें जिला परिषदें भी सम्मिलित होंगी) न तो सम्भव है और न वांछनीय ही।

News Regarding 'Bombay Bandh' not Included in Hindi News Bulletin of A. I. R. on 2-3-1970

4297. **Shri Deven Sen :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 2nd March, 1970 at 11 a. m. no refernce was made of "Bombay Bandh" while a reference to this effect was made in the English Bulletin ;

(b) whether it is also a fact that Hindi and English News bulletins are mostly not similar ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The news bulletin in Hindi broadcast at 10.50 hours on March, 2, 1970, did not mention about the Bombay Bandh. But the English bulletin broadcast at 10.55 hrs. made a mention of it.

(b) and (c). Bulk of the items in Hindi and English news bulletins are common. There are, however, some variations because of different timings and full of news at those times.

क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया उड़ीसा का क्षेत्र

4298. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना के क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास के लिए उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या उडीसा सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित विकास के लिए चुने गये किसी कमान क्षेत्र को सम्मिलित करने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक सघन विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है उसके अन्तर्गत मण्डी विषयक उलझनों और आस-पास के क्षेत्रों से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों का व्यय केन्द्रीय क्षेत्र से पूरा किया जायेगा और राज्य सरकारें अन्य आवश्यक सेवाएं तथा आदान उपलब्ध करेंगी। यह कार्यक्रम ऐसे नये विकसित एवं सिंचित परियोजना क्षेत्रों के लिए है जहां सिंचाई क्षमता का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया गया था। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के लिए पांच कमाण्ड क्षेत्र चुने गये थे और उनके लिए प्लान में 7.50 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था। मई, 1969 में उड़ीसा सरकार ने हीराकुड, महानदि तथा सेलान्दी के कमाण्ड क्षेत्रों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में 140.20 लाख रुपये के व्यय का एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह कार्यक्रम केवल कुछ चुंनिदा कमाण्ड क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है। परन्तु कार्यक्रम का दृष्टि कोण राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया गया था और उनसे चुंनिदा कमाण्ड क्षेत्र के बारे में ऐसी विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था जोकि और अधिक वित्तीय सहायता मिलने की स्थिति में सुगमता से अपनाई जा सके। अभी तक ऐसी परियोजना की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ और कमाण्ड क्षेत्रों को जिनमें विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से सिंचाई-एवं-कृषि परियोजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, उन कमाण्ड क्षेत्रों की सूची में तत्काल शामिल कर दिया गया है जहां कि यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है। अभी तक इस कार्यक्रम में उड़ीसा के किसी क्षेत्र को शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उपयुक्त अवसर आने पर उनके अनुरोध को ध्यान में रखा जायेगा।

खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार

4299. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गत एक वर्ष से खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में घाटा उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों के विवरण पर इसलिए हानि होती है क्योंकि उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न सुलभ करने के लिए इन खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य लागत मूल्य की अपेक्षा कम रखे जाते हैं। अत: यह हानि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के विवरण में निहित राज-सहायता के रूप में है।

Issue of Employees Provident Fund Deposit Receipts to Mica Mines Labourers in Rajasthan

4300. **Shri Ramesh Chandra Vyas : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that receipts for the Provident Fund deductions made from the labourers working in the Mica Mines of Rajasthan have not been issued to them for the last two years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to ensure that such receipts are issued to these labourers every month as also the action proposed to be taken by Government against the officers found responsible for not issuing the receipts ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the direct concern of the Government of India. The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) The annual statements of accounts of all the workers of the Mica Mines in Rajasthan State who are members of the Employees' Provident Fund have been issued up to the financial year 1968-69.

(b) Does not arise.

(c) The annual statements of accounts are required to be issued to the members of the Employees' Provident Fund only after the close of each financial year.

विदेशों में भारतीय मूल वंश के भारतीयों के उत्तराधिकारियों के नाम में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण

4301. **श्री रामावतार शर्मा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशों में रहने वाले भारतीय मूलवंश के उन लोगों की कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है, जिनके पास राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि इन प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित व्यक्तियों के, जिनके, नाम यह प्रमाण पत्र है, उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि यद्यपि श्री कुल भूषण शर्मा के पिता श्री बी० पी० शर्मा जो नीरोबी कीनिया में एक दैनिक समाचार पत्र नेशन के संवाददाता हैं,

1966 में मर गये थे, परन्तु उनके पुत्र के नाम में बचत प्रमाण पत्र अभी तक भी हस्तांतरित नहीं किये गये हैं, यद्यपि चार वर्षों का समय बीच चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) स्व० श्री वी० पी० शर्मा के नाम के राष्ट्रीय बचत पत्रों के निपटान का सिर्फ एक मामला नौरोबी से मृत धारक के पुत्र श्री कुल भूषण से प्राप्त हुआ हैं ।

(ख) जिस मामले का हवाला भाग (क) में दिया गया है, वह विचाराधीन है ।

(ग) दावेदार से वैध उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के साथ दावे के पूरे कागजात मई, 1969 में प्राप्त हुए थे । दावे के प्रमाण-पत्रों में से 1 इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि वह गुम हो चुका था । इसलिए प्रमाण-पत्र की एक दूसरी प्रति जारी करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जानी थी । इस कार्य के लिए विधिवत गैर-अदालती टिकट लगा हुआ और दावेदार द्वारा हस्ताक्षर सम्पन्न क्षतिपूरक बांड 16 जनवरी, 1970 को प्राप्त हुआ था । प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति तैयार कर ली गई है । इसकी नैरोबी स्थित दावेदार के पास हस्ताक्षर करके इसे वापस करने के निमित्त भेजने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी गई है । जैसा कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, उनके नाम में खोले जाने वाले उनके खाते में दूसरे प्रमाण-पत्र के मूल्य की अदायगी करने की कार्यवाही उनके द्वारा भरे गये आवश्यक आवेदन कार्ड के प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

(घ) विभाग को जैसे ही वैध कागजात के साथ दावे के सभी पत्र प्राप्त हो जाएंगे, दावों का निपटान अविलम्ब कर दिया जायेगा ।

Employees Reinstated after September, 1968 Strike

4302. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees reinstated among those who had been suspended in connection with the 19th September, 1968 strike of the Central Government employees ;

(b) whether it is a fact that the employees who have been reinstated are being paid salary less than that they used to get before the strike ; and

(c) if so, the reasons therefor and the percentage of reduction made in their salary ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 4,193.

(b) and (c). No, Sir. No employee gets less pay on reinstatement unless a penalty of reduction to a lower stage in the time scale, grade, post or service is imposed on him under the Classification, Control and Appeal Rules.

Discontinuance of Commercial Broadcasts

4303. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from the listeners to the effect that the Commercial Broadcasts are boring and as such should be discontinued ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Some criticism of Commercial service has come to Government's notice.

(b) It is Government's constant endeavour to improve these programmes.

1970-71 में उर्वरक का आयात

4304. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में कितने उर्वरकों का आयात करने की आवश्यकता होगी ;

(ख) गत वर्ष किये गये आयात की तुलना में ये आंकड़े कितने कम अथवा अधिक हैं ; और

(ग) किन देशों से तथा कितने उर्वरक का आयात किये जाने की सम्भावना है और यदि इस सम्बन्ध में पहले ही कोई करार हो चुके हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). सन् 1970-71 के लिये देश की उर्वरकों के आयात की जरूरतों का राज्यों और विनिर्माताओं की सलाह से क्षेत्रीय बैठकों में मूल्यांकन किया जा रहा है। अन्तिम क्षेत्रीय बैठक इस वर्ष मार्च के अन्त में होगी। राज्यों के पास भण्डारों और देशी उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए अन्तिम आयात जरूरतों का हिसाब लगाया जायेगा। आयात की जरूरतों के बारे में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् आर्थिक कार्यविभाग की सलाह से देश के लिए उर्वरकों के आयात कार्यक्रम के बारे में निर्णय किया जायेगा। और उस समय आर्थिक कार्यविभाग को आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए कहा जायेगा।

(ख) पिछले वर्ष 1969-70 में निम्नलिखित मात्राओं के लिये आयात समझौते किये गये :

नाइट्रोजन	6.73 (लाख मीटरी टन)
पी O_5	1.07 " "
के O	1.08 " "

संसद की कार्यवाही का आकाशवाणी से प्रसारण

4305. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आकाशवाणी के विभिन्न बुलेटिनों में संसद् के दोनों सदनों की कार्यवाही के प्रसारण के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो सदस्यों ने चर्चा के दौरान सदनों के विभिन्न पक्षों और सदस्यों द्वारा व्यक्त किये जाने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में क्या मांगें रखी गई हैं ; और

(ग) बैठक में कही गई बातों और दिये गये सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). संभवता माननीय सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी सलाहकार समिति की 11 फरवरी, 1970 की बैठक के बारे में कह रहे हैं। उस बैठक में संसदीय कार्यवाहियों को आकाशवाणी द्वारा समाचार बुलेटिनों तथा 'टु डे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में प्रसारित करने के मामले में भेदभाव बरतने के बारे में बात उठाई गई थी। उस बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आकाशवाणी इन कार्यवाहियों को निष्पक्ष रूप से प्रसारित करती है तथा आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों और 'टु डे इन पार्लियामेंट' में शासकीय दल के सदस्यों की अपेक्षा विरोधी दलों के सदस्यों को अधिक समय दिया गया है। एक सदस्य ने यह आरोप भी लगाया था कि आकाशवाणी द्वारा संसद में गड़बड़ करने वाले सदस्यों को स्वस्थ टिप्पणी करने वाले सदस्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है।

(ग) सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार नोट कर लिए गये हैं।

विदेशों की तुलना में भारत में उर्वरकों का ऊंचा मूल्य

4306. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पाकिस्तान, जापान, अमरीका, इंग्लैंड और रूस की तुलना में मूल्य कैसा है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरकों का मूल्य सबसे अधिक है ;

(ग) इतने ऊंचे दाम होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार कृषि क्रांति के नारे को यथार्थ स्वरूप देने के लिए उर्वरकों के मूल्यों को कम करने हेतु आर्थिक सहायता देगी और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत में और पाकिस्तान, अमरीका और इंग्लैंड में किसानों द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों का औचित्यपूर्ण तुलना केवल 1967-68 वर्ष के लिए सम्भव है, क्योंकि मूल्यों के बारे में सूचना इन देशों में उस वर्ष के लिए उपलब्ध है। रूस में प्रचलित मूल्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत, पाकिस्तान, अमरीका और इंग्लैंड में प्रचलित मूल्य अधोलिखित हैं :

		(रुपये प्रति मीटरी टन न्यूट्रियेन्ट)	
देश	अमोनियम सलफेट	यूरिया	म्यूरियेट आफ सलफेट
भारत	2343	1826	555**
पाकिस्तान (पूर्व) (क) 1966-67	1282	1035*	—
पाकिस्तान (पश्चिम) (क) 1966-67	1627	1642	—
अमरीका	2160	1800	735***
इंग्लैंड (ग)	1342	—	682†***+

टिप्पणी : दिदेशों में उर्वरकों के मूल्य एफ० ए० ओ० प्रोडक्शन ईअर बुक 1948 से लिये गये हैं। इन देशों में वर्तमान मूल्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(क) पूर्व पाकिस्तान में 53 प्रतिशत और पश्चिम पाकिस्तान में 50 प्रतिशत उपदान मूल्यों में सम्मिलित हैं।

(ख) 45 प्रतिशत क$_2$O से ऊपर। भारत में गोदाम से बाहर भेजते हुए मूल्य है।

(ग) इंग्लैंड में मूल्य उपदान से रहित हैं। अमोनियम सल्फेट के लिए प्लान्ट न्यूट्रियेन्ट का प्रति मीटरी टन उपदान 564 रुपये प्रति मीटरी टन है।

*—40 प्रतिशत एन

**—60 प्रतिशत के$_2$O

*** 45 प्रतिशत के$_2$O से ऊपर

† निकटतम रेलवे स्टेशन पर मूल्य + —उत्पादन नहीं

(ख) भारत में तुलनात्मक रूप से अमोनियम सल्फेट और यूरिया के मूल्य ऊंचे हैं और म्यूरियेट आफ पोटाश के सम्बन्ध में मूल्य कम हैं।

(ग) समुद्री भाड़े के अधिक होने के कारण आयातित उर्वरकों के मूल्य प्रायः ऊंचे हैं क्योंकि प्रतियोगी दरों पर अधिकाधिक आर्थिक खरीदों के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्य भी, आयातित मशीनरी की कीमतें और कभी-कभी जानकारी-प्रक्रिया के कारण, ऊंचे हैं। सरकार का विचार मूल्यों में आर्थिक सहायता देने का नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कहा है कि आदानों को, जिन में उर्वरक भी सम्मिलित है, आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिये। केन्द्रीय उर्वरक पूल बिना लाभ-हानि के आधार पर चल रहा है। केन्द्रीय उर्वरक पूल के हाल ही के वित्तीय पुनरीक्षण के फल-स्वरूप, आयातित अमोनियम सल्फेट का मूल्य 10 रुपये प्रति मीटरी टन कम कर दिया है और रंगित या चूर्णीकृत आयातित अमोनियम सल्फेट के विषय में पिछले छः महीनों में 100 रुपये प्रति मीटरी टन मूल्य कम किया है। उर्वरकों के प्रयोग से किसान आजकल सन्तोषप्रद उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और सरकार की मूल्य सहायता नीति किसान को उसकी लगी पूंजी पर पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित करती है।

Check on Foreign Fishermen Catching Fish in Indian Ocean

4307. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign fishermen catch fish in the Indian seas and carry away a large quantity of Indian fish ; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted to check this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Countries exercise exclusive fishing rights only within the limits of their territorial waters. Areas beyond territorial waters are open to fishing by other nations also. Vessels of other nations as well as Indian vessels

fish beyond these limits. India has however proclaimed the right to establish conservation zones for the purpose of avoiding indiscriminate exploitation of resources up to a distance of one hundred nautical miles from the outer limits of the territorial waters. Only Indian vessels are permitted to fish within Indian territorial waters. Violations of India's fishing rights within territorial waters have been occassionally reported in such areas as the seas around the Andamans and Laccadives but such reports are infrequent.

(b) Some patrolling of the seas is carried out around the Andamans to prevent poaching in territorial waters. The limits of the territorial waters of India were extended in 1967 from 6 miles to 12 miles, one of the objects being to provide exclusive rights to natural resources in the additional water area. The most effective action which can be taken to ensure that the rosources of the Indian ocean are utilized to India's advantage is to develop India's own deep sea fishing capability. India has natural operational and economic advantages over distant nations in fishing in the Indian ocean. Several measures have already been taken in this direction by providing the infra-structure for a deep sea fishing industry by intensifying deep sea resources surveys, construction of deep sea fishing haxbours and organization of deep sea fishing vessel construction, finances for fishing projects and training of personnal.

Import of Wheat Seeds

4308. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat seed, out of the total quantity of wheat, imported in the country from abroad during the last agricultural year ;

(b) the quantity of wheat seeds imported during the current year ; and

(c) the steps taken by Government to stop import of wheat seeds ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). There was no import of wheat seeds during the last agricultural year and during the current year.

(c) Does not arise.

दिल्ली में राशन की दुकानों को गेहूँ देना

4309. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की राशन की दुकानों में देशी गेहूँ उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने की खेती वाली भूमि में कमी

431 . **श्री देविन्दर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में काफी कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, गन्ने की खेती कितने एकड़ों में की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, गन्ने की खेती जितनी भूमि में की गई वह निम्न प्रकार है :

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टार हजारों में)
1967-68	2,046.5
1968-69	2,460.7
1969-70 (दूसरा अनुमान)	2,541.3

महाराष्ट्र में कृषि का विकास

4311. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई कुल राशि में से कितनी राशि कृषि के विकास पर व्यय की जायेगी ;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में कृषि का विकास करने के लिए सरकार का कोई विशेष योजना बनाने का विचार है ताकि आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में महाराष्ट्र की चतुर्थ योजना के लिए कुल परियोजित नियतन 811.80 करोड़ रुपये का था जिसमें से 288.28 करोड़ रुपये कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किये गये । निम्नलिखित सारणी इन कार्यक्रमों के लिए परियोजित परिव्यय का पृथक्-पृथक् ब्यौरा प्रदर्शित करती है :

प्रारूप चतुर्थ योजना विनियोग (1969-74)

	(रुपये करोड़ों में)
1. कृषि उत्पादन	45.00
2. लघु सिंचाई	65.00
3. भूमि संरक्षण	30.00
4. क्षेत्र विकास	3.50
5. संग्रहागारण और विपणन	0.85
6. सहकारिता	12.00
7. सामुदायिक विकास (पंचायतों सहित)	8.00
8. वृहत् सिंचाई	123.93
कुल	288.28

क्योंकि महाराष्ट्र की अन्तिम योजना का कुल आकार प्रारूप योजना में परियोजित योजना से बड़ा है, अतः आशा की जाती है कि अन्तिम योजना में कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों के लिए अधिक वित्तीय नियतन रखा जायेगा। अंतिम रूप से क्षेत्र वार सही नियतन का निर्णय अभी होना हैं।

(ख) और (ग). 1966-67 से महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने के लिये कृषि विकास की एक नई नीति अपनाई गई है। मुख्य कार्यक्रम ये हैं :

खाद्यान्नों के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करना, बहुद्देशीय फसल, सघन खेती के लिये सिंचाई, भूमि संरक्षण, उर्वरक और कीटनाशक औषधियों जैसे आदानों की संगठित व्यवस्था, संस्थात्मक वित्त सहित सामायिक और उदार ऋण की सुविधायें कृषकों की शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसन्धान में तीव्रता लाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को गतिमान करने का प्रस्ताव है।

भारत में टेलीविजन के विस्तार के लिए जापान से सहायता

4312. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को टेलीविज़न के विस्तार करने में सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नही उठते।

पुस्तकों वाले वी० पी० पी० पैकटों पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क को हटाने का अनुरोध

4313. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संघों के महासंघ ने पुस्तकों वाले वी० पी० पी० पैकटों पर से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क को हटाने की मांग की है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में जन साधारण पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पारेषण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशेष सेवा के लिए रजिस्ट्री प्रसार लिया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के परियात के लिए अलग-अलग दरें नियत करना संभव नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन डाक-तार शुल्कदर जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित है और यह सेवा की वास्तविक लागत से सम्बद्ध है। इस समय डाक-तार विभाग पुस्तकों वाले प्रत्येक वी० पी० पैकेट पर लगभग 79 पैसे का घाटा उठा रहा है। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक पैकेट सेवा पर इस समय भी वर्षभर में लगभग 24 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

इस लिए फेडरेशन के सुझाव पर विचार करना संभव नहीं है।

आकाशवाणी द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान सभा की कार्यवाही का अपर्याप्त संवाद प्रसारित किया जाना

4314. **श्री यशपाल सिंह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान जम्बू तथा कश्मीर विधान सभा के सदस्यों द्वारा की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि 5 मार्च, 1970 को आकाशवाणी ने विधान सभा की कार्यवाही का जो संवाद प्रसारित किया था वह गलत और अपर्याप्त था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस शिकायत की जांच की है ;

(ग) इस मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) विधान सभा की बैठक की कार्यवाही जैसी घटनाओं का आकाशवाणी द्वारा कवर किया जाना सदा उपलब्ध समय की सीमाओं के अन्दर रहता है और समाचारों को प्रसारण में उनके सामाचारिक महत्व के आधार पर शामिल किया जाता है।

(घ) सवाल नही उठता।

Strike in Delhi Hotels

4315. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the prominent hotels in Delhi have been observing strike since the 27th February last ;

(b) if so, the main demands of these employees ; and

(c) the steps being taken by Government to consider their demand sympathetically?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). There was a day's token strike by the hotel employees on February 27, 1970 to press their demands for implementation of the recommendations of the Wage Board set up by the Delhi Administration and certain other matters. The list of their demands is enclosed.

(b) Labour Department, Delhi Administration, have already taken up the issue in conciliation with a view to bringing about a settlement between the parties. A settlement has already been reached in the case of Ashoka Hotel.

STATEMENT

1. Full and progressive implementation of Wage Board ; extension of Wage Board benefits to Catering Units upto the working strength of 10 workers ; extension of Wage Board benefits to the workmen working in the allied works such as Ice Cream Factories etc.
2. Arrears of Wage Board be paid after its full and progressive implementation and as per the full and progressive pay scales, w.e.f. 11.7 67.
3. The welfare fund is being misused by the managements and this part of the workers share out of the service charges is being denied to the workers. The same be therefore distributed among the workers equally.
4. Food Allowance be given to all the categories of workmen both in Restaurants and Hotels of every class w.e.f. 11.7.1967.
5. Tae management are exploiting the workmen by designating them as helpers and assistants, paying them lesser wages while taking skilled duties from them. The loss of wages so caused be made good and the mode of this exploitation be stopped forthwith.
6. The classification of the Hotels and Restaurants as it appears in the Wage Board is not accurate and has placed the Hotels and Restaurants in classes lower than they deserve. The Classes of the Hotels and Restaurant be reviewed and they be placed in appropriate higher classes.
7. Workers of Clubs, canteens and Messes are also catering workers in all respects and they are also entitled to the benefits of the Wage Board. Such workers be therefore also extended the benefits of Wage Board.
8. 15 Medical Leaves per annum with wages be given to the workers in addition to the Casual leaves, to be accummulated upto 60 days.
9. 30 privilege leaves with pay be given to the workers per annum, to be accommulated upto 90 days.
10. Service Charges percentage in Restaurants be reviewed.
11. Workers be provided with living accommodation.
12. Free Medical Facilities and Treatment be extended to the workers at management's expense.
13. Promotions be made from ranks and new recruitment should be at lower ranks.
14. Additional increments be given to old employees in implementation of Wage Board pay scales.

15. Maternity Leave of 3 months with pay be given to female workers.
16, Facilities for Periodical Trade Training and refresher Training be provided to existing workmen at the management's expenses.
17. Gratuity Scheme be introduced in all catering establishments.
18. Scheme for workers participation in Management be enforced.
19. Stop the Temporary system and Temporary should be made permanent.

Allocation to Madhya Pradesh for Purchase of Machinery and Agricultural Implements

4316. **Shri S. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount allocated to Madhya Pradesh for the purchase of machinery and agricultural equipments in the Annual Plan for the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : An outlay of Rs. 2.26 crores has been approved by the Planning Commission for Agricultural Production Schemes in Madhya Pradesh for 1969-70. The allocation of approved outlays amongst the various schemes of agricultural production is made by the State Government itself. A provision of Rs, 9.179 lakhs has been made by the State Government during the current year for this purpose.

पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में शाखा डाकघर

4317. **श्री द० ब० राजू०** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में कुल कितने शाखा डाकघर है ;

(ख) उक्त जिले में प्रत्येक शाखा डाकघर से कितनी औसत जनसंख्या और मीलों में कितना औसत क्षेत्र संवित है ; और

(ग) क्या इस जिले में डाक की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सरकार से कोई कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 526

(ख) क्षेत्रफल—21.22 वर्ग मील
जनसंख्या— 3,144

(ग) पोलावरम तालुक के एक हिस्से में दुर्गम मार्ग, छितरी हुई आबादी, साक्षरता की कमी और कमजोर आर्थिक हालत पर विचार करते हुए वहां डाक सुविधाएं पहुँचाने के लिए, इस इलाके को "बहुत पिछड़ा हुआ इलाका" घोषित किया गया है। इस इलाके में सबसे नज़दीक के डाकघर की दूरी और जनसंख्या की शर्त के बावजूद स्थानीय अधिकारियों की सलाह पर प्रत्येक डाकघर पर दूसरे इलाकों के लिए निर्धारित 750 रुपये और 500 रुपये की घाटे की रकम के बदले 1,000 रुपये तक की सीमा की बढ़ी हुई घाटे की रकम की छूट देकर भी पोस्ट-मास्टर जनरल, हैदराबाद के अधिकारियों के अधीन और विशेष मामलों में महानिदेशक, डाकतार

के अधिकारों के अधीन 2500 रुपये तक की सीमा तक बढ़ी हुई घाटे की रकम की छूट देकर भी डाकघर खोले जाते हैं। 1000 रुपये तक जो घाटे की सीमा बढ़ाई गई है, उसके अनुसार इस इलाके में अब तक 22 डाकघर खोले गए हैं। समूचे जिले में पिछले 3 वर्षों में 20 डाकघर खोले गये हैं।

पश्चिम गोदावरी जिले में भीमवरम तालुका में चिन्नापुलेरन गांव में शाखा डाकघर खोलना

4318. **श्री द० व० राजू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम गोदावरी जिले में भीमवरम तालुका में चिन्नापुलेरन गांव में शाखा डाकघर खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। चिन्नापुलेरन में एक डाकघर खोलने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच से नवम्बर, 1969 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि सबसे नज़दीक पड़ने वाला सेसाली का डाकघर एक मील से भी कम दूरी पर है। अतः चिन्नापुलेरन में तभी डाकघर खोला जा सकता है जबकि कोई इच्छुक पार्टी चिन्नापुलेरन में डाकघर खोलने के लिए गैर-वापसी अन्शदान के रूप में अनुमानित घाटे की पूर्ति कर दे।

पहले वर्ष के गैर वापसी अन्शदान की रकम 922 रुपये 56 पैसे है।

खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन का अभ्यावेदन

4319. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और इसके कर्मचारियों के बीच शेष विवादों के बारे में खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन बम्बई से उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या बातें उठायी गई हैं ;

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) कब तक समझौता हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन, बम्बई ने अपने पत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1970 के साथ यूनियन द्वारा 19-2-70 को पारित संकल्प की एक प्रति भेजी है जिसमें उनकी मांगों की पूर्ति तथा उनकी पूर्ति न होने पर सीधी कार्यवाही की धमकी दी गई है।

(ग) और (घ). इस मामले पर औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

चीन तथा रूस द्वारा भारत के लिये प्रसारण

4320. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को चीन और रूस द्वारा भारत के लिये किये जाने वाले प्रसारणों की भाषा की संख्या और बारंबारता की जानकारी है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रेडियो पीकिंग भारत के लिए प्रतिदिन अंग्रेजी में 13 प्रसारण, हिन्दी में 3 और उर्दू में 2 प्रसारण प्रसारित करता है, जबकि रेडियो मास्को अंग्रेजी और बंगला में एक-एक प्रसारण प्रसारित करता है रेडियो "पीस एन्ड प्रोग्रेस" भी अंग्रेजी में एक प्रसारण प्रतिदिन प्रसारित करता है ।

पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली की सदस्यता

4321. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति दिल्ली के कितने सदस्यों के अपने नाम में अथवा अपने परिवारों के किन्हीं सदस्यों, जिनमें मां-बाप भी शामिल हैं, के नाम में दिल्ली में भूमि/मकान हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) समिति के ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार से किसी प्रापर्टी डीलर से सम्बन्धित हैं और इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समिति की स्थापना के समय से ऐसे सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय क्या हैं, जिन्होंने इसमें सदस्यता त्याग किया अथवा अपने अन्श हस्तान्तरित किये और इसके क्या कारण थे और जो सदस्य पुनः सम्मिलित हुए उनके नाम क्या हैं और उन्हें पुनः सदस्य बनाने का औचित्य क्या है ;

(घ) समिति की स्थापना के समय से इसके सदस्यों और पदाधिकारियों में जैनियों और उनके सम्बन्धियों की प्रतिशतता और संख्या कितनी है और यह जून, 1966 से पहले कितनी थी और प्रत्येक के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं ; और

(ङ) सदस्यों तथा पदाधिकारियों में अन्य लोगों को शामिल न किये जाने अथवा नगण्य प्रतिनिधित्व देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति इस समिति का सदस्य नहीं है जिसके पास दिल्ली में अपने अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम में भूमि अथवा मकान है । समिति के परिवार के स्वतन्त्र सदस्यों के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) समिति के अभिलेखों में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह जानकारी पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली से मंगवाने के पश्चात सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) समिति के अभिलेखों में सदस्यों के बीच के सम्बन्धों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति तथा प्रबन्धकारिणी कमेटी में जैनों की संख्या तथा उनका प्रतिशत नीचे दिया जाता है :

वर्ष	समिति में जैनों की सदस्यता (संख्या)	प्रतिशत
194 से 1966	सभी सदस्य जैन थे	100 प्रतिशत
1966 से 1967	18	33 प्रतिशत
1997 से 1968	18	33 प्रतिशत
1968 से 1969	17	33 प्रतिशत
1969 से 1970	13	26 प्रतिशत

वर्ष	प्रबन्धकारिणी कमेटी में जैनों की सदस्यता	प्रतिशत
1948 से 1966	प्रबन्धकारिणी कमेटी के सभी सदस्य जैन थे	100 प्रतिशत
1966 से 1967	6	86 प्रतिशत
1967 से 1968	7	100 प्रतिशत
1968 से 1969	4	57 प्रतिशत
1969 से 1970	4	57 प्रतिशत

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ; इससे पता चलता है कि सदस्यता में तथा कमेटी की प्रबन्धकारिणी में गैर-जैनों की संख्या बढ़ती ही गई है ।

Payment of Salaries in Time to Mica Mines Workers in Rajasthan

4322. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers of the Mica Mines in Rajasthan do not get their salaries in time ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure timely payment to them and the action proposed to be taken against the defaulting mine owners ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). During periodical inspection by the officers of the Central Industrial Relations Machinery cases of non-payment/delayed payment have been noticed in some of the mica mines of Bhilwara District of Rajasthan. In such cases, claims are filed with the authorities under Payment of Wages Act and in appropriate cases prosecutions are launched.

Setting up of Housing Colony for Mica Mines Workers in Rajasthan

4323. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a housing colony for the labourers working in the mica mines in Rajasthan ;

(b) if so, the time by which the work in respect of setting up the said colony would start ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minisier of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) Estimates and specifications of construction are under consideration of Government and if the scheme is approved work is expected to start during 1970-71.

(c) Does not arise.

विभागातिरिक्त एजेन्ट और पालघाट (केरल) में डाकियों के पद पर पदोन्नति के लिये परीक्षा

4324. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 दिसम्बर, 1969 को पालघाट डिवीजन (केरल) में डाकियों के वर्ग में पदोन्नति के लिए आयोजित की गई विभागीय परीक्षा में अनेक विभागातिरिक्त एजेन्टों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन एजेन्टों को परीक्षा में इस आधार पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उनकी सेवा में व्यवधान हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका हड़ताल में भाग लेना न न्यायालय में और न विभागीय जांच में सिद्ध हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले एजेंटों के विरुद्ध यह प्रक्रिया अधिक भारतीय नीति के रूप में अपनाई थी, यदि नहीं, तो क्या सरकार एस० एम० पी० पालघाट के इस कार्य को रद्द करने के लिए समुचित कार्यवाही करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। पालघाट डिवीजन के डाकघर अधीक्षक ने 108 उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की इज़ाजत नहीं दी।

(ख) जी हां। जिन 108 उम्मीदवारों को इजाजत नहीं दी गई थी उनमें से 70 उम्मीदवारों की अर्जिया इसलिए नामंज़ूर कर दी गई थी क्योंकि 19-9-1968 को ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण वे तीन वर्ष की लगातार सेवा की सीमा पूरी नहीं करते थे।

(ग) जी नहीं। परन्तु सामान्य नियमों के अनुसार ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से सेवा में व्यवधान आ जाता है।

(घ) ऐसी हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं कि केवल दो महीने तक की अधिकृत छुट्टी को तीन वर्ष की सीमा की लगातार सेवा के लिए गणना में लिया जा सकता है। हड़ताल के दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति से सेवा में व्यवधान पड़ गया है ओर जो अनधिकृत रूप में अनुपस्थित थे वे तीन वर्ष की सीमा की लगातार सेवा की शर्त पूरी नहीं करते। अतः सामान्य आदेशों के अनुसार जो कि समूचे भारत पर लागू है, वे परीक्षा में बैठने के पात्र नही थे। फिर भी, नियमित कर्मचारियों को दी गई छूट के आधार पर, पड़ताल के कारण सेवा के इस व्यवधान की माफी के बारे में विचार किया जा रहा है।

सीधे डायल करके गांधीनगर तथा अन्य नगरों के बीच टेलीफोन करने की व्यवस्था

4325. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य की राजधानी में जिसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है निर्माण कार्य बहुत हो चुका है और वहां जून, 1970 तक सरकारी कार्यालय तथा सचिवालय स्थानान्तरित हो जायेंगे और नई राजधानी को टेलीफोन के प्रयोजनार्थ अहमदाबाद के स्थानीय क्षेत्र में जोड़ने की आवश्यकता है ताकि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच ट्रंक कालों की व्यवस्था करने की आवश्यकता न पड़े ;

(ख) क्या गांधी नगर को नई दिल्ली, बम्बई, बड़ौदा, और देश के प्रमुख नगरों से सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था से जोड़ने का सरकार का विचार है जिनके साथ अब अहमदाबाद इस प्रणाली से जुड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि राज्य सरकार के कार्यालयों और सचिवालय को उत्तरोत्तर 1970 के दौरान गांधीनगर ले जाये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच की कालों की गणना के लिए गांधीनगर को अहमदाबाद टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय इलाके में शामिल कर लिया जाए।

तो भी, दूर स्थानों पर स्थित एक्सचैंजों के बीच टेलीफोन सेवा देने के लिए अर्थ व्यवस्था के कारण और ऐसे मामलों में हमारे पुराने अनुभव के आधार पर यह सुझाव स्वीकार करना संभव नहीं है।

फिर भी, गांधीनगर में पर्याप्त स्थानीय और ट्रंक दूरसंचार सुविधाएं दी जा रही हैं। यह भी प्रस्ताव है कि गांधीनगर और अहमदाबाद का उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने के आधार पर संपर्क स्थापित कर दिया जाए जिसमें दिन में हर एक 36 सेकेंड पर और रात को हर एक 72 सेकेंड पर काल मीटर किया जाएगा।

(ख) जी हाँ। सभी दूसरे राज्यों की राजधानियों की तरह यहां के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में राजनीतिक घटनाओं के बारे में

RE : POLITICAL DEVELOPMENTS IN PUNJAB

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) : It would be better if we discuss the situation in Punjab instead of Cambodia.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : पंजाब का मामला बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधान सभा में उनका प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने पर भी श्री गुरनाम सिंह को सरकार बनाने के लिये कहा जा रहा है। (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee : You will agree that a serious constitutional development has taken place in Punjab. The Chief Minister has lost confidence of the Assembly. But he has not been asked to resign. (*Interruptions*).

श्री जि० विश्वनाथन (वंडीवाश) : उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Secondly I want to know the basis on which the Governor would ask any party to form a Government. I am doubtful whether Central Government may violate the constitution while interfering in these development. In view of this the hon'ble Home Minister may be asked to make a statement in this respect and we may be allowed to discuss the same.. (*Interruption*)

श्री नाथपाई (राजापुर) : पजाब की विधान सभा में जो घटना हुई है, सभा उसके बारे में चिन्तित है। विधान सभा में मुख्य मन्त्री की पराजय हो चुकी है और उनके दल ने उन्हें अपने दल से निकाल दिया है और राज्यपाल ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा है। परन्तु इसके बावजूद कल से उन्हीं की सरकार चल रही है।

मैं अनुच्छेद 164 (2) के अधीन संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। विधान सभा का विश्वास खो देने पर मुख्य मन्त्री को तत्काल त्याग-पत्र दे देना चाहिए। केवल संसद में ही संवैधानिक सुरक्षा और औचित्य सुनिश्चित किया जा सकता है। संसद को यह देखना है कि प्रत्येक राज्य में संविधान को मान्यता दी जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Kindly listen to me also.

Mr. Speaker : I do not think it proper to discuss the affairs of State in the House every new and then. In case there is any constitutional crisis, it is alright but in this case the Chief Minister has already resigned.

Shri Madhu Limaye : Under Article 164 of the Constitution Government is responsible to the Legislative Assembly and if the Chief Minister lost the confidence of the Assembly he has no right to stay as Chief Minister even for a second. I want to submit two examples...(*Interruptions*). My point is whether the issue on which Government has been defeated there was the basic issue or not ? When the Government was defeated on Appropriation Bill, the Governor should have asked the Government to quit. We want a satisfactory answer as to why the Chief Minister had not resigned since yesterday till this morning.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आप ने संवैधानिक बातें कहने की अनुमति दी है और उन्हें सुना है। अतः इस सम्बन्ध में हम आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं। क्या आप ध्यान दिलाने वाली सूचना अथवा इस पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): If a ruling party has lost confidence of the Legislative Assembly, the Government should resign. But the Chief Minister had not resigned. He has resigned only this morning. The honourable Home Minister may be asked to make a statement in this respect to remove all types of misgiving ?

श्री स० कुण्डू (बालासौर) मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या श्री गुरनाम सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है और क्या उन्होंने राज्यपाल को विधान सभा के विघटन की सलाह दी थी ; बात यह है कि क्या एक पराजित मुख्य मन्त्री राज्यपाल को इस प्रकार की सलाह दे सकता है । यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है । सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : विधान सभा में पराजय के बाद श्री गुरनाम सिंह कैसे कह सकते हैं कि उनका बहुमत अब भी है और वह अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में हम आपकी राय जानना चाहते हैं । राज्यपाल श्री बादल को सरकार बनाने का अवसर दिये बिना श्री गुरनाम सिंह को दूसरा अवसर कैसे दे सकता है ? इस संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में आप अपनी राय दें ।

अध्यक्ष महोदय : कल मुख्य मन्त्री की हार का समाचार मिला था । फिर दूसरा समाचार मिला कि वह राज्यपाल को सभा का विघटन करने की सलाह दे रहे हैं । फिर सभा स्थगित होने के बाद उन्होंने कहा कि वह मुख्य मन्त्री बने रहेंगे । इस प्रकार स्थिति बदलती रही । अब जब उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है अब आप उस पर सैद्धान्तिक चर्चा करना चाहते हैं । **(व्यवधान)** यदि उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया होता तो अलग बात थी ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : This matter should be discussed in this House. You may accept it is my form.

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये कहूँगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कम्बोडिया की घटनाएं

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कम्बोडिया में हाल ही की घटनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सभापति के रूप में भारत का कार्य"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कम्बोडिया में हाल ही में जो घटनायें घटी हैं उनको भारत सरकार बहुत चिन्ता की नजर से देख रही है । जैसा कि सदन को याद होगा कि नोंग पेन्ह में 11 मार्च, 1970 को प्रदर्शन होने की अखबारों में जो खबरें छपी थीं उनमें ये संकेत थे कि ये प्रदर्शन प्रमुख रूप में वियतनाम लोक गणराज्य तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी

क्रान्तिकारी सरकार के राजदूतावासों के खिलाफ किए गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने कम्बोडियाई प्रदेश में वियतनाम लोक गणराज्य और दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की उपस्थिति पर आपत्ति की थी। इसके बाद कम्बोडिया की राष्ट्रीय असेम्बली और राज्य परिषद के संयुक्त अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें प्रदर्शनकारियों की इन मांगों का समर्थन किया गया था कि सरकार देश की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के लिए तत्काल और समयोचित कार्रवाई करे।

यह भी बताया गया है कि 18 मार्च को कम्बोडियाई संसद ने एक प्रस्ताव पास करके राजकुमार नोरोदम सिहानुक को कम्बोडिया के राज्याध्यक्ष के पद से हटाकर, राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष श्री चेंग हेग को, नए राज्याध्यक्ष के निर्वाचन तक, स्थानापन्न राज्य प्रमुख निर्वाचित किया गया है। इस बात की भी घोषणा की गई कि कम्बोडिया स्वाधीनता, प्रभुसत्ता शान्ति, विशुद्ध तटस्थता और प्रादेशिक अखण्डता की नीति पर चलता रहेगा और राज्य के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बात की भी पुनः पुष्टि की गई कि कम्बोडिया अपने सभी पहले वायदों, सन्धियों और अभिसमयों का सम्मान करेगा जिन पर कि कम्बोडिया तथा अन्य सभी मित्र देशों के बीच तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं।

अखबारों से हमें यह भी पता चला है कि राजकुमार नोरोदम सिहानुक ने, जोकि आजकल पीकिंग में हैं, यह घोषणा की है कि उन्हें पदच्युत करने की कम्बोडियाई संसद की कार्रवाई असंवैधानिक है तथा उन्हें राष्ट्रीय मतसंग्रह करके ही हटाया जा सकता है। यह भी खबर मिली है कि राजकुमार सिहानुक निर्वासित सरकार बनाने का विचार कर रहे हैं।

हम स्थिति पर निरन्तर नजर रख रहे हैं।

1954 के जेनेवा करार के अन्तर्गत गठित, कम्बोडिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण एवं अधीक्षण आयोग के प्रधान के नाते कनाडा और पोलैण्ड के साथ भारत ने भी इस बात का सुनिश्चिय करने के निरन्तर प्रयत्न किये हैं कि इन करारों के उद्देश्य पूरे हों, जो इस प्रकार हैं: कम्बोडिया की तटस्थता, प्रादेशिक अखण्डता, प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता की रक्षा। यह आयोग 31 दिसम्बर, 1969 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है और इसके प्रधान के नाते भारत सम्बद्ध पक्षों से बराबर निकट संपर्क बनाए हुए है, जिसमें इसके सह प्रधान और अधीक्षक राष्ट्र भी शामिल हैं।

भारत और कम्बोडिया के बीच प्राचीन काल से ही निकट और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि कम्बोडिया स्वन्तत्र रूप से सुखी और समृद्ध हो। हमारी यह भी हार्दिक इच्छा है कि घटनाओं से दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति में और बिगाड़ नहीं आएगा और ये घटनाएं संघर्ष और लड़ाई के क्षेत्र-विस्तार का कारण नहीं बनेंगी।

श्री म० ला० सोंधी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। मेरे विचार में हमें केवल तमाशा ही नहीं देखते रहना चाहिए। अतः मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को फिर से सजीव करने का और उन्हें अपने निर्णय क्रियान्वित करने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करने का भरसक प्रयत्न

करेगा ? हमें कम्बोडिया में शान्ति स्थापित करने के कार्य में पोलैंड और कनाडा को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । इसके साथ ही हमें रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिये जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को सजीव कर सके और उनको सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कर सकें । दो वर्ष पूर्व स्वयं कम्बोडिया गया था और वापिस आकर मैं ने मन्त्री महोदय तथा प्रधान मन्त्री को बताया था कि कम्बोडिया की जनता और सरकार के प्रति हम अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं । उस समय मुख्य बात यह थी कि कम्बोडिया में माओवादी तत्व गड़बड़ कर रहे थे । चीन दबाव डाल रहा था । वियतनाम का युद्ध बढ़ता जा रहा था और राजकुमार सिंहानुक कम्बोडिया की सीमाओं की मान्यता चाहते थे । परन्तु परिस्थितियां बदलीं और उनके प्रयासों का कोई परिणाम न निकल सका । गत वष जुलाई में 27 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कम्बोडिया की पृष्ठ भूमि में बड़ा भारी राजनीतिक परिवर्तन हुआ क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा तक समस्या बन गई थी और राजकुमार सिंहानुक दूसरी ओर भी कुछ करना चाहते थे परन्तु वह कोई समझौता नहीं कर सके । जनरल नोल, जिन्होंने वहां पर अब सत्ता सम्भाली है, वर्ष 1964 में रूस और चीन में एक सैनिक मिशन पर गये थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थिति पर निगाह रखते हुए भारत को कम्बोडिया की राजनीति के आन्तरिक संतुलन पर भी ध्यान रखना चाहिये । वहां पर राजनीतिक संकट का समाधान ढूंढने के लिए राजकुमार सिंहानुक और नोम पेन्ह में नेताओं के बीच बातचीत की व्यवस्था करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग तथा भारत की मध्यस्थता की आवश्यकता है ।

भारत की आवाज को सुना जाना चाहिये ताकि वियतनाम का युद्ध कम्बोडिया में भी न फैल जाये । क्या भारत सरकार कम्बोडिया में शान्ति स्थापित करने के लिए पूर्व एशियाई देशों का सम्मेलन बुलायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भारत और कम्बोडिया के बीच शान्तिपूर्ण और सौहृदपूर्ण सम्बन्ध स्थापित रहें । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आयोग ने क्या निर्णय लिया है । आयोग की स्थापना जनेवा समझौते का पर्यवेक्षण कर और उसके सम्मुख लाये जाने वाले मामलों पर विचार व्यक्त करने के लिए की गई थी । इस सम्बंध में हमें परिवीक्षक शक्तियों और आयोग के सह अध्यक्ष से विचार विमर्श करना पड़ेगा । हमें अन्य शक्तियों से साथ आयोग के लिए बिल की व्यवस्था करनी चाहिये । हमारा उन देशों से सम्पर्क बना हुआ है ।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मंत्री का हमेशा यही जबाव रहा है ।

श्री दिनेश सिंह : सभा केवल ठोस वक्तव्य देने का कोई मूल्य नहीं । उससे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस मामले में रकार यह सावधानी बरतने का प्रयास करती है कि कम्बोडिया के मामले में भारत या अन्य देश न करे । यदि हम वास्तव में वहां को स्थिति के प्रति गम्भीर हैं तो हमें इस मामले में अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । हम इस मामले में स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : सरकार अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को क्या सहयोग दे रही है, किसी देश की स्वतन्त्रता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता दांव पर लगी है। अतः सरकार को यथा-शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : मेरे लिए यह बताना सम्भव नहीं कि हम इस सम्बंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यदि हम यह उचित समझेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों के सम्मेलन से कोई लाभ होगा तो हम इस बारे में विचार करेंगे।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The problem of Cambodia is not a new one. The people of Cambodia have great faith in the independence of their country. Prince Norodom is very popular. They have been feeling that Cambodia is going to China. Prince Norodom was in favour that Laos should go to the Communists. I want to know why our Government have not given any recognition to the new Cambodian Government. Taking into consideration the peculiar position employed by India, it is the duty of our Government to give recognition to the new Government in Cambodia.

China is trying to spread its imperialism in East Asian countries. Government should give full support in stopping Chinese implerialism. We should announce our views in this matter so that the King Norodom may not remain in the dark. I want to know whether the Government will admit the suggestion of opening an I.C.C. Office there. I also want to know whether there will be any discussion with those countries who believe in nationality and democracy. I want that the Government should take an active step in this matter.

Shri Dinesh Singh : It will not be proper for me to say something about the situation in Cambodia and about it Government. So far as the question of I.C.C. is concerned I am unable to say anything about it. We are trying to know the views of the member countries, and we will take the decision afterwards.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : वहां की सरकार को मान्यता देने के बारे में वह कुछ भी कहने को तैयार क्यों नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस समय वहां की स्थिति के बारे में उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हैं।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : It is true that we have full sympathy with North Vietnam, but the way in which the North Vietnam army came in Cambodia, does not show the feeling of discontentment in Cambodia and American domination there. America have given recognition to the newly formed Government there. I want to know the steps taken by the Government to maintain the freedom of Cambodia.

Shri Dinesh Singh : As I have already stated I am not in a position to say something about the situation there.

It will be in the interest of Cambodia not to say anything about the situation prevailing there. We are aware of the situation there but we do not think it proper to offer our comments at this movement.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Cambodia got independence on the basis that it would remain natural. I want to know whether Government will consult Rassia and America in this matter and will take such a decision that Cambodia's land may not be utilised for entering the army, and it may remain natural and its independence may be protected.

It appears as if India is not playing an effective role in West and East Asia. We should not boast to have an independent foreign policy so long as we depend upon foreign countries in the matter of supply or arms and ammuniation. I want a clarification from the Minister in this respect.

पंजाब में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : POLITICAL DEVELOPMENT IN PUNJAB

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हारण) : पंजाब विनियोग विधेयक को कल पंजाब विधान सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति न दिये जाने के बाद मुख्य मन्त्री ने अपना त्याग-पत्र आज राज्यपाल को दे दिया। राज्य पाल ने उनसे अनुरोध किया है कि जब तक वैकल्पिक प्रबन्ध न किये जाये वह उक्त पद पर कार्य करते रहें। पंजाब विधान सभा की आज सुबह बैठक हुई लेकिन कोई भी कार्य किये बिना वह 30 तारीख के लिए स्थगित कर दी गई।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Several questions have arisen out of the statement given by the Home Minister. When the Chief Minister went to see the Governor after his defeat in the Assembly, did the Governor ask him to submit his resignation ? The question now arises whether a defeated Chief Minister can advise the Governor to dissolve the Assembly. It was reported that 53 MLAs had gone to see the Governor and out of them two MLAs had informed the Speaker on telephone that they would support Shri Badal. I want to know why there has been delay in inviting Shri Badal to form the Ministry.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मुख्य मन्त्री ने संविधान का हनन् किया है। उन्होंने अपना त्याग-पत्र देने में बहुत समय लगाया है। यद्यपि वे कल पराजित हो गये थे तथापि उन्होंने आज त्याग-पत्र दिया। देश में सब ओर उन लोगों द्वारा संविधान का हनन किया जा रहा है जिन्होंने संविधान के प्रति वफादार होने की शपथ ली थी। माननीय मन्त्री इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वह इसे संविधान का उल्लंघन समझते हैं अथवा नहीं।

डा० सुशीला नैयर (झांसी)। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या श्री गुरनाम सिंह ने स्वयं त्याग-पत्र दिया या राज्यपाल की सलाह पर ऐसा किया। क्या माननीय गृह-मन्त्री ने इस विषय में राज्यपाल से सलाह की थी और यदि हां, तो गृह-मंत्री ने उन्हें क्या सलाह दी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यह चाहते हैं कि या तो आप इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करें या इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जब श्री गुरनाम सिंह ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दी थी तो क्या राज्यपाल ने गृह-मन्त्री से यह सलाह की थी कि वह विधान सभा को भंग करें अथवा नहीं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Governor has the power to do anything he likes. When the Chief Minister has submitted his resignation to the Governor, the Governor has full rights to call any one to form the Government. The matter should be left on the Governor.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Speaker, Sir I want to tell you that Sardar Gurnam Singh was the Chief Minister until he was not defeated in the Legislative Assembly of Pujab. So long as he was the Chief Minister he had every right to suggest anything he likes to the Governor but when once he was defeated, he lost the moral right to give any suggestion.

Now take the case of Haryana, Haryana Government was not defeated directly but even then you have allowed a discussion in the House. Therefore I suggest that in the same way this Punjab issue should also be discussed in this House and a new convention may be set up. Apportunity to discuss the matter may be given so that this matter of Punjab can be discussed in the House.

Shri Madhu Limaye (Mongyr): I had asked the Government whether the Chief Minister can stick on to his office after his defeat on Appropriation Bill. If the Chief Minister did not resign, Governor should have asked him for his resignation.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : जैसे ही श्री गुरनाम सिंह ने विनियोग विधेयक द्वारा सभा में अपना विश्वास खो दिया था उनको उसी समय त्याग-पत्र दे देना चाहिए था। वस्तुत: उस समय और त्याग-पत्र देने के बीच में उन्होंने जो भी कार्य किया वह असंवैधानिक तथा अवैध था।

अब 30 मई को विधान सभा की बैठक होगी। इस सभा को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वहां पर लोकतांत्रिक सरकार बनाने में बाधा पड़े।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : उचित यह होगा कि 193 नियम के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए ताकि वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। राज्यसभा में भी इसी नियम के अन्तर्गत हरियाणा के मामले पर चर्चा हुई थी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी असंवैधानिक एवं अवांछित घटनाएं हुई उनको देखते हुए क्या गृह-कार्य मंत्री यह आश्वासन देंगे कि वे 31 तारीख के बाद पंजाब में राज्यपाल शासन लागू नहीं करेंगे। 31 तारीख को विनियोग विधेयक पारित किया जाना है। परन्तु यदि किसी कारणवश विधेयक पारित न किया जा सके या किसी अन्य बाधा के कारण विधान-सभा कोई कार्रवाई न कर सके तो क्या गृह-कार्य मन्त्री यह आश्वासन देगें कि विधान सभा भंग नहीं की जाएगी और वहां पर संवैधानिक तरीकों द्वारा नई सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा ताकि राज्यपाल एक ऐसे नेता को चुन सके जिससे सदन में बहुमत प्राप्त हो ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे अभी राज्यपाल से पूरी जानकारी नहीं मिली है मैंने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने के बारे में कोई परामर्श नहीं दिया है। जब मुख्य मन्त्री राज्यपाल से मिले तो राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए कहा। त्याग-पत्र प्राप्त न होने पर उन्होंने मुख्य मन्त्री को सूचना भेजी कि वे विधान सभा में हार चुके हैं अत: उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उन्होंने प्रेस में कहा है "मैं स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहा हूं।"

श्री यशवन्त राव चव्हाण : स्थिति चाहे कुछ भी रही हो, राज्यपाल ने जो कुछ किया वह उनका कर्त्तव्य था। त्याग-पत्र मिलने पर उन्होंने कहा कि अब वैकल्पिक के व्यवस्था की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मन्त्री को चाहिए था कि अपनी हार के बाद तुरन्त त्याग-पत्र दे दें। मुझे पता लगा है कि मुख्य मन्त्री ने एक सभा बुलाई थी परन्तु शोर होने के कारण स्थगित कर दी गई और उसके बाद उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि त्याग-पत्र सभा बुलाए जाने से पूर्व दिया गया था या बाद में यदि उन्होंने सभा बुला कर मुख्य मन्त्री पद पर रहते हुए कार्य किया तो यह गम्भीर मामला है। यदि उन्होंने सभा बुलाए जाने के बाद त्याग पत्र दिया तो सदन में इस पर विचार किया जाएगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन और प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं श्री फखरुद्दीन अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन और प्रशासन पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—2982/70]

भारतीय श्रम सम्मेलन में हुई चर्चा का सारांश

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री भागवत झा आजाद की ओर से नई दिल्ली में 12 और 13 नवम्बर, 1969 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के छब्बीसवें अधिवेशन की चर्चाओं के सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी० 2983/70]

समवाय अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्रों की प्रति

खाद्य, कृषि-सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा i के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष 1967-68 के लिये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) वर्ष 1967-68 के लिये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) वर्ष 1968-69 के लिये मद्रास कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त मद (1) (एक और दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए** संख्या एल०टी० 2984/70]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन अधिसूचना

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा 5 के अन्तर्गत, भारतीय तार-यंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 254 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल०टी० 2985/70]

इंजीनियरी उद्योगों के बारे में केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं इंजीनियरी उद्योगों के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर दिनांक 21 मार्च, 1970 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-4(8)/69 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल०टी० 2986/70]

राज्य–सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि 24 मार्च, 1970 को हुई अपनी बैठक में राज्य-सभा ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन 7 विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रनिवेदन के पेश किये जाने का समय राज्य-सभा के 73 वें सत्र के अन्तिम दिन तक और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त दो विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूँ :—

1. संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1970
2. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1970.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1969-70

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS (WEST BENGAL) 1969-70

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं बंगाल की वर्ष 1969-70 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मद संख्या 11 और 12 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है।

———

पश्चिम बंगाल का बजट— 1970-71

WEST BENGAL BUDGET—1970-71

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1970-71 के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में राष्ट्रपति ने 19 मार्च, 1970 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत राज्य की विधान सभा के अधिकार संसद को प्राप्त हो गये हैं। अतः राज्य के बजट को सभा में प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये अप्रैल-जुलाई 1970 के लिये केवल लेखानुदानों की मांग की जा रही है।

चालू वर्ष में बजट अनुमानों की 230.53 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में राजस्व प्राप्तियां 266.05 करोड रुपये है। राजस्व से पूरा किये जाने वाले व्यय का अनुमान 282.30 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में अब 286.72 करोड़ रुपये किया गया है।

इस वर्ष का योजना परिव्यय 49.96 करोड़ रुपये है, जिसमें 39.50 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी।

चालू वर्ष की 266.05 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में अगले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 279.31 करोड़ रुपये लगाया गया है।

राजस्व से पूरा होने वाला व्यय 286.72 करोड़ रुपये चालू वर्ष की तुलना में अगले वर्ष 285.42 करोड़ रुपये है। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिये 9 करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था भी शामिल है। चालू वर्ष में पूंजी व्यय 31.40 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष के लिये 29.17. करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

बजट में राज्य परिव्यय के लिये 51.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें 40.07 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार सहायता देगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लिये 8.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अगामी वर्ष के बजट में कुल मिलाकर 15.51 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है।

डा० रानेन सेन : सभा में यह परम्परा रही है कि राष्ट्रपति के उद्घोषणा आदेशों पर पहले यहां चर्चा की जाती है और फिर उस राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। अतः यहां बजट पर चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बजट प्रस्तुत कर दिया है। उस पर चर्चा करना तथा चर्चा के लिये समय निर्धारित करने के बारे में कार्य मंत्रणा समिति निश्चय करेगी।

दिल्ली सहकारी समितियां विधेयक

DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये;

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have to raise a point of order. I have to raise a Constitutional objection regarding the introduction of this Bill. It is provided to Article 117(1) of the Constitution that a Bill involving some financial matters cannot be introduced except on the recommendations of the President. Nothing has been mentioned about it in the Bill. Therefore, the hon. Minister cannot introduce this Bill.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बारे में समाचार (बुलिटन) द्वारा सूचित कर दिया गया था। एक विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश है।

Shri Shiva Chandra Jha : It is not sufficient to inform them through Bulletin. This is not a correct procedure.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)—1970-71

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : सभा को मध्याह्न के लिये स्थगित करने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था। अतः मुझे रेलवे की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे भी कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं।

रेलवे मत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
14	30	श्री स० कुण्डू :	भूतपूर्व मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) द्वारा दिये गये कटक-पारादीप रेलवे लाइन के 1970 तक तैयार किये जाने के वचन का क्रियान्वित न किया जाना।	100 रु० „
14	31	„ „	रूपसा-बरिपदा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) लाइन को चौड़ी लाइन न बनाने में असफलता।	„
14	32	„ „	सर्वेक्षण पूरा करने के बाद तालचेर-विमलनगर रेलवे लाइन को निर्माण करने के लिये अन्तिम निर्णय लेने में असफलता।	„
1	96	श्री कंवर लाल गुप्ता :	साधारण तीसरे दर्जे और डाक/एक्सप्रैस तीसरे दर्जे के यात्री किराये में वृद्धि।	1 रु०
1	97	„ „	जोड़े स्टेशनों के बीच साधारण तीसरे दर्जे और डाक/एक्सप्रैस तीसरे दर्जे के यात्री किराये में वृद्धि।	„
1	98	„ „	सब्जियों, पुस्तकों, खद्दर, दूध और अखबारों के पार्सल यातायात की दरों में वृद्धि।	„
1	99	„ „	गेहूं के आटे, तिलहन, मिट्टी के तेल और चाय के लिए माल डिब्बा भार की दरों में वृद्धि।	„
1	100	„ „	तीसरे दर्जे के उपनगरीय मासिक सीजन टिकट के किराये में वृद्धि।	„
1	101	„ „	अनुपनगरीय तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टीकट के किराये में वृद्धि।	„
1	102	„ „	लकड़ी का कोयला, जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी, बीड़ी, बीड़ी के पत्ते, सूखी घास और नारियल जटा के लिये माल डिब्बा लदान की दरों में वृद्धि।	„

1	2	3	4	5
1	103	**श्री कंवर लाल गुप्ता** :	खली, अनाज, अनाज की भूसी, अनाज और दालें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भेजा जाने वाला नमक, फल, सब्जियां चीनी, चाय, बीड़ी और कागज तथा अन्यथा नवर्गीकृत तिलहन के लिए फुटकर यातायात की दरों में वृद्धि ।	1 रु०
1	104	,, ,,	प्लेटफार्म टिकट की कीमत में वृद्धि ।	,,
1	105	,, ,,	अप्रचलित तथा रद्दी मशीनरी, इंजनों और अन्य सामान की वस्तुतः जांच की समस्या और उनके निपटान की समस्या ।	100 रु०
1	106	,, ,,	ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता जिसके अन्तर्गत रेलगाड़ियों को आग लगाने, लूटने और उन पर हमला करने के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाय ।	,,
1	107	,, ,,	जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोच निर्माण का एक अन्य नया कारखाना बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	108	,, ,,	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की गत हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध चलाई गई सभी प्रकार की दण्ड संबंधी कार्यवाहियों को जिनमें सेवा काल का व्यवधान भी शामिल है वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
1	109	,, ,,	दिल्ली में अधिक हाल्ट स्टेशनों की व्यवस्था, दिल्ली में सभी स्टेशनों पर अधिक प्लेटफार्म बनाने और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,
1	110	,, ,,	प्लेटफार्मों पर यात्रियों के लिये ठण्डे पेय जल, बैठने की सुविधाएं और प्लेटफार्मों आदि की समुचित सफाई जैसी सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
1	111	**श्री कंवर लाल गुप्त** :	दिल्ली में शक्तिनगर, सराय रोहिल्ला रेलवे फाटकों तथा अन्य सभी रेलवे फाटकों पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रु०
9	112	,, ,,	रेलवे में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
10	113	,, ,,	रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टरों का निर्माण और वर्तमान रेलवे क्वार्टरों में सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकता ।	,,
14	114	,, ,,	दिल्ली तक गाड़ियों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
14	115	,, ,,	दिल्ली के लिये महानगरीय रेल परिवहन संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता ।	,,
4	267	**श्री प० गोपालन** :	जिन रेलवे कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1967 की हड़ताल में भाग लिया था और उन्हे दण्ड दिया गया था, उन सभी को नौकरी में वापिस लेने में विफलता ।	,,
4	268	,, ,,	मुगल सराय में हड़ताली रेलवे कर्मचारियों पर गोली चलाने वाले सैनिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में विफलता ।	,,
1	382	**श्री देवेन सेन** :	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने पर सेवा-व्यवधान माफ न करना ।	1 रु०
1	383	,, ,,	कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे सभी मामले वापस न लेना ।	,,
1	384	,, ,,	सभी मुकदमे वापस न लेना।	,,
1	385	,, ,,	किफायत न करना ।	,,
1	386	,, ,,	ठेका प्रणाली समाप्त न करना ।	,,
1	387	**श्री देवेन सेन** :	आकस्मिक श्रमिकों को स्थायी सेवा सुनिश्चित न करना ।	100 रु०

1	2	3	4	5
4	412	श्री स० कुन्डु :	आकस्मित मजदूरों की सेवाएं नियमित करने में विफलता और न्यूनतम मंजूरी चार्ट के बारे में सिविल अधिकारियों से पूछे बिना न्यूनतम मजदूरी देना।	100 रु०
4	412-क	„ „	महीने में चार दिन की मंजूरी आकस्मिक मजदूरों को देने में विफलता।	„
4	413	„ ,	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी कांग्रेस के मामले की तरह ही अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन के साथ अनिर्णित विवाद एक न्यायाधिकरण को सौंपने में विफलता।	„
4	414	, „	गत वर्ष के बजट को पेश करते समय किये गये वायदे के अनुसार रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तिम स्थायित्व को दूर करने की आवश्यकता।	„ „
4	415	„ „	आकस्मिक मजदूरों को क्वार्टर, जूते, और वर्दी देने में विफलता।	„
4	416	„ „	मद्रास में दक्षिण रेलवे के लिपिकों के वेतन की अन्तिम सीमा बढ़ाने की आवश्यकता।	„
4	4!7	„ ,	सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देने में विफलता और अपेक्षित संख्या में क्वार्टर और रिलीविंग सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या न घटाना।	„
4	418	„ „	कटक में पूछताछ तथा आरक्षण कार्यालय का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता।	„
4	4i9	„ „	कटक और बालासोर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल या निचला पुल बनाने की आवश्यकता।	,
4	420	„ „	संसद् में वचन देने के बावजूद भी बालासोर में तीसरे दर्जे की सवारियों के लिए प्रतीक्षालय की दशा न सुधारना।	
4	420-क	„ „	दक्षिण-पूर्व रेलवे में एस्टीमेटरों की लम्बे समय से चली आ रही तकलीफों को दूर करने की आवश्यकता।	„

1	2	3	4	5
5	421	श्री स० कुन्डु	साज सामान की लागत घटाने की आवश्यकता ।	100 रु०
5	422	,, ,,	रद्दी सामान के ढेर का निपटान करने की आवश्यकता ।	,,
5	423	,, ,,	इंजिनों की अच्छी तरह मरम्मत और उनका अनुरक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
6	424	,, ,,	सभी रेलवे लाइनों के लिए समवर्ती होम सिगनल का प्रयोग आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,
6	425	,, ,,	एन० एम० पी० जैसे यार्ड में चार रेलवे लाइनों के लिए समवर्ती स्लोट प्रणाली को समाप्त करके दोषपूर्ण अन्तर्पाश को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
6	426	,, ,,	विशिष्ट निर्बाध रेलवे लाइनों के लिए ट्रेलिंग स्थानों को ठीक किये बिना स्लोट देने की अनुमति देना ।	,,
1	488	श्री नम्बियार	दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे में आन्दोलन के सिलसिले में फायरमैनों को दी गई सभी सजायें समाप्त करना ।	,,
1	489	,, ,,	रेलवे सुरक्षा नियम, 1949 के अन्तर्गत राजनैतिक कारणों से नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के सभी मामलों पर पुनर्विचार की आवश्यकता ।	,,
1	490	,, ,,	रेलवे संस्थापन संहिता के नियम 148 और 149 के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को दी गई सजाओं के सभी मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले को ध्यान में रखकर पुनर्विचार ।	,
1	491	,, ,,	दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों तथा अन्य परिचालन कर्मचारियों के सभी खाली पदों पर नियुक्तियां ।	,,
1	492	, ,,	रेलवे बोर्ड के गठन तथा कार्यचालन और उसकी वर्तमान शक्तियों पर गहन पुनर्विचार ।	,,

1	2	3	4	5
1	493	श्री नम्बियार :	रेलवे ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए कोई सूत्र निर्धारित करने और कुछ यूनियनों के साथ आजकल किये जा रहे पक्षपात को समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रु०
1	494	" "	19 सितम्बर, 1968 को हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले जिन रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है और जिन्हें दण्ड दिया गया उन सभी को वापस लेने की आवश्यकता।	"
1	495	" "	लोको ड्राइवरों और फायरमैनों के काम के घंटों को घटाकर प्रति दिन 12 घंटे की अधिकतम सीमा तक लाने की आवश्यकता।	"
1	496	" "	रेलवे में आकस्मिक मजदूरों को केन्द्रीय वेतनमान और सभी सामान्य सुविधायें देने की आवश्यकता।	"
1	497	" "	सभी रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे करने की आवश्यकता।	"
1	498	" "	वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने तक रेलवे कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देना।	"
1	499	" "	रेलवे अधिकारियों को दिये जाने वाले सैलूनों को हटाने और उन्हें यात्रियों के लिए तीसरे दर्जे के डिब्बों में बदल देने की आवश्यकता।	" "
1	525	श्री शिव चन्द्र झा :	जयानगर और निर्मली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक नयी सीधी गाड़ी चलाना।	1 रु०
1	526	" "	घोघारडीह और निर्मली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच परसागांव के निकट एक नया हाल्ट स्टेशन शीघ्र न बनाना।	"
1	527	" "	चिकना हाल्ट और घोघारडीस स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच पिरोरागढ़ गांव के निकट हाल्ट स्टेशन न बनाना।	"
1	528	" "	झंझार पुर और तमुरिया स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट न बनाना।	"

1	2	3	4	5
1	529	**श्री शिव चन्द्र झा :**	बहुत तेज चलने वाली गाड़ी (जापान के नमुने पर) ना चलाना ।	1 रु०
1	530	„ „	निर्मली और सपोल स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच नई लाइनें ना चलाना ।	„
1	531	„ „	निर्मली और जयानगर स्टेशनों के बीच बरास्ता लकाही (पूर्वोत्तर रेलवे) नई रेल लाइनें आरम्भ न करना ।	„
1	729	**श्री देवेन सेन :**	आयात प्रतिस्थापन के लिए पुर्जों का विकास न करना ।	„
1	730	„ „	सीधे माल खरीदने की नीति ।	„
4	812	**श्री स० कुण्डू :**	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों ने सेवा काल में किये गये व्यवधान को समाप्त करने और उन्हें सभी सुविधायें पुनः देने में विफलता ।	100 रु०
4	813	„ „	पी० एन० एम० के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने में विफलता ।	„
4	814	„ „	जब तक केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश नहीं आती तब तक वेतन में अन्तरिम राहत देने की आवश्यकता ।	„
4	815	„ „	आकस्मिक श्रमिकों की मजूरी के निर्धारण का मामला केन्द्रीय वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल करने की आवश्यकता ।	„
4	816	„ „	रेलवे सुरक्षा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने में विफलता ।	„
4	817	„ „	रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाली 'बुक्ड आफ' प्रक्रिया समाप्त करने में विफलता ।	„
4	818	„ „	प्रशासनिक कारणों के नाम पर संसद् सदस्यों से तथ्य छिपाना ।	„

1	2	3	4	5
4	819	श्री स० कुन्दु :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे सुरक्षा पुलिस कर्मचारियों द्वारा लिये गये रेलवे क्वार्टरों को अनधिकृत रूप से अलाट न करने के कारण हुई राजस्व हानि का उत्तरदायित्व निश्चित करने में विफलता ।	100 रु०
4	8.0	,, ,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-वाल्टेयर खण्ड पर रेलगाड़ियों में विद्युतीकरण आरम्भ करने में विफलता ।	,,
4	821	,, ,,	यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मामूली कीमतों पर कपड़े धोने तथा नहाने की सुविधा न देना ।	,,
13	823	श्री वि० नरसिम्हा राव :	दक्षिण-पूर्व रेलवे में श्री काकुलम रोड पर एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था विफलता ।	,,
4	838	श्री स० कुण्दू :	परिचालन और सिब्बंदी पर व्यय में कमी ।	1 रु०
1	995	श्री देवेन सेन :	नवद्वीप से कृष्णनगर तक मीटर लाइन का निर्माण न करना ।	,,
1	996	,, ,,	ट्रांसपोर्टेशन सुपरवाइजरों अर्थात यार्ड मास्टरों, स्टेशन अधीक्षकों, चीफ यार्ड मास्टरों की पदोन्नति के अवसर कम करना ।	,,
4	1024	श्री एम० एस० मूर्ति :	रेलवे के कार्यालय कर्मचारियों की दशा में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रु०
4	1025	,, ,,	कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती पर से प्रति-बन्ध को उठाने में असफलता ।	,,
4	1026	,, ,,	मापदण्डों को कठोरता से लागू करने में असफलता ।	,,
4	1027	,, ,,	दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफा-रिश के अनुसार वर्गीकरण करने में अस-फलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1040	**श्री देवेन सेन :**	कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित करने में विफलता ।	1 रु०
1	1041	,, ,,	विद्युतीकरण से पर्याप्त लाभ लेते रहने में विफलता ।	,,
1	1172	**श्री मुहम्मद इस्माइल :**	नीचे के स्तर से सामूहिक स्वतः प्रेरणा लाने के लिए प्रत्येक विभाग में उच्च अधिकारियों की कमी करके उच्च स्तरीय अधिकारियों की संख्या में भारी कटौती करने की आवश्यकता ।	100 रु०
1	1173	,, ,,	उन सभी कर्मचारियों को, जो अभी भोजन प्रबन्ध विभाग में, जिसे 1957 में रेलवे प्रशासन द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था, कमीशन आधार पर काम कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	1174	,, ,,	भोजन प्रबन्ध विभाग में कमीशन पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	1175	,, ,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के पड़ताल करने वाले (चेकिंग) कर्मचारी संघ, विलासपुर द्वारा पदोन्नति गार्डों, ड्राइवरों आदि के बराबर का परिचालन भत्ते के बारे में की गई मांगों पर विचार करने में असफलता ।	,,
1	1176	,, ,,	रेलवे में पड़ताल (चेकिंग) कर्मचारियों की "सर्वसाधारण शिकायत" के विरुद्ध मांग पर जिससे वार्षिक वेतन वृद्धि का एक साथ तथा अलग-अलग रूप में बन्द होना और पदोन्नति रोका जाना जैसी सजाएं मिलती हैं विचार करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1'77	श्री मुहम्मद इस्माइल :	उत्तर रेलवे लोकोमोटिव वर्कशाप, चारबाग, लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) को उपयुक्त रूप से खपाने में उत्तर रेलवे के अधिकारियों की असफलता ।	100 रु०
1	1178	,, ,,	1969 में स्थिरीकरण की घोषणा के पश्चात उत्पन्न स्थिति, जिसमें 'जब कि अधिकारियों को 200 रुपये तक की वेतनवृद्धि दी गई थी तब तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को, उनकी वेतनवृद्धि वेतनमान की अधिकतम राशि पर पहुंच कर बन्द हो चुकी थी और अधिकांश कर्मचारी ऐसे ही थे, केवल 1 रुपया ही मिल पाया ।	,,
1	1179	,, ,,	सियालदह डिवीजन में उलटाडांगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 से 4 पर यात्री शेडों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
1	1180	,, ,,	साउथ सिन्थी रोड कलकत्ता-30 पर इस समय स्थित दुकानों को खाली कराने की कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	1181	,, ,,	सियालदह डिवीजन, पूर्व रेलवे, में काकीनारा और श्यामनागोर स्टेशनों के बीच अवन्तीपुर पर एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	1182	,, ,,	सियालदह डिवीजन, पूर्व रेलवे, में उलटाडांगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,
1	1183	,, ,,	डम-डम जंकशन रेलवे स्टेशन के उत्तर में स्थित रेलवे पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	1184	**श्री मुहम्मद इस्माइल :**	डम-डम जंकशन रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे के प्लेटफार्म के दक्षिण की ओर और डम-डम रोड के निकट बने रेल के ऊपर पुल को उपयुक्त रूप से चौड़ा करने की आवश्यकता।	100 रु०
1	1185	,, ,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में नोआपार पर एक फ्लैग स्टेशन बनाने में आनाकानी।	,,
1	1186	,, ,,	पानीहाटी के निवासियों और पानीहाटी नगरपालिका द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिये जाने और मांग किये जाने पर भी बाजार के निर्माण के लिए खाली भू-खण्ड पट्टे पर देने में पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों की आनाकानी।	,,
4	1195	,, ,,	निर्धारित सेवा पूरी करने के बाद गार्ड सभी चयन पदों पर पदोन्नति के लिए अधिकारी हों जिससे उन्हें उपयुक्त अवसर और प्रोत्साहन मिल सके और कन्डक्टरों के पद गार्डों को फिर से दिये जायें जो कि इस समय देने बन्द कर दिये गये हैं इन बातों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
4	1196	,, ,,	शिशिक्षु अधिनियम के अधीन रेलवे सी० एण्ड डबल्यू० और लोको वर्कशाप में जो व्यवसाय शिशिक्षु भर्ती किये गये थे उनके लिए कोई योजना तैयार करने में असफलता जिससे कि तकनीकी और विशेष प्रकार के कार्य के $3\frac{1}{2}$ वर्ष के परीक्षा काल को पूरा करने के बाद वे सभी खपाये जा सकें।	,,

1	2	3	4	5
4	1197	श्री मुहम्मद इस्माइल :	प्रशिक्षण के बाद रेलवे सेवाओं में शिशिक्षुओं को खपाने के बारे में उत्तर रेलवे व्यवसाय शिशिक्षु संघ, लखनऊ, के सचिव द्वारा पेश की गई शिकायतों पर कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रु०
4	1198	,, ,,	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान पूरी वर्दी देने में समान व्यवहार न किये जाने नेत्र परीक्षा माइलेज भत्ते और ट्रैफिक शन्टर पदनाम रखे जाने के बारे में अखिल पश्चिमी रेलवे शंटिग जमादार संघ, रतलान, के सचिव द्वारा पेश की गई शिकायतों पर कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
4	1199	,, ,,	गार्डों की कठिनाइयों पर ध्यान देने में असफलता क्योंकि पहले जब एक रेलगाड़ी में 7 या 8 बौगियां होती थीं तब उसके साथ तीन कर्मचारी होते थे अर्थात गार्ड-इन-चार्ज, कन्डक्टर और लगेज गार्ड और अब जबकि रेलगाड़ी में बौगियों की संख्या बढ़कर 20/22 तक हो गई है तब परिवहन कर्मचारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दी गई है ।	,,
4	1200	,, ,,	गार्डों के 'सी' ग्रेड को बदलकर 2 ग्रेड बनाने की आवश्यकता जिनमें स्टेशन मास्टरों, ट्रेन एग्जामिनरों, ट्रान्शिपेन्ट क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों, वर्किंग क्लर्कों और पार्सल क्लर्कों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों तथा वेतनवृद्धि की दर के अनुसार गार्डों के वेतनमानों तथा वेतनवृद्धि की दर को संशोधित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4	1201	श्री मोहम्मद इस्माइल :	भारतीय रेलवे के 'बी' और 'ए' गार्डों की पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रु०
1	1351	श्री पीलु मोडी :	28 अगस्त, 1969 को रेलवे मंत्री द्वारा राजकोट वाणिज्य मंडल तथा सौराष्ट्र के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को किये गये इस आश्वासन को, कि 1970-71 के रेलवे बजट में वीरमगाम तथा जामनगर के बीच बरास्ता सुरेन्द्रनगर, बांकानेर और राजकोट तथा एक और जामनगर से ओखा तक तथा दुसरी ओर पोरबन्दर तक मोटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए उपबन्ध किया जायेगा, पूरा करने में असफलता।	1 रु०
1	1352	,, ,,	रेलवे दुर्घटना जांच समिति की अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
1	1353	,, ,,	1970-71 के प्राक्कलनों में भावनगर से तारापुर तक एक बड़ी लाइन के लिए उपबन्ध करने में असफलता।	,,
1	1354	,, ,,	अहमदाबाद से दोहद तक बरास्ता आनन्द और गोदरा सीधी रेलवे लाइन बनाने में असफलता।	,,
1	1355	,, ,,	उन 38000 वाणिज्यिक क्लर्कों से, जिनकी गत 20 वर्षों में आय में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा उनकी सेवा शर्तों के मामले में न्याय करने में असफलता।	,,
1	1356	,, ,,	इसके बावजूद कि बम्बई से दिल्ली जाते हुए वातानुकूलित एक्सप्रैस/वेस्टर्न एक्सप्रैस गोदरा स्टेशन पर रुकती है, इसके दिल्ली से बम्बई जाते हुए वहां पर रुकने की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
1	1357	,,	बाँसवाड़ा तथा दोहद के बीच बरास्ता फलोड़ रेलवे लाइन का निर्माण।	,,

1	2	3	4	5
6	1397	श्री नम्बियार :	1969 में दक्षिण मध्य रेलवे में तेनाली में रेल इंजनों के तीन तांबे के बायलरों को कम कीमत पर बेचने तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से रेलवे को हुई गम्भीर हानि ।	100 रु०
6	1398	,, ,,	दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में डीजलीकरण के कारण फायरमैनों की छंटनी और स्थानांतरण तथा लोकोरोडों के बन्द हो जाने का गम्भीर खतरा ।	,,

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at two minutes past fifteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair.***]

रेलवे बजट—अनुदानों की माँगें (रेलवे) जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY)—*Contd.*

श्री क० प्रं० सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा में रेलवे यातायात के विकास के मामले की बहुत उपेक्षा की गई है । 60,000 वर्गमील से कुछ अधिक क्षेत्र और 1.75 करोड़ की जनसंख्या के लिए राज्य में केवल 990 मील लम्बी रेलवे लाइन है । गत बीस वर्षों में केवल 280 मील लम्बी रेलवे लाइने बिछाई गई हैं । वहां पर रेलवे लाइनों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । दक्षिण-पूर्व रेलवे क्षेत्र में तालचेर तथा विमलगढ़ के मध्य सम्पर्क स्थापित करने के मामले में राज्य सरकार बहुत महत्व देती है । यह रेलवे सम्पर्क रूरकेला इस्पात संयंत्र को मिलायेगा । इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे उड़ीसा की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके । वर्ष 1946 में उक्त रेलवे सम्पर्क के बारे में सर्वेक्षण किया गया था तब इस अलाभकारी पाया गया । रूरकेला में एक इस्पात संयंत्र और तालचेर में एक तापीय बिजली केन्द्र स्थापित किये गये हैं । जयपुर सड़क पर लोहवर्णकोत्पादक परियोजना स्थापित की जा रही है । बोनाई-नयागढ़ में संकलित इस्पात संयंत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब उक्त रेलवे सम्पर्क अलाभकारी नहीं है ।

इस्पात निर्यात समिति ने विशाखापट्टनम और कलकत्ता बन्दरगाहों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, 1967 में यह सुझाव दिया कि पारादीव पतन का विकास एक विकल्प-बन्दरगाह के रूप में किया जाये । जहां सभी प्रकार के यातायात के लिए व्यवस्था हो । हिन्दुस्तान स्टील

लिमिटेड ने भी इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक योजना बनाई है जिससे निर्यात यातायात बम्बई और काकीनाडा के बजाय अन्य बन्दरगाहों से किया जा सके।

क्या सरकार निर्यात उस क्षेत्र में, निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कच्ची धातुओं का निर्यात तैयार है और क्या सरकार को इस भीषण समस्या की जानकारी है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष को परिवहन की कठिनाइयों और वैकल्पिक मार्गों के न होने के कारण 1967 में कच्चा लोहा छड़ें और इमारती लोहे का निर्यात रोकना पड़ा था जिससे निर्यात वृद्धि के हमारे प्रयत्नों को बहुत धक्का लगा। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि भिलाई तथा रूरकेला के उत्पादों के निर्यात के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाये। ये उत्पाद इस समय पहले पारादीप और बाद में खड़गपुर से होकर जाते है। यह दूरी 700 किलोमीटर से भी अधिक है। दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर-खड़गपुर क्षेत्र जहां पहले ही बहुत भीड़भाड़ रहती है इससे उसे और भी अधिक भीड़भाड़ वाला बना दिया गया है। यदि बिमलगढ़-तालचेर रेलवे लाइन को शीघ्रता से पूर्ण किया जाये तो 250 किलोमीटर के लगभग दूरी को आसानी से कम किया जा सकता है। अतः मन्त्री को पक्का आश्वासन देना चाहिए कि इस रेलवे लाइन को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

सर्वप्रथम बनसपनी-कोइरा क्षेत्र से खनिज अयस्क निर्यात कार्यक्रम है। दूसरे लौह अयस्क उपवर्ग का चौथी योजना में 310 लाख टन और पांचवी योजना में 485 लाख टन निर्यात का आकलन किया गया है। इसमें अकेला उड़ीसा ही 1973 से 1974 तक प्रत्येक वर्ष 40 लाख टन की सप्लाई करेगा।

खंडाधर खंड में अभी तक खनिज नहीं निकाले गये है इसी में जिलिंग और लंगा लोटा क्षेत्र है जहां 3000 लाख टन ऐल्युमिना और सिलिका प्राप्त हो सकती है जो जापानी मांग के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के बरबिल-बनसपानी और बोलानी क्षेत्र से 1973-74 से 50 लाख टन की प्रति वर्ष सप्लाई होने लगेगी।

1974 से कोइरा बेल्ट और बारबिल से लगभग दस लाख टन मैंगनीज निर्यात करने की योजना है। 4 लाख टन उसी क्षेत्र से लिया जायेगा। अत्यधिक सुविधापूर्ण और सबसे छोटा रेल मार्ग पारादीप का तालचेर से होगा यदि बिमलगढ़ और तालचेर रेल सम्पर्क को स्थापित कर लिया जाये।

जयपुर स्थित फैरो-क्रोम कारखाने के लिए चूने का पत्थर, रिफ्रैक्टरी और क्वॉर्टजाइट की आवश्यकता पड़ेगी और निर्मित उत्पाद पुनः रूरकेला में प्रयोग किया जायेगा। इसका मार्ग तालचेर-बिमलगढ़ ही होगा।

ग्रैफाइट और कायनाइट के उपयोग का और तालाधार में कोयला उद्योग समूह का प्रश्न उठता है जिसका उद्घाटन 3 फरवरी 1970 को डा० त्रिगुण सेन द्वारा किया गया था। इसके लिए भी पश्चिमी उड़ीसा से चूने के पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। उर्वरक को दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में ले जाने के लिए पुनः रेल सम्पर्क की आवश्यकता पड़ेगी।

सभी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और लौह अयस्क के निर्यात व्यापार के सभी वित्तीय पहलुओं को देखते यह रेल सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है। इससे आदिवासी और अविकसित क्षेत्रों में विशेषतया संचार स्थापित होगा ।

पश्चिमी बंगाल में प्रतिदिन नई-नई घटनाएं हो रही हैं। वहां पर कुछ वर्ग के लोग पूरे राज्य को निष्क्रिय और संचार को अस्त व्यस्त और अन्य कार्य को घिराव और बन्द द्वारा रोक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार इन महत्वपूर्ण वस्तु के निर्यात में सुधार नहीं लाती तो यह सरकार के लिए दंडनीय अपराध है। अतः पारादीप की ओर वैकल्पिक मार्ग निकालना पड़ेगा। अतः मैं इस बारे में सरकार से पूर्ण आश्वासन चाहता हूं कि वह तालचेर-बिमलगढ़ रेल सम्पर्क को प्राथमिकता प्रदान करेगा ।

दो अन्य रेल मार्ग बहुत ही आवश्यक हैं, वे कटक-पारादीप सम्पर्क जिसके बारे में सरकार वचन दे चुकी है कि इसे दिसम्बर 1971 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। लेकिन बाद में वह इस निर्णय पर पहुंची कि इसको फिलहाल छोड़ दिया जाये। इसके लिए उसने यह बहाना रखा है कि उड़ीसा खनन निगम साईडिंग के बनाने में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वास्तव में उड़ीसा खनन निगम ने 67 लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया था। इसलिये इस कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए और कम से कम दिसम्बर, 1972 तक इसे पूरा कर लेना चाहिए।

अलाभकारी लाइनों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि बाँगरीपोसी-तालबन्द क्षेत्र को बड़ी लाइन में परिवर्तित करके इसे यातायात के लिए फिर से खोल देना चाहिए तथा बुदाभूरा और चाकूरिया अथवा राजालुक और कोकयारा को जोड़ने के विषय में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि यह सम्पर्क कलकत्ता-बम्बई मुख्य लाइन तक बढ़ाया जाता है, तो यह उस क्षेत्र में वन्य जन्तुओं और पर्यटक यातायात के विकास में सहायक होगा।

रेलवे मंत्री द्वारा 28 अक्तूबर, 1968 को उड़ीसा के बन मन्त्री को लिखे गये पत्र में वचन दिया गया था कि उड़ीसा भी आठ राज्यों में से एक होगा जिन्हें नन्दन कानून में बाइलॉजीकल पार्क के लिए बच्चों की रेल गाड़ी उपहार के रूप में केन्द्रीय सरकार से मिलेगी। चूंकि 1968 बीत चुका है और हम 1970 के मध्य में हैं, हम मन्त्री से यह एक दृढ़ वचन लेना चाहते हैं कि कब इसे मूर्त रूप दिया जायेगा।

यद्यपि धनेकानाल जिला मुख्यालय है, वहां का स्टेशन शहर की सड़क से ठीक तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। मन्त्री को देखना चाहिये कि एक ठीक सम्पर्क जोड़ने वाली सड़क बनाई जाये। प्लेटफार्म पर बैठने का पर्याप्त स्थान भी नहीं है। वहां पर उच्च श्रेणी के पर्याप्त प्रतीक्षालय नहीं हैं। प्रकाश प्रबन्ध भी उचित नहीं है। स्टेशन में इसे सुधारना चाहिये।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : श्रीमान्, मैं रेलवे की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूं। इस थोड़े समय में मैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की समस्याओं पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि सुरक्षा विस्तार दोनों ही दृष्टियों से यह रेलवे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इस रेलवे की ओर रेलवे बोर्ड और सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस रेलवे की स्थापना विभाजन से उत्पन्न यातायात मार्गविरोध के परिणामस्वरूप हुई। नेफा में 1959 में पहले चीनी आक्रमण के समय इस रेलवे लाइन का विस्तार ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर कार्य शुरू हुआ था और बाद में भारत-पाक संघर्ष के समय इस बड़ी लाइन का विस्तार जोगीघोपा तक कर दिया गया। जब कभी उस क्षेत्र में रेलवे का विस्तार अथवा वृद्धि हुई, यह मुख्यतया सुरक्षा आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ही हुआ। समस्त क्षेत्र का, केवल आसाम का नहीं अपितु उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, सिक्कम, भूटान, नेफा, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय के नये राज्य का विस्तार सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से सम्बद्ध है। जब तक वहां रेलवे लाइन का विस्तार नहीं होता तब तक सामाजिक महत्व के क्षेत्र के रूप में उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। वस्तुतः बात यह है कि जब आपत्ति आ पड़ती है, हम तब विकास या विस्तार कार्य प्रारम्भ करते हैं। चूंकि पाकिस्तान और चीन से खतरा अभी बना हुआ है अतः हमें इस क्षेत्र को रेलवे लाइनों के माध्यम से विकसित करना चाहिए। पिछड़ें क्षेत्रों के विकास के लिए रेलवे का विस्तार, विशेष रूप से बड़ी लाइनों का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है। जोगीघोपा या बोंगेगांव से गोहाटी और उससे आगे तिन्सुकिया तक बड़ी लाइन बिछायी जानी चाहिए। हमें यह देखकर दुख हुआ कि जो सर्वेक्षण नये बोंगगांव से गोहाटी तक किया गया था, उसका बजट में जिक्र भी नहीं किया गया है। आसाम के संसद सदस्यों ने कुछ समय पूर्व एक अभ्यावेदन दिया था। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धर्मनगर से अगरतल्ला तक एक मीटर चौड़ी लाइन बिछाने की मांग भी प्रति वर्ष की जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के लिए इस लाइन का होना आवश्यक है। बरौनी और कटिहार के बीच बड़ी रेलवे लाइन नहीं है। इसके बिना यहा का विकास होना सम्भव नहीं है। आसाम के लोग यह जानना चाहते हैं कि रनगिया में रेलवे डिवीजन का मुख्य कार्यालय खोलने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। आसाम में दो रेलवे लाइन—चपरमुख से अभी सिलघाट और कटखल से लालघाट अभी तक गैर-सरकारी लाइनें हैं। इनके राष्ट्रीयकरण की अनेक बार मांग की जा चुकी है और आज फिर मैं यह मांग दोहरा रहा हूँ। चपरमुख-सिलघाट लाइन को बढ़ाकर डिब्रूगढ़ तक किया जाये और इसे जोरहाट के मार्ग के से ले जाया जाये।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 रेलवे लाइन के ऊपर से जाता है। उक्त मार्ग पर बहुत अधिक यातायात रहता है और रेलवे फाटक के बन्द हो जाने पर यातायात को घंटों रूकना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस रेलवे लाइन पर धर्मतुल और ठेकेरागुड़ी स्टेशनों के बीच वाले रेलवे फाटक के स्थान पर ऊपरि-पुल बनाया जाये ताकि यातायात के रुकने की समस्या हल हो जाये। कुछ नये स्थानों पर फाटक लगाये जाने चाहिएं जिससे किसानों को फसल आदि के समय बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने में कठिनाई न हो।

जहां रेलवे लाइनें सघन-वनों के बीज से गुजरती हैं वहां पर गाड़ियों के लूट लिये जाने का खतरा रहता है और ऐसी घटनाएं प्रायः होती भी रहती है। अतः मेरा यह सुझाव है कि रेलवे लाइनों के दोनों ओर से जंगल साफ कराये जायें। हमें प्रसन्नता है कि रेलवे के इस पहाड़ी सेक्शन पर जो कछार, त्रिपुरा और मिज़ो पहाड़ियों तथा मनीपुर के कुछ भाग को जोड़ता है, डीजल की

गड़ियां चलने लगी हैं। किन्तु सुनने में ऐसा आया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था स्थायी बना दी जाये।

यह बहुत ही अच्छी बात है कि स्वयं रेलवे मंत्री ने रेलवे सम्बन्धी समस्याओं की जांच स्वयं शुरू की है। उन्होंने श्रीगणेश बम्बई की उपनगरीय रेलवे से किया है। मैं उनसे अनुरोध करता कि वह पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की समस्याओं का भी स्वयं अध्ययन करें। अन्त में मैं रेलवे मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने थोड़े समय में ही ऐसे कार्य सम्पन्न किये हैं जिससे सब ओर उनकी प्रशंसा की जा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने कार्य और उद्देश्य में सफल हों जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Mr. Chairman, the demands for grants relating to the Railway Budget are being discussed in the House now. I have moved a number of cut motions. If the Minister takes the trouble to go through them, he will come to know the problems of about 15 lakhs railway employees. He will also come to know the inconveniences which the passengers have to face while travelling in the trains. I hope you will take proper steps to solve all these problems.

As regards the Railway Board, it is merly a white elephant and serves no purpose. It should be abolished. Suggestion made regarding improvement in train services and about removal of grievances of the railway employees are not attended to by the Board. There is great dissatisfaction and frustration amongst the railway employees. Station Masters, Assistant Station Masters, loco mechanical staff has been demanding that their pay scales should be revised and the conditions of work be improved. But I am very sorry to say that no action has been taken to remove their grievances. The supervisions of locomotives are often trasferred to diesel engines. But the facilities given to the diesel supervisons are not given to them. This should be looked into. The running staff has to face a number of difficulties. When they approach the higher authorities to explain their difficulties, they are not helped. I instead they are unnecessarily more harassed. Such an attitude is unfair The ticket-examiners should be included in the running staff.

Although Hindi is our official language, yet it use in Railway Administration is not being made to the desired stage. So for nothing has been done in this direction. Even the sanctioned staff for Hindi has not been appointed. The post of the Joint Director (Hindi) is still lying vacant.

The railways have lakhs of casual and substitute labourers. Even after 10 to 12 years of service or casual or substitute labour, they are not observed in the regular vacancies. I request the hon. Minister to take steps to regularise them in order to do away with the corruption and favouritism being done in this regard.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : देश में लगभग चार लाख नैमित्तिक मजदूर हैं। उनके बारे में कुछ आश्वासन दिया जाना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri: The prevailing discontentment among the railwaymen should be removed. The principle of need based minimum wage should be introduced.

The automation should not be introduced in the Railways. The retirement age should not be reduced instead it should be increased. The uniforms should be supplied in time and there should be supplied to all categories of employees. The system of writing confidential reoorts of the emplo ees should be done away with the National Federation of Indian Railwaymen should be derecognised as it has no membership.

The Government conduct Rules pertaining to the railway employees should be withdrawn.

The Territorial Army should not be misused.

The Mansi railway station in the North-Eastern Railway should be saved from being eroded by Kosi river.

Samastipur should be connected with Darbhanga by rail. A new railway line from Bihata to Jahanabad should be laid via Vikram. Paliganj, Arwal and Kurtha. Another new railway line from Jahanabad to Bihar Sharif should be laid *via* Islampur.

The over-bridge at the Danapur railway station should be widened Patna-Gaya railway line should be doubled. Electricity should be provided at the station where it is not available at present. The level of the platform should be raised wherever necessary.

The Barauni-Danapur passenger train should be extended upto Ara station. Punctuality should be maintained in running the trains on the Bakhtiarpur-Rajgir railway line. It will help in augmenting the revenue.

The departure time of the the Mughal Sarai passenger train at Patna should be 4.30 P.M. instead of 3.15 P.M. The Delux train should run twice in a week on the main line.

Rajinder Nagar station has been named after Rajinder Babu but no train stops there. An over-bridge should be constructed at the Heethapur railway station solve the problem of rush.

Toofan Mail and Banaras Express trains should stop at Bihota railway station. A new train should be introduced at the Patna-Gaya line in the morning so that Government employees and students could reach their offices and colleges in time.

These demand should be looked into and efforts should be made to fulfil them.

श्री अ० शी कस्तूरे (खामगांव) : मैं माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र तथा राज्य की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। विदर्भ और मराठावाड़ा महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में खामगांव, जलना और औरंगाबाद कपास के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। विदर्भ में केवल एक छोटी लाइन है और मराठवाड़ा में केवल एक मीटर गेज लाइन है। इन क्षेत्रों में कपास के अलावा गन्ने का भी पर्याप्त उत्पादन होता है और इस क्षेत्र में चीनी की कई मिलें सहकारी क्षेत्र में लग रही हैं।

यह मांग की गई थी कि खामगांव को मराठवाड़ा में अलग से रेल द्वारा जोड़ दिया जाये। 1912 में इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी कराया गया था। मील के तथा फरलांग के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। पता नहीं इस लाइन का कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया। इस लाइन के बिछाये जाने के लिए अब भी मांग की जा रही है। अतः मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाये।

महाराष्ट्र सरकार ने भी मराठावड़ा में कुछ नई रेलवे लाइनें बिछाये जाने का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद को शोलापुर से बड़ी रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने के बारे में भी सुझाव दिया था। इस क्षेत्र में केवल एक मीटर गेज लाइन है और इसी कारण इस क्षेत्र की प्रगति नहीं हो रही है हालांकि प्रगति की पर्याप्त गुंजाइश है। इस मीटर गेज लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का भी सुझाव दिया गया था। पता नहीं रेलवे मंत्री ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में जामनेर से बुलडाना, मेखर, वाशिय, यवतमाल

और वानी होते हुए चन्द्रपुर तक रेलवे लाइन बिछाई जाये । इस रेलवे लाइन के बिछाये जाने से अजन्ता का प्रसिद्ध स्थान भी रेलवे लाइन पर आ जायेगा । अभी तक वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं जाती हालांकि हजारों यात्री इस स्थान को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं । मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री इस प्रस्ताव पर यथासम्भव विचार करें ।

लोहोगाड तथा अमानवाडी के स्टेशनों के बीच जामवासू नामक एक गांव है । इन दोनों स्टेशनों की दूरी यद्यपि 12 किलो मीटर है तथापि 16 किलोमीटर का किराया लिया जाता है । नामवासू के लोग यह चाहते हैं कि इस स्थान पर भी एक स्टेशन बनाया जाये । इस बारे में मैंने एक पत्र भी मंत्री महोदय को लिखा है परन्तु पता नहीं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

जालम स्टेशन के दक्षिण की ओर एक उपरि-पुल है । हालांकि गांव उत्तर की ओर है । इससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है । मुझे बताया गया है कि इस मामले में भू-अर्जन प्राधिकार से सम्पर्क स्थापित किया गया है । इस मामले को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए ।

भुसावल स्टेशन पर पंजाबमेल सुबह पहुँच जाती है । इसी प्रकार नम्बर एक डाऊन कलकत्ता मेल भी सुबह पहुँच जाती है परन्तु इन दोनों के पहुँचने के समय में कोई तालमेल नहीं है जिसके कारण पंजाब मेल से आने वाले यात्री नम्बर एक डाऊन कलकत्ता एक्सप्रैस को नहीं पकड़ पाते और उनको भुसावल में बहुत समय नष्ट करना पड़ता है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Whenever the railway budget is presented we expect same amenities for Rajasthan.

Shri Nanda is an experienced Minister and he has now taken over the Raiiways. He has said that he will eradicate the corruption from this department. Some concrete step should be taken in this regard otherwise the people are not going to be befooled by all these loud talks. I have read in the newpapers that he travelled in the IIIrd class compartment. Will he be able to solve the problems of the IIIrd class travellers ? I think he will not be able to do that.

I had earlier suggested that railway line from Kota to Chittor should be laid. But this demand was turned down on the plea that it will be an uneconomic line. I do not know how he can say like that ? A Survey Committee was sent there and this Committee had suggested in its report that Sangana town should be connected with Bundi by meter-gauge line via Todrarai Singh. I do not understand how a broad-gauge line can be connected with meter-gauge line. It is true that some lines have been laid and some are being laid in Rajasthan under the influence of some Ministers but they have proved uneconomic lines.

Although the speed of the trains has almost been doubled yet we are loading ten tonnes in the brake-van. It should have been eighteen tonnes ; wooden brake-vans have been replaced by steel brake-vans. It takes long time to get them repaired. The contracstors have been benefited by crores of rupees in this process of replacement.

Conductors and other employees of the running staff are paid higher salaries and allowances than the Goods. This discrimination should be done away with. Now the conductors have been replaced by the Attendant who are illeterate. They cannot serve the people well as I have a bitter experience about it.

The teachers of the Railway Schools are being paid less as compared to other raiiway employees, there is also discrimination in so far as casual leave is concerned. They are granted 12 casual leave in a year whereas other employees enjoy 15 casual leaves. No amenities are provided to the teachers.

The coal wagons in Kota are being unloaded near the colony of the Loco employees. A cemented wall should be constructed there.

Unfiltered water is being supplied to the railway employees in total. Even the existing tank has never been cleaned. Necessary arrangements should be made to supply filtered water there.

Some traslators were recruited in the grade of Rs. 130-300 few years back to make arrangements on the stations regarding arrival and departure of trains. They were given assurance to the effect that they will be promoted in the next higher grade i.e., in the grade of Rs. 210-400 but nothing has been done so far towards them although four years have already elapsed. They should be promoted in the higher grade as early as possible.

Few years back a man belonging to the Scheduled Caste was promoted to the post of I.O.W. He has now been reverted to his original post of Mistri whereas he has worked for eighteen years on the post of Mistri. It has been said that he has not been confirmed in the grade and therefore he cannot continue the higher post. This is the treatment which is being meted out to the Scheduled Caste employees. Similar things are happening in the Laxmi Workshop. The Manager of the workshop is not in favour of promoting the Scheduled Caste employees He is recruiting the persons from back doors.

Some Doctors are working in the railway Hospital, Kota in the last eight or ten years. They are not being transferred from there. The doctors recommend to the candidates to buy Spectacles from Kamal & Company and the candidates who refuse to pay higher prices to the said Company are rejected by the said doctors.

The workers of the wheeler stall are now being given only 7 percent commission although during the British period they were getting 15 percent commission. No other facilities such as uniforms etc. are provided to them.

So far as the question of refreshment in the railways is concerned, Government is creating monopolies in this field. In case of death of owner of one 'thela', his licence is transferred to the other person who is already having four or five 'thelas'. This is not proper. The licence should be granted to the son of the decreased so that the family may be able to make both ends meal.

So far as the functioning of the Users Committee is concerned, I would like to point out that corrupt persons are taken in the Committee. I know one Shri Darollia who was charged for travelling on false ticket but he is there in the Users Committee. Similarly Shri Japhuriah has been included in the Users Commtttee of the Western Railway. Shri Japuriah does not know even the names of the station of the Western Railway. I would request therefore that persons living in the respective areas should be included in the Users Committee of those areas.

The class III employees belonging to Scheduled Castes and Schedule Tribes should not be transfered as the authorities extract from them huge survey on this plea.

No action is taken on complaints lodged in such cases. So far as corruption is concerned, I can quote another example. You can get tickets from few agencies outside Delhi station on paying four rupees in excess although you will not be able to get those tickets from the station window or even from Parliament House. If you want to eradicate corruption from railway, persons should be appointed in the Vigilance Department on permanent basis.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

The booking clerk have been allowed to keep change with them only upto five to ten rupees. This cannot serve the purpose as even a person who buys ticket worth six annas gives one rupee note.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धो समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 59 वें प्रतिवेश्न से, जो 18 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के 59 वें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1970

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1970

नयी धारा 7 क का रखा जाना

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन कर ने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन (विधेयक), 1 70

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन, अनुच्छेद 320 का संशोधन तथा अनुच्छेद 335 का हटाया जाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1970

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move :

अनुच्छेद 120,210,343 आदि का संशोधन

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure. 1908".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 120, 210, 343 आदि का संशोधन)

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूँ।

मिथिला विकास बोर्ड विधेयक, 1970

MITHILA DEVELOPMENT BOARD BILL, 1970

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I beg to leave :

"that leave be granted to introduce a Bill to provide for the formation of a Board for the purpose of rapid agro-industrial development of North Bihar".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि उत्तर बिहार के शीघ्र कृषि औद्योगिक विकास के लिए एक बोर्ड के गठन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Shiva Chandra Jha : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 120,210 और भाग सत्तरह का संशोधन)

श्री मुरासोली मारन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970
(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1 70
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970
(अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्री मधुलिमये के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा श्री मधु लिमये अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधेयक के सम्बन्ध में अनुच्छेद 117 तथा अनुच्छेद 110 के अन्तर्गत हमें राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी होगी । इस विधेयक में की गई व्यवस्था अत्यंत उपयोगी है तथा मुझे विधेयक के सम्बन्ध में कोई आपति नहीं है । मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी तकनीकी भूल न हो जाये जिससे यह अधिनियम पारित न किया जा सके ।

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 314 को हटाने की व्यवस्था है । अनुच्छेद 314 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को वही सेवा की शर्तें जारी रखने की व्यवस्था की गई है जो उन्हें ब्रिटिश काल में मिलती थी । इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 314 में 'पारिश्रमिक, छुट्टी और पैंसन के वही अधिकार' का उल्लेख किया गया है । मुख्यरूप से इसी बात पर विचार करना है । उच्चतम न्यायालय ने पारिश्रमिक (रैम्यूनेरेशन) शब्द की व्याख्या की है तथा उसने बताया है कि पारिश्रमिक (रैम्यूनेरेशन) शब्द बड़ा व्यापक है । आपकी अनुमति से मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्वित अंश की कुछ चर्चा करना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 314 में पारिश्रमिक शब्द को केवल वेतन के किसी समिति अर्थ में नहीं लिया गया । यदि कोई व्यक्ति प्रति वर्ष कोई वेतन (भुगतान) या कोई प्रतिशतता अथवा किसी अन्य प्रकार का भुगतान प्राप्त करता था उसे पारिश्रमिक कहा जायेगा ।

संविधान में पारिश्रमिक शब्द को इतने व्यापक अर्थों में लिया गया है। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के अन्तर्गत इन सुविधाओं को भत्ते अथवा अन्य विशेषाधिकारों के रूप में लिया गया था तथा ये सुविधायें भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित किये जाने वाले पारिश्रमिक का अंग बन गई। संविधान से पहले इन अधिकारियों की सेवा की शर्तों की गारंटी दी गई थी तथा उनके पारिश्रमिक की भी गारंटी दी गई थी। संविधान के लागू होने पर भी यह गारंटी जारी रही तथा कानूनी व्यवस्था होने के कारण केन्द्र सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने में अक्षम रही, यद्यपि जून 1957 में बनाये गये अखिल-भारतीय सेवा नियमों के द्वारा इस संवैधानिक गारंटी को समाप्त करने का प्रयास किया गया था।

इससे स्पष्ट विदित होता है कि अनुच्छेद 314 में प्रयुक्त पारिश्रमिक शब्द भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विभिन्न वित्तीय अधिकारों से सम्बद्ध है। पारिश्रमिक का अर्थ केवल वेतन नहीं है अपितु कुल वित्तीय सुविधाएं हैं। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को अनुच्छेद 314 में पारिश्रमिक की गारंटी होने से यह वित्तीय दायित्व का मामला है। जिसे सरकार ने अपने ऊपर लिया है।

संविधान के अनुच्छेद 1/7 में कहा गया है कि "अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के (क) से (च) तक के उपखण्डों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा।"

महोदय! अनुच्छेद 110 के उपखंड (क) से (घ) तक में यह व्यवस्था की गई है:

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अर्थात"—मैं (क) को छोड़कर (ख) की चर्चा करता हूं। इसमें कहा गया है;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन; उपखंड (छ) में कहा गया है—(छ) उपखण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

इससे स्थिति स्पष्ट हो जानी है कि ऐसे विषयों पर राष्ट्रपति की सिफारिश होना अनिवार्य है। श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों से भी यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 3 4 में कुछ वित्तीय दायित्व अन्तर्विष्ट हैं।

संविधान के प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री बासू और श्री सीरवाई भी मेरी बात का समर्थन करते हैं कि अनुच्छेद 110 के अन्तर्गत उल्लिखित विषयों पर बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर अभी चर्चा नहीं करनी चाहिये। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के लिये भेजना चाहिये जिससे किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न उत्पन्न हो सके। यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि यह पारित हो जाये।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, the Private Member's Bills are dealt with by the Ministry of Home-Affairs. It has been the duty of the Ministry of Home-Affairs to refer those Bills which involve financial obligations to the President to give his recommendation. In this contexts I would like to know whether the Ministry of Home-Affairs have sought the recommendation of the President on this Bill. May I know whether this Bill was sent to the President for his recommendation and if so, whether the recommendation was made by the President or not ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्री साल्वे ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की है कि यह विधेयक धन-विधेयक है अतः इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश होना आवश्यक है। किन्तु श्री मधु लिमये के विधेयक का उद्देश्य यह है कि ये अधिकारी जिस विशेषाधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठाते हैं उनको उनसे छीन लिया जाय। यह विधेयक केवल धन-विधेयक नहीं है अपितु इसमें कुछ अन्य बातें भी सम्मिलित हैं। वास्तव में कठिनाई यह है कि यदि इस विधेयक को वापस लिया जाये और फिर राष्ट्रपति को भेजा जाये तो यह दुबारा यहां नहीं आ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है।

श्री नम्बियार : है, अवश्य है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : महोदय ! इस विधेयक द्वारा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को छीनने की व्यवस्था है। भारत सरकार पर इस सम्बन्ध में जो उत्तरदायित्व का यह विधेयक इसे इससे मुक्त करना चाहता है। अतः यह विधेयक अनुच्छेद 110 (1) (ख) के अन्तर्गत नहीं आता और इस पर चर्चा करना उपयुक्त है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इस विधेयक की व्यवस्था को समझने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करना होगा। श्री साल्वे ने इस बात का उल्लेख भी किया है। यह विधेयक पारिश्रमिक (टैम्यूनेटेशन) तथा अन्य बातों से सम्बद्ध है।

वास्तव में धन-विधेयक अनुच्छेद 110 के अन्तर्गत आते हैं किन्तु इसं सम्बद्ध में हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा अनुच्छेद 111, 112 तथा 117 का भी विचार करना होगा। हमें यह भी देखना है कि क्या यह विधेयक वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विधेयक है।

मैं अनुच्छेद 110 और विशेषकर उपखंड (घ), (ङ) और (छ) का उल्लेख कर रहा हूं। यदि हमें समेकित निधि से धन निकालना हो तो वित्तीय ज्ञापन देना तथा राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

वास्तव में हम विधेयक का विरोध नहीं करना चाहते। हमारा केवल इतना अनुरोध है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए। इस बात से हमारी कोई हानि नहीं। केवल 15 या 20 दिन की देरी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : एक धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है, जहां तक इण्डियन सिविल सरविस का सम्बन्ध है, हमने उन्हें अनुच्छेद के अन्तर्गत कुछ संवैधानिक गारन्टी दी हुई है, और हम उसमें परिवर्तन करना चाहें तो इससे भारत की संचित निधि पर प्रभाव पड़ेगा अतएव यदि हम संविधान में उल्लिखित

शर्तों को पूरा न करें तो इसका तात्पर्य संविधान का उल्लंघन करना होगा इसलिए इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

विधि-मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्री (श्री मु० युनूस सलीम) : यह बात सुस्पष्ट है, इस विधेयक का उद्देश्य संविधान अनुच्छेद 314 का संशोधन करना है। प्रश्न यह है कि क्या इस पर अनुच्छेद 117(1) लागू होता है या नहीं। यदि हम अनुच्छेद 117(1) को अनुच्छेद 110 (1) (ख) के साथ पढ़े तो यह स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

अनुच्छेद 110(1) (ख) में कहा गया है कि :

"भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध निधि के संशोधन करने का विनियमन ;"

अनुच्छेद 110 का खंड (1) का यह उप खंड (ख) इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए अपेक्षित है।

अनुच्छेद 314 में कहा गया है कि:

"इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कोंसिल द्वारा भारत में, सम्राट की किसी असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात् भारत की या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार से, जिसकी सेवा वह समय समय पर करता है, पारिश्रमिक छुट्टी और निवृतिवेतन के बारे में उन्हीं सेवा शर्तों का, अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उनके तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसा कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हो, हक्क होगा जिनका कि "उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले हक्क था,"

इस अनुच्छेद में कतिपय वित्तीय कम अन्तर्ग्रस्त हैं। जब एक बार यह निश्चित हो जाता है कि इसमें वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त हैं तो निश्चित ही इस पर संविधान का अनुच्छेद 117(1) लागू होता है और विधेयक को राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would request you to see the Article 110(1). It says "For the purpose of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters".

There are many other things like Conditions of Service along with the emoluments. There is no mention of Financial obligations but prerogatives. Emoluments are part of it. What I am going to amend is not law but constitution. My Bill, when passed, will become law According to the decision of the Supreme Court what I am going to amend is not law but constitution and the Bill will become law after having passed.

What I am seeking to amend is not a law but the constitution. I am seeking to amend it through a Bill which after the assent of the President will become a law according to the Supreme Court Judgement. When my amendment is passed and section 314 is deleted then the Government would not have to incure further expenditure. The Govern-

ment's money will be saved. Perhaps the Chavan may be impressed with our arguments and concede it. If the Constitution amendment Bill is passed, the Government would not have to incur further expenditure. If there is such provision in any Bill then the concerned member has to present Financial Memorandum along with the Bill. I have arrived at the decision that since there is no mention of incurring further expenditure so there is no need of Financial Memorandum along with it. As such no objections can be raised under Article 117(1) or 117(3).

The Supreme Court has given its decision regarding Golaknath and Bank Nationalization that the rights enshrined in the Constitution cannot be taken away by the Parliament. So if we move law to replace article 314 in the Constitution, then it cannot be passed due to similar other articles in the Constitutions.

At last I would like to say that there is no need of the consent of the President. I am seeking to amend the Constitutions and not a law.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। श्री मधु लिमये ने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है अनुच्छेद 117(1) के अनुसार अनुच्छेद 110 के खंड (1) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं कियां जायेगा, अतएव मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह विषय अनुच्छेद 110 के उप खण्डों (क) से (च) के अन्तर्गत आता है कि नहीं ?

दूसरा यह कहना गलत है कि संविधान कानून नहीं है, संविधान को कानूनों का कानून बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक यहां पुनःस्थापित कर दिया गया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। यह प्रश्न अभी भी विचारार्थ है कि क्या यह सभा विधेयक का पारित कर सकती है या नहीं, मेरे विचार में यह निश्चित करना माननीय सदस्यों पर होगा कि इस विधेयक में व्यय भारत की संचित निधि में से होगा। यदि यह मान लिया जाता है कि व्यय भारत की संचित निधि में से होगा तो फिर इस पर विचार किया जायेगा कि क्या इसके बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के पारित किया जाये या नहीं। श्री मधु लिमये अपना वक्तव्य जारी रखें।

Shri Madhu Limaye : The bill is only a part of our struggle which we have set against all rested interests. The demand of economic equality and Social Justice is bring out. The suggestion of abolishing the prerogatives of Rulers and Section 314 of the Constitution are part of this demand. The Government have not fulfilled the promise regardidg the Privy Purse and have not introduced the Bill. If we want to end the vested interests then we should also attack the Managing agencies and sole selling agencies of Companies which earn great profits.

This is my warning that a new class of political leaders is taking shape which are demanding more privileges and facilities. So it will be a part of our Compaign that all these things should be reconsidered a fresh. But the question is not only of Social Justice and economic equality but of moderanization of administration. I am talking of Indian Civil Service official as a Symbol of General administration. At the time of creation of Indian Civil Service by the Britishers, the functions of the States were limited and the States interfered less in economic and financial matters. In the time of Britishers, the function of I.C.S. officers were to collect the revenues and maintain law and order in the

areas. But the situation has changed since then. Today the States have to carry on many functions. But even now the I.C.S. officers are considered able for all these works. The number of I.C.S. officers has since decreased from 10:4 to 111. This information was given by your Ministry. The Selection of this General administrators was peculiar. The poor or the General people had no access in this service. In this way a special class came here as I.C.S.

Another pecularity regarding this was that after the selections no outsiders were allowed to enter in this category. In this way a special class was created. They always made claims that important parts in the administration should be given to them through they had no specialization for these posts Their arguments was that they know everythings. You know that during British regime an I.C.S. officers was appointed a Chief Justice. Now an I.C.S. officer can be appointed as Vice-chancellor, Ambassador or Governor of Reserve Bank or State Bank. They were made Chiefs or Heads of Industries which were set up in Public Sector. In the State Trading Corporation one should have knowledge of Import-Export and training etc. and these things are not in the I C S. officers but even then they were considered for such jobs.

Besides this, the bureaucracy represents the cast system of our Society. The high class is there. They speak refined language and have polished manners. So they pull on their work somehow. But as far as the special knowledge for fields lives social welfare, relation between employers and employees, trade etc. are concerned, they prove ineffective.

In 1948-49, the talks of opening new industries in Public Sectors started. We advised at that time that an Economic Civil Service should be opened. So that only those persons may be taken in it who had industrial training and could work in Industries, Banks etc.

But the Government have not acceded to this demand. Today the Public sectors are criticized by the Government. It is because those the Government have entrusted all the responsibilities to the General administrators.

Now the question of Social equality is there. There are many able persons in I.A.S. but deposits this. There is a great disparity in the administration of two services. Some political leaders are also responsible for this State of affairs. I have heard that when the number of I.C.S. officers were decreasing, then certain Ministers made complaints that they had no I.C.S. officers in this departments. The I.C.S. became the Symbol of State. Certain Ministers even used to say that they have been provided simply I A.S. officers instead of I.C.S. officers. The political leaders are involved in such things.

I do not want to go in details about the privileges and facilities of these people. Though after independence some privileges were taken away but other evils have entered into our administration and politics.

The I.C.S. officers establish contacts with big foreign and Indian Companies while they are in service. After retirement they take undue advantage of their previous official status. We know that many an Ex. I.C.S. officers are now bigbusinessmen. Under constitution they enjoy certain privileges and no legal action could be taken against them. In their case Governors cannot suspend them. We know that in the case of Mr. Kapur.

I request the hon. Minister to accept this Bill. In case he is not in a position to get it passed at once, let us be assured that he agrees with this Bill in principle and would himself bring a Bill afterwards.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । इस पर चर्चा ब्यौरेवार होनी चाहिए । अतः इसके बारे में कोई समय सीमा निश्चित न की जाये ।

Shri Bhogendra Jha (Jaya Nagar) : Sir, next Bill is in regard to Directive Principles of the Constitution. I do not extend time for this Bill but at the same time I would like that next is also introduced.

श्री बेदव्रत बरुग्रा (कलियाबोर) : इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय अनेक कानूनी ग्रापत्तियां उठाई गई थीं। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद् उस अनुच्छेद में उल्लिखित अनुच्छेद को छोड़कर सभी अनुच्छेदों का संशोधन कर सकती है। इस प्रकार संसद को देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। यह ठीक है गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संसद् द्वारा संविधान के कुछ भागों का संशोधन करने के अधिकार को कम कर दिया है परन्तु अनुच्छेद उसके अन्तर्गत नहीं आता है। इसका संशोधन करने का संसद् को पूर्ण अधिकार है। सरकारी अधिकारियों के संरक्षण की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। एक लोकतन्त्रीय शासन में तो यह बहुत आवश्यक है। परन्तु आई० सी० एस० अधिकारियों को जो संरक्षण मिले हुए है वे ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की निशानी है। यह उसी समय से चले आ रहे हैं। अब हमें उन पर फिर से विचार करना है और देखना है कि क्या वे आज की परिस्थितियों में उचित है। ब्रिटिश के समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अन्तर है। अतः हमें सभी आवश्यक परिवर्तन करने हैं। अब प्रशासन के अनेक अधिकार जनता के अधिकार हैं। अब यदि संसद् द्वारा कोई निर्णय किया जाता है अथवा संसद् के अनुमोदन से सरकार द्वारा कोई निर्णय किया जाता है तो प्रशासन को उसे कार्यान्वित करना होता है। प्रशासन को अपने कर्तव्यों के आधार पर कार्य करना होता है और अधिकारों के अधिकार पर नहीं। अतः हमें संविधान का संशोधन करके उन विशेषाधिकारों को समाप्त करना होगा जो कि लोकतन्त्रीय ढांचे के साथ मेल नहीं खाते। जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है हमें अनेक प्रकार के कार्य करने हैं। हमें व्यापार तथा उद्योग पर नियन्त्रण रखना है। ऐसा हम तब ही कर सकते हैं जब तक हम कुछ सरकारी अधिकारियों को दिये गये विशेष अधिकारों को समाप्त नहीं करते। हमें अन्य राष्ट्रनिर्माताओं जैसे इंजीनियरों तथा तकनीशनों आदि सभी को भी समान स्तर पर लाना होगा। अब हम क्या देखते है कि सरकार अथवा संसद् द्वारा अनेक प्रकार की निर्धारित नीतियों के बावजूद जो नियम बनाये जाते हैं वे भिन्न होते हैं।

ऐसी स्थिति दीर्घ अवधि तक नहीं चल सकती। जनता की स्वतन्त्रता तथा सुविधा के लिए आई० सी० एस० वालों के विशेषाधिकार समाप्त करने होंगे। इस तरह के अधिकारों की और किसी देश में व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हमें और आगे विचार करके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रेतर कार्यवाही करनी होगी। वही देश सफलता प्राप्त कर सकता है जिसका प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार बदल जाये।

अब हमारे यह ये अधिकारी लोग सेवा निवृत होने के बाद बड़ी-बड़ी कम्पनियों में नियुक्त हो जाते हैं। यह एक बड़ी खतरनाक बात है। श्री भिडे, जो जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष थे, वे बोलटास कम्पनी में नियुक्ति प्राप्त कर लीं है। इस कम्पनी के 27 प्रतिशत शेयर उक्त निगम ने दिये। क्या औचित्य नहीं है ? अधिकारों के साथ हमें कर्त्तव्यों का उपबन्ध भी करना चाहिए। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आई० सी० एस० के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारियों को चैयरमैन बनाया जाता है। इन अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय सेवारत आई० सी० एस० अधिकारियों की संख्या एक सौ से कम है । 1979 में आखिरी आई०सी० एस० अधिकारी सेवा निवृत हो जायेगा । शेष जानकारी मैं बाद में दे पाऊंगा ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : गत बाइस वर्षों के प्रशासन पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि क्या हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है ? एक स्वतंत्र देश में केवल शासन ही अपने लोगों के हाथों में नहीं होता बल्कि उस देश की नीतियों की कार्यान्विति का कार्य भी ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो जनता के समान अधिकारों वाले होते हैं ।

जिस समय संविधान सभा में इन अधिकारियों के विशेषाधिकारों पर चर्चा हो रही थी तो अनेक सदस्यों ने इनका विरोध किया था । श्री आयगर ने इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने को कहा था परन्तु सरदार पटेल इनके समर्थक थे, इस तरह इनका उपबन्ध किया गया था । यह विशेषाधिकार तभी से चले आ रहे हैं इस प्रकार मुझे शंका होती है कि क्या हमें स्वतन्त्रता मिली है ? सत्ता का स्रोत तो यही बड़े-बड़े अधिकारी हैं । जब उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं तो जनता का राज कैसे हुआ ? मैं जानता हूँ कि यह अधिकारी राजनीतिज्ञों को बेवकूफ समझते हैं। 1947 से पहले यही आई० सी० एस० अधिकारी देश के स्वतन्त्रता संग्राम को दबाने में आगे आगे थे ।

हमने स्वतन्त्र भारत में निम्न वर्गों को ऊपर उठाने का संकल्प किया था । क्या इस उद्देश्य की पूर्ति इन अधिकारियों के माध्यम से हो सकती है ? इन्होंने ब्रिटेन में शिक्षा पाई है। आज के युग से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । हमें इनसे छुटकारा पाना है । मैं नहीं जानता कि कानूनी पहलू से इनके विशेषाधिकारों को कैसे समाप्त किया जा सकता है । इस पर सरकार को विचार करना होगा ।

संसद सदस्यों के अधिकारियों को संहिताबद्ध नहीं बनाया गया । हमें पुलिस सभा के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार कर सकती है । हमारे आई० सी० एस० के अधिकारियों के अधिकारों को संहिताबद्ध कर दिया गया है ।

हमारे देश के नेताओं ने आई० सी० एस० के अधिकारियों को विशेषाधिकार देने की बात कैसे मान ली । मैं समझ नहीं सका । वास्तव में यह अधिकार तो आई० सी० एस० के अंग्रेज अधिकारियों के लिए थे । अब इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

ऐसा समाचार है कि कुछ आई० सी० एस० के अधिकारी इन विशेषाधिकारों को वापिस लेने का विरोध कर रहे हैं । हमने जो पत्र लिखे हैं उनका मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय पत्रों को पढ़े बगैर उन पर हस्ताक्षर करते हैं । आई० सी० एस० अधिकारियों को उपलब्धियों के मामले में विशेषाधिकार प्राप्त हैं । उन्हें 4000 रुपये वेतन मिलता है । उन्हें बड़े बंगले मिलते हैं और बहुत अधिक सुविधायें दी जाती हैं । 1947 के बाद उन्होंने स्वतन्त्रता का सब से अधिक लाभ उठाया है ।

उनमें से कुछ बहुत सफल राजदूत सिद्ध हुए हैं।

विदेशों में स्थित हमारे दूतावास कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वे विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या वे विश्व के अन्य भागों में भारत की वास्तविक भावनाओं और वास्तविक उद्देश्यों का प्रसार करते हैं ? यह कहा जाता है कि नेहरू जी और गाँधी जी ने एशिया अफ्रीका के देशों के लोगों के हृदय जीते हुए हैं। अब हमें यह विदित हुआ है कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के निवासियों के दिल में हमारे लिये कितना मान है।

यह लोग सरकारी क्षेत्र में हमें सहयोग दे रहे हैं।

हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में हमें इन कर्मचारियों पर विश्वास करना चाहिए। मन्त्रियों के कान में यह भरा जाता है कि ये कर्मचारी सब आन्दोलनों के लिये जिम्मेवार हैं अतः इन्हें दूर रखना चाहिए। श्री चव्हाण को उनकी कठिनाइयां सुनने का समय नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग भूखमरी और नलकूपों के न लगाये जाने के कारण मर रहे हैं। दूसरी ओर सैनिक अधिकारी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें केवल 18,00 रुपये मिलते हैं तो वे देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। भारतीय प्रशासन सेवा में आये युवकों को गलत बातें बताई जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि घुड़ सवारी अनिवार्य है और उन्हें तरह तरह के फैशन करने को कहा जाता है। इन आई० सी० एस० अधिकारियों को सुभाष चन्द्र बोस और श्री कामथ से कुछ सीखना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को दी जाने वाली शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस बात से सहमत हूँ कि उक्त विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि श्री चव्हाण को इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में सक्रिय कार्यवाही करने सम्बन्धी घोषणा करनी चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): I am thankful to Shri Madhu Limaye for bringing this Bill. We have democracy in our country. Democracy cannot flourish unless there is development done in the country.

We have decided to adopt socialism. Due to the I.C.S. system we have not been able to provide relief to the people from Tehsil level to Central level. Government has not been able to create atmosphere to provide facilities to the people. We have not been able to get any co-operation from these I.C.S. officers in the matter of progress of Community Development Schemes, Community Projects and Five Year Plans.

If we want to maintain democracy in our country we would have to study the policies of our administrators. We will have to see whether these officers have real love for the people or they are showing sympathy only to maintain their status. It is true that the number of I.C.S. officers has reduced very much. But they have created bad atmosphere in the country and have spoiled our administration and have made it inactive and useless. If we want to keep our socialism alive we should appoint those persons who have faith in public and democracy and who may be curious to raise the standard of the people. We call them public servants. They can play an important role in changing the life of the people in the country. But it is regrettable that people have hatred for these people throughout the country. People belive that these officers actually rule the country. Even 22 years after the independence we are not able to change this system. It is one of the reasons of failure of public sector industries.

Government employ those persons in the public sector industries who have no experience in those sectors. As a result of it the public sector industries go in losses. These high officers do not provide an opportunity to the efficient and honest officers, who have been trained in all respects to rise. It is due to this fact that our efficient officers, doctors and engineers are not able to co-operate and they are going abroad for service. If we really want to adopt socialism we should make a radical change in our administration. Now the time has come when we should give a new shape to our administrative machinery. All the facilities enjoyed by them should be discontinued, and a fresh basis should be established for all these administrative services.

There are certain officers in our Embassies who have no knowledge about the standard of living, art, culture and history of our country. It is the proper time that we should appoint only those persons as our representatives abroad who have full knowledge about our country. There is no lack of intelligent persons in the country. It is necessary that we should provide an opportunity to the new generation so that they may construct a new India with their talents.

श्री नरेन्द्र कुमार शाल्वे (बेतूल) : विधेयक क पीछे जो भावना है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। श्री मधु लिमये ने अपने भाषण में तीन बातों का उल्लेख किया है। सर्व प्रथम यह कि ये विशेषाधिकार लोकतंत्रात्मक आदर्शों की समता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आई० सी० एस० के सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकार लोकतंत्रात्मक आदर्शों और सामाजिक न्याय के विरुद्ध हैं।

दूसरी बात यह कही गई है कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने प्रशासन की बागडोर अपने अधिकार में ली हुई है। वे देश में उच्चतम पदों पर नियुक्त हैं।

तीसरी बात यह है कि उनके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने का मुख्य कारण उनका झूठा अहंकार है।

अन्य देशों में स्वतंत्रता के बाद उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते।

बुद्ध और गांधी की भूमि पर ही उनके साथ ऐसा नम्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन इसके बदले उन्होंने भारतीय जनता की आशाओं पर तुषारपात किया है।

भारतीय सिविल सेवा अधिकारी ब्रिटिश काल में प्रशासन के मामले में लौह-पुरुष समझे जाते थे। आज भी उनकी यही स्थिति है। यह बात ब्रिटिश शासन काल में उचित समझी जा सकती थी लेकिन आज सरकार के लिए ऐसा करना उचित नहीं।

देश में कुछ लोगों को विशेषाधिकार देने का क्या अभिप्राय है जबकि देश के करोड़ों व्यक्तियों को पीने का शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत दमनीय दशा में है। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को ये विशेषाधिकार देकर हमने देश में लोगों के बीच असमानता में वृद्धि की है।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को भारत के लोगों से नफरत मिली है। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन और स्वतन्त्रता के बाद देश की सेवा की और वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल सिद्ध हुए। स्थल, वायु और थल सेना ने ब्रिटिश शासन काल में भी देश की सेवा की और स्वतन्त्रता के बाद भी देश की सेवा की और आज

भी जनता की नजरों में उनका बहुत आदर है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनता का विश्वास है कि प्रतिरक्षा सेना में काम करने वाले कर्मचारी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने यह साबित किया है कि वे केवल अपने लिए जीवित हैं और अपने लिए सोचते हैं।

इन स्वार्थी लोगों से कोई लाभ नहीं है। निस्सन्देह इनमें कुछ अपवाद हैं। ये आई० सी० एस० अधिकारी जब अपनी नौकरी पर होते हैं तब उनमें अत्यधिक अहंकार होता है पर उससे हटते ही वे जीवन प्रतिदिन की कठिनाइयों से अवगत हो जाते हैं और एक अच्छे सम्पर्क अधिकारी तथा बिचौलिया का काम करते हैं। इस प्रकार का है उनका दोहरा व्यक्तित्व। यह विधेयक पास किया जाये अथवा नहीं, पर मैं श्री चव्हाण से इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि सेवा निवृत होने के बाद भी इन लोगों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करने दिया जाये। उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद किन्हीं बड़े पदों पर नियुक्त न किया जाये। यदि ऐसा न किया जा सके तो कम से कम इन्हें हमारे सरकारी उपक्रमों से दूर ही रखा जाये क्योंकि प्रशिक्षण से, स्वभाव से और ऐतिहासिक तथ्यों से ये लोग यह समझने में असमर्थ हैं कि व्यापार का असली अर्थ क्या होता है। इन लोगों का अहंकार, जो इनमें बस चुका है, एक व्यापारिक संस्था के प्रमुख पद के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि वे मंत्री तक के निर्णय का तिरस्कार यह कह कर, कर देते हैं कि वह मुझे को नहीं समझते इसलिये इनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पाना सरकारी उपक्रमों के लिये उत्तम होगा।

यदि गृह मंत्री श्री मधु लिमये के इस विधेयक को स्वीकार कर लें तो इनसे केवल उनकी सेवा की ये शर्तें और चालू नहीं रहेंगी और संविधान के अनुच्छेद 314 के निकाल देने पर भी हम करारों और परम्पाराओं से भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों को वही विशेषाधिकार और पद देने के लिए बाध्य हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 314 को निकाल देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आशा है मंत्री महोदय विधेयक इस पहलू पर विचार करके अपना मत प्रकट करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
सैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

संविधान (सशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) ; During the last 22 years of independence there had been tremendous enlightenment in our society. We have natianalized the banks and a large number of people have demanded abolition of property rights. The provisions in the Constitution regarding I.C.S. are a blot on our Constitution. The bureaucracy had always exploited the public and these I.C.S. officers are the main tools of that set up.

In view of our determination to bring about socialism in the country, there is no need to continue the special facilities given to I.C.S. officers. When we are going to do away with the privileges given to ex-rulers, we should also do away with the special facilities enjoyed by the I.C.S. officers. We should remove the black spot of our Constitution and it is right and proper to delete article 314.

श्री नम्बियार : संविधान के अनुच्छेद 314 में भारत के स्वतंत्र होने पर भी 'Crown' शब्द को प्रयोग क्यों किया गया है इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये । अपने देश के संविधान को मान लेने पर यहां इस शब्द का क्या काम है ?

अतः मैं इस अनुच्छेद के हटाने वाले विधेयक का स्वागत करता हूं । अब हम प्रभुता सम्पन्न हैं और हमें अब ऐसी बातों को जारी नहीं रहने देना चाहिए । जब भी सरकार किसी व्यक्ति के लिये कुछ करना चाहती है तो वह कर देती है पर जब आई० सी० एस० अधिकारियों का प्रश्न आता है तो वहां कानून आड़े आ जाता है । पर अब हमारे सामने इस कठिनाई को दूर करने के लिये संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे हमें पास करना चाहिए ।

हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के चारों ओर भी नौकरशाही का ताना बाना बुना जा रहा है और उनका व्यवहार भी कुछ कम निन्दनीय नहीं है । वे जिस संस्था अथवा विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं उसका उन्हें इतना तक पता नहीं होता कि यहाँ क्या होना है और कैसे होना है, पर फिर भी कार्य का वास्तव में सम्पादन करने वाले तकनीकी लोगों को उनके सामने झुकना पड़ता है । यदि हम ऐसी स्थिति को चलने देंगे तो इससे बहुत नुकसान होगा ।

एक सदस्य ने कहा है कि एक नई सेवा गठित की जाए । यह बात बिल्कुल सही है पर इस नई सेवा के लिए कोई विशेषाधिकार आदि देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । अन्यथा एक और नौकरशाही का जन्म होगा और फिर हम उसे किसी प्रकार समाप्त नहीं कर पायेंगे । अन्य देशों की तरह ही हम अपने देश में भी प्रतिभा-सम्पन्न लोगों को विभिन्न सेवाओं में भर्ती करने के लिए पांच से दस साल का करार कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक और उचित वेतन दे सकते हैं । परन्तु करार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् हमें उन्हें सेवाओं से निकाल कर अन्य स्थानों पर लगा देना चाहिये और उनकी जगह दूसरे लोगों को ले आना चाहिये । यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा ठीक ठीक कार्य नहीं करती है तो इसकी जगह दूसरी सेवा प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये । इससे प्रशासन में शुद्धता आयेगी और जनता की बेहतर सेवा हो सकेगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार 28 मार्च, 1970/7 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjorned till eleven of the Clock on Saturday, March 28, 1970/Chaitra, 1892 (Saka).

Saka

———

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.